LAXMI®

PAPER-I

Exam Notes

बाल्यावस्था तथा विकास

(CHILDHOOD AND GROWING UP)

B.Ed.-1st Year

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
डॉ. प्रेम लता जोशी

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hissar

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

According to the Syllabus **Maharshi Dayanand University, Rohtak, Ch. Bansi Lal University, Bhiwani, Ch. Ranbir Singh University, Jind, Indra Gandhi University, Meerpur, Guru Jambheshwar University, Hissar**

LAXMI®

EXAM NOTES

बाल्यावस्था तथा विकास

[CHILDHOOD AND GROWING UP]

[Paper–1]

For :
B.Ed.–1st year

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

लेखक

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
एम.ए., एम.एड.,
एम.फिल. (अंग्रेजी) पी.एच.डी.

डॉ. प्रेम लता जोशी
एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल., पी.एच.डी.
(एजुकेशन) महिला शिक्षा महाविद्यालय,
झोंझू कलाँ, भिवानी

–: प्रकाशक :–

Ph. : 7206043575

LAXMI BOOK DEPOT™ Hansi Gate, Bhiwani

लक्ष्मी बुक डिपो

(उच्च कोटि की लक्ष्मी पुस्तकों के प्रकाशक)
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

New Edition

Price : ₹150 /-

Published by :
LAXMI Book Depot
Hansi Gate, Bhiwani
Haryana
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :
BRIJ LAL & SONS
Railway Road, Rohtak, Haryana
Phone : 09355911047,
09355911077

Sales Executives :
HARYANA Educational Store
Model Town, Rohtak-124001
Phone : 01262-282142 (Shop)
Mob. : 09812221923

Sales Executives :
KALA MANDIR
1687, Nai Sarak, Delhi-110006
Phone : 011-43068496, 011-17118976
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid erUors or omissions in this publication. In spite of this, some erUors might have crept in. Any mistake, erUor or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

© Laxmi Book Depot
No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :
VIBHUTI COMPUTERS
New Delhi

Printed by :
Novelty Printing Press
Delhi-110053

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

SYLLABUS

CHILDHOOD AND GROWING UP
[PAPER–1]

Time: 3 Hours | ***Max. Marks: 100***
(Theory: 80, Internal : 20)

NOTE FOR PAPER SETTER

(i) Paper setters will set 9 questions in all, out of which students will be required to attempt 5 questions.
(ii) Q.No. 1 will be compulsory and carries 16 marks. There will be 4 short answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.
(iii) Two long answer type questions will be set from each of the four units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long-answer type questions will carry 16 marks each.
(iv) All questions will carry equal marks.

OBJECTIVES : After completion of the course, student teachers will be able to:

- explain the meaning, concept and characteristics of growth, maturation and development at various stages
- describe the problems of childhood and adolescent age especially with respect to the Indian context
- develop an understanding of different aspects of a child's physical, intellectual, social and moral development
- analyze the impact of urbanization, globalization and economic changes on construction and experience acquired by growing child
- develop an understanding of dimensions and stages of childhood development and developmental tasks; with a focus on cognitive views of learning as well as social–cultural and constructivism
- explain the concept of individual differences and its implications
- enlist the factors influencing individual difference
- differentiate between classical and operant conditioning theory of learning
- explain the Piaget's concept of cognitive development
- differentiate between Kohlberg's theory of moral development and Erikson theory ofpsycho-social development
- describe the role of teacher in teaching learning situations
- explain the concept and principles of different perspectives in learning
- describe childhood in the context of poverty and globalization

COURSE CONTENTS

UNIT-I :

1. Development of Child at different Stages (Childhood an Adolescence)
- Concept, Meaning and general principles of Growth and development. Stages of development—growth and development across various stages from infancy to adolescence. (Physical, intellectual, social and moral development.)

- Piaget's concept of cognitive development,
- Kohlberg's theory of moral development
- Erikson's psycho-social development theory
- Factors affecting Growth and development
- Relative role of heredity and environment in development.
- Concept of growth and maturation
- Parenting styles: influencing developmental aspects of childhood and adolescence.
- Impact of Media on growing children and adolescents: deconstruction of significant events that media highlights and creates.

UNIT-II :

2. Understanding Individual Difference

- Concept of individual difference, Factors influencing individual difference, Educational implications of individual differences for teachers in organizing educational activities.
- Dimensions of differences in psychological attributes-cognitive, interest, aptitude, creativity, personality and values.
- Understanding individual from multiple intelligences perspective with a focus on Gardner's theory of multiple intelligences. Implications for teaching-learning
- Understanding differences based on a range of cognitive abilities—learning difficulties, slow learners and dyslexics, intellectual deficiency, intellectual giftedness. Implications for catering to individual variations in view of 'difference' rather than 'deficit' perspective.
- Methods and Ways to understand Children's and Adolescents' Behaviour: Gathering data about children from different contexts: naturalistic observations; interviews; reflective journals about children; anecdotal records and narratives
- Meaning, characteristics and kinds of Play; Play and its functions: linkages with the physical, social, emotional, cognitive.
- Games and group dynamics, rules of games and how children learn to negotiate differences and resolve conflict.

UNIT-III :

3. Theoretical Perspectives to enhance Learning among Children and Adolescents

- Learning: Meaning, implicit knowledge and beliefs.
- Perspective on Human Learning: connectionists or Behaviorist (Thorndike, Classical and Operant Conditioning)
- Cognitivist (Insightful learning, Tolman's Sign learning theory)
- Constructivism
- Bruner's discovery learning:
- Concepts and principles of each perspective and their applicability in different learning situations.
- Relevance and applicability of various theories of learning for different kinds of learning situations.
- Role of learner in various learning situations as seen in different theoretical perspectives.
- Role of teacher in teaching learning situations.

UNIT-IV :

4. Deprivation and Deprived Children: Measures for their Adjustment and Education

- Childhood in the context of poverty and globalization
- Current issues related to adolescents stress and role of the teacher (Increasing loneliness, changing family structures and rising permissiveness)
- Issues in marginalization of difference and diversity
- Children living in urban slum, socially deprived girls: measures to bring improvement in their status
- Child rearing practices of children separated from parents practices of children's separated children in crèches; children in orphanages
- Schooling: peer influences, school culture, relationships with teachers, teacher expectations and school achievement; being out of school, overage learner
- Understanding needs and behavioral problems of children and adolescents: Relationships with peers: friendships and gender; competition and cooperation, competition and conflict; aggression and bullying from early childhood to adolescence substance abuse, drug addiction,
- Impact of globalization, urbanization and economic changes on construction and experience of children in childhood and adolescent age.

TASKS & ASSIGNMENTS: ANY ONE OF THE FOLLOWING
(10 marks)

- Administer any two of the following Psychological Tests and prepare a report on it:
  - ➢ Intelligence Test
  - ➢ Personality Test
  - ➢ Self-Concept Questionnaire/ Inventory
  - ➢ Creativity
  - ➢ Learning Style Inventory
  - ➢ Parenting Style Inventory
  - ➢ Interest Test
  - ➢ Teaching Attitude
- Conduct a case study on a problematic Child (M.R, L.D, V.I, H.I, disruptive behavior and delinquent child etc.) and prepare a report on it.
- Prepare an observation schedule and observe the behavior of child in school setting.
- Prepare a survey report on "How media is affecting the behavior of growing child" on a group of Ten Children of age 6-14 years in terms of enhancing violence and developmental aspects of childhood. (The survey should be based on the collection of the data using a questionnaire).
- Any other task/assignment given by the institution.

GMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

5. वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं? बालक के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका है? विस्तार से बताए।

अथवा

वंशानुक्रम तथा वातावरण को परिभाषित करें। वंशानुक्रम और वातावरण के महत्त्व को विभिन्न अध्ययनों की सहायता से स्पष्ट करें।

अथवा

"विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही विषय है।" इस कथन को स्पष्ट करते हुए वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्षिक महत्त्व की चर्चा करें।

अथवा

वंशानुक्रम और वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्त्व पर प्रकाश डालें।

अथवा

बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्त्व है? अध्यापक को इस सम्बन्ध की जानकारी क्यों आवश्यक है? वह इस जानकारी का बालक के विकास में कैसे लाभ उठा सकता है?

अथवा

बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। 25

6. वृद्धि तथा परिपक्वता का वर्णन कीजिए। 30

7. 'परवरिश' से क्या अभिप्राय है? परवरिश और पालन-पोषण में क्या अंतर है? परवरिश के कौन-कौन से पक्ष होते हैं?
(What do you mean by parenting? What is the difference between parenting and child rearing practices? What are the various aspects of parenting?) 33

8. मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं? माध्यम का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए जो मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई जाती है?
(What do you mean by media? Describe impact of media on growing children and adolescents describe the significant events that media highlights and creates.)

अथवा

मीडिया का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।
(Describe the impact of media on growing children and adolescence.) 34

UNIT-II

2. **व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ**
(Understanding Individual Difference) 41

1. वैयक्तिक भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र, प्रकारों, कारणों तथा इनके शैक्षणिक महत्त्व की विवेचना कीजिये। 41

2. ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिये।

अथवा

ज्ञानात्मक सीखना किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट करें।

अथवा

संज्ञानात्मक सीखना या ज्ञानात्मक सीखना से आपका क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों का वर्णन करें। 44

3. सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएँ बताएं।
(What is creativity? Explain the characteristics of creative children.)

अथवा

सृजनशील बच्चे की सामान्य विशेषताएं लिखें।
(Write general characteristics of a creative child.) 46

4. रुचि क्या है? रुचि तथा ध्यान किस प्रकार सम्बन्धित हैं? रुचि का मापन किस प्रकार किया जाता है?
(What is Interest? How is interest related with attention? How are interests measured?) 48

5. अभिरुचि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? अभिरुचियों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? छात्रों की अभिरुचि मापन की विभिन्न विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
(What do you understand by aptitude test? What are the various types of aptitudes? Discuss in detail the different methods of measuring the aptitude.) 51

6. 'व्यक्तित्त्व' को परिभाषित करें। व्यक्तित्त्व की विशेषताएं क्या हैं?
(Define Personality. What are the characteristics of Personality?) 55

7. बहुबुद्धि सिद्धांत पर इसके शैक्षिक निहितार्थों को दिखाते हुए इसका वर्णन कीजिए।
(Describe multiple Intelligence theory highlighting its educational implications.)

अथवा

बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(What is theory of multiple Intelligence? Describe the types of Intelligence according to Howard Gardner.)

अथवा

अध्ययन सीखने हेतु बहुत बुद्धिमत्ता के गार्डनर सिद्धान्त के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए।

अथवा

शिक्षण अधिगम हेतु गार्डनर के बहु-बुद्धिमती सिद्धान्त के शैक्षणिक महत्व के बारे में बताइए।

अथवा

गार्डनर का बहु-प्रक्रिया सिद्धान्त का वर्णन कीजिए तथा इसकी शिक्षा में उपयोगिता भी बताइए।
(Discuss Gardner's theory of multiple multiple intelligence with special referemce to its educational implications.) 58

CIMETRIX
SKILLED INDIA

8. अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? अधिगम असमर्थ बच्चे की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।
(What do you mean by learning disability? Write a note on the education of learning disabled children.)............................ 59

9. स्वाभाविक निरीक्षण से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें। स्वाभाविक निरीक्षण की सीमाओं पर चर्चा करें।
(What is Naturalistic Observation? Discuss the limitations of naturalistic observations.).. 63

10. साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार के मुख्य तत्त्वों, विशेषताओं, उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिये।
(What do you mean by Interview? Describe the main elements, characteristics, objectives and types of interview.)........... 66

11. बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं? इसका क्या महत्त्व है? परावर्तक पत्रिका को आप कैसे लिखेंगे?
(What do you mean by Reflective Journal about children? Why is it important? How reflective journal is written?).......... 69

12. आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का अर्थ स्पष्ट करें। यह कितने प्रकार का होता है? अच्छे आकस्मिक अभिलेख के गुण बताएँ।
(Explain the meaning of Anecdotal Record? What are its types? Describe the qualities of a good anecdotal record.)........... 71

13. विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखें।
(Write a note on Narratives.)... 73

14. 'खेल' का अर्थ समझाएं। खेल की विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालें।
(Explain the meaning of 'Play'. Throw light on its characteristics.)
अथवा
बालकों के खेल की विशेषताएँ बताइए।
(Write characteristics of Children's Play.)........................... 74

15. खेल तथा समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का क्या संबंध है? खेलों के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मतभेदों तथा संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं?
(What is relationship between games and Group dynamics? What do you know about rules of games? How do children learn to negotiate differences and resolve conflict?).......... 77

UNIT-III

3. **बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Theoretical Perspectives to Enhance Learning Among Children and Adolescents)**.. **81**

1. सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने या अधिगम की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? वर्णन कीजिये।
(What do you mean by learning? What are the various characteristics of learning? Explain.)................................ 81

2. थार्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Thornedike's Trial and Error Theory? Describe the educationla implications of this theory.)....... 85

3. पैवलव के प्राचीन अनुबन्धन सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रयोगों, तत्त्वों तथा इस सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता या महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
(Throw light on the experiments, elements and educational importance of Pavlov's classical conditioning theory.)....... 93

4. स्किनर का सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त किसे कहते हैं? इस सिद्धान्त का वर्णन करते हुये इसकी शैक्षिक उपयोगिता अथवा महत्त्व का वर्णन कीजिये।
अथवा
स्किनर के क्रिया प्रसुत अनुकूलन सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Explain Skinner's Operant Conditioning.)........................ 98

5. पैवलव के शास्त्रीय अनुबन्धन तथा स्किनर के क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में कौन-कौन से मुख्य अन्तर पाये जाते हैं? वर्णन कीजिये।
अथवा
पैवलव द्वारा प्रतिपादित अनुक्रिया अनुबन्धित सिद्धान्त व स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
अथवा
क्लासिकल अनुकूलन एवं सक्रिय अनुकूलन के बीच अन्तर को विस्तार से बताइए।
(Differentiate between classical conditioning and operant conditioning in detail.).. 104

6. अन्तर्दृष्टि शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अन्तर्दृष्टि शिक्षण या सूझ-बूझ द्वारा सीखने के विभिन्न भागों तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिये।
.... 107

7. अन्तर्दृष्टि, सूझ-बूझ या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिये।
अथवा
अधिगम या सीखने के अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता या महत्त्व है? विवेचना कीजिये।
अथवा
अधिगम या सीखने से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? उल्लेख कीजिये।........... 113

8. टॉलमैन के चिह्न अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धान्त के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Tolman's sign Learning Theory? Describe the educational implications of this theory.)
अथवा
टॉलमैन के अधिगम से सम्बन्धित व्यवहारवादी ज्ञानात्मक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Describe the Tolman's Behaviourist Cognitive theory of learning.)
अथवा
चिह्न अधिगम से सम्बन्धित प्रयोग की व्याख्या कीजिए।
(Describe experiments concerning through sign-learning theory.).. 116

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

8. अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? अधिगम असमर्थ बच्चे की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।
(What do you mean by learning disability? Write a note on the education of learning disabled children.)........................... 59

9. स्वाभाविक निरीक्षण से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें। स्वाभाविक निरीक्षण की सीमाओं पर चर्चा करें।
(What is Naturalistic Observation? Discuss the limitations of naturalistic observations.).. 63

10. साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार के मुख्य तत्त्वों, विशेषताओं, उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिये।
(What do you mean by Interview? Describe the main elements, characteristics, objectives and types of interview.)........... 66

11. बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं? इसका क्या महत्त्व है? परावर्तक पत्रिका को आप कैसे लिखेंगे?
(What do you mean by Reflective Journal about children? Why is it important? How reflective journal is written?).......... 69

12. आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का अर्थ स्पष्ट करें। यह कितने प्रकार का होता है? अच्छे आकस्मिक अभिलेख के गुण बताएँ।
(Explain the meaning of Anecdotal Record? What are its types? Describe the qualities of a good anecdotal record.)........... 71

13. विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखें।
(Write a note on Narratives.).. 73

14. 'खेल' का अर्थ समझाएं। खेल की विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालें।
(Explain the meaning of 'Play'. Throw light on its characteristics.)
अथवा
बालकों के खेल की विशेषताएँ बताइए।
(Write characteristics of Children's Play.)........................ 74

15. खेल तथा समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का क्या संबंध है? खेलों के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मतभेदों तथा संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं?
(What is relationship between games and Group dynamics? What do you know about rules of games? How do children learn to negotiate differences and resolve conflict?)........... 77

UNIT-III

3. **बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Theoretical Perspectives to Enhance Learning Among Children and Adolescents).. 81**

1. सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने या अधिगम की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? वर्णन कीजिये।
(What do you mean by learning? What are the various characteristics of learning? Explain.)................................ 81

2. थार्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Thornedike's Trial and Error Theory? Describe the educationla implications of this theory.)....... 85

3. पैवलव के प्राचीन अनुबन्धन सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रयोगों, तत्त्वों तथा इस सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता या महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
(Throw light on the experiments, elements and educational importance of Pavlov's classical conditioning theory.)....... 93

4. स्किनर का सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त किसे कहते हैं? इस सिद्धान्त का वर्णन करते हुये इसकी शैक्षिक उपयोगिता अथवा महत्त्व का वर्णन कीजिये।
अथवा
स्किनर के क्रिया प्रसुत अनुकूलन सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Explain Skinner's Operant Conditioning.)....................... 98

5. पैवलव के शास्त्रीय अनुबन्धन तथा स्किनर के क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में कौन-कौन से मुख्य अन्तर पाये जाते हैं? वर्णन कीजिये।
अथवा
पैवलव द्वारा प्रतिपादित अनुक्रिया अनुबन्धित सिद्धान्त व स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
अथवा
क्लासिकल अनुकूलन एवं सक्रिय अनुकूलन के बीच अन्तर को विस्तार से बताइए।
(Differentiate between classical conditioning and operant conditioning in detail.).. 104

6. अन्तर्दृष्टि शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अन्तर्दृष्टि शिक्षण या सूझ-बूझ द्वारा सीखने के विभिन्न भागों तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिये।
.... 107

7. अन्तर्दृष्टि, सूझ-बूझ या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिये।
अथवा
अधिगम या सीखने के अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता या महत्त्व है? विवेचना कीजिये।
अथवा
अधिगम या सीखने से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? उल्लेख कीजिये।............ 113

8. टॉलमैन के चिह्न अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धान्त के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Tolman's sign Learning Theory? Describe the educational implications of this theory.)
अथवा
टॉलमैन के अधिगम से सम्बन्धित व्यवहारवादी ज्ञानात्मक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Describe the Tolman's Behaviourist Cognitive theory of learning.)
अथवा
चिह्न अधिगम से सम्बन्धित प्रयोग की व्याख्या कीजिए।
(Describe experiments concerning through sign-learning theory.).. 116

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

9. ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम की प्रासंगिकता प्रयोग तथा इसमें अधिगमकर्ता तथा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Bruner's discovery learning theory? Describe its relevance, applicability and the role of learner and teacher in this theory.)

अथवा

ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम की प्रासंगिकता प्रयोग तथा उनमें अधिगमकर्ता तथा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 120

10. शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
(Describe the role of teacher in teaching learning situations.)

अथवा

अध्यापकों का स्कूल में क्या उत्तरदायित्व है? इनके गुणों की भी विवेचना कीजिए।
(What are the responsibilties of teachers in the school. Also discuss their merits.) 122

UNIT-IV

4. **अपवंचन तथा वंचित बालक : उनके समायोजन तथा शिक्षा के लिए उपाय [Deprivation and Deprived Children: Measures for their Adjustment and Education]** 129

1. बाल्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है? निर्धनता तथा वैश्वीकरण के सन्दर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए।

अथवा

"बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है" इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 129

2. तनाव क्या है? किशोरावस्था के दौरान तनाव से सम्बन्धित मुद्दों का वर्णन कीजिए। किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है?
(What is Stress? Describe the current issues related to adolescents stress. What is the role of teacher in the education of adolescents.) 131

3. विभिन्नता तथा विदिधता के सीमान्तकों के मुद्दों का वर्णन कीजिए।
(Describe the issues in marginalisation of differences and diversities.) 136

4. शहरीकरण से आप क्या समझते है? बच्चों के शहरी गन्दी बस्तियों में रहने के क्या दुष्परिणाम हैं? इन बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? 140

5. बालक की पालन-पोषण विधियों से क्या अभिप्राय है? पालन-पोषण विधियों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
(What do you mean by child-rearing practices? Describe the factors affecting child rearing practices.) 143

6. माता-पिता से पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यवहारों का वर्णन करें। 145

7. 'क्रैच' से क्या अभिप्राय है? अपने बच्चे के लिए क्रैच के चयन के लिए आप किन-किन बातों पर ध्यान रखेंगे? क्रैच के लाभ और हानियां बताएं।
(What do you mean by Creche? What precautions will you observe while selecting a Creche for your Child? Also describe its advantages and disadvantages.) 146

8. 'अनाथाश्रमों या अनाथालयों में बालकों'' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
(Write a note on 'Children in Orphanages.') 148

9. स्कूलों में बच्चों पर उनके साथियों का क्या प्रभाव पड़ता है? स्कूल संस्कृति से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें।
(How the child is influenced by his peers? What do you mean by school culture? Describe it.) 149

10. अध्यापकों के साथ बच्चे के संबंध की व्याख्या करें। अध्यापक के साथ अच्छे संबंध क्यों आवश्यक हैं?
(Explain the relationship of the child with the teachers. Why good relationship is required with the teachers?) 150

11. अध्यापक-अपेक्षाओं से आप क्या समझते हैं? अध्यापक अपेक्षाओं और स्कूल उपलब्धियों में क्या संबंध है?
(What do you mean by teacher's expectations? How teacher's expectations are related to school achievements?) 152

12. साथियों के साथ संबंध से क्या अभिप्राय है? इन संबंधों पर मित्रता और यौन या लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है?
(What do you mean by relationship with peers? How friendship and gender affect such relationship?) 154

13. प्रतिस्पर्धा से क्या अभिप्राय है? व्याख्या करें।
(Explain the meaning of competition.) 155

14. 'सहयोग' से आप क्या समझते हैं ? सहयोग के प्रकार और कारणों पर प्रकाश डालें।
(What do you understand by cooperation? Throw light on the types and causes of Co-operation.) 156

15. 'द्वंद्व' से क्या अभिप्राय है? प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व में क्या संबंध है? द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन करें।
(What do you mean by Conflict? How it is related to competition? Describe the basic causes of conflict.) 159

16. समाज में बढ़ते हुए आक्रामक व्यवहार के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? प्रमुख कारणों का वर्णन करें। आक्रामक व्यवहार के नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे?
(What can be the causes of Aggressive Behaviour in the society? Describe the main causes. What you can do to control the aggressive behaviour?)

अथवा

आक्रामकता के प्रमुख निर्धारकों तथा इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन करें।
(Describe the main determinants and methods of prevention and control of aggressiven behaviour.)

अथवा

आक्रामकता को दण्ड एवं पुरस्कार न देना किस तरह नियंत्रित एवं रोक सकता है? (How can punishment and non-rewarding control and prevent aggression?)

अथवा

आक्रामकता के मुख्य कारण बताइए। उनके आक्रामक व्यवहार के आप कैसे नियन्त्रण में रख सकते हैं?
(Describe main causes of aggression. What can you do control the agressive behaviour.) 160

17. 'दबंगता' या धौंस जमाना या आखेदन से क्या अभिप्राय है? विभिन्न अवस्थाओं में दबंगता या आखेदन का वर्णन करें।
(What do you mean by Bullying? Describe bullying in various stages of development.) 165

18. मादक द्रव्य व्यवसन की समस्या से आप क्या समझते हैं? मादक द्रव्य व्यवसन के कारण तथा दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। 167

19. वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका क्या महत्त्व है? बच्चों तथा उनकी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव है?
(What is meant by globalization? What is its importance? What is its impact of globalization education.)

अथवा

भूमंडलीकरण क्या है? बाल्यावस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
(What is Globalization? Explain its impact on childhood.)
.... 170

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

L A X M I ®

EXAM NOTES

बाल्यावस्था तथा विकास

[CHILDHOOD AND GROWING UP]

[Paper–1]

UNIT–I

1. *Development of Child at different Stages (Childhood and Adolescence)*
   - *Concept, Meaning and general principles of Growth and development. Stages of development – growth and development across various stages from infancy to adolescence. (Physical, intellectual, social and moral development.)*
   - *Piaget's concept of cognitive development,*
   - *Kohlberg's theory of moral development*
   - *Erikson's psycho-social development theory*
   - *Factors affecting Growth and development*
   - *Relative role of heredity and environment in development.*
   - *Concept of growth and maturation*
   - *Parenting styles: influencing developmental aspects of childhood and adolescence.*
   - *Impact of Media on growing children and adolescents: deconstruction of significant events that media highlights and creates.*

–: प्रकाशक :–
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani ™
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

1

विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास
[Development of Child at Different Stages]

वृद्धि और विकास का संप्रत्यय, अर्थ तथा सामान्य सिद्धान्त
[Concept, Meaning and General Principles of Development]

1. वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by growth and development? Describe principle of growth and development.)

अथवा

वृद्धि और विकास में अन्तर स्पष्ट करें।
(Differentiate between growth and development.)

CIMETRIX

उत्तर–1. वृद्धि का अर्थ (Meaning of Growth)—वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणामस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणामस्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है–शरीर, आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की माँसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है।

हरबर्ट सोरेन्सन *(Herbert Sorenson)* ने तो शारीरिक वृद्धि को 'बड़ा और भारी होना' बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं।

एच. वी. मैरीडिथ *(H.V. Meredith)* के अनुसार, **"वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है–मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है–हृदय, आँतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पाँचवां प्रमाण है–सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात् सिर टाँगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है।"** संक्षेप में, वृद्धि और विकास के पाँच प्रमाण हुए–आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार *(Size, Number, Kind, Position and Relative size)*।

जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड *(Fertilized Orum)* में विभाजन के परिणामस्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण *(Embryo)* बनता है तथा उसकी कोशिकाओं *(Cells)* में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरन्तर नहीं होती। इसकी गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा उसके पश्चात् यह रुक जाती है।

वृद्धि एक विशेष पद्धति *(Pattern)* पर तथा आन्तरिक रूप से होती रहती है। शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तःक्रिया से होती है।

फ्रैंक (Frank) ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है–**'शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं।'**

उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं–

1. वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है।
2. वृद्धि को मात्रा *(Quantity)* के रूप में माना जा सकता है।
3. वृद्धि की सामान्य पद्धति *(General Pattern)* होती है, न कि अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग।
4. वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणामस्वरूप होती है।
5. वृद्धि निरन्तर नहीं होती।
6. वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती। इसमें (गति में) परिवर्तन आते रहते हैं।
7. वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है। फिर उसके बाद रुक जाती है।
8. वृद्धि आन्तरिक रूप से होती है।
9. स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है।
10. वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तःक्रिया से होती है।
11. शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है।
12. शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा सम्बन्ध होता है।
13. जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है।
14. स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
15. शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है।

2. विकास का अर्थ (Meaning of Development)—विकास *(Development)* शब्द उन्नति से सम्बन्धित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता *(Maturity)* की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक *(Qualitative and Quantitative)* परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य सम्बन्धी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी सम्बन्ध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक-दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है।

जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी (Jersild, Telford and Sawrey) के अनुसार, **"विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है।"** *(Development refers to the complex set of processes involved in the emergence of a mature functioning organism from a fertilized ovum.)*

हरलॉक (Hurlock) के अनुसार, **"विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील शृंखला है।"** *(Development is not limited to growing layers. Instead it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity.)*

हरलॉक के अनुसार भी, विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है।

वृद्धि की भाँति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट *(General to Specific)* दिशा की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर होता ही रहता है।

वास्तव में 'विकास' शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्य-कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हों। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएँ साथ-साथ ही चलती हैं।

इस प्रकार विकास की प्रकृति *(Nature)* निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है–

1. विकास की निश्चित पद्धति होती है।
2. विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है।
3. विकास रुकता नहीं, निरन्तर चलता रहता है।
4. विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है।
5. विकास का अर्थ अधिक व्यापक है।
6. विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं।
7. विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है।

जब एक छोटा पौधा, जो अंकुर बनकर फूटता है कुछ ही दिनों व वर्षों में पौधे या वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, फिर हम कहते हैं कि देखो इस पौधे की वृद्धि हो गई, यह पेड़ बन गया। इसी तरह माँ के गर्भ में बच्चे की जब से जीवन-लीला शुरू होती है, तब से लेकर मृत्यु तक उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए वृद्धि व विकास बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे तो वृद्धि व विकास में चोली-दामन का सम्बन्ध है, जिन्हें अलग करना संभव नहीं है, फिर भी इनके अर्थों को व इनके बीच का अंतर समझने के लिए दोनों का अलग-अलग जानना अति आवश्यक है।

वृद्धि का अर्थ (Meaning of Growth)–'वृद्धि' शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर, आकार, भार आदि में वृद्धि के सन्दर्भ में किया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसे नापा, तोला व देखा जा सकता है। वृद्धि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए फ्रैंक ने कहा है–"शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है, उसे वृद्धि कहते हैं।"

विकास का अर्थ (Meaning of Development)–बच्चे की शरीर की वृद्धि होने के साथ-साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता रहता है अर्थात् बालक की वृद्धि के साथ-साथ उसकी विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताओं एवं शीलगुणों *(traits)* का उदय होता रहता है। बालक की बाल्यावस्था में विकास के पश्चात् उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बाल्यावस्था में बालक में होने वाला यह विकास उसके भावी जीवन के लिए दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से धीरे-धीरे एक नन्हा शिशु बढ़ते-बढ़ते एक जिम्मेदार नागरिक अथवा वयस्क का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तथा व्यक्ति के व्यवहार को जीवन भर दिशा प्रदान करती रहती है। अतः विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि प्राणी में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के साथ-साथ गुणों तथा विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में 'विकास' के नाम से जाना जाता है।

इंगलिश तथा इंगलिश के अनुसार–**"विकास शरीर व्यवस्था में एक लम्बे समय में होने वाले सतत् परिवर्तन का एक अनुक्रम है। विशेषतया मानव में इस प्रकार के परिवर्तन अथवा सम्बन्धित और स्थायी विशेष परिवर्तन उसके जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त होते रहते हैं।"**

हरलॉक (Hurlock) ने विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है–**"विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है, जो नियमित और क्रमिक रूप से होते हैं।"**

विकास के सिद्धान्त (Principles of Development)–विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरन्तरता के कारण इसे कुछ सिद्धान्तों का अनुकरण करना पड़ता है अर्थात् विकास के कुछ सिद्धान्त हैं, जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का वर्णन निम्नलिखित है–

(1) निरन्तरता का सिद्धान्त (Principle of Continuity)–विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है अर्थात् यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। दो कोषों *(Cells)* अर्थात् शुक्र *(Sperm)* और अंड *(Ovum)* के निषेचन के परिणामस्वरूप बने निषेचित अंड *(Fertilized Egg or Ovum)* से जीवन लीला शुरू होती है और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे-धीरे तथा निरन्तर चलती रहती है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरन्तरता की गति एक समान नहीं रहती। इसमें भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धान्त से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरन्तरता के सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा।

(2) एकरूपता का सिद्धान्त (Principle of Uniform Pattern)–विकास की प्रक्रिया में एकरूपता *(Uniformity)* दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएँ कितनी भी हों। लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरणार्थ–बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा अर्थात्–यह विकास सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अन्तर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में। इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है।

(3) वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धान्त (Principle of Individual Differences)–मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धान्त को बहुत महत्त्व देते हैं। चूँकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु-वर्गों में बाँटा गया है तथा हर आयु-वर्ग की अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण हर आयु-वर्ग के व्यवहारों में अन्तर होता है। इन अन्तरों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वाँ बच्चों में भी वैयक्तिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी स्वाभाविक गति से होता है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएँ या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएँ या व्यवहार देर से विकसित होते हैं। इस प्रकार उनमें पर्याप्त वैयक्तिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते।

(4) वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धान्त (Principle of joint product of Heredity & Environment)–बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति की नींव माना जाता है।

(5) समग्र विकास का सिद्धान्त (Principle of Total Development)–मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ-साथ चलता रहता है। जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष परस्पर इस विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

(6) परिपक्वता और अधिगम का सिद्धान्त (Principle of Maturation & Learning)–वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को रोकने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसकी यह परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर में भी भिन्नताएँ होती हैं। यही भिन्नताएँ उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है तो वह बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा और हमें उस बालक से अधिक आशाएँ रखनी भी नहीं चाहिएँ।

(7) विकास की दिशा का सिद्धान्त (Principle of Developmental Direction)–वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले 'सिर' प्रौढ़ आकार *(Adult Size)* ग्रहण करता है तथा टाँगे सबसे बाद में। भ्रूण *(Embryo)* के विकास में यह सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट है। इस प्रकार विकास की **निम्न दिशाएँ** होती हैं–

(i) सिर से पाँव की ओर (Cephalo Caudal Sequence)–मानव शिशु सिर से पाँव की ओर बढ़ता और विकसित होता है, न कि पाँव से सिर की ओर।

(ii) रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर (Proximodistal Sequence)–इसी प्रकार विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाहरी *(Proximo-distal sequence)* विकास होना शुरू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था *(Embryonic stage)* में सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला सिरा विकसित होता है। इसी प्रकार पहले सुषुम्ना नाड़ी *(Spinal cord)* का विकास होता है, फिर हृदय, छाती आदि भागों का विकास होता है।

(iii) स्वरूप के पश्चात् क्रियाएँ (Structure Precedes Functions)–सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उसके पश्चात् उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग करने से पहले इनकी माँसपेशियों का विकास हो जाना चाहिए।

(8) वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धान्त (Principle of Variation in the rate of Growth and Development)–व्यक्ति की वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं। उन सभी अवस्थाओं के दौरान वृद्धि और विकास की गति की दर में भी भिन्नताएँ होती हैं। उन अवस्थाओं के दौरान विकास की गति-दर एक समान नहीं होती। प्रारम्भिक अवस्थाओं में यह गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में वह गति धीमी पड़ जाती है। प्रारम्भिक अवस्थाओं में शारीरिक वृद्धि और विकास की दर तीव्र होती है, लेकिन बाद में भी धीमी हो जाती है। फिर एक ऐसी अवस्था आ पहुँचती है कि शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। लेकिन तब गुणात्मक विकास होता रहता है।

(9) विकास की भविष्यवाणी का सिद्धान्त (Principle of Predictability of Development)–अब अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना अब संभव है। उदाहरणार्थ बालक के सम्मान, रुचियाँ, अभिरुचियाँ, वृद्धि इत्यादि।

(10) सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धान्त (Principle of Development from General to Specific)–इस सिद्धान्त के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे-धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता *(Specificity)* की ओर बढ़ता है। उदाहरणार्थ, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर-उधर मारने का प्रयास करता है।

CIMETRIX

लेकिन धीरे-धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है, जिसे वह उठाना चाहता है। इसी प्रकार बालक पहले सामान्य शब्द सीखता है, फिर विशिष्ट अक्षरों को। पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर ही सम्बोधित करता है, लेकिन समय के साथ-साथ वह विभिन्न पक्षियों के नाम सीख लेता है तथा उनके नामों से उन्हें पुकारना शुरू कर देता है।

(11) एकीकरण का सिद्धान्त (Principle of Integration)–इस सिद्धान्त के अनुसार पहले बच्चा सम्पूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। उदाहरणार्थ, पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे-धीरे हाथ को और उसकी उँगलियों को हिलाने का प्रयास करता है।

(12) विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धान्त (Principle of Cumulation and Re-capitulation)–विकास अनुभवों का कुल योग होता है, न कि केवल किसी एक ही अनुभव पर आधारित। विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं की आवृत्ति दूसरी अवस्था में भी देखी जा सकती है। उदाहरणार्थ, बचपन का प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है।

(13) मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धान्त (Principle to think from Concrete to Abstract)–मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिन्तन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने के सिद्धान्त का अनुकरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती हैं। बालक प्रभाव और कारण *(Cause and effect)* को समझने का प्रयास करता है।

(14) बाहरी नियंत्रण से आन्तरिक नियंत्रण का सिद्धान्त (Principle of outer Control to Inner Control)–छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धान्तों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे ही वे बड़े होते हैं, उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा तथा उनका स्वयं का आन्तरिक नियंत्रण का समूह या सैट विकसित हो जाता है।

(15) विकास में विभेदीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रिया होती है (Process of Differentiation and Integration in Development)–शिशु के रूप में व्यक्ति की क्रियाएँ ठोस अर्थात् एकीकृत होती हैं। इन क्रियाओं द्वारा व्यवहार के सामान्य, विशिष्ट एवं समन्वित प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट प्रतिमान नए और जटिल व्यवहार को सीखने के लिए पुनः एकीकृत होते हैं। विकास के दो सामान्य नियम होते हैं–प्रथम, विभेदीकरण *(Differentiation)* तथा द्वितीय, श्रेणीबद्ध एकीकरण *(Hierarchic Integration)* ये दोनों, नियम परस्पर निकट सम्बन्ध रखते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास उनके नियन्त्रण की मात्रा में सुधार होना तथा क्रियात्मक कार्यों में विशिष्टता को दर्शाता है। शिशु शीघ्र क्रियात्मक समन्वय की अभिव्यक्ति करना शुरू कर देते हैं। पहले वे भुजाओं की क्रियाओं पर नियन्त्रण दिखाते हैं, फिर हाथ की क्रियाओं तथा अन्त में अंगुलियों की क्रियाओं का पूर्ण नियन्त्रण दिखाते हैं।यह नियन्त्रण बच्चों की शारीरिक क्रियाओं में विभेदीकरण कहलाता है। अनेक व्यक्तिगत क्रियाएँ जिनमें, बच्चा प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, व्यवहार के अधिक जटिल एवं परिष्कृत प्रतिमानों के रूप में एकीकृत कर ली जाती है। **वरनर** *(Werner)* ने इस प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध-एकीकरण *(Hierarchic Integration)* इस प्रक्रिया का अर्थ है कि बच्चे के नए सीखे गए क्रियात्मक कौशल के अलग-अलग भागों को क्रियात्मक व्यवहार की पूर्ण इकाई के रूप में अधिकाधिक संगत *(Coherent)* ढंग से एकीकृत किया जाता है। उदाहरणार्थ, बच्चे द्वारा भुजाओं, टांगों एवं गर्दन की गति-विधियों पर पूर्णरूपेण नियन्त्रण करने (विभेदीकरण) के पश्चात् व इन विभेदी क्रियाओं में एकत्रित करता है, जिसके फलस्वरूप अधिक जटिल एकीकृत व्यवहार उत्पन्न होता है, जैसे बच्चे द्वारा बिना सहारे के बैठना (श्रेणीबद्ध एकीकरण)। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बच्चा प्रारम्भ में खसना खाते समय हाथों तथा चम्मच का अभद्र रूप से प्रयोग करता है तथा खाने का कुछ भाग नीचे भी डाल देता है (विभेदीकरण)। परन्तु धीरे-धीरे वह पूर्ण दक्षता के साथ अंगुलियों या चम्मच की सहायता के बिना नीचे बिखेरते हुए खाना

शुरू करता है तथा साथ-साथ बातें भी करता है या समाचार-पत्र पढ़ सकता है। यह 'एकीकरण' कहलाता है यह प्रक्रिया विकास के प्रत्येक पहलू में देखी जा सकती है, जैसे अंकों व अक्षरों को सीखा जाना, फिर साधारण प्रश्न एवं पंक्ति याद की जाती है तथा पूर्ण विकास के बाद जटिलतम समस्याओं का भी समाधान कर लिया जाता है। इस प्रकार, विकास प्रक्रिया में 'विभेदीकरण' एवं 'एकीकरण' की प्रक्रिया निरन्तर बनी रहती है।

विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मुख्य रूप से वृद्धि, स्मृति तथा शारीरिक विकास की गति के आधार पर बच्चों की लम्बाई व आकार एवं बौद्धिक कार्यों के विकास का पूर्व कथन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विकास अवस्था के कुछ स्वभाविक अथवा कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो अन्य आयु स्तर के विकास प्रतिमानों में नहीं पाए जाते हैं; उदाहरणार्थ; बाल्यावस्था में यही बच्चे विपरीत यौन के व्यक्तियों में अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं।

◆◆◆

पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय
(Piaget's concept of cognitive development)

2. जीन-पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धान्त से आपका क्या अभिप्राय है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिये।

अथवा

पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त से आपका क्या अभिप्राय है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए इस सिद्धान्त के शैक्षिक महत्त्व की विवेचना कीजिये।

अथवा

जीन-पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त पर विस्तृत लेख लिखिए। (C.R.S.U. 2018)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

उत्तर–जीन-पियाजे *(Jean Piaget)* जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ही तीन बच्चों का अध्ययन किया। इन बच्चों के अध्ययन से पियाजे ने जो कुछ भी सीखा उससे उन्हें मानसिक-विकास के सिद्धान्त के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययनों से पियाजे ने बदलते हुए स्वरूपों *(Changing structures)* की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाले, जिससे बच्चों के प्रत्यक्षीकरण *(Perception)* और विचारों *(Thoughts)* के बारे में पता चलता है। जैसे-जैसे बच्चा शैशवावस्था *(Infancy)* से किशोरावस्था *(Adolexcence)* तक पहुंचता है, वैसे-वैसे बच्चे के प्रत्यक्षीकरणों *(Perceptions)* और उसके विचारों के बारे में पता चलता है।

पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुये संज्ञान के अर्थ के सम्बन्ध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, जिसे वह वातावरण के सम्पर्क में आकर प्राप्त करता है और इसमें अनेक मानसिक क्रियाओं जैसे-चिन्तन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, समाधान आदि शामिल होती हैं जो निरन्तर रूप से चलती रहती हैं। विकास को किसी अवस्था विशेष में उनमें बदलती नहीं हैं। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किये गये ज्ञान-भण्डार का स्वरूप और बनावट *(Structure)* विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता रहता है तथा साथ ही परिमार्जित या संशोधित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त को विकासात्मक सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अन्दर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त पियाजे के सिद्धान्त को 'अवस्था सिद्धान्त' *(Stage theory)* भी कहा जाता है, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग-अलग अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त किये गये ज्ञान-भण्डार को स्कीमा *(Schema)* का नाम दिया है।

पियाजे के बौद्धिक-विकास के सिद्धान्त में विभिन्न क्रियाओं की विस्तृत शृंखला को शामिल किया गया है। पियाजे का सिद्धान्त इस बात पर भी केन्द्रित है कि लोग कैसे सोचते हैं, बजाय इसके लोग क्या सोचते हैं। पियाजे का सिद्धान्त सभी समाजों और संस्कृतियों पर लागू होता है। इनके सिद्धान्त की सबसे प्रमुख शक्ति यह है कि यह सिद्धान्त हमें यह बताता है कि व्यक्ति की वंशानुक्रमित *(Inherited Capacities)* क्षमतायें वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करती हैं और बौद्धिक रूप में क्रियाशील बालक या व्यक्ति उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार पियाजे के सिद्धान्त में दोनों वंशानुक्रम *(Nature)* और वातावरण *(Environment)* को महत्त्व मिला है।

पियाजे के सिद्धान्त में 'अवस्था' या 'स्तर' *(Stage)* भी केन्द्रीय है। पियाजे का विचार है कि जिस प्रकार 'खड़े' होने के पश्चात् चलने की अवस्था आती है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास की कुछ अवस्थाओं के पश्चात् इसकी अन्य अवस्थायें आती हैं। एक व्यक्ति को एक अवस्था पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात् ही अगली अवस्था में प्रवेश मिलता है। बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि उसकी वर्तमान विकास अवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रकार यदि कोई अभिभावक बच्चों के सामने एक अत्यन्त जटिल संप्रत्यय *(Advanced Concept)* प्रस्तुत करता है तो वह बच्चा उसे समझने में असमर्थ होगा। इसमें वास्तविक अधिगम *(Real Learning)* नहीं होगा। पियाजे द्वारा निर्धारित की गई अवस्थायें केवल अनुमानित आयु पर आधारित हैं।

अब तक के मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास के तीन पक्ष बतलाये थे—

(1) जैविकीय परिपक्वता *(Biological Maturation)*,

(2) भौतिक वातावरण के साथ अनुभव *(Experience with Physical Environment)*,

(3) सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव *(Experience with Social Environment)*

जीन पियाजे ने कहा कि मानव विकास के उक्त तीन पक्षों के अलावा सन्तुलनीकरण *(Equilibrium)* नामक एक पक्ष और होता है।

जीन पियाजे के अनुसार सन्तुलनीकरण मानव विकास की एक अनिवार्य शर्त है। सन्तुलनीकरण मानव विकास के अन्य तीनों पक्षों के मध्य सन्तुलन एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इस सन्तुलन के अभाव में किसी भी प्राणी का विकास सम्भव नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार सन्तुलनीकरण एक स्वचालित उन्नतोन्मुखी *(Progressive Self-regulating)* प्रक्रिया है।

पियाजे ने अपने विचारों में संज्ञान *(Cognition)* के विकास को सबसे अधिक प्रधानता दी है। यदि हम कहें कि पियाजे का सम्पूर्ण कार्य संज्ञान तथा तर्क के विकास से ही सम्बन्धित है तो अतिशयोक्ति नहीं है। पियाजे ने तर्क तथा मनोविज्ञान को परस्पर पास लाने का प्रयास किया। वे अपने अधिकांश कार्यों में तर्क-विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर विभिन्न नियमों का निरूपण करते हैं।

जीन पियाजे ने मानव-विकास के सामान्य तथ्यों की चर्चा के मध्य ही सन्तुलनीकरण को स्पष्ट करने के लिए दो अन्य प्रत्यय भी दिये जिन्हें पियाजे ने आत्मीकरण *(Assimilation)* तथा संधानीकरण *(Accomodation)* नाम दिया।

बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है, अपितु वह वातावरण के साथ समायोजन भी स्थापित करता है। जब तक वह वातावरण के साथ समायोजन व संधानीकरण नहीं कर लेता है वह वातावरण (दोनों ही भौतिक एवं सामाजिक) का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और न अपने व्यक्तित्व का ही समन्वित विकास कर सकता है। बाह्य वास्तविकताओं *(Realities)* और वातावरण का समायोजन वर्तमान संरचनात्मक संगठन के साथ अनिवार्य है। यह समायोजन ही सन्तुलनीकरण *(Equilibrium)* है। यह समायोजन प्रक्रिया या सन्तुलनीकरण मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। बालक ज्यों-ज्यों वातावरण के साथ एकीकरण करते चलते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता चलता है।

बच्चे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक किस तरीके से सोचते हैं, इस पक्ष पर पर्याप्त खोज करने के बाद पियाजे ने बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग के बीच उनके मानसिक विकास की क्रमिकता को देखा-परखा और उसे चार चरणों में विभक्त किया।

CIMETRIX

अन्य शब्दों में पियाजे ने व्यक्ति को एक क्रियाशील जैविक जीव की तरह माना है कि जो स्थिर रूप से वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करता है तथा इस अन्तःक्रिया के द्वारा वह अपने ज्ञान को **तीन रूपों** में प्राप्त करता है—

(i) बाह्य पदार्थ के बारे में।

(ii) स्वयं के बारे में और

(iii) अपने तथा पदार्थ के सम्बन्ध के बारे में।

पियाजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास की **निम्नलिखित चार मुख्य अवस्थायें होती हैं–**

(1) संवेदीपेशीय या गतिवाही अवस्था *(Sensory motor Period)*

(2) पूर्व-प्रक्रिया या प्री ऑप्रेशन अवस्था *(Pre-Operational Period)*

(3) स्थूल-प्रक्रिया या कॉन्क्रीट ऑप्रेशन अवस्था *(Concerete Operational Stage)*

(4) औपचारिक प्रक्रियाओं की अवस्था या फॉरमल ऑप्रेशन अवस्था *(Formal Operation Stage)*

पियाजे द्वारा बताई गई चारों विकास की अवस्थाओं में आत्मसात् *(Assimilation)* और समंजन *(Accomodation)* प्रक्रियायें होती हैं, जिससे बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। पियाजे द्वारा बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास की **चार अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है–**

(1) संवेदी पेशीय या गतिवाही अवस्था (Sensory-motor Stage)–पियाजे ने इस अवस्था को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा है। इसी अवस्था में बच्चे के बौद्धिक विकास का आधार बनता है। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था जन्म से लेकर दो वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें बच्चा इन्द्रियों के जरिये वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गन्ध का अनुभव प्राप्त करता हैं। अतः बाहरी वातावरण और उसकी इन्द्रियों के मध्य पारस्परिक आदान-प्रदान होने से इस चरण में मानसिक क्रियायें घटित होती हैं। भाषा के बिना वह अपने अनुभवों को इन्द्रियों द्वारा व्यक्त करता है, जैसे वस्तुओं को टकटकी लगाकर देखना, भूख लगने पर रोना आदि। ये सभी क्रियायें उसकी बौद्धिक क्रियायें कहलाती हैं।

जीवन के इन दो प्रथम वर्षों में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। एक शिशु *(Infant)* असमन्वित *(Uncoordinated)*, प्रतिवर्त जैसा संस्थान *(Reflex like Organism)* तथा जटिल संसार की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया *(Respond)*—करने में असमर्थ होता है। जन्म के कुछ सप्ताहों में वह कुछ साधारण आदतें निर्मित कर लेता है। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कराता है, वह बाहर निकलता है और वातावरण की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। जब वह दूध की बोतल देखता है तो वह समझ जाता है। कि उसका भोजन आ रहा है। दो महीनों तक वह पिछली दृश्य *(Visual)* और श्रव्य *(Auditory)* घटनाओं की स्मृति का विकास कर लेता हैं। पियाजे के अनुसार, इस प्रकार की स्मृति को प्राप्त करना भविष्य के बौद्धिक विकास की आधारशिला होती है।

छः या आठ महीने की आयु तक, बच्चा नये और अधिक रुचिकर उद्दीपन *(Stimulus)* ढूंढता है। वह बैठना और रेंगना *(Crawling)*) सीखता है। वह कमरे के दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए रेंगता है। लगभग नौवें महीने से बच्चा 'वस्तुओं के स्थाईपन' *(Oject permanence)* के विचार का विकास करता है अर्थात ऐसी योग्यता जो बच्चे को यह अनुभव कराये कि कोई वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी विद्यमान होती है *(The ability to realize that objects continue to exist even when they are out of sight)–Lefton.*

बारह से चौबीसवें महीने तक अर्थात् इस अवस्था के दूसरे मध्य भाग में बच्चा चलना, बोलना और तर्क का प्रारम्भिक रूप *(Rudimentary forms of logic)* सीखता है। इस अवस्था में वह अपनी माँ को ढूँढता फिरता है और रेंगती हुई गेंद का पीछा करता है। बच्चा दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिये भाषा का प्रयोग करना प्रारम्भ कर देता है। दो वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी दादी, माता-पिता, मित्रों, टी.वी. कार्यक्रमों तथा अन्य घटनाओं के बारे में बातें करने लगता है। बेशक वह अमन्वित होता है, लेकिन वह चिन्तनशील, चलने वाला, बोलने वाला मानव हो जाता है।

इस सारी अवस्था में बच्चे की मांगें बहुत कम होती हैं। वह स्वयं केन्द्रीयकरण *(Self centeredness of Ego centrism)* बच्चे के व्यवहारों को स्वरूप प्रदान करता है। अगले कुछ वर्षों तक बच्चा संसार या विशिष्ट परिस्थितियों को समझने के अयोग्य होता है। **एलकिंड के अनुसार** इसी मानसिक अपरिपक्वता के कारण बच्चा अपनी माँ से तब भी चिपका रहता है, जबकि उसे यह बता दिया जायें कि उसकी माँ के सिर में दर्द है तथा वह अकेला रहना चाहती है। बच्चा स्वयं को अपनी माँ की स्थिति में रखने के अयोग्य होता है।

पियाजे की इस पहली अवस्था के अन्त तक बच्चे उसकी रुचियों और विश्व की रुचियों में अन्तर महसूस करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे की भाषा और विचार-प्रक्रिया का विकास प्रारम्भ हो जाता है।

(2) पूर्व-प्रक्रिया अवस्था या प्री-ऑपरेशन अवस्था (The Pre-operational Stage)– संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था दो से छह वर्षों तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक स्वकेन्द्रित न रहकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे की पहचान-क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अब वह स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लगता है, परंतु उसे कार्य-कारण सम्बन्ध तथा तार्किक-चिन्तन का ज्ञान नहीं होता। **उदाहरण के लिए**, एक बालक विद्यालय में होने वाले उत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, यह तो जानता है, किन्तु यह किस लिए मनाया जाता है, इस बात का ज्ञान उसे नहीं होता है। इस उम्र के बालक खिलौनों को वास्तविक मानते हैं। तरह-तरह की बिना सिर-पैर की बातें बनाते हैं, अकेले बैठे घंटों अपने से बातें करते रहते हैं। पियाजे ने इसे कलेक्टिव 'मोनोलाग' कहा है। इस अवस्था में बालक ख्याली दुनिया में खोये रहते हैं। यथार्थ का उनके लिए विशेष महत्त्व नहीं रहता। इसी कारण नाटे व चौड़े गिलास की बजाय, पतले व लम्बे गिलास में उन्हें दूध ज्यादा नजर आता है, इसीलिए वे उसी को चुनते हैं।

इस अवस्थां में बच्चे अधिक समाजीकृत *(Socialized)* होना प्रारम्भ कर देते हैं। पूर्व-स्थूल विद्यार्थियों *(Pre schcolers)* के रूप में वे वस्तुओं से नये ढंग से खेलते हैं तथा वे वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे अहं केन्द्रित *(Egocentric)* होते हैं। वे ठोस रूप से सोचते हैं। वे दुनिया के बारे में उस ढंग से नहीं सोचते जिस ढंग से वयस्क व्यक्ति सोचते हैं। वे अपनी बात को तर्क संगत बनाने का बहुत कम प्रयास करते हैं। इस अवस्था में वयस्कों का कार्य है–बच्चों को यह सिखाना कि वे दूसरों के साथ अन्तःक्रिया कैसे करें। विकास की अगली अवस्था से पहले मुख्य सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देते।

(3) स्थूल-संक्रिया की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था (Concrete perational Stage) –संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था सात से बारह साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील एवं यथार्थवादी होते हैं। वे सत्य को समझ सकते हैं। वे अब दो घटनाओं या वस्तुओं के बीच समानता या भिन्नता समझ सकते हैं। दो भिन्न आकार एवं रंगों की वस्तुओं को रंग एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।

सात से बारह वर्ष की अवस्था में बालक के भीतर जिन प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है, इसका विश्लेषण पियाजे ने किया, जिसका वर्णन **निम्न प्रकार से है**–

(i) कंजर्वेशन (Conservation)–उस ज्ञान को जो कि कोई पदार्थ, रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार तथा आयतन की दृष्टियों से समान अथवा अपरिवर्तित हो, कंजर्वेशन कहा जाता है। वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी संज्ञान विकास की किस अवस्था में अधिक होती है, इसके लिए पियाजे ने एक प्रयोग किया। पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों को बिठा उनके सामने दो शीशे के जार लिये। एक जार पतला, किन्तु लम्बा और दूसरा चौड़ा था। पहले पतले जार में पानी भर दिया, फिर उस पानी को चौड़े जार में डाल दिया। दूसरे जार में पानी कम ऊंचाई तक पहुंच पाया, क्योंकि वह अधिक चौड़ा था। पियाजे ने अलग आयु के बालकों से जार में पानी की मात्रा के बारे में पूछा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों ने बतलाया कि पहले जार में पानी अधिक है। परंतु स्थूल संक्रियात्मक अवस्था वाले बालकों ने बतलाया कि दोनों जारों में पानी की मात्रा बराबर है। इस प्रयोग द्वारा पियाजे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंजर्वेशन की क्षमता सात से बारह वर्ष के अधिकांश बालकों में पायी जाती है, उनके पहले की अवस्था के बालकों में नहीं।

(ii) संख्या-बोध (Numeration)–इस अवस्था में बालकों में संख्या का बोध भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाता है। वे एक जगह रखी वस्तुओं, अपने कपड़ों व पुस्तकों आदि को गिन सकते हैं।

(ii) क्रमानुसार-व्यवस्था (Seriation)–पियाजे के अनुसार इस अवस्था के बालक वस्तुओं को क्रमानुसार लगा सकते हैं।

(iv) वर्गीकरण Classification)–7 से 12 वर्ष की आयु के बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे वे विभिन्न आकृतियों और आकारों के आधार पर वस्तुओं को पृथक्-पृथक् वर्ग में रख सकते हैं।

(v) पारस्परिक-सम्बन्ध (Relationship)–विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक सम्बन्धों को भी इस अवस्था के बालक अच्छी तरह समझ लेते हैं।

उदाहरण के लिए, दो रेखाओं में कौन-सी छोटी है तथा कौन-सी बड़ी, इसकी पहचान सरलता से बालक कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बालक दो प्रकार के प्रकाशों में अन्तर *(Difference in light)* करना भी सीख लेते हैं तथा साथ ही विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध सूचक शब्दों का प्रयोग करना भी सीख लेते हैं।

(4) औपचारिक प्रक्रिया अवस्था या फॉरमल ऑपरेशन अवस्था (Formal Operation Stage)– यह अवस्था किशोरावस्था के आसपास यानी 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। संज्ञान विकास की इस अन्तिम अवस्था में बालक के भीतर जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता विकसित होती है वह है, तार्किक चिन्तन की क्षमता। अब वह सभी समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान कर सकता है तथा इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त विचारों के सम्बन्ध में चिन्तन करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः अपने वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक स्थितियों *(Imaginative situations)* में आरोपित *(Project)* करता है और विभिन्न प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में नई-नई परिकल्पनायें *(Hypothsses)* बनाकर उन्हें सत्य सिद्ध करने को कोशिश करता है। इसके साथ-साथ बालक इस अवस्था में किसी भी नियम, सिद्धान्त तथा व्यवहार आदि में किसी प्रकार की कोई विसंगति या अनियमितता *(Inconsistancy)* उत्पन्न होती है तो उसे इस अवस्था का बालक आसानी से समझने के योग्य हो जाता है। इसी कारण से इस अवस्था के अन्तर्गत बालकों में वास्तविकताओं और अवास्तविकताओं को समझने की योग्यता भी विकसित हो जाती है।

पियाजे के अनुसार–किशोर उस चरण में से गुजरता है, जिसमें वह स्वयं के विचारों पर पूरी शक्ति खर्च कर देता है तथा शानदार भविष्य की कल्पना करने लगता है। जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ उसका अहं केन्द्रीकरण *(Ego-centrism)* तथा नई आशाएँ लुप्त होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बालक विभिन्न स्थितियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न तरीकों से करना सीख जाते हैं, उन तरीकों को विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों में संगठित कर सकते हैं तथा उन्हें परिणामों में बदल सकते हैं।
फॉरमल ऑपरेशन अवस्था की मुख्य विशेषताएँ **निम्नलिखित हैं**–

(1) तार्किक चिन्तन की क्षमता का विकास।
(2) समस्या-समाधान की क्षमता का विकास।
(3) वास्तविक तथा अवास्तविक में अन्तर समझने की क्षमता।
(4) वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता।
(5) परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता।
(6) विसंगतियों को समझने की क्षमता।
(7) विचार के सम्बन्ध में विचार करने या अमूर्त चिन्तन की क्षमता।

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बच्चे की तार्किक-चिन्तन की क्षमता उसमें नये-नये विचारों का उदय, तकनीकों को समझने की लगन एवं कर्म के समझकर करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न करती है। इस प्रकार बालक का विकास एक दृढ़ इच्छा-शक्ति वाले तथा प्रत्येक कार्य को समझ कर करने वाले नागरिक के रूप में होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त का मूल्यांकन *(Evaluation of Piaget's Cognitive Development Theory)*

उपरोक्त विवरण के अध्ययन के पश्चात् पियाजे महोदय के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं–

(i) पियाजे के अनुसार–ज्ञानात्मक-विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पिछली अवस्था के आधार पर ही अगली अवस्था का निर्माण या विकास होता है।

(ii) अहं-केन्द्रीकरण *(Ego centrism)* विकास का बहुत ही गम्भीर पक्ष *(Criticial Aspect)* है, जिसे विकेन्द्रीकरण *(Decentralisation)* द्वारा अवश्य ही परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(iii) वह उपयुक्त या सही आयु जिस पर विकास की वही अवस्थाएँ आयें, इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि सभी बच्चे सभी समाजों में इन विकास की अवस्थाओं से गुजरे।

(iv) बच्चे के सोचने की विषय-वस्तु से अधिक महत्त्वपूर्ण है उनके चिन्तन की प्रकृति। **पियाजे** का मुख्य लक्ष्य था यह जानना कि लोग कैसे सोचते हैं न कि वे क्या सोचते हैं। बच्चों के सोचने के ढंग को जान लेने के पश्चात् मनोवैज्ञानिक चिन्तन का विकास करना सीख सकते हैं।

(v) जैलमन व अन्यों *(Gelman and others 1972)* के अनुसंधानों द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिये मनोवैज्ञानिकों को विभिन्न आयु स्तरों के बच्चों से भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछने चाहिए। शाज और जैलमेन *(Shatz and Gelman 1973)* ने यह बताया है कि दो वर्षीय बालक अपने वाक्यों की लम्बाई बदल लेते हैं, यह जानकर कि वे किससे बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चे छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते है, जब वे छोटे बच्चों से बात करते हैं। लैम्परस, फलैवल *(Lampers and Flavell and Flavell 1977)* ने अपने अध्ययन में यह पाया कि दो वर्षीय बच्चे अपनी पुस्तक में चित्रों एवं उदाहरणों को अपनी माँ को दिखाने के लिए पुस्तक को घुमा सकते हैं।

(vi) बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन उनकी आयु स्तर के अनुसार हों।

(vii) बच्चों को उनके आयु स्तर से अधिक कार्य करवाना समय व्यर्थ गंवाना होगा।

(viii) बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए भिन्न आयु स्तर के बच्चों से भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछे जाएँ।

(ix) जीवन के प्रथम दो वर्षों में बच्चे के बौद्धिक विकास के लिये माता-पिता का प्यार और अन्तःक्रिया आवश्यक है।

(x) उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए।

(xi) बच्चों को भौतिक और बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए।

(xii) संवेदनात्मक उद्दीपन *(Sensory Stimulus)* प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास तीव्र होता है।

(xiii) पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं पड़ना चाहिए।

◆◆◆

कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धान्त (Kohlberg's Theory of moral development)

3. **कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। (C.B.L.U. 2018)**
(Describe KOHLBERG'S Theory of Moral Development.)

अथवा

नैतिक विकास क्या है? द्वारा प्रतिपादित नैतिक अवस्थाओं का विवेचन करें।
(What is moral development? Explain stages of moral development as given by Kohlberg.)

अथवा

नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
(What do you understand by moral development? Discuss KOHLBERG'S Theory of Moral Development.) (M.D.U. 2018)

उत्तर–प्रारंभिक आयु में बच्चा नैतिकता के सम्प्रत्यय (Concept) से अपरिचित होता है। उसका व्यवहार स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए समाज पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निन्दा की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त स्वयं बालक भी विभिन्न क्रियाओं से सम्पन्न होने वाले सुख एवं दुःख का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात के अध्ययन के प्रयत्न किए हैं कि किस प्रकार स्वाभाविक वृत्तियों से नियंत्रित होने वाला बालक सामाजिक नियमों व मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है। नैतिक क्षमता के विकास के सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिक एक मत के नहीं हैं। नैतिक विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं। इस पुस्तक में केवल दो सिद्धांतों का ही वर्णन किया गया है। इस प्रश्न में कोलबर्ग (Kohlberg's Theory) के सिद्धांत का वर्णन किया गया है।

फ्रॉयड के अनुसार जब बच्चा माता-पिता की भावनाओं और अभिवृत्तियों को उनसे ग्रहण करता है तथा उनसे ग्रहण की हुई नैतिकता ही आगे चलकर उसके लिए विवेक (Conscience) का रूप धारण कर लेती है। बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है। इसे फ्रॉयड ने नैतिक विकास में व्यक्ति की बाल्यकालीन अनुभूतियों का महत्त्वपूर्ण स्थान बताया है।

सियर्स (Sears, 1957) ने बालकों के नैतिक विकास पर समाजीकरण और शिशुपालन विधियों (Child Rearing Practices) की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया। **बैन्डूरा और वाल्टर्स (Bandura and Walters, 1963)** ने बताया कि बच्चे में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम (Social Learning) का परिणाम होता है। बच्चा अपने परिवेश में नित्य नमूनों (Models) के व्यवहार का अनुसरण कर नैतिक आचरण ग्रहण करता है। यहाँ नमूनों से अभिप्राय है माता-पिता, बड़े भाई-बहन या अध्यापक आदि जिन्हें बच्चा अनुकरणीय समझता है। स्किनर (Skinner) ने अधिकतर प्रबलन (Reinforcement) का प्रभाव प्रदर्शित करते हुए बतलाया है कि नैतिक व्यवहार का विकास, दंड एवं पुरस्कार पर निर्भर होता है।

लेकिन **कोलबर्ग (Kohlberg, 1963)** का सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों से भिन्न है। उसके सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

नैतिक विकास की अवस्थाएँ *(Stages of Moral Development)*

कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल छः अवस्थाओं का वर्णन किया है। किन्तु उन्होंने दो-दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके तीन स्तर बना दिये हैं। ये तीन स्तर हैं–

1. प्री-कन्वेंशनल (Pre-conventional)

CIMETRIX

2. कन्वेंशनल (Conventional)
3. पोस्ट कन्वेंशनल (Post Conventional)

1. प्री-कन्वेंशनल (Pre-conventional)–जब बालक किसी बाहरी तत्त्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्कशक्ति (Moral Reasoning) प्री-कन्वेंशनल स्तर की (Pre-conventional Level) की कही जाती है। इस स्तर के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अवस्थाएँ आती हैं–

1. **आज्ञा एवं दंड की अवस्था (Stage of Order and Punishment)**
2. **अहंकार की अवस्था (Stage of Ego)**

1. आज्ञा एवं दंड की अवस्था (Stage of Order and Punishment) –कोलबर्ग के अनुसार, इस अवस्था में बच्चे का चिन्तन दंड से प्रभावित होता है। परिवार में परिवार के बड़े सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। छोटी आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय इसलिये लेता है, क्योंकि उसे दंड का भय होता है। आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि लोग उसे दंडित न करें। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड (Punishment) को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है।

2. अहंकार की अवस्था (Stage of Ego)–इस उप-अवस्था में बालक के चिन्तन का स्वरूप बदल जाता है। आयु में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। उसके द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्यों से उसकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो वह झूठ बोलना उचित मानेगी। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा कर खाने को वह नैतिक आचरण ही समझेगा। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार (Ego) अर्थात् उसकी अपनी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती हैं।

2. कन्वेंशनल स्तर (Conventional Level)–इस स्तर के अन्तर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं–

1. **प्रशंसा की अवस्था (Stage of Appreciation)**
2. **सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था (Stage of Respect for Social System)**

1. प्रशंसा की अवस्था (Stage of Appreciation)–इस अवस्था के अन्तर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्त्व को समझने लगते हैं। बच्चे इस अवस्था में निन्दनीय आचरण से बचने के प्रयास में रहते हैं। दूसरी और समाज के सदस्य बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं (Roles) की अपेक्षा करते हैं। जब बच्चे इन भूमिकाओं का निर्वाह उचित प्रकार से करते हैं तो समाज के सदस्यों की ओर से उन्हें स्वीकृति (Approval) मिलने लगती है। इस अवस्था के दौरान उन्हीं व्यवहारों को बच्चे उचित और नैतिक मानते हैं, जिनके लिये वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अवस्था में बच्चे के चिन्तन का स्वरूप (Structure of Thought) समाज या उसका परिवेश होता है, न कि कोई भौतिक घटना।

2. सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था (Stage of Respect for Social System)–नैतिक विकास की यह अवस्था बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। कोलबर्ग के अनुसार, समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

पहले बच्चा समाज को इसलिये महत्त्वपूर्ण मानता था कि समाज से उसके स्वीकृति या प्रशंसा मिलती थी, अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगता है। वह समाज की प्रथाओं, परम्पराओं और नियमों में आस्था विकसित करके सम्पूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। बच्चा यह चाहने लगता है कि उसे कोई अच्छा कार्य इसलिये करना चाहिये क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध हर कार्य अनैतिक होगा।

3. पोस्ट कन्वेंशनल स्तर (Post Conventional Level)–

1. **सामाजिक समझौते की अवस्था (Stage of Social Contract)**
2. **विवेक की अवस्था (State of Conscience)**

1. सामाजिक समझौते की अवस्था (Stage of Social Contract)–इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति के नैतिक चिन्तन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति पारस्परिक लेन-देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति यह स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते (Contract) का सम्बन्ध है। व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिये स्वीकार करने चाहिए और उनका सम्मान इसलिये करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। क्योंकि व्यक्ति अब यह सोचने लगता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं। ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, प्रथाओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार (Rights) और सुरक्षा प्रदान करता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है।

2. विवेक की अवस्था (State of Conscience)–नैतिक विकास की यह अन्तिम अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुँचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ (Subjective) दृष्टिकोण भी विकसित करने में सफल हो जाता है। व्यक्ति में विवेक (Conscience) जाग जाता है। व्यक्ति के अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका विवेक (Conscience) ही बन जाता है। अतः इस अवस्था में पहुँचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। वह इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अतः परिणामस्वरूप व्यक्ति अब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदि हो जाता है। अब व्यक्ति के लिये वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने स्वयं के विवेक (Conscience) से समर्थन पा जाते हैं।

◆◆◆

एरिक्सन का मनो-सामाजिक विकास सिद्धान्त
(Erikson's Psycho-social Development theory)

4. एरिक्सन के मनो-सामाजिक सिद्धान्त का वर्णन करें।
(Describe Erickson's Psycho-social Theory of Development.)

उत्तर–एरिक्सन के मनो-सामाजिक विकास के प्रतिमान (Model) का बहुत महत्त्व है। यह सिद्धान्त बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है।

एरिक एरिक्सन (Erick Erickson) ने सर्वप्रथम आठ-स्तरीय मानव विकास का सिद्धान्त 1950 में अपनी पुस्तक 'बाल्यकाल और समाज' (Childhood and Society) नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। इस अध्याय का नाम था–'मनुष्य की आठ आयु' इसके पश्चात् उसने अपनी बाद की पुस्तकों में इसमें और सुधार कर लिया। एरिक्सन के इस मॉडल के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जीव-मनो-सामाजिक सिद्धान्त (Bio-psychosocial theory); एरिक्सन का मानव-विकास का चक्र

(Erickson's Human Development Cycle)। इन सभी का सम्बन्ध इसी मनो-सामाजिक सिद्धान्त की आठ अवस्थाओं से है। 'मनो-सामाजिक' शब्द एरिक्सन का प्रयोग किया शब्द हैं, जिसमें मनोविज्ञान का अर्थ है 'मन' और 'समाज' (Social) से अभिप्राय है 'सम्बन्ध' (Relationship)।

ऐरिक्सन का विचार था कि मनो-सामाजिक सिद्धान्त विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से (Genetically) स्वरूप प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों में होता है। फ्रायड की भाँति एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्त्व और व्यवहार जन्म के बाद न कि जन्म से पहले किस प्रकार प्रभावित होते हैं।

ऐरिक्सन के सिद्धान्त का केन्द्रीय बिन्दु यह है कि मानव के व्यक्तित्त्व का विकास कई पूर्वनिश्चित अवस्थाएँ जो सार्वभौमिक (Universal) होती हैं, से होकर होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएँ विकसित होती हैं, वह विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस नियम को 'पश्चजात नियम' (Epigenetic Principle) कहा जाता है।

मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषताएँ
(Characteristics of Psycho Social Stages)

(i) प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रान्ति (Crisis) होती है, जिससे अभिप्राय है—जीवनकाल का एक ऐसा वर्तन बिन्दु (Turning Point) होता है, जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक माँग (Social Demand) दोनों में अन्तक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है।

(ii) प्रत्यक मनोसामाजिक संक्रान्ति (Psycho-social Crisis) में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तत्त्व (Components) होते हैं। प्रत्येक अवस्था में उसके जैविक परिपक्वता तथा नये-नये सामाजिक माँग के कारण संघर्ष (Conflict) का होना एरिक्सन आवश्यक मानते हैं। यदि इस संघर्ष का व्यक्ति संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेता है तो इससे उसके विकसित अहं (Ego) में ऋणात्मक तत्त्व (Negative Component) अवशोषित (Eliminate) हो जाते हैं तथा व्यक्तित्त्व विकास में बाधा पैदा होने की सम्भावना कम रह जाती है।

(iii) प्रत्येक मनो-सामाजिक अवस्था के संक्रान्ति (Crisis) को व्यक्ति को दूर करना होता है या उसका समाधान करना होता है। ऐसा न करने से मनोसामाजिक विकास की अगली अवस्था में उसका विकास नहीं हो पाता है। मनोविकास की प्रत्येक अवस्था में संक्रान्ति (Crisis) का समाधान कर लेने से व्यक्ति में एक विशेष मनो-सामाजिक शक्ति (Psycho social strength) की उत्पत्ति होती है। इस शक्ति को एरिक्सन ने 'सदाचार' (Virtue) का नाम दिया है।

(iv) हर मनो-सामाजिक अवस्था में 'कर्म कांडता' (Ritualization), कर्मकांड (Ritual) तथा कर्मकांडवाद (Ritualism) होते हैं। इसे एरिक्सन ने 'तीन आर' (Erikson's Three R's) का नाम दिया है। कर्मकांडता (Ritualisation) से अभिप्राय है—समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत ढंग से अन्तर्क्रिया करना। ऐसे व्यवहार थोड़े-थोड़े समय के बाद अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराये भी जाते हैं।

कर्मकांड (Ritual) से तात्पर्य है—वस्यक समुदाय द्वारा आवर्ती स्वरूप के महत्त्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने के लिए किये गये कार्यों से होता है।

कर्मकांडवाद (Ritualism) से तात्पर्य कर्मकांडता (Ritualization) में उत्पन्न विकृति (Distortion) से होता है। इससे व्यक्ति का ध्यान स्वयं अपने ऊपर ही केन्द्रित होता है।

(v) प्रत्येक मनो-सामाजिक अवस्था का निर्माण उससे पहले कि अवस्था में हुए विकासों से सम्बन्धित होता है।

एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक अवस्थाएँ
(Erikson's Psycho-social Stages)

1. विश्वास बनाम अविश्वास (Trust Versus Mistrust)—यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु की होती है। यह फ्रॉयड द्वारा बताई मनोलैंगिक विकास (Psycho-sexual Development) की 'मुखावास्था' (Oreal Stage) से मिलती जुलती है। इस अवस्था में भिन्न गुणों का विकास होता है।

(i) दूसरों तथा अपनों में विश्वास या आस्था (Trust) की भावना का विकास। इस भावना का विकास बच्चों में माता-पिता द्वारा उत्तम देख-रेख के परिणाम स्वरूप होता है।

(ii) दूसरों के प्रति आस्था के साथ-साथ बच्चे में यह भी विश्वास पैदा हो जाता है कि उनके शरीर के अंग जैविक आवश्यकताओं (Biological Needs) को पूरा करने में सक्षम हैं।

(iii) बच्चों में स्वस्थ व्यक्तित्त्व के निर्माण की नींव पड़ती है।

(iv) कई बार कई कारणों से माताएं उत्तम देख-रेख नहीं कर पातीं, जिससे बच्चे में अविश्वास (Mistrust) पैदा होता है।

(v) अविश्वास के कारण बच्चा दूसरों से डर (Fear), संदेह (Suspecion) एवं आशंकाएँ (Apprehensions) आदि विकसित कर लेता है, जिससे अस्वस्थ व्यक्तित्त्व का जन्म होता है।

(vi) एरिक्सन के मतानुसार, शिशुओं के व्यक्तित्त्व के विकास में विश्वास और अविश्वास में एक अनुकूल अनुपात (Favourable ratio) का होना अनिवार्य है।

(vii) अनुकूल अनुपात होना इसलिए आवश्यक होता है, क्योंकि वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन के लिए किसी चीज या व्यक्ति पर विश्वास न करना सीखना उतना ही आवश्यक है जितना किसी चीज पर व्यक्ति पर विश्वास करना सीखना।

(viii) जब बच्चा विश्वास-बनाम-अविश्वास (Trust vs. Mistrust) के संघर्ष या द्वंद्व (Conflict) का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसमें एक विशेष 'मनोसामाजिक शक्ति' (Psychosocial Strength) की उत्पत्ति होती है। जिसे 'आशा' (Hope) का नाम दिया गया है।

(ix) 'आशा' (Hope) से अभिप्राय है—एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति जिनकी सहायता से बच्चा अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने अस्तित्त्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है।

2. स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह (Autonomy Versus Shame and Doubt)—स्वतन्त्रता (Autonomy) बनाम लज्जाशीलता (Shame) की यह अवस्था दो वर्ष से तीन वर्ष तक की होती है। स्वतन्त्रता (Autonomy) से अभिप्राय है (Self Reliance)। इसमें विचारों, स्वयं क्रिया करने आदि की स्वतन्त्रता शामिल है। लज्जाशीलता और सन्देह से अभिप्राय है—वे क्या कहते हैं, स्व-अभिव्यक्ति में रुकावट (Inhibition in Self Expression) तथा स्वयं के विचार विकसित करना इत्यादि।

एरिक्सन की यह अवस्था फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की गुदा अवस्था (Anal Stage) से मिलती जुलती है। इस अवस्था में निम्न गुणों का विकास हो जाता है—

(i) जब बच्चा आस्था या विश्वास का भाव विकसित कर लेता है तो उसमें स्वतन्त्रता (Autonomy) एवं आत्म-नियंत्रण (Self-Control) जैसे शीलगुण (Traits) इस दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। इससे पहले की अवस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर करते हैं।

(ii) इस अवस्था में बच्चों में न्यूरोपेशीय परिपक्वता (Neuro-muscular Maturity), सामाजिक विभेद (Social Discrimination) तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति (Verbalization) की क्षमता विकसित हो जाती है। यह क्षमता वातावरण का स्वतंत्रता से अन्वेषण (Explore) करना शुरू कर देती है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

(iii) बच्चा अपने नये गति कौशलों (Locomotor Skills) से बहुत प्रोत्साहित रहता है।

(iv) स्वतन्त्रता का यह अर्थ भी नहीं कि बच्चे को प्रत्येक कार्य के लिए अप्रतिबंधित स्वतन्त्रता (Unrestricted Freedom) दी जाये। यहाँ स्वतन्त्रता से अभिप्राय है–माता-पिता अपना नियंत्रण कायम रखते हुए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्यों को करने दें।

(v) बच्चे को अत्यन्त छोटा मानकर जब माता-पिता उसे कोई कार्य नहीं करने देते या माता-पिता स्वयं वह कार्य कर देते हैं या माता-पिता बच्चों से कुछ ऐसी उम्मीदें (Expectations) रखते हैं जो बच्चे की क्षमता (Ability) से बाहर हैं, तब इन सभी परिस्थितियों में बच्चों में लज्जाशीलता (Shame) की भावना पैदा होती है।

(vi) उपरोक्त लज्जाशीलता के परिणामस्वरूप बच्चों में अन्य मनोसामाजिक मनोवृत्तियाँ (Psychosocial Attitudes) विकसित होती हैं जैसे–स्वयं पर शक (Self-Doubt), शक्तिहीनता (Powerlessness) आदि।

(vii) लज्जाशीलता की तुलना में स्वतन्त्रता का अनुकूल अनुपात कायम हो जाने पर बच्चे में एक नयी मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है, जिसे 'इच्छा शक्ति' (Will Power) कहा जाता है। यह एक ऐसी शक्ति होती है, जो बच्चों को स्वतन्त्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है।

3. पहल शक्ति बनाम दोषिता (Initiative Versus Guilt)–यह अवस्था लगभग 4 से 6 वर्ष तक होती हैं यह अवस्था फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास (Psychosexual development) की लिंग प्रधानावस्था (Phallic Stage) से मिलती जुलती है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है–

(i) बच्चों को दूसरों के कार्यों में आनन्द आता है।

(ii) बच्चों की सामाजिक दुनिया (Social World) उन्हें सक्रियता एवं पहल-शक्ति (Initiative) दिखलाने की चुनौती प्रदान करती है।

(iii) बच्चे घर के बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेल-कूद में भाग लेना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों की भाषा एवं पेशीय कौशलों का विकास इस अवस्था तक हो चुका होता है।

(iv) बच्चे इस अवस्था में पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी गिनती भी एक आदमी के रूप में की जाती है तथा उनकी जिन्दगी का भी एक उद्देश्य है।

(v) जब माता-पिता द्वारा बच्चों को इस अवस्था में घर से बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बँटाने से रोका जाता है या जब माता-पिता द्वारा बच्चों के इस तरह की इच्छा पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है, तब बच्चों में दोषिता (Guilt) का भाव उत्पन्न होता है।

(vi) ऐसे बच्चे कभी भी स्वयं को खुलकर अभिव्यक्ति (Express) नहीं करते।

(vii) बच्चों में किसी वास्तविक लक्ष्य (Tangible Goal) को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है

(viii) एरिक्सन (Erikson) के अनुसार जब बच्चों में दोषिता (Guilt) का भाव सतत् बना रहता है तो उनमें निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता एवं अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्तियाँ तीव्र हो जाती हैं।

(ix) जब बच्चा पहल-शक्ति बनाम दोषिता (Initiative Vs. Guilt) से पैदा संघर्ष (Conflict) का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तब जिस मनोसामाजिक शक्ति (Psychosocial Strength) की उत्पत्ति होती है उसे उद्देश्य (Purpose) कहा जाता है। 'उद्देश्य' (Purpose) से तात्पर्य एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति से है, जो बच्चों में कोई लक्ष्य निश्चित करने एवं उसे विश्वास के साथ बिना किसी दंड के भय के ही प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने से होता है।

4. परिश्रम बनाम हीनता (Industry Versus Inferiority)–यह चाथी अवस्था 6 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगभग 11-12 वर्ष तक की होती है तथा यह फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास (Psychosexual Development) के अव्यक्तावस्था (Latency Period) से मिलती-जुलती है। इस अवस्था में निम्नलिखित मुख्य गुण विकसित होते हैं–

(i) इस अवस्था में पहली बार बच्चे औपचारिक शिक्षा (Formal Education) के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है।

(ii) इस अवस्था में बच्चों का सम्बन्ध निगमनात्मक तर्कणा (Deductive Reasoning), आत्म-अनुशासन तथा अनुमोदित नियमों के अनुरूप अपना सम्बन्ध साथियों के साथ बनाये रखने की क्षमता से अधिक होता है।

(iii) जब बच्चे स्कूलों में अपनी संस्कृति के प्रारम्भिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं तो उनमें परिश्रम (Industry) का भाव उत्पन्न होता है।

(iv) परिश्रम के ऐसे भावों को स्कूलों में अध्यापकों तथा आस-पड़ोस के सदस्यों से अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(v) जब बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है या इन कौशल को अर्जित करने में असफल हो जाता है तब इससे बच्चों में 'हीनता' या 'असामर्थ्यता (Inferiority or Incompetence) की भावना विकसित होती है।

(vi) यह भावना बच्चों में तब भी विकसित होती हे। जब वह यह देखता है कि उसकी निपुणता का माप उसकी योग्यता एवं कौशल न होकर उसकी प्रजाति, धर्म, यौन आदि हैं।

(vii) हीनता के भाव के अन्तर्गत बच्चे को अपनी क्षमता पर विश्वास समाप्त हो जाता है।

(viii) जब बच्चा परिश्रम बनाम हीनता (Industry Vs Inferiority) के संघर्ष (Conflict) का समाधान सही तरीके से कर लेता है तब उसमें 'सामर्थ्यता' (Competency) कहा जाता है। 'सामर्थ्यता' (Competency) से अभिप्राय है–किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग करना।

5. अहं पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति (Ego Indentity Versus Role Confusion)–मनोसामाजिक विकास की यह पाँचवी अवस्था बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है–

(i) इस अवस्था में किशोरों के बीच अहं पहचान का भाव धनात्मक मनोसामाजिक पहलू (Positive Psychosocial Aspect) तथा भूमिका संभ्रांति (Role Confusion) या जिसे पहचान संभ्रांति (Identity Crisis) भी कहा जाता है, एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू (Negative Psychosocial Aspect) के रूप में विकसित होता है।

(ii) इस अवस्था में किशोर अपनी आत्म-पहचान बनाये रखने का प्रयास करता है।

(iii) यहाँ 'पहचान' (Identify) से अभिप्राय है–कि व्यक्ति अपने संसार के सम्बन्ध में स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। यह जीवन के संदर्भ में स्वयं का बोध (Sense of Self) या वैयक्तिकता (Individuality) है।

(iv) भूमिका संभ्रांति (Role Confusion) ऋणात्मक परिप्रेक्ष्य (Negative Perspective) में–पहचान की अनुपस्थिति या अभाव है अर्थात् व्यक्ति यह स्पष्ट से नहीं देख पाता कि वे कौन हैं और वे अपने पर्यावरण के साथ सकारात्मक रूप से किस प्रकार जुड़ सकते हैं।

(v) यह अवस्था किशोरावस्था या प्यूबर्टी (Puberty) के समान है। इसमें लैंगिक शक्ति (Sexul Urge) पुनः जाग्रत हो जाती है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(vi) भूमिका संभ्राति की पहचान संक्रान्ति (Role Confusion or Indentity Crisis) उत्पन्न होने पर किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका (Career) का मार्गदर्शन नहीं कर पाते। वे अपनी शिक्षा आदि को जारी रखने में असमर्थ होने लगते हैं।

(vii) इस अवस्था में, किशोरों में उद्देश्यहीनता (Aimlessness), व्यक्तिगत विघटन (Personal Disorganisation) तथा व्यर्थता (Futility) की भावना प्रधान होती है।

(viii) ऐसे किशोरों में कभी-कभी ऋणात्मक पहचान (Negative Identity) विकसित हो जाती है अर्थात् एक ऐसी पहचान जो उनके माता-पिता (Parents) तथा मित्र मंडली द्वारा बताये गये पहचान के विपरीत होता है।

(ix) ऐरिक्सन के अनुसार, इस अवस्था में कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान संक्रान्ति (Indentity Crisis) का समाधान नहीं करना चाहते बल्कि वे इसे कुछ समय तक बनाये रखना चाहते हैं। इसे मनोसामाजिक विलम्बन (Psychosocial moratorium) कहा गया है।

(x) जब किशोर अंह पहचान (Ego identity) बनाम भूमिका संभ्रान्ति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तब जो उसमें विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे ऐरिक्सन ने 'कर्तव्यनिष्ठता' (Fidelity) कहा है। कर्तव्यनिष्ठता (Fidelity) से तात्पर्य है—किशोरों में समाज की विचारधाराओं, शिष्टाचार (Mores) एवं मानकों (Norms) के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता का होना।

(xi) मारकिया (Marcia, 1994) के अनुसार व्यक्ति पहचान विकास या निर्माण की प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इस प्रकार की विभिन्नता चिन्तन-प्रक्रियाओं एवं अपने आत्मन (Self) के प्रति विशिष्ट भाव में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित (Reflect) होता है।

6. घनिष्ठ बनाम विलगन (Intimacy versus Isolation)—यह छटी अवस्था 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में निम्न गुण एवं व्यवहार विकसित होते हैं—

(i) इस अवस्था में व्यक्ति शादी ब्याह कर प्रारम्भिक पारिवारिक जिन्दगी (Early Family Life) में प्रवेश करता है।

(ii) युवक किसी न किसी व्यवसाय में अपने को लगाकर अपना स्वतन्त्र जीविकोपार्जन शुरू कर देता है।

(iii) इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक एवं लैगिंक (Social and Sexual) घनिष्ठता (Intimacy) स्थापित करने के लिए तत्पर रहता है।

(iv) इस अवस्था में व्यक्ति अपने भाई-बहनों, माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करता है तथा अपने पति-पत्नी के साथ घनिष्ठ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करता है।

(v) व्यक्ति स्वयं के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित कर एक स्वस्थ व्यक्तित्त्व का विकास करताहै।

(vi) इस अवस्था का खतरा यह रहता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ कारणों से संतोषजनक एवं घनिष्ठ वैयक्तिक सम्बन्ध विकसित नहीं कर पाता तथा अपने आप में ही खोया रहता है। इसे 'विलगन' (Isolation) की संज्ञा दी गई है।

(vii) ऐसे व्यक्ति जो अन्तःवैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित भी करते हैं, अन्दर से खोखले होते हैं। ऐसे लोगों में अपने कार्य के प्रति नीरसता एवं व्यर्थता की मनोवृत्ति होती है।

(viii) विलगान (Isolation) की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति में समाजविरोधी व्यवहार (Antisocial behaviour) या मनोविकारी व्यवहार (Psychopathic behaviour) की प्रबलता बढ़ जाती है।

(ix) जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम विलगन से उत्पन्न संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसमें जो विशेष मनो-सामाजिक शक्ति (Psychosocial Strength) पैदा होती है, उसे 'स्नेह' (Love) की संज्ञा दी गई है। स्नेह (Love) से तात्पर्य है—किसी सम्बन्ध को कायम रखने में पारस्परिक समर्पण (Mutual Devotion) की क्षमता का होना। ऐसे स्नेह की अभिव्यक्ति तब होती है जब व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर, उत्तरदायित्व आदि की मनोवृत्ति का प्रदर्शन करता है।

7. जननात्मकता बनाम स्थिरता (Generativity Versus Stagnation)—यह अवस्था 30 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक मानी गई है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है—

(i) इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता (Generativity) का भाव उत्पन्न होता है। जननात्मकता (Generativity) से अभिप्राय है—व्यक्ति द्वारा अपने अगली पीढ़ी (Generation) के लोगों के कल्याण तथा साथ ही साथ उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहेंगे, को उन्नत बनाने की चिन्ता से होता है। संक्षेप में, जननात्मकता का अर्थ बूढ़े व्यक्तियों में उन व्यक्तियों के कल्याण के बारे में प्रदर्शित सोच-समझ एवं चिन्ता जो उनकी जगह लेने वाले होते हैं।

(ii) जननात्मकता (Generativity) में उत्पादकता, (Productivity) तथा सर्जनात्मकता (Creativity) से भी होता है। जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिन्ता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता (Stagnation) पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी स्वयं की वैयक्तिक आवश्यकताएँ एवं सुख-सुविधा (Comfort) ही सर्वोपरि होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे की चिन्ता नहीं होती।

(iii) जो व्यक्ति ऐसी संक्रान्ति (Crisis) का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं, उनमें जो विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे 'देखभाल' (Care) का नाम दिया गया है।

(iv) देखभाल का गुण उदासीनता (Apathy) के गुण का एक विपरीत गुण है। इनमें दूसरों के कल्याण की चिन्ता अधिक होती है।

8. अहं सम्पूर्णता बनाम निराशा (Ego-integrity versus Despair)—एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अन्तिम अवस्था है, जो कि परिपक्वता की अवस्था होती है। जो लगभग 65 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु अर्थात् मृत्यु तक की अवधि को अपने में शामिल करती है। हर संस्कृति में इसको 'बुढ़ापा' की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुण या व्यवहार विकसित होते हैं—

(i) इन अवस्थाओं में गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य एवं शक्ति के साथ उचित समायोजन, अवकाश प्राप्ति से आय में उत्पन्न कमी, अपने किसी प्रिय की मृत्यु तथा अपने आयु-समूह के साथ सम्बन्धों की आवश्यकता मुख्य होती है।

(ii) इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर तथा उनमें प्राप्त सफलताओं और असफलताओं की ओर अधिक होता है।

(iii) एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में किसी स्पष्ट नए मनोसामाजिक संक्रान्ति (Psychosocial Crisis) की उत्पत्ति नहीं होती।

(iv) व्यक्ति अपने सभी पिछले मनोसामाजिक अवस्थाओं की घटनाओं का समन्वय एवं मूल्यांकन करता है। इससे उनमें अहं सम्पूर्णता (Ego Integrity) का भाव उत्पन्न होता है।

(v) इस अवस्था में व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी संतान और सृजनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से अपने अस्तित्त्व को जारी समझते हैं।

(vi) एरिक्सन के अनुसार यह वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति में परिपक्वता अपने वास्तविक अर्थ में पैदा होती है तथा बुद्धिमत्ता का व्यावहारिक ज्ञान (Practical Sense of Wisdom) व्यक्ति में उत्पन्न होता है।

(vii) इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति (Psychosocial Strength) परिपक्वता है

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED

(viii) इस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने बीते मनो-सामाजिक अवस्थाओं में उत्पन्न असफलताओं से चिन्तित भी रहता है। इससे उनमें निराशा (Despair) उत्पन्न होती है और वे अपने को निसहाय और निर्बल समझने लगते हैं। यदि ऐसी भावना तीव्र हो जाती है तो उनमें मानसिक विषाद (Mental Depression) भी उत्पन्न हो जाता है।

एरिक्सन के सिद्धांत के गुण
(Merits of Erikson's Theory)

(i) इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला गया है।

(ii) एरिक्सन ने इस सिद्धांत में किशोरावस्था को बहुत महत्त्वपूर्ण माना है।

(iii) एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में भी असफलता ही होगी, यह आवश्यक नहीं है।

(iv) एरिक्सन के इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनो-सामाजिक घटनाओं को यक्तित्त्व के विकास एवं समन्वय (Integration) की व्याख्या में शामिल किया गया है, जो अपने आप में एक विशिष्टता है।

एरिक्सन के सिद्धांत के अवगुण
(Demerits of Erikson's Theory)

(i) एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है—ऐसा आलोचकों का मत है। इससे उनके सिद्धांत में अव्यावहारिक्ता झलकती है। लेकिन एरिक्सन ने इस आलोचना का खंडन किया है तथा उन्होंने अपने सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण के साथ-साथ वैसे दृष्टिकोण को भी अपनाया है, जिससे व्यक्ति में चिन्ता आदि उत्पन्न होते हैं।

(ii) कुछ आलोचकों के अनुसार, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्रॉयड के व्यक्तित्त्व सिद्धांत का सरलीकरण ही किया है और कुछ नहीं किया।

(iii) कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्यों, उपकल्पनाओं की व्याख्या की गई है उनका कोई प्रयोगात्मक समर्थन भी नहीं है। उनके सारे तथ्य तथा सम्प्रत्यय (Concepts) उनके व्यक्तिगत प्रेक्षणों (Personal Observations) पर आधारित हैं, जो बहुत आत्मनिष्ठ (Subjective) हैं।

(iv) कुछ आलोचकों का एरिक्सन का यह कथन मान्य नहीं कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके ही एक उत्तम एवं स्वस्थ व्यक्तित्त्व का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आलोचकों का मानना है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समाज की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना ही स्वयं समाज में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आये हैं और वे एक स्वस्थ व्यक्तित्त्व का निर्माण करने में सफल हुए हैं।

(v) शुल्ज (Schultz, 1990) के अनुसार अन्तिम मनोसामाजिक अवस्था की व्यवस्था अधूरी और असंतोषजनक (Unsatisfactroy) है। कुछ आलोचकों का मानना है कि अन्तिम अवस्था में व्यक्ति में विकास उतना संतोषजनक नहीं होता जितना कि एरिक्सन के अंह सम्पूर्ण (Ego-integrity) के सम्प्रत्यय से संकेत मिलता है।

◆◆◆

विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्त्व
(Relative Role of Heredity and Environment in Development)

5. वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं? बालक के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका है? विस्तार से बताए।

अथवा

वंशानुक्रम तथा वातावरण को परिभाषित करें। वंशानुक्रम और वातावरण के महत्त्व को विभिन्न अध्ययनों की सहायता से स्पष्ट करें।

अथवा

"विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही विषय है।" इस कथन को स्पष्ट करते हुए वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्षिक महत्त्व की चर्चा करें।

अथवा

वंशानुक्रम और वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्त्व पर प्रकाश डालें।

अथवा

बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्त्व है? अध्यापक को इस सम्बन्ध की जानकारी क्यों आवश्यक है? वह इस जानकारी का बालक के विकास में कैसे लाभ उठा सकता है?

अथवा

बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। (M.D.U. 2018)

उत्तर–वंशानुक्रम का अर्थ (Meaning of Heredity)–यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है जब बच्चे माता-पिता जैसे ही होते हैं, जैसे बुद्धि-स्तर पर समानता, रंग-रूप में समानता, शारीरिक रचना में समानता, कद में समानता आदि। कई बार माता-पिता और सन्तान में यह समानता अनुपस्थित भी होती है। कई बार बुद्धिमान माता-पिता की सन्तान मूर्ख ही रह जाती है। गोरे माता-पिता की सन्तान काली होती है। इस प्रकार इन अन्तरों में वंशानुक्रम की मुख्य भूमिका होती है।

साधारण शब्दों में वंशानुक्रम का अर्थ है–जैसे माता-पिता, वैसी सन्तान। इस दृष्टि से यदि माता-पिता बुद्धिमान है तो उनकी सन्तान भी बुद्धिमान होगी। इसी प्रकार एक कुत्ता 'कुत्ते' को ही पैदा करता है, बिल्ली 'बिल्ली' को ही पैदा करती है तथा मानव से 'मानव' ही पैदा होता है। 'समान से समान' जीवन पैदा करने वाली धारणा वंशानुक्रम की 'संकीर्ण धारणा' *(Narrow Concept)* कहलाती है तथा जैसे 'माता-पिता, वैसी सन्तान' वाली धारणा को 'विस्तृत धारणा' *(Broader Concept)* माना गया है। इस प्रकार वंशानुक्रम के अर्थ को निम्नलिखित दो प्रकार की धारणाओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है–

(1) संकीर्ण धारणा *(Narrow Concept)*

(2) विस्तृत धारणा *(Broader Concept)*

(1) संकीर्ण धारणा (Narrow Concept)–इस धारणा के अनुसार शारीरिक समानताएँ वंशानुक्रम कहलाती हैं। लेकिन यह अर्थ बहुत ही संकीर्ण है तथा एक अशिक्षित व्यक्ति की जिज्ञासा शांत करने के लिए पर्याप्त है। यह धारणा समानता और शारीरिक विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। जैसे–शारीरिक अंगों, रंग-रूप, आकार, सूरत इत्यादि में समानता का होना ही वंशानुक्रम है।

(2) विस्तृत धारणा (Broder Concept)–इस धारणा के अनुसार इन समानताओं के अतिरिक्त असमानताओं को भी वंशानुक्रम के अर्थ से शामिल किया जाता है। विस्तृत धारणा के अनुसार वंशानुक्रम वे सभी कारक तत्व हैं, जो बच्चे के जन्म के साथ नहीं, बल्कि गर्भाधान के समय उसमें उपस्थित होते हैं। वंशानुक्रम की इस धारणा के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व लक्षण शामिल होते हैं। शारीरिक लक्षणों में जैसे–चेहरा, आंखों का रंग, त्वचा, हाथों का आकार, टांगों का आकार तथा ग्रन्थियाँ आदि।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

मानसिक लक्षणों के अन्तर्गत प्रवृत्तियाँ, बुद्धि, स्मरण शक्ति, सूक्ष्म विचार, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता तथा ध्यान आदि आते हैं। व्यक्तित्व के दूसरे लक्षणों में व्यवहार, स्वभाव, आदतें, संवेग, सूंघने की शक्ति आदि शामिल हैं। विस्तृत धारणा के अनुसार 'ये सभी लक्षण बच्चे अपने माता-पिता से प्राप्त करते हैं तथा इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। इस प्रकार वंशानुक्रम 'जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल' *(Sumtotal of inborn individual traits)* है। जीव शास्त्रियों *(Biologists)* के अनुसार "निषेचित अंड में सम्भाव्यतः उपस्थित विशिष्ट गुणों का योग ही वंशानुक्रम है।" *(The sum-total of the traits potentially present in the fertilized ovum.)*

वातावरण का अर्थ
(Meaning of Environment)

यह तो निश्चित ही है कि गर्भाधान के समय विशेषताओं का हस्तान्तरण पैतृकों *(Genes)* द्वारा हो जाता है। गर्भाधान के पश्चात् इन विशेषताओं का पालन-पोषण या विकास करने के लिये उचित वातावरण की अति आवश्यकता पड़ती है। उचित वातावरण के अभाव में इन विशेषताओं या गुणों का विकास संभव नहीं। गर्भाधान के पश्चात् सम्बन्धित शक्तियाँ सक्रिय हो उठती हैं। वातावरण किसे कहा गया है—यह निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है—

रॉस *(Ross)* के अनुसार—"वातावरण वह हर वस्तु हैं जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालता है।" *(The environment, as anything immediately surrounding as object exerting a direct or influence on it.)*

एनास्टसी *(Anastasi)* के अनुसार—"वातावरण वह हर वस्तु है, जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है।" *(The environment is everything that affects the individual except the genes.)*

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वातावरण में वे सभी वस्तुएँ शामिल हैं जो दूसरी वस्तुओं को घेर कर प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव छोड़ें। वातावरण गर्भाधान के समय से ही रचित हो जाता है तथा अंत तक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। वंशानुक्रम के तत्वों का विकास करने में वातावरण का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।

वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव (Effect of Heredity and Environment on Child's Development)–(A) वंशानुक्रम का प्रभाव (Effect of Heredity)–वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्तियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। वंशानुक्रम व्यक्तित्व के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष इत्यादि। उदाहरणार्थ, लम्बे कद के माता-पिता की संतान भी लम्बी होती है। बुद्धिमान माता-पिता की संतान भी बुद्धिमान होती है। कैटल *(Cattel)* के अनुसार—"व्यावसायिक कुशलता भी वंशानुक्रम पर ही निर्भर करती है।" इसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित माता-पिता की संतान भी सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित होती है। गाल्टन *(Galton)* ने भी कहा है कि मानव की महानता उसके वंशानुक्रम पर आधारित है। महान् पुरुषों की जीवन गाथाएँ इस बात को सिद्ध करती हैं।

वंशानुक्रम के प्रभाव के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Hereditary Influences)–वंशानुक्रम के प्रभाव को जानने के लिये कई विधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे—

(1) परिवारों का अध्ययन(2) जुड़वाँ बच्चों का अध्ययन

(3) रक्त का अध्ययन(4) निम्न श्रेणी के जानवरों का प्रयोग।

(1) परिवारों का अध्ययन (Study of Families)–परिवारों के अध्ययन में गाल्टन द्वारा किये अध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। उसने 971 सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की कथाओं का अध्ययन किया। इन व्यक्तियों में जज, कलाकार एवं मंत्री आदि-शामिल थे। दूसरी ओर उसने 977 अन्य सामान्य

और गरीब व्यक्तियों के जीवन की कथाओं का अध्ययन किया। 977 सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के समूह में 535 व्यक्ति बुद्धिमान निकले। इसी प्रकार 977 सामान्य और गरीब व्यक्तियों के समूह में केवल 5 व्यक्ति ही बुद्धिमान निकले, शेष सभी कम बुद्धि के थे। इससे यह निषकर्ष निकाला गया कि बुद्धि का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अवश्य होता है।

इसी प्रकार गोडार्ड *(Goddard, 1916)* ने पार्टिन कालीकार्क व्यक्ति के परिवार का अध्ययन किया। कालीकार्क एक सिपाही था और उसने दो स्त्रियों से विवाह किया। एक स्त्री मन्द बुद्धि तथा दूसरी स्त्री तीव्र बुद्धि वाली थी। मन्दबुद्धि वाली स्त्री से 480 व्यक्ति उत्पन्न हुए तथा तीव्र बुद्धि थी, 32 वेश्याएँ, 24 शराबी, 46 सामान्य और 36 अवैध सन्तान, 3 मिरगी के रोगी और शेष अपराधी से केवल 5 मन्द बुद्धि तथा चरित्रहीन निकले। शेष सभी सफल व्यापारी, डाक्टर, अध्यापक आदि निकले। इससे भी वह सिद्ध होता है कि बुद्धि का हस्तांतरण होता है।

इसी प्रकार डगडेल *(Dugdale 1877)* ने ज्यूक *(Guke)* नामक व्यक्ति के परिवार का अध्ययन किया। वह एक दुराचारी मछेरा था। उसने अपनी तरह की एक स्त्री से विवाह किया। सन् 1720 से 1877 ई. तक उसकी पांच पीढ़ियों तक 1000 व्यक्ति उत्पन्न हुए। इनमें 300 बचपन में ही मर गये, 440 रोग ग्रस्त थे, 310 व्यक्ति अनाथालय में पहुँचे, 130 अपराधी निकले। केवल 110 ही ऐसे व्यक्ति निकले जो सामान्य रूप से जीवन बिताने के योग्य हुए। डगडेल न्यूयार्क में जेल कमिश्नर था। उसे अपने जेल के रिकार्ड में कई व्यक्तियों के न्याय लगातार आते रहने पर आश्चर्य हुआ। इस पर उसने उनके परिवारों का अध्ययन किया और उसने उन्हीं नकली नाम 'डयूक' दिया। डगडोल के इस अध्ययन का रिकार्ड उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐस्ट्रा *(Estra Brook, 1916)* के हाथों में पड़ गया। उसने 1877 से 1915 तक उस परिवार को ढूंढा तथा और भी अध्ययन सम्बद्ध साहित्य में आते हैं जैसे नेमस, जीरोस, डैक्स, हिलफाक। ये सभी नकली ही पाये गये हैं।

प्रो. ट्राईओन *(Prof Tryon, 1940)* ने चूहों, कुत्तों और बन्दरों पर भी प्रयोग किये। उसने तीव्र और मन्द बुद्धि वाले चूहों की 8 पीढ़ियों का अध्ययन किया और पाया कि मन्द बुद्धि चूहों ने मन्द बुद्धि चूहे ही पैदा किये तथा तीव्र बुद्धि चूहों ने तीव्र बुद्धि चूहे।

(2) जुड़वाँ बच्चों का अध्ययन (Study of Twins)–वंशानुक्रम का प्रभाव देखने के लिये जुड़वाँ बच्चों पर भी अध्ययन किये गये। जुड़वाँ बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं—समरूप जुड़वाँ बच्चे *(Identical twins)* और बन्धु यमज *(Fraternal Twins)*

श्वेसिंगर *(Schwesinger)* ने सम-यमज या समरूप जुड़वाँ बच्चों *(Identical Twins)* का अध्ययन किया। उसने 10 जोड़े सम-यमजों पर अध्ययन किया। प्रत्येक जोड़े के एक सदस्य को एक तरह के तथा दूसरे सदस्य को दूसरी तरह के वातावरण में पाला गया। बड़े होने पर दोनों बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अधिकतर जोड़ों के सदस्य बच्चों की बुद्धिलब्धि में कोई अन्तर नहीं था, यदि था भी तो बहुत ही कम था।

इसी प्रकार आईसैनक *(Eysenck, 1956)* ने भी सम-यमजों और बन्धु-यमजों पर प्रयोग किया था। बुद्धिलब्धि के आधार पर यमजों में सह-सम्बन्ध 0.82 और बन्धु-यमजों में सह-सम्बन्ध 0.38 पाया गया। इस प्रकार जुड़वाँ बच्चों का अध्ययन भी वंशानुक्रम के महत्त्व को बल प्रदान करता है।

(3) रक्त सम्बन्धों का अध्ययन (Study of Blood Relationships)–जैसे-जैसे खून के सम्बन्धों की डिग्री बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उनमें समानताएँ भी बढ़ती जाती हैं तथा असमानताएँ कम होती चली जाती हैं। बच्चों और माता-पिता का खूनी रिश्ता सबसे निकट होता है। जुड़वाँ बच्चों में माता-पिता के सबसे अधिक निकट समय-यमज *(Identical Twins)* होते हैं। क्योंकि उनकी वृद्धि का आकार एक ही संयुक्त कोष *(Zygote)* होता है। इसके पश्चात् बन्धु यमज *(Fraternal Twins)* का स्थान आता है,

क्योंकि इनका आधार एक ही स्त्री होती है। इसके पश्चात् अन्य रिश्ते आते हैं। बुद्धिलब्धि पर आधारित खूनी-रिश्तों में सह-सम्बन्धों की निम्नलिखित तालिका से वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है–

सम्बन्ध (Relationship)	सह-सम्बन्ध (Correlation)
(1) सम यमज *(Identical Twins)*	.85 – .90
(2) बन्धु यमज *(Fraternal Twins)*	.55 – .65
(3) सगे भाई-बहन *(Siblings i.e. other brothers & Sisters)*	.50 – .60
(4) माता-पिता तथा बच्चा *(Parents-child)*	.40 – .50
(5) चचेरे भाई-बहन *(Cousins)*	.25 – .35
(6) दादा-पोता	.25 – .35

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि समीप के खूनी रिश्तों में वंशानुक्रम का प्रभाव अत्यधिक होगा। बहुत ही निकटता के रिश्ते में बुद्धि के स्तरों में अधिक समानता होगी।

(4) निम्न श्रेणी के जानवरों पर प्रयोग (Experiments on Lower Animals)–टालमैन *(Tolman)* और उसके विद्यार्थियों ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चुस्त और स्वस्थ *(Bright rats)* चूहों को चुस्त और स्वस्थ चूहों के साथ तथा नीरस और ढीले-ढाले चूहों को इसी प्रकार के चूहों के साथ प्रसावन *(Breeding)* किया। स्वस्थ और नीरस चूहों का निर्धारण मेज *(Maze)* अथवा भूल-भुलैया में सीखने का क्रियाओं पर आधारित था। प्रत्येक पीढ़ी में पुस्तक के साथ चुस्त और नीरस के साथ नीरस चूहों का अन्तः प्रसावन *(In breeding)* किया गया। सातवीं पीढ़ी तक दोनों समूहों के सीखने के अंकों में किसी प्रकार का आपसी सम्मिश्रण *(Overlaping)* नहीं था। इस अध्ययन से भी यही बात सामने आती है कि विशेषताओं का हस्तांतरण वंशानुक्रम द्वारा अवश्य होता है।

वातावरण का प्रभाव (Effect of Environment)–वातावरणवादी *(Environmentalists)* इस बात पर बल देते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान वंशानुक्रम से कम, उसके वातावरण से अधिक लगाया जा सकता है। सन् 1873 में एक स्विस लेखक डीकैन डोले *(De condolle)* ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वंशानुक्रम नहीं बल्कि वातावरण ही वह मुख्य कारक है, जिससे बहुत ही विद्वान *(Genius)* व्यक्ति पैदा होते हैं। वातावरण का प्रभाव जानने के लिये निम्न प्रयोगों के परिणामों का तर्क दिया जा सकता है।

वातावरण के प्रभाव के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Environment)

(1) जंगलों से मिले बच्चों पर प्रयोग (Experiments on children traced from forests)–जंगलों से कई मानव मिले जिनका समाजीकरण बिल्कुल शून्य था। ऐसे मानवों का व्यवहार भी जंगली जानवरों की तरह ही था। ऐसा ही एक रामू नाम का बालक जंगलों से मिला। उसे भेड़िया बालक भी कहा गया। छोटी आयु में ही उसे भेड़िये ने उठा लिया था तथा वह जंगली वातावरण में ही पला। वह भेड़ियों के बीच रहकर भेड़ियों जैसा ही व्यवहार करने लगा।

इसी प्रकार जिंग *(Zingg)* ने 30 ऐसे ही व्यक्तियों का अध्ययन किया जो प्रारम्भिक जीवन काल में जंगलों में रहे तथा असभ्य जीवन बिताया। लेकिन जब उन्हें समाज में लाया गया तो सामाजिक परम्पराओं को सीखने के लिये बहुत समय लगा। ऐसी ही घटना दो बहनों अमला और कमला की है। उन्हें भी छोटी आयु में भेड़िया उठा ले गया तथा उन्हें बंगाल के जंगलों में पाया गया। एक की आयु 2 वर्ष की तथा दूसरी की 9 वर्ष की थी। इनका व्यवहार भी जानवरों जैसा ही था। शहर में लाकर इनका समाजीकरण करने का प्रयास किया गया। अमला की तो मृत्यु हो गई लेकिन कमला कुछ सीमा तक समायोजित होने में सफल हुई।

(2) कैलोग का प्रयोग (Kellog,s Experiment)–कैलोग ने दस मास के एक चिम्पैंजी और अपने लड़के के साथ प्रयोग किया। उसके लड़के की आयु 7 माह की थी। दोनों को एक ही वातावरण में रखा गया था और एक जैसा ही पालन-पोषण किया गया था। परिणाम यह हुआ कि चिम्पैंजी को भी चम्मच के साथ खाना और गिलास से पानी पीना आ गया। वह कुछ शब्दों का अर्थ भी समझने लगा था। यह प्रयोग वातावरण के प्रभाव को सिद्ध करता है।

(3) मुरे टापू के लोग (People of Murray Island)–मुरे टापू के लोगों को 6 अंक से आगे गिनती आती ही नहीं थी और न ही उनकी भाषा में 6 से आगे कोई शब्द ही था। स्काटलैंड ने इस टापू पर अधिकार करके उन्हें शिक्षा दी। कुछ ही समय में उस टापू के लोगों में भी सभ्य लोगों जैसी योग्यताएँ आ गईं।

(4) महान व्यक्तियों का अध्ययन (Study of Gerat Men)–फैंडोले, जो फ्राँस का रहने वाला था, ने इंग्लैंड और फ्रांस के 552 प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन इतिहासों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उसने स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण का योगदान अधिक किया।

(5) फे और ऐडिथ का अध्ययन (Study of Fay and Edith)–फे *(Fay)* और ऐडिथ *(Edith)* दो जुड़वाँ बच्चियाँ थीं जिन्हें बचपन में ही अलग कर दिया गया था। बड़े होने पर एक का विवाह एक व्यापारी से और दूसरी का विवाह एक किसान से हुआ। दोनों के व्यवहारों में अत्यधिक अन्तर पाया गया। यह अन्तर दोनों बहनों के ससुराल में वातावरण की भिन्नताओं के कारण ही समझे जाते हैं।

(6) बुद्धि पर किये गये प्रयोग (Experiments or Intelligence)–जेम्स और रीस *(James and Rece)* नामक जुड़वाँ बच्चों पर भी प्रयोग किया गया। इनमें एक को पहाड़ पर तथा दूसरे को गाँव में पाला गया। जब इनका बुद्धिलब्धि का परीक्षण किया गया तो उन दोनों की बुद्धिलब्धि में 19 अंकों का अन्तर पाया गया। इसी प्रकार फ्रीमैन *(Freeman, 1927)* ने 70 बच्चों को दूषित वातावरण से निकाल कर अच्छे वातावरण में रखा। फिर उनकी बुद्धिलब्धि के अंकों में 10 अंकों की वृद्धि पाई गई। टर्मन और मैरिल *(Terman and Merril)* ने भी बच्चों के सामाजिक-आर्थिक स्तर और बुद्धिलब्धि पर प्रयोग किया।

(7) गोर्डन द्वारा किया प्रयोग (Experiment by Gordon)–गोर्डन ने समाज से दूर, नदियों के किनारे पर रहने वाले व्यक्तियों के बच्चों का अध्ययन किया। उनकी बुद्धिलब्धि कम पाई गई, क्योंकि उन्हें मानसिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण नहीं मिल सका।

(8) न्यूमैन, फ्रीमैन और होजिंगर द्वारा अध्ययन (A study by Newman, Freeman and Holzinger)–इन लोगों ने 20 सम-यमजों *(Identical Twins)* के जोड़ों का अध्ययन किया। इन जोड़ों के सदस्यों को जन्म के समय ही अलग कर दिया गया। उनके स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, बुद्धि और उनकी विषय-वस्तु सम्बन्धी योग्यताओं का शैक्षिक प्रशिक्षणों द्वारा परीक्षण किया गया। इनमें से एक जुड़वाँ बालिका के, जिसका पालन-पोषण खेत में हुआ, मजबूत शरीर का विकास हुआ। उसका भार भी उसकी बहन, जिसका पालन-पोषण शहर में हुआ था और उसने थोड़ी कड़ी मेहनत भी की थी, का भार उसकी जुड़वाँ बहन से 10 पौंड कम था। उसकी यह जुड़वाँ बहन आरामदायक विवाहित जीवन बिता रही थी।

उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव स्पष्ट हो होता है। इन्हीं अध्ययनों द्वारा वंशानुक्रम और वातावरण के महत्त्व का ज्ञान होता है।

वंशानुक्रम का महत्त्व (Importance of Heredity)–

(1) वंशानुक्रम के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों में अनेक भिन्नताएँ होती हैं। विकास-प्रक्रिया के साथ-साथ ये भिन्नताएँ स्पष्ट होती चली जाती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर अध्यापक शिक्षा की योजना बना सकता है।

(2) वंशानुक्रम द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक हो सकता है।

(3) वंशानुक्रम के कारण बच्चों की सीखने की योग्यता में अन्तरों का ज्ञान होता है।

(4) वंशानुक्रम से कुल मूल-प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे वांछनीय प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देकर अध्यापक अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन कर सकता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(5) वंशानुक्रम के कारण ही लड़कों और लड़कियों में लिंगीय भेद होता है, जिसके कारण विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता कम या अधिक होती है। अध्यापक उनके अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है।

(6) वंशानुक्रम के परिणामस्वरूप ही शारीरिक विभिन्नता होती है। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर उनके शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है।

वातावरण का महत्व
(Importance of Environment)

(1) बालक के विकास की दिशा को निश्चित करने में वातावरण सक्रिय होता है। वातावरण से बालक के विकास की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा सकती है, जैसे बालक का अच्छा या बुरा होना, चरित्रवान होना, देश-भक्त या देशद्रोही होना।

(2) यदि कोई अध्यापक वातावरण को समझ लेता है तो वह अपने छात्रों के लिये ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति संभव हो सके।

(3) निहित सांस्कृतिक वातावरण से बालकों में आदर्शों का अनुकरण करने वाला व्यवहार विकसित होता है। अतः अत्यधिक अध्यापक अपने छात्रों के सम्मुख सांस्कृतिक वातावरण को बनाए रखें ताकि छात्र उनको आदर्शों का अनुकरण करते रहें।

(4) एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा अनुकूल वातावरण की व्यवस्था कर सकता है यदि वह बालकों के वातावरण को समझ लें।

(5) बालक का काफी समय परिवार, आस-पड़ोस, खेल के मैदान में ही बीतता है। उसका व्यक्तित्व इनसे अत्याधिक प्रभावित होता है। अध्यापक इन संस्थानों या स्थानों के पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देकर बालकों को रास्ता दिखा सकता है।

(6) बालकों की भावनाएँ भी स्कूल के वातावरण से अत्यन्त प्रभावित रहती हैं। वातावरण पर नियंत्रण करके उनकी संतुलित भावनाओं का विकास किया जा सकता है। भावनाओं के संतुलित विकास होने का अर्थ है—उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया।

उपरोक्त विवरण से यह बात सत्य सिद्ध होती है कि वंशानुक्रम और वातावरण का बालक की शिक्षा में बहुत महत्त्व है। अध्यापक के लिए इन दोनों का ज्ञान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

◆◆◆

वृद्धि तथा परिपक्वता का सम्प्रत्यय
(Concept of Growth and Maturation)

6. वृद्धि तथा परिपक्वता का वर्णन कीजिए।

उत्तर–व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और न ही सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य 'सर्वांगीण विकास' (All Round Development) को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जायेगा। शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिये अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है।

वृद्धि का अर्थ *(Meaning of Growth)*

वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणामस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणामस्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है—शरीर, आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की माँसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है।

हरबर्ट सोरेन्सन (Herbert Sorenson) ने तो शारीरिक वृद्धि को 'बड़ा और भारी होना' बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं।

एच. वी. मैरीडिथ (H.V. Meredith) के अनुसार, **"वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है– मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है– हृदय, आँतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पाँचवां प्रमाण है– सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात् सिर टाँगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है।"** संक्षेप में, वृद्धि और विकास के पाँच प्रमाण हुए– आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार (Size, Number, Kind, Position and Relative size)।

जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड (Fertilized Ovum) में विभाजन के परिणामस्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण (Embryo) बनता है तथा उसकी कोशिकाओं (Cells) में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरन्तर नहीं होती। इसकी गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा उसके पश्चात् यह रुक जाती है।

वृद्धि एक विशेष पद्धति (Pattern) पर तथा आन्तरिक रूप से होती रहती है। शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तःक्रिया से होती है।

फ्रैंक (Frank) ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है– **'शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं।'**

उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं–

1. वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है।
2. वृद्धि को मात्रा (Quantity) के रूप में माना जा सकता है।
3. वृद्धि की सामान्य पद्धति (General Pattern) होती है, न कि अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग।
4. वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणामस्वरूप होती है।
5. वृद्धि निरन्तर नहीं होती।
6. वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती। इसमें (गति में) परिवर्तन आते रहते हैं।
7. वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है। फिर उसके बाद रुक जाती है।
8. वृद्धि आन्तरिक रूप से होती है।
9. स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है।
10. वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तःक्रिया से होती है।
11. शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है।
12. शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा सम्बन्ध होता है।
13. जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है।
14. स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
15. शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

परिपक्वता का अर्थ (Meaning of Maturation)—बाल-विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गैसेल ने 1919 में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। गैसेल ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसेल का यह भी विचार है कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायुविक और मांसपेशीय परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता सम्बन्धी परिवर्तन इन निश्चित अवस्थाओं से पूर्व नहीं हो सकते हैं।

दूसरे शब्दों में, परिपक्वता का अर्थ अंग-प्रत्यंग का स्वाभाविक विकास है, जो स्नायुमंडल की क्षमता पर निर्भर है। अंग-प्रत्यंगों के विकास के कारण प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होता है और सीखने के कारण भी। अतः सीखने तथा परिपक्वता में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

जीव की अन्तर्निहित सम्भाव्य-क्षमताएं, कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुँच जाती हैं, इस प्रक्रिया में संरचना में होने वाले वह परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जो वृद्धि को जाते हैं। कार्य निष्पादन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाला संरचना का प्रगतिपूर्ण अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। परिपक्वता की आधुनिक परिभाषाएं इस प्रकार से हैं—

(1) गैसेल का विचार—"आत्मसीमित जीवन-चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं।"

(2) बोरिंग, लैंगफील्ड और वैल्ड का विचार—"परिपक्वता का अर्थ वृद्धि और विकास है, जो किसी अनमोल व्यवहार के अस्तित्त्व में आने या किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्त्व में आने से पहले अत्यंत आवश्यक होता है।"

(3) गैरी और किंसले का विचार—"परिपक्वता एक ऐसी क्रिया है, जिसमें शारीरिक ढाँचे की वृद्धि और विकास के परिणामस्वरूप व्यवहार में सुधार होता है।"

(4) सिस्टर बारबिश का विचार—सिस्टर बारबिश ने अपनी पुस्तक में कहा है, "परिपक्वता का अर्थ किसी स्वार्थ के विकास की पूर्ण उपलब्धि है।"

एज. जे. आइजनेक और उनके साथियों के विचारानुसार—"परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की वह स्वतंत्र प्रक्रिया है, जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली होती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की वृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है तथा इस प्रकार वह जीव अपने जीवन में अनुकूलन करता है।"

सीखना अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। सीखना वातावरण पर निर्भर करता है। सीखना बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर आधारित है, परन्तु परिपक्वता सीखने पर आधारित नहीं है।

ए. गोयल के मतानुसार बालकों में जिन गुणों का विकास होता है, वे **निम्न** दो प्रकार के हैं—

(1) वे गुण जो परिपक्वता के कारण उत्पन्न होते हैं वे विशुद्ध शारीरिक गुण होते हैं।

(2) वे गुण जो बालक अनुभवों या अधिगम के द्वारा अर्जित करता है, जिन्हें सामाजिक गुण भी कहा जा सकता है।

शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के बढ़ने के साथ-साथ संवेगों का विकास होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए गैसेल ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने तीन बालकों को चुना। पहले प्रकार के बालक दस सप्ताह के थे, दूसरे बीस सप्ताह और तीसरे तीस सप्ताह की आयु के थे। इन तीनों आयु के बालकों को एक हवादार कमरे में रखा गया। उस कमरे में उत्पन्न भय का अध्ययन किया गया।

गैसेल ने देखा कि दस सप्ताह के बालकों में किसी प्रकार का भय नहीं था, जबकि बीस सप्ताह के बालकों ने बेचैनी और घबराहट का अनुभव किया। तीस सप्ताह के बालकों को जब भय की परिस्थिति में रखा गया तो उन्होंने व्याकुलता और रोने-चिल्लाने जैसे व्यवहार का प्रदर्शन किया। अब गैसेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के बढ़ने के साथ-साथ संवेगों का भी विकास होता है।

सीखने का अर्थ (Meaning of Learning)—सीखना आधुनिक बाल मनोविज्ञान की एक अति महत्त्वपूर्ण समस्या है। इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें बालकों के अनुबंधन से लेकर समस्या समाधान तक की सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सीखने की क्रिया बालकों एवं वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है।

मैक्गा के अनुसार—"अभ्यास के कारण स्वार्थ निष्पादन में परिवर्तन ही अधिगम है (हिलगार्ड तथा एटकिन्सन) के अनुसार—"सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" **क्रो एवं क्रो** के अनुसार—"ज्ञान, आदतें और अभिवृत्तियों को प्राप्त करना सिखाता है।" **गेटस** के अनुसार—"अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है।"

सीखना जीवनपर्यन्त चलता रहता है। सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। सीखना वातावरण पर आधारित है। सीखना बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर आधारित है, परंतु परिपक्वता सीखने पर आधारित नहीं है।

ए. गैसेल के विचार में बालकों में जिन गुणों का विकास होता है, वे दो प्रकार के हैं—पहला वे गुण जो परिपक्वता के कारण उत्पन्न होते हैं, वे विशुद्ध शारीरिक गुण होते हैं। दूसरे वे गुण जो बालक अनुभवों या अधिगम के द्वारा अर्जित करता है, उन्हें सामाजिक गुण भी कहा जा सकता है।

गैसेल ने अपने अध्ययन में तीन प्रकार के बालक चुने। पहले प्रकार के बालक दस सप्ताह के थे, दूसरे बीस सप्ताह और तीसरे तीस सप्ताह की आयु के थे। इन तीनों आयु के बालकों को क्रमशः एक हवादार कमरे में रखकर उनमें उत्पन्न भय का अध्ययन किया गया। **गैसेल** ने अपने अध्ययन में देखा कि दस सप्ताह के बालकों में किसी प्रकार का भय नहीं था जबकि बीस सप्ताह के बालकों ने बेचैनी और घबराहट का अनुभव किया। तीस सप्ताह के बालकों को जब भय की परिस्थिति में रखा तो उन्होंने व्याकुलता और रोने-चिल्लाने जैसे व्यवहार का प्रदर्शन किया।

इस अध्ययन से गैसेल ने निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के बढ़ने के साथ-साथ संवेगों का विकास होता है।

अधिगम की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपान्तरण या परिवर्तन है। सीखने के द्वारा जीवन नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है अथवा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। व्यवहार में यह प्रगतिपूर्ण परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों के कारण होते हैं।

◆◆◆

परवरिश शैलियाँ
(Parenting style)

7. 'परवरिश' से क्या अभिप्राय है? परवरिश और पालन-पोषण में क्या अंतर है? परवरिश के कौन-कौन से पक्ष होते हैं?

(What do you mean by parenting? What is the difference between parenting and child rearing practices? What are the various aspects of parenting?)

उत्तर—'परवरिश' से अभिप्राय (Meaning of Parenting)—परवरिश शब्द को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। मानव के संदर्भ में 'परवरिश' शब्द बालक के जैविकीय माता-पिता (Biological Parents) के द्वारा की जाती है। इस परवरिश में सरकार और समाज भी योगदान करते हैं।

परवरिश (Parenting) किसी बालक को जन्म से प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था तक खड़ा करने और उसे शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। यह सामान्यतः परिवार में माता या पिता द्वारा की जाती है। जब माता-पिता ऐसी देखभाल करने के योग्य नहीं होते या इच्छुक नहीं होते, वहां पर यह देखभाल या परवरिश निकट के संबंधी, दादा-दादी, नाना-नानी या अनाथालयों द्वारा की जाती है।

परवरिश का मुख्य लक्ष्य होता है—

(i) माता-पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना।

(ii) बच्चों की खतरों से सुरक्षा करना,

(iii) बच्चों के सांस्कृतिक मूल्यों, कौशलों आदि को प्रदान करते रहना होता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वे वैधानिक (Legally) तरीके से वयस्कावस्था अर्जित नहीं कर लेते।

इस प्रकार परवरिश को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं—प्राकृतिक माता-पिता द्वारा बच्चे का ध्यान रखकर, पालन-पोषण और सुरक्षा करते हुए माता-पिता की भूमिका निभाना 'परवरिश' कहलाती है।

(Performing the role of a parents by care-giving nurturance and protection of the child by a natural parents in called parenting.)

परिवेश और पालन-पोषण में अंतर (Difference Between Parenting and Child Rearing Practices)—बालक की परवरिश और पालन-पोषण में भी अंतर होता है। परवरिश के अन्तर्गत माता-पिता के उदाहरणीय व्यवहारों की विशेषताओं और उत्तरदायित्वों पर बल दिया जाता है। दूसरी ओर पालन-पोषण क्रियाओं (Child Rearing Practices) में बालकों को प्रशिक्षण क्रिया या उनके पालन-पोषण तथा माता-पिता के साथ अन्तर्क्रिया पर बल दिया जाता है।

परवरिश के पक्ष (Aspects of Parenting)—परवरिश की सम्पूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित कर सकते हैं—

(i) सामाजिक विकास और संवेगात्मक समर्थन।
(ii) शारीरिक देखभाल।
(iii) सामाजिक कौशल और शिष्टाचार।
(iv) नैतिक और आध्यात्मिक विकास।
(v) आर्थिक सहायता।
(vi) शिक्षा पर खर्चा और बीमा करना।
(vii) चिकित्सीय देखभाल करना, सुरक्षा और आश्रय (Shelter) प्रदान करना।
(viii) आदर्श और मूल्य-प्रणाली से अवगत कराना।

इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्रों या पक्षों में माता-पिता बच्चों की सहायता करके उन्हें पालते हैं तथा वैधानिक रूप से समाज के वयस्क सदस्य के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं।

◆◆◆

मीडिया का बढ़ते हुए बच्चों तथा किशोरों पर प्रभाव
(Impact o Media on growing children and adolescents)

8. मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं? माध्यम का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए जो मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई जाती है?

(What do you mean by media? Describe impact of media on growing children and adolescents describe the significant events that media highlights and creates.)

अथवा

मीडिया का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।
(Describe the impact of media on growing children and adolescence.) **(C.B.L.U. 2018)**

उत्तर—अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Media' का अर्थ होता है—जनसंचार के साधन (Means of Mass Communication.)

हिन्दी भाषा में इसके लिए संचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्द "Mass Communication" के लिए हिन्दी में जिस 'जनसंचार' शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है—जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान करना। चूँकि अंग्रेजी भाषा में मास (Mass) शब्द के अर्थ में मीन्स y अर्थात् साधन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः मीडिया (Media) शब्द का अर्थ है—वे साधन, जिसके माध्यम से जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान की जाती है।

अंग्रेजी भाषा के 'मॉस मीडिया' (Mass Media) शब्द का सही रूपान्तर होगा—जनसंचार माध्यम या सामूहिक माध्यम। जब किसी सूचना, समाचार, विचार आदि को दूर-दूर रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे जनसंचार माध्यम कहा जाता है।

जन-संचार माध्यम एवं सूचना-प्रौद्योगिकी—अनेकानेक सूचना-संसाधनों के प्रचलन से विश्व एक 'गाँव' के रूप में सिमट रहा है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में संक्रमण हुआ है। नई सूचना-तकनीक ने मानव के समय और परिश्रम को बिल्कुल कम कर दिया है। आजकल मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी का वर्चस्व-स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसे निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत सुविधाजनक ढंग से समझा जा सकता है—

(क) प्रिंट मीडिया
(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

(क) प्रिंट मीडिया—समाचार-संकलन जनसंचार माध्यमों की कार्य-शृंखला का पहला कदम होता है। वर्तमान समय में समाचार संकलन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया पूरी तरह से तकनीकी साधनों व उपकरणों से सज्जित है। समाचार संकलन से लेकर छपाई तक का समस्त कार्य तकनीकी सुविधाओं से अत्यन्त कम समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो रहा है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS | SKILLED INDIA

समाचार-पत्र का पूरा कार्यालय और उसका सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर पर आधारित है। संवाददाता, ब्यूरोचीफ, समाचार सम्पादक आदि अपने-अपने डेस्क पर लगे कम्प्यूटर सेट पर समाचार को भाषायी, तकनीकी तथा संस्थान की नीति के आधार पर अन्तिम रूप देते हैं। सम्पादकीय विभाग, प्रोसेस यूनिट, विज्ञापन के बीच तालमेल बैठाने एवं फोटोग्राफी के सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावकारी भूमिका है।

कुछ दिन पहले समाचार इकट्ठा करने के लिए संवाददाता इधर-उधर दौड़ते थे। गाँव-गाँव, तहसील तथा कस्बों से डाक द्वारा, समाचार भेजे जाते थे। सम्पादकीय विभाग एक पोस्ट ऑफिस बना रहता था जहाँ पत्रों की छँटनी होती थी। समाचार संकलन के बाद सम्पादक समूह कलम घिसकर समाचार तैयार करता था। आज के तकनीकी युग में संचार के त्वरित साधनों, मुद्रण, सम्पादन, साज-सज्जा ने एक अप्रत्याशित रोमांचक यात्रा पूरी कर ली है। आज का पत्रकार मोबाइल, फैक्स, लैपटॉप, पेजर, इंटरनेट, ई-मेल से जुड़ चुका है। वह चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, कुछ क्षणों में ही वहाँ के समाचार अपने कार्यालय या सम्पादक तक प्रेषित कर देता है। विशेषकर दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले समाचारों में देश-विदेश में नियुक्त प्रतिनिधि इस प्रौद्योगिकी के बल पर ही वहाँ की घटनाओं व घटना स्थलों के दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया–डॉ. अर्जुन तिवारी के शब्दों में–**''प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आईं टी. (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी) से उपकृत है। समाचार संकलन से लेकर समाचार प्रसारण तक के विविध सोपानों की सफलता आई टी पर आश्रित है। न्यूज वेबसाइट और पोर्टल भी आई. टी. पर निर्भर है। वर्तमान मीडिया की पूरी कार्यप्रणाली में आई. टी. की भूमिका मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई है।''**

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा स्पष्ट प्रभाव टी. वी. तथा फिल्मों में देखा जा सकता है। कैमरा ही इन दोनों माध्यमों का आधार है। कैमरा की गुणवत्ता में नई तकनीक के द्वारा क्रान्ति आई है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले समाचारों में इतना व्यापक परिवर्तन आया है कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। विश्व के किसी भी कोने में घटना घटित होने की देर नहीं होती कि वहाँ की वीडियो-ओडियो क्लिपिंग तुरन्त समाचारों में स्थान पा जाती है। वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा कहीं पर भी बैठकर व्यक्ति स्टूडियो के सम्पर्क में आ जाता है। ऑन लाइन तकनीक के द्वारा टी. वी. कार्यक्रम देखते समय वह अपने विचारों को भी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मल्टीमीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

मल्टीमीडिया से टी.वी. कार्यक्रमों में नई क्रान्ति आई है। इस तकनीक के द्वारा आज टी. वी. में निम्न सुविधाएँ देखने को मिलती हैं–

1. **टैक्स्ट**–घटना या किसी वस्तु के बारे में सूचना जैसे–नोट्स, कान्टेन्ट्स।
2. **डाटा**–टेबल, चार्ट, ग्राफ, स्टेटिसिटक्स।
3. **एनीमेशन**–कम्प्यूटर द्वारा बनाए वीडियो।
4. **ऑडियो**–स्पीच, संगीत जैसे–कैसेट्स, टेप, सी. डी.।
5. **वीडियो**–फिल्म।

बच्चों तथा किशोरों पर मीडिया का प्रभाव–जब भी कोई बदलाव जीवन में आता है अथवा लाया जाता है तो वह परिवर्तन अपने संग स्याह-सफेद अर्थात् गुण-दोष भी लेकर आता है। आज हम यदि जनसंचार के क्षेत्र में विकास के नवीन आयाम देख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यह भी देख रहे हैं कि जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो रहा है तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारे हाथों से अनायास फिसलता जा रहा है।

मशीन जब तक व्यक्ति की सहयोगी बनी रहती है और तकनीक मौलिकता को प्रभावित नहीं करती या उस पर हावी नहीं होती तब तक उसका सदुपयोग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के जन-संचार माध्यमों के क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने सबसे पहले वही प्रभाव उत्पन्न किए थे जिसे हम जीवन के लिए उपयोगी, हितकर समझते हैं।

श्री अर्जुन तिवारी ने अपनी **'ई-जर्नलिज्म'** नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है–**''दुनिया में पहले भुजा की शक्ति थी, बाद में भाप की शक्ति आई, तत्पश्चात् तेल की शक्ति का आगमन हुआ। आज तो आणविक उपग्रह की शक्ति है।''**

मुद्रण मशीन, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, थल-ट्रांसमीशन, जलमग्न-केबल, भूमिगत केबल, उपग्रह व्यवस्था ने संचार जगत को नित नूतन आयाम दिए। मीडिया के प्रभावों को निम्न वर्गों के अन्तर्गत बाँटा जा सकता है–

(i) ई-जर्नलिज्म : विकास के नये क्षितिज–कम्प्यूटर इंटरनेट, ई-मेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेस के अलावा इनसेट ने पूरी पत्रकारिता को ई-जर्नलिज्म में परिवर्तित कर दिया है। इसका बच्चों तथा किशोरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जन सम्प्रेषण, जन शिक्षण एवं जन-हित, मनोरंजन के लक्ष्य को लेकर सूचना क्रान्ति के कर्णधारों के नियमन, संयोजन सम्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण ही आज की पत्रकारिता है। आज की पत्रकारिता कला, शिल्प तथा विज्ञान की संयुक्त परिकल्पना है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभावकारी परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं।

(ii) उत्पादन वृद्धि–जीवन और जगत् के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन तकनीकी विकास तथा उससे प्रभावित संचार जगत् ने विस्मयकारी कार्य किया है। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। संचार के आधुनिक रूप की जन्मदात्री इलेक्ट्रॉनिकी है। उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी पूरे संसार से एकत्र कर हमारी संचार प्रक्रिया भी उत्पादन वृद्धि में सहायक हो रही है। जनसंचार माध्यमों के नित नये मॉडल नई सुविधाओं के साथ आ रहे हैं।

(iii) गुणवत्ता–हमारे संचार माध्यमों की गुणवत्ता में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नई साज-सज्जा व नई तकनीक लेकर प्रतिदिन उपभोक्ता को लुभा रहा है। कनवर्जेंस टेलीकम्यूनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग तथा नेटवर्किंग को सम्मिलित कर एक ऐसे एकल डिजिटल नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसके द्वारा उपभोक्ता की सभी आवश्यकताएँ - टेलीफोन फैक्स, टी. वी. इंटरनेट, वीडियाफोन, मूवी, संगीत मनोरंजन आदि एक ही स्रोत से पूरी हो जाती हैं। आधुनिक सूचना तकनीक से युक्त हमारे जनसंचार माध्यमों ने सरकारी कार्य क्षेत्र को प्रभावित किया है। जनता की शिकायतें दूर करने और देखते-देखते आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अति विचित्र पद्धति का प्रभुत्व बढ़ रहा है। यह 'ई-शासन' (ई-गवर्नेस) एक सरल तथा पारदर्शी व्यवस्था है। बाबू-संस्कृति से जनता को छुटकारा मिल रहा है। व्यर्थ की भागदौड़ से त्रस्त जनता को राहत की साँस लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

(iv) समय की बचत–मानव के व्यस्ततम जीवन में नई सूचना प्रणाली ने आराम के अवसर प्रदान किए हैं। काम की कोई आपा-धापी नहीं है। काम के बोझ के तले रहने वाला व्यक्ति आज अपने लिए समय निकाल पा रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में साइकिलों पर या पैदल दौड़ लगाने वाले संवाददाता को अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप पर सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त हो रही है। हाथ से समाचार लिखने की परम्परा समाप्ति पर है। इंटरनेट की इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ने ज्ञान और सूचनाओं का अक्षय भंडार एक कमरे में ही व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया है। अब उसे लाइब्रेरियों की खाक छानने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजायनिंग, इलेक्ट्रॉनिक टाइप सैटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग वाली पत्रकारिता ने मनुष्य का मूल्यवान समय बचा दिया है। पलक झपकते ही यह सब उपलब्ध हो जाता है। पहले कहा जाता था–**''जहाँ कुछ भी घटता है, हम वहाँ होते हैं''** पर आज यह अवधारणा बदल गयी है। आज का इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार कहता है–**''जहाँ कुछ भी घटता है, हम आपको वहाँ ले चलते हैं।''** आज खबरें आँखों से पढ़ी कम आँखों से देखी अधिक लाती हैं। बच्चों तथा किशोरों को इसका अत्यधिक लाभ होता है।

(v) मनोरंजन–आज आधुनिक जनसंचार माध्यमों के आधुनिक विकसित तकनीक से युक्त होने के कारण मनोरंजन की दुनिया में भी अभूतपूर्व क्रान्ति आई है। रेडियो, टी. वी. और फिल्मों में नित नई तकनीक का विकास हो रहा है। कम्प्यूटर ग्राफिक्स, एनीमिटिड पिक्चर्स ने फिल्मों को नया बाना पहनाया है। हॉलीवुड की फिल्में जिस चमत्कार को दिखाकर शिक्षित समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थीं, वही तकनीक आजकल हिन्दी फिल्मों में दिखायी पड़ने लगी है। डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल साउंड ने टी. वी. व फिल्मों को नई सजधज दी है।

दूसरी तरफ संगीत अथवा फिल्मों के लिए व्यक्ति को सिनेमाघर तक जाने की भी आवश्यकता नहीं रह गयी है। घर के पी. सी. या केबल टी. वी. पर मनचाहा संगीत व मनचाही फिल्म उपलब्ध है।

कन्वर्जेस की तकनीक से होम थियेटर अपने कम्प्यूटर पर ही उपलब्ध हो गया है।

महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण जो मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई जाती है तथा पैदा की जाती है (Deconstruction of significant events that media highlights and creates) –

1. जब मीडिया द्वारा बाल शोषण की घटनाओं पर से पर्दा उठाया जाता है तो बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। मीडिया द्वारा ही शोषण करने वाले लोगों को उजागर किया जाता है।
2. जहाँ पर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है वहाँ मीडिया द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। मीडिया के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। मीडिया के हस्तक्षेप का भय जब लोगों में होता है तो बच्चों के अधिकारों के उल्लघंन पर काफी रोक लगती है।

3. मीडिया द्वारा बच्चों तथा किशोरों के सन्दर्भ में समाज में एक प्रवृत्ति का निर्माण किया जाता है जिसका प्रभाव प्रोढ़ों पर भी पड़ता है कि उन्हें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
4. मीडिया बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा, बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए दबाव बनाता है और उसकी कमियों को लोगों के सामने उजागर करता है। यदि उन कानूनों में कोई खामियाँ होती है तो उन्हें दूर करने का संकेत भी देता है।
5. मीडिया की मदद से बालक तथा किशोर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्मुख होते हैं।
6. ऐसी बहुत सी संस्थाएँ है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है उन संस्थाओं के बारे में मीडिया द्वारा मदद की जाती है।
7. बच्चों के कल्याण के लिए सरकार तथा प्रशासन द्वारा अनेक कार्यक्रम तथा नीतियाँ बनाई जाती है। इन कार्यक्रमों तथा नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने में मीडिया की मुख्य भूमिका होती है।
8. समाज में अनेक स्थितियों व परिस्थितियाँ होती है जहाँ बच्चे आसानी से शोषण के शिकार हो सकते हैं। मीडिया माता-पिता को उन परिस्थितियों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIA SKILLED INDIA

LAXMI®

EXAM NOTES

बाल्यावस्था तथा विकास

[CHILDHOOD AND GROWING UP]

[Paper-1]

UNIT-II

2. ***Understanding Individual Difference***
   - *Concept of individual difference, Factors influencing individual difference, Educational implications of individual differences for teachers in organizing educational activities.*
   - *Dimensions of differences in psychological attributes-cognitive, interest, aptitude, creativity, personality and values.*
   - *Understanding individual from multiple intelligences perspective with a focus on Gardner's theory of multiple intelligences. Implications for teaching-learning*
   - *Understanding differences based on a range of cognitive abilities – learning difficulties, slow learners and dyslexics, intellectual deficiency, intellectual giftedness. Implications for catering to individual variations in view of 'difference' rather than 'deficit' perspective.*
   - *Methods and Ways to understand Children's and Adolescents' Behaviour: Gathering data about children from different contexts: naturalistic observations; interviews; reflective journals about children; anecdotal records and narratives*
   - *Meaning, characteristics and kinds of Play; Play and its functions: linkages with the physical, social, emotional, cognitive.*
   - *Games and group dynamics, rules of games and how children learn to negotiate differences and resolve conflict.*

–: प्रकाशक :–
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani ™
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

2

व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ
(Understanding Individual Difference)

व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय
[Concept of individual difference]

1. वैयक्तिक भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र, प्रकारों, कारणों तथा इनके शैक्षणिक महत्त्व की विवेचना कीजिये।

उत्तर–कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो या बौद्धिक क्षेत्र हो (सीखने की क्षमता हो), स्मृति का क्षेत्र हो या विचार करने की योग्यता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नाम दिया जाता है अर्थात् कहा जाता है।

वैयक्तिक विभिन्नताओं की परिभाषाएं *(Definitions of Individual Differences)*

जेम्स ड्रेवर के अनुसार, "औसत-समूह के मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक भेद कहते हैं।"

डॉ. अब्दुर राफ के अनुसार, "तकनीकी भाषा में व्यक्तिगत भेद मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नताएँ या विचलन (deviations) होते हैं जो व्यक्तियों में देखे जाते हैं और जो समूह की औसत से उनका विभेदीकरण करते हैं।"

वैयक्तिक भेदों या भिन्नता के कारण *(Causes of Individual Differences)*

सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत-विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, जिनके कुछ कारण भी होते हैं।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं–

1. आयु एवं बुद्धि का प्रभाव (Influence of Age and Intelligence)–आयु के आधार पर बालक का शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। परिणामतः आयु के अनुसार बुद्धि का भी विकास होता है और इसी कारण अंतर भी पाया जाता है।

2. शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव (Influence of Education and Economical Condition)–शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है तथा आर्थिक परिस्थिति भी वैयक्तिक भिन्नता का कारण बनती है। राजा एवं रंक में, धनवान एवं निर्धन में अंतर पाया जाता है।

3. लिंग या यौनगत भेद का प्रभाव (Influence of Sex Difference)–बालक एवं बालिका में यौनगत भेद के कारण विभिन्नता पाई जाती है। बालिका बालक की अपेक्षा शीघ्र परिपक्वावस्था को पा जाती है। उसका स्वभाव मृदु, नम्र होता है, जबकि बालक कठोर, साहसी, क्रोधी, लापरवाह होते हैं।

4. जाति, प्रजाति एवं देश का प्रभाव (Influence of Caste, Race and nation)–बालक जिस जाति, प्रजाति वर्ग, प्रांत, देश का होगा, उसके उसमें गुण होंगे और यही विभिन्नता के कारण माने जाते हैं।

5. वातावरण (Environment)–वातावरण का प्रभाव व्यक्तिगत भेदों पर पड़ता है। जिस वातावरण में विद्यार्थी रहता है, उसका प्रभाव विद्यार्थी पर अवश्य पड़ता है। वास्तव में बालक पर वातावरण का प्रभाव तो मां के गर्भ से ही पड़ना शुरू हो जाता है। गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे पर मां के संवेगों का, मां के भोजन का, मां की मानसिक स्थिति का प्रभाव बालक के विकास पर अवश्य पड़ता है। यदि मां के गर्भ के वातावरण का कोई भी पक्ष असंतुलित हो जाए तो इसका कुप्रभाव बच्चे के विकास पर अवश्य पड़ता है और उसमें कई प्रकार के दोष आने की संभावनाएँ हो जाती हैं। यहाँ तक कि बच्चे के मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से पिछड़ सकता है।

इसी प्रकार गर्भावस्था से ही कई प्रकार के व्यक्तिगत भेद उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जन्म लेने के पश्चात् बच्चे पर गर्भ से बाहर का वातावरण उसे प्रभावित करना शुरू कर देता है और उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएँ आनी शुरू हो जानी हैं। वातावरण से संबंधित निम्नलिखित कारक वैयक्तिक भिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं–

(i) पारिवारिक वातावरण–व्यक्तिगत भिन्नताओं पर परिवार के वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे शैशवावस्था में शिशु का पालन-पोषण जिस ढंग से होता है, उसके प्रभाव से व्यक्तिगत-विभिन्नताएँ पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण व शहरी बालक के व्यवहार में बहुत अंतर होता है।

(ii) निर्धनता–पारिवारिक निर्धनता के कारण माता-पिता अपने बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। हर बालक अपने अन्य साथियों के समान पहनने, खेलने, खाने-पीने, घूमने-फिरने आदि की सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है, परंतु गरीबी के कारण वह इन सबसे वंचित रह जाता है, जिससे उसमें हीनता आ जाती है तथा उसका व्यक्तित्व अमीर घर के बच्चे से भिन्न हो जाता है। निर्धन बालक के व्यवहार तथा अमीर बालक के स्वभाव में बहुत अंतर इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही होता है।

(iii) पक्षपात पूर्ण वातावरण–कई बार मां-बाप एक बालक पर अधिक ध्यान देते हैं, जिसके कारण दूसरा बालक एक ही घर में रहने के बावजूद बदला लेने की प्रवृत्ति वाला तथा ईर्ष्यालु बन जाता है।

(iv) अत्यधिक सुरक्षा–कई बार बालकों को माता-पिता अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें कोई भी काम नहीं करने देते, सारा काम स्वयं कर देते हैं, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व परावलम्बी बन जाता है।

(v) विद्यालय का वातावरण–कभी-कभी अध्यापक कक्षा में कुछ बालकों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, प्यार करते हैं, दूसरी ओर अन्य बालकों को डांटते-फटकारते हैं, जिसके कारण एक ही कक्षा में पढ़ने पर भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है।

किसी स्कूल में कठोर अनुशासन भरा वातावरण होता है, जबकि कुछ स्कूलों में वातावरण प्यार का होता है, कठोर अनुशासन का नहीं। इस तरह दोनों स्कूलों के बच्चों के व्यवहारों में अन्तर आ जाता है।

(vi) वंशानुक्रम का प्रभाव (Influence of Heredity)–विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम का प्रभाव है। बालक शारीरिक एवं मानसिक योग्यताएँ सामान्यतः वंश परंपरा से ही प्राप्त करता है। मानव पित्र्य सूत्र वंश परंपरा से प्राप्त करता है, यही व्यक्तिगत या वैयक्तिक भिन्नता के कारण माने जाते हैं।

(vii) अन्य कारण (Other Reasons)–वातावरण और वंशानुक्रम के अतिरिक्त अन्य भी कई कारण हैं, जो व्यक्तिगत भेदों को जन्म देते हैं, जैसे जाति, राष्ट्रीय प्रभाव, यौन भेद आदि। प्रत्येक राष्ट्र और जाति के लोगों की रुचियों, उनके दृष्टिकोणों और उनके विचारों की शैली में भारी अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि उनके खाने-पीने की आदतों में भी अंतर होता है।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्त्व
(Educational Implication of Individual Differences)

सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता अवश्य पाई जाती है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से कई प्रकार से भिन्न होता है, जैसे सीखना, स्मृति, योग्यता तथा उपलब्धियाँ आदि। एक अध्यापक के लिए इन विभिन्नताओं को जानना अति आवश्यक है, ताकि वह इन विभिन्नताओं को जानकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अपने छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाकर उनका भविष्य उज्ज्वल बना सके।

बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएँ निम्न प्रकार से हैं–

1. योग्यताओं में विभिन्नताएँ (Differences in Abilities)–प्रत्येक बालक के कार्य करने की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। ये योग्यताएँ शारीरिक *(Physical)* भी हो सकती हैं और मानसिक *(Mental)* भी। कई बालक शारीरिक रूप से इतने अयोग्य होते हैं कि वे कक्षा की औसत शिक्षा को ग्रहण कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जैसे आँख कमजोर होना, कम सुनाई देना तथा कमजोरी आदि ऐसी कुछ अयोग्यताएँ हैं। कई बालक मानसिक रूप से इतने अयोग्य होते हैं कि वे साधारण बुद्धि वाले बच्चों जितना कार्य भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर अधिक होता है, उनका साधारण कार्यों में मन लगाना और उन्हें करना सरल नहीं होता है।

2. अभिवृत्तियों में विभिन्नता (Difference in Attitudes)–बालकों की अभिवृत्तियों में भी विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएँ लिंग, आयु, वातावरण, रुचियों आदि से प्रभावित होती हैं। जैसे लड़कों की अभिवृत्ति गणित या तकनीकी क्षेत्रों में अधिक होती है। लड़कियों की अभिवृत्ति गृह विज्ञान, साहित्य आदि में होती है। इसके अतिरिक्त इन अभिवृत्तियों पर उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे–घर का वातावरण, समाज का वातावरण आदि।

3. उपलब्धियों में विभिन्नताएँ (Differences in Achievements)–प्रत्येक बालक की उपलब्धि दूसरे बालक से भिन्न होती है और यह उपलब्धि उसकी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यताओं तथा वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। एक ही कक्षा में या एक ही परिवार के अलग-अलग बच्चों की उपलब्धियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई बच्चों की गणित में उपलब्धि अधिक होती है, परंतु इतिहास व अंग्रेजी में कम हो सकती है।

इन सभी विभिन्नताओं की जानकारी को ध्यान में रखकर अध्यापक अपनी शैक्षिक रणनीति अर्थात् शैक्षिक प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रभावपूर्ण बनाकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है।

(i) व्यक्तिगत भेदों के कारण बच्चों का वर्गीकरण (Classification of children due to individual differences)–अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर उन्हें शिक्षा दें, ताकि शिक्षा उनके लिए सरल व उपयोगी सिद्ध हो सके। उदाहरण के लिए, उच्च बुद्धि, स्मृति और तर्क तथा कल्पना शक्ति वाले छात्रों को एक कक्षा में रखा जाए, मध्यम श्रेणी वाले छात्रों को एक अलग कक्षा में रखना चाहिए। यदि अध्यापक छात्रों का वर्गीकरण कर इस तरह से बालकों को शिक्षा देता है ते शिक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, उस शिक्षा की अपेक्षा जो विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को एक ही कक्षा में रखकर दी जाती है। कक्षा बनाने हेतु यह वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है, जैसे–

1. मानसिक योग्यताओं के आधार पर।
2. रुचियों के आधार पर।
3. लिंग भेद के आधार पर।
4. सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर।
5. शारीरिक दोषों के आधार पर।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(ii) कक्षा में छात्रों का सीमित संख्या में होना (Limited Number of Students in the Class)–वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में अध्यापक बालकों की संख्या अधिक से अधिक 25 रखे, क्योंकि कक्षा में छात्रों की संख्या कम होने से अध्यापक छात्रों को भलीभांति समझ व जान सकता है। जब एक अध्यापक का छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क और संबंध होता है तो वह अपने छात्रों से उनके सभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है।

(iii) शिक्षण-विधियाँ (Teaching Methods)–अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण-विधियों का प्रयोग करे। उदाहरण के लिए, मन्द-बुद्धि बालकों के लिए ऐसी शिक्षण-विधि अपनानी चाहिए, ताकि वह खेल-खेल में ही सीख सके। इसी तरह तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए रचनात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है।

(iv) पाठ्यक्रम (Curriculum)–जैसा हम जानते हैं कि एक ही कक्षा के बालक तथा बालिकाओं की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं में कुछ-न-कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। इन सबको सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देना गलत होता है। अतः पाठ्यक्रम बनाते समय अध्यापक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। एक ही कक्षा के बालकों को अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि सीखना विद्यार्थी को होता है, अध्यापक को नहीं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बालक को सीखना है अर्थात् शिक्षित करना है और उसी का सर्वांगीण विकास करना है। अतः सबसे महत्त्वपूर्ण बात बालक को 'जानना' और 'समझना' है। बालक की रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं के बारे में जानकर ही अध्यापक बालकों को उचित शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्ज्वल बना सकता है।

◆◆◆

मनोवैज्ञानिक भाव में भिन्नताओं के आयाम [Dimensions of Differences in Psychological Attributes]

संज्ञानात्मक अधिगम (Cognitive Learning)

2. ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिये।

अथवा

ज्ञानात्मक सीखना किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट करें।

अथवा

संज्ञानात्मक सीखना या ज्ञानात्मक सीखना से आपका क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों का वर्णन करें।

उत्तर–ज्ञानात्मक सीखना का अर्थ–ज्ञानात्मक सीखने का तात्पर्य ऐसी क्रियाओं के सीखने से है जिनमें चिन्तन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या का समाधान निहित है। **साधारण भाषा में** ज्ञानात्मक क्रियाएं ही बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ है–बालक के समझने की शक्ति, स्मृति, तर्कशक्ति तथा बुद्धि का विकास होना।

संज्ञानात्मक अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक (Factors Affecting Cognitive Learning)—संज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं–

(1) परिपक्वता (Maturation)–बालक के प्रत्ययों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से परिपक्वता से भी प्रभावित होता है। एक आयु-विशेष में सही और सामान्य प्रत्ययों के विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी मानसिक परिपक्वता आयु के अनुसार हो। यदि यह आयु के अनुसार नहीं है, तो बालक अपनी आयु के अनुसार उद्दीपकों के अर्थ को समझने में असमर्थ होगा।

(2) सीखने के अवसर तथा सामाजिक वातावरण (Learning Opportunities)–प्रत्ययों के विकास की मात्रा तथा प्रत्ययों के गुण, दोनों ही का उद्देश्य सीखने के लक्ष्य प्राप्त करना है। समस्या समाधान में तीन चरण होते हैं–

(क) छात्रों के सम्मुख समस्या इस प्रकार से रखी जाती है, जिससे उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो;
(ख) अनुमानित हल की खोज; तथा
(ग) मूल्यांकन तथा निष्कर्ष।

(3) ज्ञानात्मक सीखने पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of Environment on Cognitive Learning)–ज्ञानात्मक सीखने पर पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुकूल पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। माता-पिता तथा अध्यापकों को बालकों के उचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए।

विद्यालय में बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें उनको ऐसी समस्याओं को हल करने का अभ्यास हो, जो सूझ-बूझ और साहस की माँग करती हैं।

(4) ज्ञानेन्द्रियाँ (Sense Organs)–जब ज्ञानेन्द्रियां, दोषपूर्ण होती हैं, तब बालक को होने वाली संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोषपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए–यदि बालक को कम सुनाई पड़ता है तो सुनने से सम्बन्धित उसमें जो प्रत्यय विकसित होंगे वे त्रुटिपूर्ण होंगे।

(5) बौद्धिक-क्षमताएं (Intellectual Abilities)–बौद्धिक क्षमताओं में बालक की बुद्धि, तर्क, चिन्तन, कल्पना और स्मृति आदि योग्यताओं का विकास यदि सामान्य ढंग से हुआ है तो बालक अपने चारों ओर के वातावरण की चीजों के ज्ञान को सामान्य ढंग से अर्जित करेगा। यदि उसकी ये योग्यताएं सामान्य नहीं हैं, तो निश्चय ही बालक गलत प्रत्यक्षीकरण करेगा।

(6) तर्क करना (Reasoning)–तर्क एक उच्च स्तर की एक ज्ञानात्मक क्रिया है, जो विचारों को सम्बन्धित एवं व्यवस्थित रूप देकर निष्कर्ष तक पहुँचाती है। इसमें कुछ नियमों और सिद्धान्तों के आधार पर दी गई सामग्री का विश्लेषण तथा विवेचन करके कुछ परिणाम निकाले जाते हैं या किसी समस्या का निराकरण या समाधान किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि बच्चे में तार्किक क्षमता उचित रूप में विकसित होने पर उसकी संज्ञानात्मक समझ तथा क्षमता भी बढ़ती है।

(7) चिन्तन (Thinking)–चिन्तन एक ज्ञानात्मक क्रिया है, जो प्रत्यक्षीकरण और स्मृति-दोनों पर ही निर्भर करती है। प्रत्यय और सिद्धान्त हमारे चिन्तन का संचालन करते हैं। चिन्तन में वस्तुओं का विश्लेषण होता है तथा चिन्तन निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है।

गहरे चिन्तन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मस्तिष्क के अन्दर इन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनके विषय में हम चिन्तन कर रहे हैं, स्पष्ट प्रत्यय हों, प्रत्यक्ष विचारधाराएं हों और हमें प्रयोग में आने वाले शब्दों की भाषा ज्ञात हो। पूर्ण और सही प्रत्यय के बिना चिन्तन संभव नहीं होता है।

वंशानुक्रम (Heredity)–किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक सीखना बहुत सीमा तक उसके वंशानुक्रम या वंश-परम्परा पर भी निर्भर करता है। यदि बच्चे के माता-पिता या सगे-सम्बन्धी मानसिक रूप से बहुत अधिक विकसित हैं तो इसका कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे पर भी पड़ता है।

◆◆◆

CIMETRIX

सृजनात्मकता (Creativity)

3. सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएँ बताएं।
(What is creativity? Explain the characteristics of creative children.)

अथवा

सृजनशील बच्चे की सामान्य विशेषताएं लिखें।
(Write general characteristics of a creative child.)

उत्तर–विद्यालय में सृजनशीलतार के अध्ययन और विकास के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए **टोरन्स** (Torrance) ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं–

(i) बच्चों में सृजनशीलता का अध्ययन उनके व्यक्तित्त्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि बालकों में सृजनशीलता का दमन किया जाए तो उसके व्यक्तित्त्व का विकास ही नहीं रुक जाएगा, बल्कि उनका व्यक्तित्त्व ही छिन्न-भिन्न हो जाएगा।

(ii) सृजनात्मक चिन्तन नई-नई जानकारियों में बहुत योगदान देता है।

(iii) सृजनात्मक चिन्तन व्यावसायिक उन्नति के लिए ज्ञान के प्रयोग में अपनी भूमिका निभाता है।

(iv) किसी भी देश का भविष्य उस देश में सृजनशील व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है।

अब प्रश्न उठता है कि यह सृजनात्मकता है क्या चीज? 'Create' का शाब्दिक अर्थ है–सृजन करना, उत्पन्न करना आदि। 'Creativity' से अर्थ है, विचारों और वस्तुओं में नए संबंध देखना। कुछ विद्वानों ने सृजनात्मकता की परिभाषाएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो निम्नलिखित हैं–

ड्रेवडाहल (According to Drevdhal) के अनुसार, **"सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है, जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है।"**

(Creativity is the ability of individual by which he creates something new and presents novel ideas.)

स्किनर (According to Skinner) के अनुसार, **"सृजनात्मकता से अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियां नई, मौलिक तथा असाधारण होती हैं। सृजनशील व्यक्ति वह है, जो नए क्षेत्रों की खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणियां करता है तथा नए निष्कर्ष निकालता है।"**

(Creativity thinking means that the predictions for the individual are new, original and unusual. The creative thinker is one who explores new areas and makes new observations, new predictions, new in ferences.)

स्टेगनर एवं कावोस्की (According to Stagner and Karwoski) के अनुसार, **"किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है।"**

(Creativity implies the production of the totally or partially novel identity.)

सृजनशील बालकों की विशेषताएं
(Characteristics of Creative Children)

मास्लो (Maslow) के अनुसार सृजनशील बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं–

(i) सृजनशील बालकों में विरोध को सहने की अधिक क्षमता होती है।

(ii) सृजनशील बालक एक स्वच्छ एवं आत्मसिद्धि (Self actualization) करने वाला होता है।

(iii) सृजनशील बालक अज्ञान एवं अस्पष्ट वस्तुओं और विचारों से भय नहीं खाते।

(iv) सृजनशील बालक तत्क्षण कार्य करने में सक्षम होते हैं।

(v) उनके विचारों में एक प्रकार का प्रवाह रहता है, जो बिना किसी प्रयास के स्वयं ही चलता रहता है।

(vi) सृजनशील बालक भोले होते हैं और फरेब तथा मक्कारी से दूर रहते हैं।

मैकिंनन (Mackinnon) ने सृजनशील बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई हैं–

(i) सृजनशील बालक बुद्धिमान होते हैं।

(ii) इसके विचार एवं आचार स्वतंत्र होते हैं।

(iii) इनके विचार मौलिक होते हैं।

(iv) सृजनशील बालकों में अन्तर्दृष्टि की शक्ति अधिक होती है।

(v) वे गतिविधियों को जकड़ने वाले अवरोध से मुक्त होते हैं।

(vi) उनमें उच्च स्तर की कार्यशक्ति अधिक होती है।

(vii) उनमें सृजनात्मक प्रयासों पर आग्रहपूर्वक अटल रहने की शक्ति होती है।

टोरेन्स (Torrance) ने सृजनात्मक बालकों में निम्नलिखित गुणों पर अधिक बल दिया है–

(i) सृजनशील हास्यापद विचारों वाले बालक होते हैं।

(ii) उनके द्वारा किए गए कार्य एवं उत्पादन मौलिक (Original) होते हैं।

(iii) उनके द्वारा किए गए कार्य अनम्यता (Rigidity) एवं आरामतलबी (Relaxiation) से मुक्त होते हैं।

सृजनात्मकता की प्रक्रिया
(The Process of Creativity)

सृजनात्मक क्रिया निम्नलिखित चार अवस्थाओं में से गुजरती है–

1. तैयारी (Preparation)–इस अवस्था में समस्या पर गंभीरता से कार्य आरम्भ किया जाता है। मानसिक स्तर पर समस्या को समझा जाता है और विभिन्न परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं और एकत्रित की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर लेखक किताब लिखने के लिए उससे सम्बन्धित सारी सामग्री इकट्ठी करता है।

2. उद्भवन (Incubation)–इस अवस्था में एकत्रित की गई सामग्री मन के अर्द्धचेतन स्तर पर घूमती है और समस्या को हल (Solve) करने की क्रिया चलती रहती है। इस अवस्था में बाह्य क्रिया बन्द हो जाती है। इस अवस्था में हम विश्राम भी कर सकते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान की दिशा मिल जाती है। समस्या के समाधान से सम्बन्धित विचार अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करते रहते हैं।

3. प्रकाश (Illumination)–इस अवस्था में चिन्तक अचानक समस्या के समाधान अनुभव करता है। समस्या का समाधान चेतन मन पर अचानक प्रकाशमय होता है। कभी-कभी तो चिन्तक स्वप्न में ही समाधान का रास्ता देख लेता है।

4. पड़ताल (Verification)–इस अवस्था में समस्या के प्राप्त समाधान की जांच-पड़ताल की जाती है और अन्य स्थितियों में लागू किया जाता है। यदि समाधान ठीक नहीं है तो दोबारा समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं।

उपरोक्त चारों अवस्थाओं की सहायता से कोई सृजनात्मक कार्य सम्भव होता है।

सृजनशील बालकों की पहचान
(Identification of Creative Children)

सृजनशील बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है–

1. व्यवहारगत निरीक्षण सृजनशील बालकों से व्यवहार का निरन्तर निरीक्षण करके उनमें सृजनात्मकता के बारे में जाना जा सकता है।

टोरेन्स ने सृजनशील बालकों की पहचान के लिए उनके व्यवहार में निम्नलिखित योग्यताओं की ओर देखने के लिए संकेत किया है–

(i) मौलिकता (ii) स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(iii) हास्य-विनोद में रुचि एवं प्रेम। (iv) स्वायत्तता।
(v) जिज्ञासा (vi) संवेदनशीलता अथवा जागरूकता।

2. सृजनात्मक परीक्षणों का प्रयोग–परीक्षण पद्धति अथवा विधि का उपयोग की सृजनशीलता की पहचान के लिए किया जा सकता है। सृजनशीलता के परीक्षणों में निम्नलिखित परीक्षण अधिक प्रचलित हैं–

(i) टोरेन्स का सृजनात्मक परीक्षण (Torrance Test of Creativity)
(ii) बकार महेदी सृजनात्मक परीक्षण (Baquer Mehdi Test of Creative Thinking)
(iii) पासी सृजनात्मकता परीक्षण (Passi Test of Creativity)
(iv) गेटजेल्स और जैक्सन (Gatejels and Jackson) ने अपने अनुसंधानों में सृजनशीलता का माप करने के लिए निम्नलिखित पांच प्रकार की परीक्षणों का उपयोग किया है–
   (अ) **शब्द साहचर्य परीक्षण (Word association Test)**–इनमें बालकों को शब्दों की अधिक से अधिक परिभाषाएं देने के लिए कहा जाता है।
   (आ) **वस्तु उपयोग परीक्षण (Use of things test)**–बालकों से सामान्य वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग बताने को कहा जाता है।
   (इ) **परोक्ष आकार परीक्षण (Hidden shape test)**–एक कार्ड पर बने साधारण चित्र के आकार से छात्रों को अधिक जटिल चित्र या आकार बनाने के लिए कहा जाता है।
   (ई) **तीन विभिन्न अन्त परीक्षण (Three different ending test)**–इसमें बालकों से एक अधूरी लघु कथा को इस प्रकार पूरा करने के लिए कहा जाता है कि वह कहानी सुखान्त, दुखान्त एवं व्यंगान्त हो जाए।

3. समस्या निर्मित परीक्षण (Make up problem test)–इसमें एक जटिल अनुच्छेद में दी गई जानकारियों के आधार पर बालकों से जितनी अधिक संख्या में गणितीय समस्याएं वे बना सकते हैं बनाने के लिए कहा जाता है।

◆◆◆

रुचि (Interest)

4. रुचि क्या है? रुचि तथा ध्यान किस प्रकार सम्बन्धित है? रुचि का मापन किस प्रकार किया जाता है?
(What is Interest? How is interest related with attention? How are interests measured?)

उत्तर–रुचि का प्रत्यय (Concept of Interest)–हर व्यक्ति की कोई न कोई रुचि अवश्य होती हैं। इन्हीं रुचियों के कारण वह किसी वस्तु, क्रिया आदि को पसंद करता है या उसे अधिमान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो रुचि को ही केन्द्रीय बिन्दु माना गया है। हर व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक मामलों के प्रति विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। हर व्यक्ति के अपने-अपने जीवन के उद्देश्य होते हैं। ये रुचियाँ कभी भी जन्मजात नहीं होतीं। जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसकी रुचियों का विकास होता है।

रुचियाँ, दृष्टिकोण और चरित्र जन्मजात नहीं होते, बल्कि व्यक्ति उन्हें अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित करता हैं इस प्रक्रिया में, परिपक्वता और अधिगम सक्रिय होते हैं। रुचियाँ आयु के साथ-साथ बदलती रहती हैं। छोटे बच्चों में ये रुचियाँ बड़ी तीव्रता से बदलती हैं। लेकिन बाद में ये रुचियाँ स्थिर हो जाती हैं। लेकिन ये रुचियाँ होती क्या हैं? रुचियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने से पहले इसका अर्थ समझना अति आवश्यक है।

रुचि का अर्थ (Meaning of 'Interest')–किसी भी व्यक्ति के निरन्तर व्यवहार के लिये उसकी रुचियाँ ही उत्तरदायी होती हैं। रुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है, जो एकाग्र प्रयास को पैदा करती है, स्थिर रखती है तथा उसे नियमित बनाती है। (Interest is a motivating force that arouses,, sustains and regulates concentrated efforts.)

मैक्डूगल (McDugall) के अनुसार, **'रुचि एक व्यक्ति का स्थिर गुण है।'**
(Interest is a stable quality of a person.)

साहरी और टैलफोर्ड (Sawhery and Telford) के अनुसार, **"रुचि पदार्थ के प्रति अनुकूल व्यवहार है।"** (Interest is favourable attitude towards objects.)

लातीनी भाषा में 'रुचि' के अंग्रेजी अनुवाद 'इन्ट्रेस्ट' (Interest) का अर्थ 'सम्बन्ध होना' या 'सरोकार' होना है। अतः रुचि का अर्थ है कि किसी वस्तु से सम्बन्ध का होना या सरोकार होना।

'रुचि' की विशेषताएँ (Characteristics of an Interest)–सभी रुचियों की कुछ विशेषताएँ होती हैं जो कि उपरोक्त परिभाषाओं के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(i) रुचियाँ जन्मजात (Inborn) भी हो सकती हैं तथा इन्हें अर्जित (Aquired) भी किया जा सकता है।
(ii) रुचियों का सम्बन्ध वर्तमान से होता है।
(iii) रुचियाँ संवेगात्मक अभिवृत्तियाँ (Emotional Attitudes) होती हैं।
(iv) रुचियाँ भी प्रवृत्तियाँ (Instincts) ही हैं।
(v) अधिगम और रुचि में गहरा सम्बन्ध होता है।
(vi) रुचि स्थायी नहीं होती। प्रौढावस्था में पहुँचते-पहुँचते इन रुचियों में व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं तथा कुछ रुचियाँ आयु के साथ-साथ लुप्त हो जाती हैं।
(vii) रुचियाँ अवसरों और सामाजिक-मूल्यांकन का परिणाम हैं।
(viii) सुपर के अनुसार रुचियाँ वंशानुक्रमित अभिरुचियों तथा नालिका-विहिन कारकों में (Endocrine Factors) अन्तः क्रिया का परिणाम हैं।
(ix) रुचि और ध्यान को अलग करना असंभव है।
(x) रुचि गुप्त ध्यान है तथा ध्यान रुचि का सक्रिय रूप है। (Interest is latent attention, attention is interest in action.)
(xi) रुचियाँ हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं।
(xii) रुचि के अनुसार कार्य करने से अधिगम प्रक्रिया (Learning process) में आने वाली अनेक बाधाएँ स्वयं ही दूर हो जाती हैं।
(xiii) रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है, जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक व्यवहार की ओर प्रोत्साहित करती है।
(xiv) किसी वस्तु में रुचि होने के कारण हम उस वस्तु की उसी दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं और उसे अर्थ प्रदान करते हैं।
(xv) 'रुचि' हमें संतोष देती है। ऐसा तभी होता है जब हम रुचि के अनुसार कोई कार्य करतेहैं।
(xvi) वातावरण तथा वंशानुक्रम सम्बन्धी कारक रुचि को रूप देते हैं।
(xvii) रुचि तथा व्यवहार का गहरा सम्बन्ध है।
(xviii) रुचियों के विकास में लैंगिक भिन्नता (Sex Differences) होती है।
(xix) व्यक्ति की बुद्धि उसकी रुचियों को प्रभावित करती है।
(xx) संस्कृति रुचियों को प्रभावित करती है

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

बच्चों में रुचि उत्पन्न करना या रुचियों का शैक्षिक महत्त्व
(To Create Interest in Children or Their Educational Implications)

प्रभावशाली शिक्षण के लिए बच्चों या विद्यार्थियों में रुचियों का विकास करना अति आवश्यक है। इससे कक्षा-कक्ष की कई शैक्षिक समस्याओं का हल स्वयं ही मिल जाएगा। बच्चों में या विद्यार्थियों में रुचियां उत्पन्न करने में या इन्हें उपयुक्त स्वरूप प्रदान करने में अध्यापक की या स्कूल की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न सुझावों का माता-पिता, अध्यापक और अन्य लोगों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है।

(i) उचित उद्देश्य का निर्धारण (Determination of Proper Objectives)–कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने के लिए उचित उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है, बल्कि उन उद्देश्यों की उपयोगिता से विद्यार्थियों को परिचित कराना भी अति आवश्यक है, तभी उन उद्देश्यों के अर्जित करने में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न होगी। कक्षा में किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को अवश्य होना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने ध्यान को केन्द्रित कर सकें। अतः कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अध्यापक या प्रशिक्षक के लिए यह अति आवश्यक होता है कि वह सबसे पहले उद्देश्यों को स्पष्ट करे। इन उद्देश्यों को विद्यार्थियों के सम्मुख स्पष्ट करना चाहिए।

(ii) उचित शिक्षण विधियों का चयन (Selection of Proper Teaching Methods)–शिक्षण-कार्य को तथा अधिगम को रुचिकर बनने के लिए उचित शिक्षण विधियों का चयन अति आवश्यक होता है। शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले उचित शिक्षण विधियों का चयन कर लेना चाहिए। ये शिक्षण विधियाँ बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। सभी शिक्षण विधियां सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती। अतः विषय की प्रकृति और बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए।

(iii) सहायक सामग्री का प्रयोग (Use of Audio-Visual Aids)–कक्षा में शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए तथा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित एवं आकर्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मॉडल, चार्ट, नक्शे, टी.वी., फिल्में इत्यादि।

(iv) अध्यापक का व्यक्तित्व (Teacher's Personality)–किसी व्यक्ति में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्वयं अध्यापक का अपना व्यक्तित्व भी महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। उसका कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यवहार रुचिकर होना चाहिए। कक्षा में अध्यापक पूरी तैयारी के साथ प्रवेश करे तथा उसकी आवाज स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण भी प्रभावशाली हो। अध्यापक को चुस्त तथा परिश्रमी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापक को हंसी-मजाक करना भी आना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण तथा लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक को अपना पाठ दैनिक जीवन के साथ सम्बद्ध करना चाहिए।

(v) समय सारणी (Time Table)–कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान कई प्रकार के कारक अधिगम प्रक्रिया को खराब करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनमें थकान का कारण प्रमुख होता है। थकान के कारण विद्यार्थी का ध्यान केन्द्रित नहीं रहता। इस प्रकार इन कारकों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अध्यापक स्कूल में समय-सारणी (Time Table) का प्रयोग करता है। समय सारणी में स्कूल समय को विभिन्न कालांशों (Periods) में बांटा जाता है तथा प्रत्येक कालांश में पढ़ाये जाने वाले विषय निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस समय विभाजन और विषय को निर्धारित करते समय' बच्चों की शारीरिक अवस्था, आयु तथा मौसम आदि को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। एक ही विषय की कई कालांशों में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार सरल तथा कठिन विषय और पाठों का समय विभाजन एक-दूसरे के बाद लाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की मानसिक थकान को कम किया जा सकता है। समय-सारणी में विद्यार्थियों के लिए खाली पीरियड की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(vi) अधिगम-अनुभवों के उचित चयन (Proper selection of Learning Experiences)–कक्षा-कक्ष में जिस विषय-वस्तु को अध्यापक प्रस्तुत करने के लिए चुनता है, वह सुव्यवस्थित होनी चाहिए। तभी विद्यार्थी उसमें अपनी रुचि का प्रदर्शन करेंगे। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखे तथा पढ़ाये जाने वाले पाठ की विषय-वस्तु का चयन करें तथा उसे ठीक ढंग से प्रस्तुत करें।

(vii) उचित वातावरण की व्यवस्था (Arrangement of Proper Environment)–हर कार्य के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। कक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्कूल तथा कक्षा में सीखने के लिए उचित वातावरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः स्कूल तथा कक्षा में उचित वातावरण के निर्माण की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके लिए कक्षा में आरामदायक तथा आकर्षक फर्नीचर की व्यवस्था, हवा तथा रोशनी का प्रबन्ध, उपयुक्त समय-सारणी का निर्माण, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की उचित मानसिक स्थिति का होना परम आवश्यक है।

(viii) विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग (Exploitation of Various Instincs)–बच्चों की रुचियां उनकी मूल-प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में शिक्षण कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करे तथा इसमें वह उनकी मूल-प्रवृत्तियों की सहायता ले, जैसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति का प्रयोग, आत्म सम्मान का प्रयोग आदि।

(ix) नये ज्ञान को पुराने से सम्बद्ध करना (Relating new knowledge to old)–बच्चों की रुचि बनाये रखने के लिए नये ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बद्ध करना आवश्यक है। जब बच्चा नये और पूर्व अर्जित ज्ञान में कुछ सम्बन्ध देख लेते है तो उनमें उस अर्जित किए जाने वाले ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है।

(x) विविधता और नवीनता (Variety and Novelty)–अध्यापक पाठक को उकताने (Boring) वाला न बनने दे। उसे एक ही बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए। उसके पाठों में विविधता और नवीनता होनी आवश्यक है।

◆◆◆

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अभिरुचि
(Aptitude)

5. अभिरुचि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? अभिरुचियों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? छात्रों की अभिरुचि मापन की विभिन्न विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
(What do you understand by aptitude test? What are the various types of aptitudes? Discuss in detail the different methods of measuring the aptitude.)

उत्तर–हमने प्रायः अध्यापकों को ऐसा कहते हुए सुना है कि यह व्यक्ति तो जन्मजात कलाकार है, सोहन गणित में विशेष योग्यता रखता है, मोहन एक अच्छा वक्ता है। इस प्रकार के कथन व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं से परिचय कराते हैं। इन योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों का विशेष क्षेत्रों में रुझान ढूंढ़ा जाता है। इन्हीं प्राकृतिक रुझानों या योग्यताओं को ही अभिरुचि या अभियोग्यता (Aptitude) कह दिया जाता है। बुद्धि के अतिरिक्त अभिरुचि व्यक्ति का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है, जो किसी पाठ्यक्रम अथवा व्यवसाय में सफलता की भविष्यवाणी कर सकता है। 'अभिरुचि' का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षणों का विकास किया गया है जिनका प्रयोग एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में करता है। अतः कई प्रकार के अनुसंधान विषयों में अभिरुचि परीक्षणों (Aptitude Tests) को अनुसंधान यंत्रों (Research Tools) के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। अतः प्रत्येक शैक्षिक अनुसंधानकर्ता को 'अभिरुचि' तथा अभिरुचि परीक्षणों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए।

अभिरुचि का अर्थ
(Meaning of Aptitude)

वैरन (Warren) के अनुसार, **"अभिरुचि वह दशा या गुणों का वह रूप है, जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करता है, जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं के साथ सीखता है, जैसे भाषा बोलने या संगीतोत्पादन की योग्यता है।"**

(An aptitude is a condition or set of characteristics regarded as symptomatic of an individual's ability to acquire with training some knowledge, skill, or set or responses such as the ability to speak a language, to produce music etc.)

ट्रैक्सलर (Traxler) के अनुसार, **"अभिरुचि वह वर्तमान दशा है, जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है।"**

(Aptitude is a present condition which is indicative of an individual's potentialities for the future.)

अभिरुचि की प्रकृति
(Nature of Aptitude)

अभिरुचि की प्रकृति को समझाने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ेगा–

(a) क्या अभिरुचि जन्मजात है या अर्जित हुई (Whether Aptitude is Inborn or Acquired)–बीसवीं सदी के प्रारंभ तक तो वैज्ञानिक यही मानते रहे हैं कि अभिरुचि आनुवंशिक (Hereditary) ही है। परंतु हाल ही के अनुसंधानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभिरुचि के विकास में वंशानुक्रम के साथ-साथ वातावरण या परिस्थितियों का योगदान भी रहता है।

(b) क्या अभिरुचियां परिवर्तनशील हैं या स्थिर हैं (Whether Aptitudes are Changeble or Stable)–इस संबंध में अनुसंधान का अभाव है। परंतु यह माना जाने लगा है कि कुछ सीमा तक इन्हें प्रभावित किया जा सकता है।

अभिरुचियों का मापन
(Measurement of Aptitudes)

अभिरुचि मापन के लिए भी अभिरुचि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। **हल (Hull)** ने अभिरुचि परीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है–**"एक अभिरुचि परीक्षण द्वारा इस बात की खोज की जाती है कि किसी व्यक्ति में एक विशेष व्यवसाय सीखने अथवा एक विशेष कौशल को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है।"**

(An aptitude test is a test designed to discover what potentialities a given person has for learning some particular vocation or acquiring some particular skill.)

बिंघम और फ्रीमैन (Bingham and Freeman) के अनुसार, **"अभिरुचि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो कुछ मात्रा में सफलता की भविष्यवाणी करते हों।"**

(Aptitude tests are tests that will predict success to some degree.)

अभिरुचि परीक्षणों के प्रकार
(Types of Aptitude Tests)

विभिन्न अभिरुचि परीक्षणों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है–

1. सामान्य अभिरुचि परीक्षण बैटरी (General Aptitude Test Battery)
2. विभेद अभिरुचि परीक्षण (Differential Aptitude Tests)
3. विशेष अभिरुचि परीक्षण (Special Aptitude Tests)

1. सामान्य अभिरुचि परीक्षण बैटरी (General Aptitude Test Battery)–अभिरुचि परीक्षणों की यह बैटरी अमेरिका में विकसित हुई है तथा इसमें सामान्य अभिरुचियों का परीक्षण किया जाता है। इसका विकास रोजगार के लिए चयन हेतु किया गया है। यह बैटरी 12 परीक्षणों (Tests) की बनी है और यह उन 9 अभिरुचियों का मापन करती है, जो विभिन्न व्यवसायों में सफलता के लिए आवश्यक हैं। इस बैटरी में निम्नलिखित परीक्षण शामिल हैं–

(i) नाम विभेदीकरण (Name comparison)
(ii) गणना (Computation)
(iii) त्रिपक्षीय स्थान (Three Dimensional Space)
(iv) शब्दावली (Glossary)
(v) यन्त्र मैचिंग (Tool Matching)
(vi) गणित तर्क (Arithmatic Reasoning)
(vii) फार्म मैचिंग (Form Matching)
(viii) चिह्न बनाना (Mark Making)
(ix) स्थान (Place)
(x) बारी (Turn)
(xi) एकत्रित करना (Assemble)
(xii) विसर्जन (Disassemble)

सामान्य अभिरुचि परीक्षण बैटरी (GATB) में निम्नलिखित कारक (Factors) सम्मिलित किए गए हैं–

(i) बुद्धि (G)
(ii) शाब्दिक अभिरुचि (Verbal Aptitude)
(iii) संख्यात्मक अभिरुचि (Numerical Aptitude i.e. N)
(iv) स्थानात्मक अभिरुचि (Spatial Aptitude i.e. S)
(v) फार्म प्रत्यक्षीकरण (Form Perception i.e. P)
(vi) कलैरिकल प्रत्यक्षीकरण (Clerical Perception i.e. Q)
(vii) गति समन्वय (Motor Coordination i.e., K)
(viii) अंगुली निपुणता (Finger Dexterity i.e. F)
(ix) माननीय निपुणता (Manual Dexterity i.e. M)

बैटरी की सीमाएं *(Limitations of the Battery)*

(i) परीक्षण की गति बहुत अधिक होती है।
(ii) इस बैटरी द्वारा सभी अभिरुचियों का परीक्षण नहीं हो सकता। इस बैटरी में मैकेनिकल बोध (Mechanical Comprehension) के मापन के लिए कोई परीक्षण नहीं है।

2. विभेद अभिरुचि परीक्षण (Differential Aptitude Test Battery)–इस बैटरी का विकास **बैनेट (Benett), सीशोर (Seashore)** तथा **बैसमैन (Wasman)** ने किया था। इसे शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्श के लिए हाई स्कूल स्तर पर उपयोग किया गया है। इसको कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इस बैटरी में 8 परीक्षण तथा 7 पुस्तिकाएं हैं। सब परीक्षण फार्म A तथा फार्म B में उपलब्ध हैं। इस बैटरी में निम्नलिखित परीक्षण हैं–

(i) शाब्दिक तर्क परीक्षा (Verbal Reasoning)
(ii) संख्यात्मक योग्यता परीक्षण (Numerical Ability Test)
(iii) अमूर्त तर्क परीक्षण (Abstract Reasoning Test)
(iv) स्थान सम्बन्धी परीक्षण (Space Aptitude Test)
(v) यान्त्रिक तर्क परीक्षण (Mechanical Reasoning Test)

(vi) लिपिकीय गति एवं शुद्धता परीक्षण (Clerical Speed and Accuracy Test)
(vii) भाषा प्रयोग परीक्षण प्रथम (Language usage Test I - Spelling)
(viii) भाषा प्रयोग परीक्षण द्वितीय (Language Usage II - Sentences)

प्रत्येक परीक्षण का समय 25 से 35 मिनट तक का है। डी.टी.ए. का भारतीय संस्करण भी उपलब्ध है।

3. विशेष अभिरुचि परीक्षण (Special Aptitude Tests)—विशेष अभिरुचि परीक्षणों में विभिन्न अभिरुचियों का मापन किया जाता है। ये अभिरुचियां (Aptitudes) परीक्षण निम्नलिखित हैं—

(a) यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण (Mechanical Aptitude Test)
(b) लिपिक अभिरुचि परीक्षण (Clerical Aptitude Test)
(c) चिकित्सा सम्बन्धी अभिरुचि परीक्षण (Medical Aptitude Test)
(d) वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण (Scientific Aptitude Test)
(e) तकनीकी अभिरुचि परीक्षण (Technical Aptitude Test)
(f) कला अभिरुचि परीक्षण (Art Aptitude Test)
(g) मिलिट्री कैरियर अभिरुचि परीक्षण (Military Career Aptitude Test)
(h) संगीत अभिरुचि परीक्षण (Musical Aptitude Test)
(i) साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण (Literacy Aptitude Test)
(j) शिक्षण अभिरुचि परीक्षण (Teaching Aptitude Test)

(a) यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण (Mechanical Aptitude Test)—यान्त्रिक अभिरुचि एकाकी विशेषक (Unitary Trait) नहीं होती। यह कई विशेषकों (Traits) का समूह (Combination) होता है। यांत्रिक योग्यता (Mechanical Ability) ठोस वस्तुओं को व्यवस्थित करने की योग्यता है। जैसे यंत्र इत्यादि। (Mechanical ability is an ability involved in manipulation of concrete objects, such as tools, and in dealing mentally with mechanical movements).

इस प्रकार की योग्यता को मापने के लिए निम्न परीक्षणों का विकास हुआ है—

(i) **मिनीसोटा मैकेनिकल योग परीक्षण (Minnesota Mechanical Assembly Test)**—इस परीक्षण में व्यक्ति एक मशीन के पुर्जे जोड़ता है।

(ii) **मिनीसोटा कागज रूप परीक्षण (Minnesota Paper Form Test)**—यह परीक्षण कागज, पैंसिल परीक्षा कहलाती है। यह परीक्षा अवलोकन योग्यता तथा पदार्थों के बनाने की योग्यता में बहुत उपयुक्त होती है।

(iii) **मैकेनिकल अभिरुचि परीक्षा बैटरी (Sharma's Mechanical Aptitude Test Battery)**—यह बैटरी 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की अभिरुचि को मापती है। इस परीक्षण की पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं।

(b) लिपिक अभिरुचि परीक्षण (Clerical Aptitude Test)—लिपिक अभिरुचि परीक्षण निम्नलिखित होते हैं—

(i) **मिनीसोटा लिपिक अभिरुचि परीक्षण (Minnesota Clerical Aptitude Test)**—यह परीक्षण एन्ड्रयू (Andrew) द्वारा विकसित किया गया था। इसे उद्योग तथा निर्देशन में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके दो उपपरीक्षण हैं—

(ii) **सामान्य लिपिक अभिरुचि परीक्षण (General Clerical Aptitude Test)**
(iii) क्लर्की अभिरुचि परिक्षण A तथा B (General Clerical Aptitude Test A and B)

(c) चिकित्सा अभिरुचि परीक्षण (Medical Aptitude Test)—इस क्षेत्र में परीक्षण के लिए निम्नलिखित योग्यताएं शामिल हैं—

(i) सामान्य शैक्षिक योग्यता (General Scholastic Study)
(ii) विज्ञान विषयों में योग्यता (Ability in the Sciences)
(iii) रुचि (Interest)
(iv) बुद्धि (Intelligence)

चिकित्सा अभिरुचि परीक्षण निम्नलिखित हैं—

(i) अमेरिकन मेडिकल विद्यालयों की समिति द्वारा मेडिकल स्कूलों के लिए परीक्षण (The Association of American Medical Colleges Scholastic Aptitude Test for Medical School)

(ii) मेडिकल अभिरुचि परीक्षण, शस्त्र सैनिक मेडिकल महाविद्यालय, पूना (Medical Aptitude Test, Armed Forces Medical College Poona)

यह परीक्षण मेडिकल कालेज पूना में प्रवेश पाने वालों के लिए बनाया गया है।

(d) वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण (Scientific Aptitude Test)—

(i) **राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसन्धान परीक्षण परिषद् नई दिल्ली (National Council of Educational Research and Training)**—इस परिषद् द्वारा निर्मित परीक्षण प्रति वर्ष वैज्ञानिक अभिरुचि को मापने के लिए दिया जाता है। यह परीक्षण दो भागों में है। पहले भाग में 10 प्रश्न हैं। दूसरे भाग में 100 प्रश्न हैं।

(ii) **वैज्ञानिक ज्ञान और अभिरुचि परीक्षण (Scientific knowledge and Aptitude Test)**—यह परीक्षण एस. चटर्जी तथा एम. मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया है।

(e) तकनीकी अभिरुचि परीक्षण (Technical Aptitude Test)—इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाईडेंस, महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किया गया स्कोलैस्टिक अभिरुचि परीक्षण (Scholastic Aptitude Test) है।

(f) वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण (Scientific Aptitude Test)—जैसे N.I. E द्वारा तैयार किया गया Science Aptitude Test, 1964.

इसी प्रकार, A.K.P. Sinha तथा L.N.K. Sinha द्वारा तैयार किया गया परीक्षण।

इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों के मापन के लिए विभिन्न परीक्षणों का विकास किया गया है। अनुसंधान कार्य में इन परीक्षणों का प्रयोग करके सार्थक परिणाम निकाले जा सकते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

व्यक्तित्त्व (Personality)

6. 'व्यक्तित्त्व' को परिभाषित करें। व्यक्तित्त्व की विशेषताएं क्या हैं?
(Define Personality. What are the characteristics of Personality?)

उत्तर—शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा व्यवहार व्यक्तित्त्व की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्त्व प्रकट होगा। प्रत्येक समाज तथा स्कूल बच्चों के व्यक्तित्त्व के विकास में रुचि लेता है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भी बच्चों के व्यक्तित्त्व का विकास करना ही होता है।

दैनिक जीवन में हम 'व्यक्तित्त्व' शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। लेकिन 'व्यक्तित्त्व' शब्द का अर्थ नहीं बता पाते। वैसे भी व्यक्तित्त्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिये इस शब्द की व्याख्या करना अति आवश्यक है। अतः सबसे पहले 'व्यक्तित्त्व' शब्द का अर्थ समझा जाए।

अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning and Definitions)

'व्यक्तित्त्व' क्या है ? इसके बारे में अलग-अलग मनोवैज्ञानियों का अलग-अलग मत है। 'व्यक्तित्त्व' शब्द अंग्रेज़ी भाषा के 'पर्सनैल्टी' (Personality) शब्द का ही हिन्दी अनुवाद है। 'पर्सनैल्टी' (Personality) शब्द लातीनी भाषा के 'परसोना' (Persona) से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है—'मुखौटा' या 'नकली चेहरा'। प्राचीन काल में तथा एक आम या अशिक्षित व्यक्ति के लिये 'व्यक्तित्त्व' से अभिप्राय

शारीरिक रचना, रंगरूप, वेशभूषा इत्यादि से था। बाहरी गुणों द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता था। लेकिन व्यक्तित्त्व का अर्थ समझने के लिये या व्यक्तित्त्व का निर्धारण करने के लिये अनेक कारक या पक्ष अपना-अपना योगदान देते हैं।

वैलेनटीन (Valentine) के अनुसार, **'व्यक्तित्त्व जन्म जात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है।'**

(Personality is the sum total of innate and acquired dispositions)

मन (Munn) के अनुसार, **'व्यक्तित्त्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है।**

(Personality may be defined as the most characteristic integration of an individual's structures, modes of behaviour, interests, attitudes, capacities, abilities and aptitudes.)

बोरिंग (Boring) के अनुसार, **'व्यक्तित्त्व, व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थाई समायोजन है।'**

(Personality is an individual consistent adjustment to his behaviour.)

कैटल (Cattell) के अनुसार, **''व्यक्तित्त्व जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है, उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्त्व है।''**

(Personality is that permits a prediction of what a person will do in a given situation.)

वारेन (Warren) के अनुसार, **''व्यक्तित्त्व व्यक्ति का, विकास की किसी भी अवस्था में सम्पूर्ण मानसिक संगठन है।'**

(Personality is the entire mental organisation of a human being at any stage of his development.)

रैक्सरोड (Rexroad) ने **व्यक्तित्त्व को समाज द्वारा स्वीकृत विशेषताओं में एक सामंजस्य कहा है।**

(Personality is the balance between socially approved traits.)

मार्टन प्रिंस (Morton Prince) के अनुसार, **'व्यक्तित्त्व, व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है।''**

(Personality is the sum total of the biological innate dispositions impulses, tendencies, aptitudes and instincts of the individual, and the dispositions and tendencies acquired by experiences.)

व्यक्तित्त्व की विशेषताएँ
(Characteristics of Personality)

'व्यक्तित्व' की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण एवं अध्ययन के परिभाषा स्वरूप 'व्यक्तित्त्व' की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है, जो कि निम्नलिखित हैं—

1. व्यक्तित्त्व 'गतिशील' है (Personality is dynamic)—व्यक्तित्त्व को 'गतिशील' माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के व्यक्तित्त्व सम्बन्धी गुणों में परिवर्तन आते रहते हैं। समायोजन में सफलता प्राप्ति के लिये ये परिवर्तन आवश्यक भी होते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्त्व गतिशील कहलाता है।

2. व्यक्तित्त्व आत्म-चेतना (Personality is self-consciousness)—हर व्यक्ति में आत्म-चेतना अवश्य होती है। यह आत्म-चेतना उसके व्यक्तित्त्व की विशेषता होती है। वास्तविकता तो यह है कि जब व्यक्ति में आत्म-चेतना जैसी वस्तु घर करने लगती है तभी उसके व्यक्तित्त्व का अस्तित्त्व दिखाई देता है। आत्म-चेतना से अभिप्राय है—स्वयं का ज्ञान। बच्चे में आत्म-चेतना का अभाव होता है। जब वह बड़ा होता है तो वह अपनी ओर वस्तुपरक दृष्टिकोण (Objective) से देखना शुरू करता है।

3. अपूर्वता या अनुपमता (Uniqueness)—व्यक्तित्त्व अपूर्व या अनुपम या विशिष्ट होते हैं। हर व्यक्ति अपने ही ढंग का होता है। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे समरूप संमज (Identical Twins) ही क्यों न हों, एक समान व्यवहार नहीं करते। हर व्यक्ति के व्यक्तित्त्व में कुछ न कुछ विशिष्ट या अनुपम (Unique) अवश्य होता है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से स्वयं को समायोजित करते हैं अर्थात् हर व्यक्ति के समायोजन की अपनी ही विशेषताएँ होती हैं।

4. लक्ष्य-निर्देशित (Goal-Directed)—हर व्यक्ति के व्यवहार में लक्ष्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्त्व किसी न किसी लक्ष्य द्वारा निर्देशित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी लक्ष्य को अर्जित करना होता है। वह इन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये प्रयास करता है। व्यक्तित्त्व को ये लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं।

5. सामाजिकता (Sociability)—सामाजिकता भी व्यक्ति के व्यक्तित्त्व का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्तित्त्व के निर्माण में समाज का योगदान नकारा नहीं जा सकता। सामाजिकता के अन्तर्गत व्यक्ति का समाज के हर सदस्य के साथ सम्पर्क होता है, जो उस व्यक्ति में आत्म-चेतना के साथ-साथ सामाजिक चेतना भी पैदा करता है। इस सामाजिक सम्पर्को से व्यक्ति को कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जो व्यक्तित्त्व के विकास में महत्त्वपूर्ण साबित होते हैं। अतः सामाजिकता की प्रक्रिया में से व्यक्तित्त्व का गुजरना अति आवश्यक है ताकि व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता आ सके।

6. समायोजन की योग्यता (Ability of Adjustment)—व्यक्तित्त्व और समायोजन का आपस में गहरा सम्बन्ध होता है। पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही व्यक्तित्त्व कहलाता है। हर व्यक्ति को हर प्रकार के वातावरण के साथ समायोजित करना पड़ता है चाहे वह वातावरण बाहरी हो या आन्तरिक हो। **मरफी (Murphy)** के अनुसार, **''अच्छे व्यक्तित्त्व का अर्थ है वातावरण में समायेजन की शक्ति का होना।'' (A good personality means power of adjustment with environment.)**

7. निरन्तरता (Consistency)—**वुडवर्थ (Woodworth)** के अनुसार, **'निरन्तरता व्यक्तित्त्व की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।'** (Consistenecy is an important characteristic of personality) अपनी ही बात का यदि कोई व्यक्ति विरोध करने लगता है तो वह व्यक्तित्त्व एक अच्छा व्यक्तित्त्व नहीं माना जाता। वातावरण के साथ निरन्तर समायोजन को ही अच्छा व्यक्तित्त्व कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में निरन्तरता का होना ही अच्छे व्यक्ति का संकेत है। यदि उसके व्यवहार में निरन्तरता का अभाव हो तो उसे दोषपूर्ण व्यक्तित्त्व के वर्ग में रखा जाता है।

8. दृढ़ता (Persistency)—अच्छे व्यक्तित्त्व की एक और विशेषता है—दृढ़ता। समाज में सफलता अर्जित करने के लिये दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति दृढ़ता की कमी के कारण समाज में असफल रहते हैं तथा समायोजित नहीं हो पाते। सफलता के शिखर को छूने के लिये दृढ़ता और निरन्तरता का होना अति आवश्यक है।

9. लचीलापन (Flexibility)—**डैशीयल (Dashiell)** के अनुसार लचीलापन तथा समायोजन 'व्यक्तित्त्व' के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं।' (Flexiblility and adjustment are important aspects of personality)। व्यक्ति को अपने वातावरण तथा अपनी अन्तः शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्त्व में कई बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्त्व की प्रकृति गतिशील बनती है। व्यक्तित्त्व में हमेशा परिवर्तन और सुधार होते रहते हैं।

10. एकीकरण (Integration)—व्यक्तित्त्व में ज्ञान, भावनाओं और क्रिया तीनों ही आपस में एकीकृत होते हैं। इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्त्व सम्पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। वास्तव में व्यक्तित्त्व व्यक्ति की सभी शक्तियों और गुणों का एकीकरण है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

11. सुदृढ़ इच्छा शक्ति (Strong will power)–हर व्यक्ति में इच्छाशक्ति होती है, जिसे व्यक्तित्त्व का एक आवश्यक ढंग माना गया है। जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में यह इच्छा शक्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा व्यक्तित्त्व को आकर्षण प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति का अभाव है तो उसका व्यक्तित्त्व भी प्रभावित होता है।

12. मनोदैहिक (Psycho-physical)–व्यक्तित्त्व में मन और शरीर घनिष्ट रूप से संगठित होते हैं। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मनोदैहिक होती है। मन शरीर से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता और न ही शरीर मन के बिना कोई क्रिया करने में समर्थ है।

◆◆◆

गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धान्त
(Gardiner & Theory of Multiple Intelligences)

7. बहुबुद्धि सिद्धांत पर इसके शैक्षिक निहितार्थों को दिखाते हुए इसका वर्णन कीजिए।
(Describe multiple Intelligence theory highlighting its educational implications.)

अथवा

बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(What is theory of multiple Intelligence? Describe the types of Intelligence according to Howard Gardner.)

अथवा

अध्ययन सीखने हेतु बहुत बुद्धिमत्ता के गार्डनर सिद्धान्त के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए।
(C.B.L.U. 2018)

अथवा

शिक्षण अधिगम हेतु गार्डनर के बहु-बुद्धिमती सिद्धान्त के शैक्षणिक महत्व के बारे में बताइए।
(C.R.S.U. 2018)

अथवा

गार्डनर का बहु-प्रक्रिया सिद्धान्त का वर्णन कीजिए तथा इसकी शिक्षा में उपयोगिता भी बताइए।
(Discuss Gardner's theory of multiple multiple intelligence with special referemce to its educational implications.) (M.D.U. 2018)

उत्तर–बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, बुद्धि कोई एक तत्त्व नही है बल्कि कई भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि एक-दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ-साथ कार्य करती हैं। गार्डनर ने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया तथा इसके आधार पर आठ प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया जिनका वर्णन इस प्रकार है–

1. भाषागत बुद्धि (Linguistic Intelligence)–भाषागत बुद्धि विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने के लिए भाषा का उपयोग करने की योग्यता है। यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है, वे व्यक्ति 'शब्द कुशल' होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा अपने मन में भाषा के बिम्बों का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं तथा शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि लेखकों तथा कवियों में अधिक होती है।

2. तार्किक-गणितीय बुद्धि (Logical-Mathematical Intelligence)–तार्किक-गणितीय बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है, जिनमें तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त तर्कना कर लेते हैं तथा गणितीय समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतीकों का प्रहस्तन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिकों तथा नोबल पुरुस्कार विजेताओं में पाई जाती है।

3. देशिक बुद्धि (Spatial Intelligence)–यह बुद्धि मानसिक बिम्बों को बनाने, उनका प्रयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की क्षमता है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। इस प्रकार की बुद्धि मूर्तिकार, नाविक, विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार, शल्य चिकित्सक आदि में पाई जाती है।

4. संगीतात्मक बुद्धि (Musical Intelligence)–संगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन करने तथा प्रहस्तन करने की योग्यता संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग ध्वनियों, स्पंदनों तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं से सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

5. शारीरिक-गतिसंवेदी बुद्धि (Bodily-Kinaesthetic Intelligence)–शारीरिक-गतिसंवेदी बुद्धि किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक या एक से अधिक अंग की लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता होती है। इस प्रकार की बुद्धि नर्तकों, धावकों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं/अभिनेत्रियों, जिमनास्टो तथा शल्य चिकित्सकों में अधिक पाई जाती है।

6. अंतर्वैयक्तिक बुद्धि (Interpersonal Intelligence)–अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यह योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, व्यवहारों, भावनाओं का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार की बुद्धि मनोविज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, परामर्शदाता, धार्मिक नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में पाई जाती है।

7. अंतःव्यक्ति बुद्धि (Intrapersonal Intelligence)–यह बुद्धि वह योग्यता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अन्तःक्रिया में उपयोग करने का ऐसा कौशल शामिल है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावशाली संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व तथा जीवन अर्थ को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि आध्यात्मिक नेताओं तथा दार्शनिकों में देखने को मिलती है।

8. प्रकृतिवादी बुद्धि (Naturalistic Intelligence)–प्रकृतिवादी बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से है। यह बुद्धि विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में मदद करती है। इस प्रकार की बुद्धि किसान, शिकारी, पक्षी विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, प्रकृतिवादी में अधिक पाई जाती है।

◆◆◆

ज्ञानात्मक योग्यताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ
(Understanding differences based on a range of cognitive Abilities)

अधिगम कठिनाइयाँ (Learning Difficulties)

8. अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? अधिगम असमर्थ बच्चे की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।
(What do you mean by learning disability? Write a note on the education of learning disabled children.)

उत्तर–अधिगम असमर्थता (Learning Disability)—अर्थ (Meanings)–अधिगम असमर्थता *(Learning Disability)* का सम्बन्ध सीखने की समस्याओं से होता है। यह सुनने, सोचने,

बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने सम्बन्धी अपूर्ण *(Imperfect)* योग्यता के कारण होती है। ये अयोग्यताएँ प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, पर्यावरणीय या अर्थशास्त्रीय दोषों के कारण नहीं होती, बल्कि ये दोष समझने और भाषा के प्रयोग करने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होते हैं।

अधिगम असमर्थता के ग्रस्त बहुत से बच्चे होते हैं। यह समस्या आमतौर पर निम्न कारकों के मेल से होती है–

(i) बुद्धि का निम्न स्तर
(ii) मानसिक मंदता
(iii) दृष्टि बाधिता *(Visual Impairment)*
(iv) निम्न स्तर के निर्देशन आदि।

अधिगम असमर्थता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित दो उपगम हैं–

(a) कारण-केन्द्रित उपागम *(Cause Oriented Approach)*
(b) प्रभाव-केन्द्रित उपागम *(Effect-oriented Approach)*

कारण केन्द्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार के कारण की पहचान की जाती है, जबकि प्रभाव केन्द्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार का विश्लेषण और संशोधन किया जाता है।

अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएँ
(Characteristics of Learning Disabled Children)

अधिगम असमर्थ बच्चों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं–

1. बोली जाने वाली भाषा का विलम्बित विकास (Delayed Spoken Language Development)—बोली जाने वाली भाषा के विकास में अधिगम-असमर्थी बच्चे पिछड़े हुए होते हैं। वे अपनी हम उम्र या कक्षा के साथियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। इनका शब्द-भंडार भी बहुत ही सीमित होता है। वे अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के लिये भी जाने जाते हैं। सामान्यतः वे व्याकरण सम्बन्धी बहुत-सी गलतियाँ करते हैं। तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में इन्हें कठिनाई होती है। वे शब्दों का नियमित सामूहीकरण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी भाषा असंगठित हो जाती है जब वे कुछ कारणों पर एक साथ बहस छेड़ते हैं। वे केन्द्रीय बिन्दु से विचलित हो जाते हैं और साथ वाले विचार को स्पर्श कर जाते हैं। वे लम्बी वार्ता और जटिल वार्ता को भूल जाते हैं।

2. अपर्याप्त समय संप्रत्यय (Inadequate Time Concept)—ऐसे बच्चों में समय का संप्रत्यय नहीं होता। उन्हें कार्य को सम्पन्न करने में लगने वाले समय का कोई अनुमान नहीं होता। अधिगम असमर्थ बच्चे अपनी प्राथमिकताएँ संगठित करने में असफल होते हैं। समय, घड़ी, कैलेन्डर के बारे में इनकी संवेदना बड़ी निम्न स्तर की होती है। इसी प्रकार इनमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का भी अधिक ज्ञान नहीं होता। समय की इकाइयों का भी इन्हें ज्ञान नहीं होता।

3. सम्बन्ध पर निर्णय में कठिनाई (Difficulty in Judging Relationship)—अधिगम असमर्थी बच्चों में इस निर्णय का अभाव रहता है कि क्या महत्त्वपूर्ण है और क्या महत्त्वपूर्ण नहीं है? इससे अनिगनत पैंसिल अकुशलता उत्पन्न होती है तथा कार्य सम्पन्न करने में असफल होते हैं। कुछ बच्चे जमा और घटाने के चिह्न में कोई अन्तर नहीं कर पाते।

4. निम्न मानवीय डैक्टैरिटी (Poor Manual Dexterity)—इसमें पैंसिल के संभालने में अयोग्यता, पुस्तक पकड़ने में अयोग्यता या दरवाज़े का हैंडल पकड़ने में अयोग्यताएं आदि शामिल हैं। ये बच्चे नये यंत्रों को संभालने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे आमतौर पर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या करना है या उन्होंने कुशलतापूर्वक कैसे करना है या अपने बहुत से कार्यों में कैसे रोकना है ताकि दिन-प्रतिदिन के जीवन के हर पक्ष से कैसे व्यवहार किया जाये तथा कम से कम परिश्रम करना पड़े।

5. निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय (Poor General Motor Coordination)—इसमें बार-बार गिरने की प्रवृत्ति, निम्न स्तरीय समन्वय, निम्न स्तरीय संतुलन आदि शामिल हैं। ऐसे बच्चे हर हाथ से उसी समय कार्य करने में अयोग्य होते हैं। वे हाथों से विभिन्न क्रियाएं करने में सक्षम नहीं होते। कई बार वे हाथों और पावों से एक साथ क्रियाएँ करने में सक्षम नहीं होते। वे बहुत बेआरामी, बेचैनी अनुभव करते हैं और ध्यान-विस्तार *(Attention span)* बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे आलसी और बहुत ही असगंठित होते हैं। अधिगम असमर्थी बच्चे ऐसे सन्देशों से अनभिज्ञ होते हैं जो आँखों के सम्पर्क से, चेहरे के हाव-भावों से, पहनावे से, क्रियाओं आदि से सूचित होते हैं। इनमें वस्तुओं के आकार, स्वरूप आदि का भी अहसास नहीं होता। इस प्रकार इनमें निम्न स्तर का गत्यात्मक समन्वय *(Motor Coordination)* होता है।

6. प्रत्यक्षीकरण दोष (Perceptual Disorders)—उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया *(Cognitive Process)* है, जो संवेदना के आंकड़ों *(Sensor Data)* की पहचान करती है, उन्हें संगठित करती है और उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में बदलती है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाओं में विभेदीकरण *(Discrimination)*, समन्वयीकरण *(Coordination)* और क्रम में करना *(sequencing)* आदि शामिल हैं। विभेदीकरण के अन्तर्गत विभिन्न पक्षों में अन्तर ढूँढा जाता है, समन्वयीकरण के अन्तर्गत सूचनाओं को एकीकृत किया जाता है। सूचनाओं के दो या अधिक सूचना स्रोतों *(Sources)* से सूचनाओं को एकीकृत किया जाता है। क्रम की प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्दीपकों को क्रमबद्ध किया जाता है। अधिगम असमर्थी इन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रत्यक्षीकरण दोषों में शामिल हैं–दृष्टि दोष, श्रवण दोष, स्पर्श दोष आदि।

7. स्मृति दोष (Memory Disorder)—आजकल स्मृति को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है, जो हमें जटिल पर्यावरणीय सूचना को संगठित करने और भंडारित *(Store)* करने में सहायता देती है। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे शोधों के बावजूद भी अभी तक समझा नहीं जा सका। स्मृति सम्बन्धी दोषों में श्रवण या दृष्टि दोष शामिल होते हैं। अधिगम असमर्थी *(Learning Disabled)* दोनों प्रकार के दोषों का सामना करते हैं। वे कई बार यह भूल जाते हैं कि उनके कमरे या दरवाज़ा या बैड किधर है। कई बार तो वे 3 शब्दों को सुनने के तत्काल बाद की उनके क्रम के अनुसार भूल जाते हैं। इस प्रकार श्रवण में न्यूनता उनके अधिगम *(Learning)* को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

8. हाईपर क्रिया (Hyper Activity)—'हाईपर' *(Hyper)* शब्द का अर्थ है–'अतिरिक्त या सामान्यतः से अधिक।' क्रिया का सम्बन्ध 'हलचल' से है। हाईपर क्रियाओं में शामिल हैं–विश्राम हीनता *(Restlessness)* वाले व्यवहार। अधिकतर अधिगम असमर्थी बच्चे हाईपर एक्टिव *(Hyper active)* होते हैं। वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। जिनमें ध्यान का अभाव होता है वे ऐसे ही होते हैं। हाईपर क्रिया लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक समस्याएँ सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है।

9. 'ध्यान का अभाव या अवधान का होना (Inattention)—अधिगम असमर्थी बच्चे किसी एक क्रिया पर सामान्य समय के लिये केन्द्रित रहने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो हमें आस-पास के उद्दीपकों की चयनित विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के योग्य बनाती है। अवधान को दो भागों में बाँटा जा सकता है–चयनित ध्यान और स्थाई ध्यान *(Selective and Sustained Attention)*। स्थाई ध्यान का सम्बन्ध उस ध्यान से है, जिसे हम कुछ समय के लिये बनाये रखते हैं। चयनित ध्यान कुछ महत्त्वपूर्ण उद्दीपकों को पहचानने की योग्यता है। अधिगम असमर्थी *(Learning Disabled)* बच्चों में दोनों का ही अभाव रहता है। कक्षा में ध्यान देने में योग्यता का न होना इन बच्चों की विशेषता होती है।

10. दिशा सम्बन्धी भ्रम (Direction Related Confusion)—इसमें शामिल हैं–दांए, बाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऊपर, नीचे आदि। संप्रत्ययों *(Concepts)* को प्रयोग करने की योग्यता। ऐसे अधिगम असमर्थी बच्चों में नक्शों की सूचना समझने की योग्यता नहीं होती है। वे सड़क की दिशाएँ भी कई बार भूल जाते हैं।

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

11. स्थान-ज्ञान का अभाव (Poor Spatial Orientation)—अधिगम-असमर्थी बच्चे नये वातावरण से परिचित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं। वे कई बार भवनों के कम्पलैक्स में रास्त भूल जाते हैं। वे जटिल मकैनिकल कार्यों को भूल जाते हैं तथा यह भी भूल जाते हैं कि दूसरे लोग ऐसे जटिल कार्य कैसे करते हैं। जब ये बच्चे किसी जटिल कार्य का सामना करते हैं जो वे जोश दिखाते हैं और उसे बिना सोच समझे करने लग जाते हैं। इनकी कोई योजना नहीं होती अर्थात् किसी जटिल कार्य को करने के लिये ये किसी योजना की ओर ध्यान नहीं देते।

अधिगम असमर्थी बच्चों की शिक्षा (Education of Learning Disabled Children)—अधिगम असमर्थी बच्चों की शिक्षा के लिये विभिन्न संभावित कार्यक्रम हैं। ये संभावित कार्यक्रम निम्नलिखित उपागमों के रूप में निम्नलिखित हैं—

1. व्यवहारात्मक हस्तक्षेप *(Behavioural Interventions)*
2. ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप *(Cognitive Behavioural Interventions)*
3. चिकित्सा-आधारित हस्तक्षेप *(Medically Based Interventions)*
4. बहु-इन्द्रिय उपागम *(Multisensory Approach)*
5. प्रत्यक्ष अनुदेशन *(Direct Instruction)*

1. व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Behavioural Interventions)— इसमें बदलते हुए सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। वातावरणीय कारणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वृद्धि, परिवर्तन या आकार को लक्षित किया जा सके। व्यवहारों में परिवर्तनों का सर्वप्रथम प्रयास किया जाना चाहिये। व्यवहारों को बदलने के लिये अध्यापक को चाहिये कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति की आवश्यकताओं की सूची बनाए और फिर बदले जाने वाले व्यवहारों को लक्षित करके उनका चयन करे। अधिगम-असमर्थी बच्चों को पुनर्बलन *(Reinforcement)* प्रदान करना चाहिये, जैसे—प्रशंसा करना।

2. ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Cognitive Behavioural Interventions)—कार्य के दौरान व्यवहारों में बुद्धि के प्रभावशीलता के शोध कार्यों का भी समर्थन प्राप्त है। आत्म नियंत्रण का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इस विधि द्वारा अवधान सम्बन्धी व्यवहारों *(Attention Behaviours)* को परिवर्तित किया जाता है। आत्म-नियंत्रण *(Self Monitoring)* विधि स्वयं के व्यवहारों का बार-बार मूल्यांकन करने की योग्यता है ताकि उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

3. चिकित्सा आधारित हस्तक्षेप (Medically Based Interventions)—यदि अवधान-समस्याएँ हाईपर-क्रिया *(Hyper–Activity)* के कारण हैं तो चिकित्सा विज्ञान *(Medical Science)* मुख्य भूमिका निभा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हाईपर-सक्रिय *(Hyper Active)* है तो उसे सीखने में समस्या आ सकती है। जब अवधान सम्बन्धी समस्याएँ आती हैं तब व्यवहारात्मक हस्तक्षेप और आत्म-नियंत्रण *(Behavioural Intervention and Self Monitoring)* जैसी विधियों का प्रयोग करना चाहिये। यदि ये विधियाँ प्रभावी न हों तब दवा का प्रयोग करना चाहिये।

हाईपर-क्रिया के लिये आमतौर पर जिस दवा का चयन किया जाता है—वह है 'एम्फिटा माईन परिवार' *(Amphetamine Family)*। अवधान *(Attention)* की कमी को पूरा करने के लिये दवाओं का सुझाव दिया जाता है। वे है– साईलर्ट *(Cylert)*, रिटालिन *(Ritalin)* और डैक्सीड्रीन *(Dexedrine)* प्रभावशीलता के लिहाज से ये दवाएं भिन्न हैं। रिटालिन और डैक्सीड्रीन आधे घंटे से भी कम समय में यह प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन साईलर्ट *(Cylert)* चार सप्ताहों का समय लेती है अपना असर दिखाने के लिये। साईलर्ट दिन में एक बार ली जाती है और इसका असर भी लम्बे समय तक के लिए रहता है, जबकि सिटालिन और डैक्सीड्रीन का असर केवल उसे 5 घंटे तक रहता है। अतः स्कूल में ही इस दवा की दूसरी खुराक देनी पड़ती है। दवा के कुछ कुप्रभाव भी होते हैं जैसे—हल्का-सा नशा इनसोमनिया *(Insomnia)* सिरदर्द। ये प्रभाव आमतौर पर थोड़े समय के लिये होते हैं।

4. बहु-इन्द्रिय उपागम (Multisensory Approach)— दृष्टि और दृष्टि-कौशलों के लिये बहुत से कार्यक्रम विकसित किये गये हैं तथा कई मनोभाषायी प्रक्रियाएँ *(Psycholinguistic processes)* भी विकसित की गई हैं। बहु-इन्द्रिय कार्यक्रम शैक्षिक सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल देते हैं। बहु-इन्द्रिय विधियों में बच्चे की इन्द्रीय प्रणाली के संयोग *(Combination)* पर बल देती हैं। इसमें

अवधारणा यही होती है कि यदि एक से अधिक द्वन्दी अधिगम-अनुभवों में भाग लेती है तब बच्चे बेहतर सीखते हैं। उदाहरण—फरनाल्ड *(Fernald)* की *VAKT* विधि। इसमें *V(Visual)*, *A(Auditory)*, *K(Kinesthetic)* तथा *T (Tactual)* है। शब्दों को सीखने के लिये, सर्वप्रथम बच्चा शब्द को देखता *(Visual)* है। फिर अध्यापक से ही 'शब्द' सुनता *(Auditory)* है। फिर बच्चा उसी शब्द को बोलता *(Auditory)* है तथा अन्त में बच्चा उसी शब्द को ढूँढ़ता *(Kinaesthetic and tactual)* है।

5. प्रत्यक्ष अनुदेशन (Direct Instruction)—'प्रत्यक्ष अनुदेशन' अनुदेशन के सभी पक्षों को देखने का एक जटिल तरीका है, जिसमें कक्षा का संयोजन *(Classroom organisation)* तथा प्रबन्धन, अध्यापक-छात्र अन्तर्क्रिया की गुणवत्ता, अनुदेशनात्मक सामग्री का डिजाईन तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की प्रकृति आदि शामिल हैं जो असमर्थी बच्चे प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा सीखते हैं वे उन बच्चों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन *(Performance)* करते हैं जो परोक्ष *(Indirect)* विधियों द्वारा करते हैं।

6. अन्य विधियाँ (Other Methods)— उपरोक्त उपागमों के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं, जिनके द्वारा हम अधिगम-असमर्थी की शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। वे विधियाँ हैं—

(i) अलग विद्यालय *(Separate School)*

(ii) इनके लिये अलग कक्षाओं *(Separate Classes)* की व्यवस्था हो।

(iii) असमर्थी बच्चों की अलग समस्याओं के होने के कारण अध्यापकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है।

(iv) ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम भी विशेष तौर पर तैयार किया जाना चाहिये।

(v) ऐसे बच्चे वर्तनी *(Spelling)* के क्षेत्र में कमजोर होते हैं। इस कमी की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

(vi) विषय की दृष्टि से ऐसे बच्चे आमतौर पर गणित में कमजोर होते हैं। इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

(vii) ऐसे बच्चों का यदि हस्तलेख *(Hand writing)* स्पष्ट नहीं है तो इन्हें हस्तलेख का प्रशिक्षण शुरू से ही दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें शुरू से ही अक्षरों के ज्ञान, आकार, बनावट, क्रम आदि का ज्ञान हो।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

◆◆◆

बच्चों तथा किशोरों के व्यवहार को समझने की विधियाँ व तरीके
(Methods and Ways to Understand Children's and adolescent's behaviour)

विभिन्न संदर्भों से बालक सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन [Gathering Data about Children from Different Contexts]

(A) स्वाभाविक निरीक्षण [Naturalistic Observation]

9. स्वाभाविक निरीक्षण से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें। स्वाभाविक निरीक्षण की सीमाओं पर चर्चा करें। (What is Naturalistic Observation? Discuss the limitations of naturalistic observations.)

उत्तर–स्वाभाविक निरीक्षण का अर्थ (Meaning of Naturalistic Observation)–प्राकृतिक निरीक्षण का लक्ष्य होता है—बच्चों के बारे में जैसा वे वास्तव में व्यवहार करते हैं, उसके बारे में विस्तृत प्रमाण प्राप्त करना और वह भी उसके वास्तविक पर्यावरण (Real World Setting) में जिसमें वे रहते हैं।

स्वाभाविक निरीक्षण के क्षेत्र को अध्ययन विधि (Field Study Method) या क्रमबद्ध प्रेक्षण (Systematic Observation) का नाम भी दिया जाता है, जब स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तब ऐसे प्रेक्षण या अवलोकन या निरीक्षण को 'स्वाभाविक प्रेक्षण या अवलोकन या निरीक्षण' कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, जैसे बन्दर, बिल्ली, चींटियाँ इत्यादि के व्यवहारों का अध्ययन उनके स्वाभाविक रूप से रहने के स्थान पर जाकर किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग कभी-कभी मनुष्य के शिशुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन बिना किसी परिवर्तन या जोड़-तोड़ (Manipulation) के किया जाता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो व्यवहार अपने वास्तविक रूप में घटित होते हैं, उनका अध्ययन उसी रूप में किया जाता है।

प्रेक्षण के संदर्भ (Contexts of Observation)–प्रेक्षण या अवलोकन दो परिस्थितियों में होता है–

1. विभिन्न प्रसंगों में प्रेक्षण (Observation in many contexts)
2. एकल प्रसंग में प्रेक्षण (Observation in Single Context)

1. विभिन्न प्रसंगों में प्रेक्षण (Observation in many contexts)–स्वाभाविक अवलोकन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य बालक के पर्यावरण (Ecology) का वर्णन करना होता है। 'इकॉलाजी' (Ecology) शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है–'घर' (Home) या मातृभूमि (Homeland)

जीव विज्ञान में 'इकालॉजी' (Ecology) शब्द का सम्बन्ध पौधों या जानवरों के रहने के स्थान (Habitat) तथा पौधों या जानवरों की जैविकीय संरचना (Biological structure), प्रकार्यों (Functions) और विशेषताओं से होता है।

मनोविज्ञान में 'इकालॉजी' (Ecology) का सम्बन्ध उन परिस्थितियों की शृंखला (Range of Situations) से होता है, जिनमें व्यक्ति कार्य करता है तथा भूमिकाएँ (Roles) निभाता है। पर्यावरणीय वृत्तांत (Ecological Description) व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण चित्र उपलब्ध कराता है। बालक के संदर्भ में ऐसे वृत्तांत सम्पूर्ण बालक के बारे में सब कुछ बताते हैं।

2. एकल प्रसंग में प्रेक्षण (Observation in Single Context)–विभिन्न संदर्भों में पर्यावरणीय उपागम (Ecological Approach) में समय बहुत अधिक खर्च होता है। इसका प्रयोग भी बहुत खर्चीला है। इसलिये मनोवैज्ञानिक अपने प्रेक्षण को उस एकल सामाजिक परिस्थिति तक ही सीमित रखते हैं जो बालकों के जीवन में महत्त्वपूर्ण होती है।

मनोवैज्ञानिक बच्चों में और प्रौढ़ों में अन्तक्रिया या बच्चों में आपस में ही आमने-सामने अन्तःक्रिया का अवलोकन करते हैं। यह अन्तर्क्रिया किस प्रकार की होती है? कहीं इसमें आक्रामकता बढ़ाने वाली बातें तो नहीं हो रहीं? कहीं यह कक्षा में अरुचिकर न हो? अध्यापक लड़के और लड़कियों के दुर्व्यवहार की ओर एक समान ध्यान नहीं देते। अध्यापक लड़कों को उनके बुरे कार्यों के लिये सरे-आम डाँट देते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। कक्षा में लड़कों की ओर बराबर का ध्यान दिया जाता है।

प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों की निरीक्षण एक साथ करते हैं। इसलिए इस विधि को 'वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि' (Objective Observation Method) भी कहा जाता है। इस विधि की निम्नलिखित दो विशेषताएँ देखने को मिलती हैं–

(i) प्रेक्षण सदा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है अर्थात् प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है।

(ii) प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से जुड़े चरों (Variables) के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का पता लगाना होता है।

अन्तःदर्शन (Introspection) और अवलोकन (Observation) में अन्तर है। अन्तःदर्शन (Introspection) में व्यक्ति अपनी ही मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि अवलोकन या निरीक्षण या प्रेक्षण (Observation) में व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखकर उनकी मानसिक दशा का पता लगाता है। इस दृष्टि से ज्ञानेन्द्रियों से किसी पदार्थ, क्रिया या व्यवहार का ध्यानपूर्वक अध्ययन ही निरीक्षण या अवलोकन (Observation) कहलाता है। अवलोकन द्वारा अनेक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है।

मान लो कोई भी अध्ययनकर्ता 8-10 साल के बच्चों के समूह में होने वाले मुख्य व्यवहारों का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिये निरीक्षण या अवलोकन विधि (Observation) का चयन किया जाता है। अध्ययनकर्ता यदि चाहे तो वह स्वयं उन बच्चों के समूह में रहकर उन बच्चों के व्यवहारों को नोट कर सकता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि देखा जाये तो प्रेक्षक की किसी समूह में उपस्थिति से बच्चे अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं। इस संभावना को दूर करने के लिये अध्ययनकर्ता प्रत्येक बच्चे का छिपकर अवलोकन करे। छिपकर वह ऐसे स्थान पर बैठ जाये जहाँ से वह उन बच्चों को तो देख सके लेकिन बच्चे उसे न देख पाएँ। समूह में रहते हुए वह कैसे बातचीत करता है? कैसे हँसता है? कैसे दूसरों की बातों पर ध्यान देता है? इन सभी व्यवहारों का वह प्रेक्षक क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षण या अवलोकन (Observe) कर सकता है।

अन्त में इसी प्रेक्षण के आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा। यह प्रेक्षण उन्हीं परिस्थितियों में कई दिनों तक करता रहेगा।

कई अध्ययनकर्ता एक साथ मिलकर उस समूह में उन बच्चों के व्यवहार का प्रेक्षण करेंगे। इस प्रेक्षण में जो तथ्य सभी अध्ययनकर्ताओं में सामान्य या साँझे (Common) होंगे, उन्हें वास्तविक निष्कर्ष के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। प्रेक्षण विधि के द्वारा ही जोन्स एवं जोन्स (Johns and Johns) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भय का संवेग (Emotion of Fear) जन्मजात न होकर अर्जित संवेग होता है।

स्वाभाविक प्रेक्षण की सीमाएं या दोष
(Limitations of Naturalistic Observation)

स्वाभाविक प्रेक्षण के सामाजिक विकास के बारे में आँकड़ों को महत्त्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। लेकिन इस प्रकार के प्रेक्षण की कुछ सीमाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

1. लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहना (Behaviour Changes)–इस स्वाभाविक प्रेक्षण में एक मुख्य कठिनाई सामने आती है जब बालक को यह पता चल जाता है कि उसका किसी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है तब ऐसी परिस्थिति में उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वे सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी यह अभिव्यक्ति झूठी दिखाई पड़ती है।

2. विकास सम्बन्धी सूचनाओं का स्रोत (Source of Information about development)–स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रक्रिया के साथ सम्बन्ध का कारण बहुत ही कम बताया जाता है। यह विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है। अवलोकन या प्रेक्षण के दौरान जब यह मालूम किया जाता है कि क्या दो कारक (Factors) सह-सम्बन्धित हैं? जब सम्बन्ध होता है तब एक कारक में दूसरे कारक के साथ ही परिवर्तन होता है। परन्तु इसमें हमें यह नहीं पता चलता है कि एक कारक से दूसरा कारक प्रभावित होता है या दोनों कारक किसी तीसरे कारक के कारण होते हैं। अर्थात् सह-सम्बन्ध से कारण नहीं मान लेना चाहिए।

3. कारण सम्बन्धी कारकों को बताने का साधन नहीं (No means of telling from observations alone regarding causal factors)–प्रेक्षण की प्रक्रिया के दौरान मात्र अवलोकन या प्रेक्षण के आधार पर सम्बन्धित कारकों को बताने का इसमें कोई साधन नहीं है। इसलिए इस समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधि को अपनाना शुरू किया जो विज्ञान के और निकट मानी जाती है।

4. चयनात्मक प्रेक्षण (Selective Observation)–प्रेक्षक जब किसी का प्रेक्षण करता है और वह जो कुछ भी देखता है तब वह उसके प्रति अपेक्षाएँ (Expectations) रखता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रवृत्ति (Tendency) होती है कि चयनात्मक (Selectively) रूप से प्रेक्षण करता है और बहुत से अपेक्षाएँ रखता है। प्रेक्षक हर चीज को नोट नहीं कर सकता। लिखने की प्रक्रिया में कुछ सूचनाएँ रह भी जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। तब तो ये सूचनाएँ बिल्कुल ही रह जाती हैं जब ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जिनकी कभी अपेक्षा ही न की हो। इसी प्रकार यदि घटना घटित होने और लिखने तक समय का अन्तर अधिक हो जाता है तब सूचना की अधिक हानि होती है। इस दोष को दूर करने के लिये टेप-रिकॉर्डर, वीडियो रिकार्डिंग आदि की सहायता ली जा सकती है। लेकिन ये यंत्र महंगे होते हैं तथा इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई सूचनाओं के विश्लेषण में समय भी अधिक लगता है।

◆◆◆

(B) साक्षात्कार (Interview)

10. साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार के मुख्य तत्त्वों, विशेषताओं, उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिये।

(What do you mean by Interview? Describe the main elements, characteristics, objectives and types of interview.)

उत्तर–यद्यपि प्रदत्त एकत्रीकरण के लिए निरीक्षण *(Observation)* तथा प्रश्नावली *(Questionnaires)* विधियों का अधिकतर प्रयोग होता है, परन्तु अनेक अवसरों पर निरीक्षण के साथ-साथ साक्षात्कार द्वारा भी प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। बाल-विकास में साक्षात्कार विधि का उपयोग तभी सम्भव है जब बच्चे समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने व व्यक्त करने में सक्षम हों। इस विधि में साक्षात्कार कर्ता *(Interviewer)* और सूचनादाता *(Interviewee)* के बीच आमने-सामने पारस्परिक क्रिया उत्पन्न होने का अवसर मिलता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है, उसके बारे में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। **आइजेंक (Eysenck, 1972) के अनुसार**–"साक्षात्कार वह साधन है, जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। **मोसर (Moser, 1958) के अनुसार**–"साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता दो व्यक्तियों की पारस्परिक क्रिया सम्मिलित है। *(The interview is a social process involving interaction of two individuals, the interviewer and respondent.)* साक्षात्कार विधि की व्यक्तिगत विशेषताओं; जैसे अपने वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, समस्याओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का ढंग, उसकी आकाक्षाएं, आशाएँ तथा भय आदि की अभिव्यक्ति के साथ उनके चिन्तन एवं व्यक्ति के गुणों आदि का तर्कपूर्ण मूल्यांकन करने की महत्त्वपूर्ण विधि है।

साक्षात्कार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके आकार का रूप का निर्धारण किया जाता है। साक्षात्कार साधारण एवं कम समय का हो सकता है अथवा लम्बे समय का विभिन्न सूत्रों *(Sessions)* में भी हो सकता है। प्रमुख रूप से साक्षात्कार को दो श्रेणियों में रखा जाता है जिनके लिए भिन्न-भिन्न शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे औपचारिक *(Formal)* तथा अनौपचारिक *(Informal)*, संरचित *(Structured)* तथा अरचित *(Unstructured)* प्रतिबंधित *(Closed)* तथा मुक्त *(Open)* इत्यादि। साक्षात्कार के उद्देश्य के अनुसार अध्ययन समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। यदि प्रश्नों का क्रम एवं संख्या नहीं बदले जाते हैं तो यह संरचित, औपचारिक या बन्धित साक्षात्कार कहलाता है। यदि साक्षात्कार में प्रश्नों को पहले से तैयार न करें, प्रश्नों की संख्या व क्रम घटा बढ़ा सकें तथा साक्षात्कारकर्ता अपेक्षित समस्या सम्बन्धित प्रश्न पूछने के लिए स्वतन्त्र हो तो यह प्रविधि अरचित, मुक्त या अनौपचारिक साक्षात्कार कलहाती है।

साक्षात्कारकर्ता के साक्षात्कार प्रारम्भ करने एवं उसका संचालन करने के ढंग पर यह निर्भर करता है कि वह *(Interviewer)* सूचनादाता से कैसे महत्त्वपूर्ण सूचनाओं की खोज निकालता है। **कनैल एवं काहून (Cannell and Kahn)** ने एक सफल साक्षात्कार के लिए **निम्न तीन मुख्य आवश्यकताएँ दी हैं। प्रथम,** सूचना दाता को यह मालूम होना चाहिए कि उससे कौन सी सूचना अपेक्षित है? इसके अनुसार ही वह यह फैसला करेगा कि उसे कौन सी प्रासंगिक सूचना *(Relevant information)* देनी है, तथा उसे किस संदर्भ में अपने उत्तर अभिव्यक्त करने हैं। **द्वितीय,** साक्षात्कारकर्ता सूचना दाता से जिस सूचना की अपेक्षा रखता है वह उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दे सके। एक सफल साक्षात्कार के लिए तृतीय अपेक्षा अभिप्रेरणा *(Motiviation)* है, जो सूचनादाता को प्रश्नों के सही उत्तर के लिए प्रेरित करती है। यह साक्षात्कार के प्रारम्भ में तथा चलते रहने में सहयोग देती है। साक्षात्कार में परस्पर घनिष्ठता स्थापित होनी आवश्यक है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसे पूर्ण विश्वास दिलाया जाए कि उसके द्वारा दी गई सूचना गोपनीय रखी जाएगी। साक्षात्कार का स्थान एकान्त में होना चाहिए तथा साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार पर लगा समय उसके उद्देश्य एवं सूचनादाता की आय पर निर्भर करता है। यदि हमें अधिक सूचना ग्रहण करनी है तो साक्षात्कार एक ही लम्बे सत्र में करने की अपेक्षा सत्रों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। साक्षात्कार प्रदाता की शुद्धता बढ़ाने के लिए साक्षात्कारकर्ता का प्रशिक्षित होना आवश्यक है, जिसमें उसके अपने विचारों, पक्षपात पूर्ण, प्रश्नों तथा अनुमति बोधक अभिवृत्ति से बचा जा सकता है। प्रशिक्षण से उसकी प्रतिक्रियाओं को नोट करने की क्षमता भी बढ़ती है।

साक्षात्कार से सम्बन्धित मुख्य तत्त्व या कारक (Important factors or Elements of Internview)–

साक्षात्कार से सम्बन्धित मुख्य तत्त्व या कारक निम्नलिखित प्रकार से हैं–

(1) साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है, जिसमें कम से कम दो व्यक्ति शामिल होते हैं एक सूचना लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला।

(2) साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित साक्षात्कार के अन्तर्गत साक्षात्कार लेने वाला प्रायः अध्यापक अथवा कोई शोधकर्ता होता है तथा साक्षात्कार देने वाला कोई छात्र होता है।

(3) साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है।

(4) साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन होता है।

(5) साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित तथा अनुभवी होता है, जो दूसरे व्यक्ति को सलाह अथवा परामर्श देता है।

साक्षात्कार विधि की विशेषतायें *(Characteristics of Interview Method)*

साक्षात्कार प्रविधि की उपरोक्त व्याख्या के आधार पर इस प्रविधि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं–

(1) दो या दो से अधिक व्यक्ति (Two or more than two persons)–साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर आमने-सामने वार्तालाप होता है, अकेला व्यक्ति अपना ही साक्षात्कार नहीं कर सकता है इस कारण साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता का होना आवश्यक है।

(2) आमने-सामने के सम्बन्ध (Face to face relations)–साक्षात्कार प्रविधि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता *(Interviwer)* तथा साक्षात्कारदाता *(Interviewee)* के द्वारा प्रत्यक्ष आमने-सामने के प्राथमिक सम्बन्ध *(Direct face to face primary relations)* स्थापित किये जाते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(3) विशिष्ट उद्देश्य (Specific purpose)–साक्षात्कार की तीसरी प्रमुख विशेषता 'विशिष्ट उद्देश्य' *(Specific purpose)* है, अर्थात् दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण अन्तःक्रिया है, जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्बन्ध किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही स्थापित किये जाते हैं।

(4) सामग्री संकलन (Data Collection)–साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य जो कि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, यह है कि साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययनों के लिये सामग्री का संकलन किया जाता है।

साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य
(Main objectives of Interview)

साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ तथा विशेषताओं को समझ लेने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि उसके उद्देश्यों को भी समझ लिया जाये, साक्षात्कार के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनको निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) आमने-सामने के सम्पर्क से सूचना प्राप्त करना (Collection of information in face to face situation)–साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने-सामने के सम्पर्क स्थापित करके अध्ययन विषय के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना होता है, वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा मनुष्यों की भावनाओं, मूल्यों उद्वेगों अथवा मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और इन सभी के अध्ययन के लिये आमने-सामने के प्रत्यक्ष सम्बन्धों को स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(2) प्राकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत (Main source of hypothesis)–साक्षात्कार प्रविधि का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना है, साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है, इसी कारण सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत अन्तःक्रियाओं के सम्बन्ध में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिये साक्षात्कार प्रविधि अत्यन्त ही उपयोगी है।

(3) अवलोकन के लिये अवसर पाना (To seek opportunity for observatioin)–यदि किसी घटना या व्यवहार के विषय में केवल सूचना ही नहीं बल्कि अवलोकन भी करना हो तो साक्षात्कार एक उपयुक्त प्रविधि है। जिस समय अध्ययनकर्ता किसी सूचनादाता के पास साक्षात्कार के लिये जाता है तो वह केवल साक्षात्कार नहीं लेता बल्कि सूचनादाता के घर का वातावरण, पास पड़ोस, उसके व उसके घर के अन्य सदस्यों के व्यवहार के विविध प्ररूप आदि अनायास ही उसकी दृष्टि में आ जाते हैं और वह उनके अवलोकन का बहुमूल्य अवसर भी प्राप्त कर लेता है, श्री बेंजामिन डी. पाल *(Benjamin D. Paul)* ने लिखा है कि–"यद्यपि साक्षात्कार एवं अवलोकन को विकल्प प्रविधियाँ माना जाता है, लेकिन वे पूरक प्रविधियाँ हैं और किसी अकेली प्रविधि का उपयोग करने के स्थान पर उनके सम्मिलित प्रयोग से अधिक उत्तम ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है।" इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है।

(4) गुणात्मक तथ्यों का संकलन (Collection of qualitative information)–सामाजिक तथ्य मूलरूप से गुणात्मक होते हैं जो विचारों, भावनाओं तथा लोक विश्वासों के रूप में मनुष्य के अन्तर्जगत में फैले रहते हैं, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी। इन्हें अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल साक्षात्कार द्वारा ही संकलित किया जा सकता है।

(5) व्यक्तिगत एवं आन्तरिक सूचना संकलित करना (Collection of personal and internal data)–साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के आन्तरिक पक्ष को समझने के लिये एवं सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित करने के लिये किया जाता है, साक्षात्कार के इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए श्री लुण्डबर्ग *(Lundberg)* ने कहा है–"अनुसंधानकर्ता की रुचि न केवल वस्तुगत आंकड़ों जैसे आय, संतानों की संख्या, आयु इत्यादि प्राप्त करने में होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसकी प्रवृत्तियों तथा उसके राग-द्वेषों का पता लगाने में भी होती है। जो उसके वातावरण तथा उससे सम्बन्धित शारीरिक क्रियाओं, भाव-भंगिमाओं इत्यादि के द्वारा प्रगट होती है।"

◆◆◆

बालक सम्बन्धी परावर्तक पत्रिका
(Reflective Journal about Children)

11. बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं? इसका क्या महत्त्व है? परावर्तक पत्रिका को आप कैसे लिखेंगे?
(What do you mean by Reflective Journal about children? Why is it important? How reflective journal is written?)

उत्तर–बच्चों से सम्बन्धित परावर्तक पत्रिका का अर्थ (Meaning of Reflective Journal about Children)–बच्चों से सम्बन्धित परावर्तक पत्रिका से अभिप्राय होता है–वह नोटबुक या कागज़ का टुकड़ा जिसका प्रयोग बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु करते हैं। इस प्रकार के पत्रिका-लेखन से बालकों में अधि-संज्ञानात्मक कौशलों (Meta Cognitive Skills) के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस पत्रिका द्वारा बालक स्वयं का मूल्यांकन करने तथा यह मालूम करने के लिये किया जाता है कि वे क्या जानते हैं।

(Reflective journals are note books or pieces of papers that students use when writing about the reflecting on their own thoughts.)

स्वयं के विचारों और चिन्तन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के लिये विशेष रूप से सहायक होती है, जो नये-नये सम्प्रत्ययों को अभी सीख ही रहे होते हैं या जटिल समस्याओं को हल करना प्रारंभ ही करते हैं।

परावर्तक पत्रिका का महत्त्व (Importance of Reflective Journal)–परावर्तक पत्रिका का महत्त्व या आवश्यकता निम्नलिखित है–

(i) परावर्तन पत्रिकाएं विद्यार्थियों को मुक्त ढाँचे (Open-ended format) में लेखन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करती हैं।

(ii) सबसे अधिक शक्तिशाली अधिगम तब होता है जब बालक स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करते हैं तथा स्वयं का परावर्तन (Reflect) करते हैं।

(iii) समस्याओं, गलतफहमियों और भ्रमों (Misunderstandings, and Confusions) को स्पष्ट करने के लिये परावर्तक क्रियाएँ (Reflective Process) आवश्यक होती हैं। इस प्रकार के लेखन से यह उद्देश्य पूरा होता है।

(iv) परावर्तन पत्रिकाएँ विद्यार्थियों के मस्तिष्क की खिड़कियों के दरवाज़ों को खोलने का कार्य करती हैं।

(v) परावर्तन पत्रिकाएँ अध्यापकों को विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने के अवसर प्रदान करती हैं।

(vi) ये विद्यार्थियों के बारे में अतिरिक्त सूझबूझ प्रदान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण-उपकरण(Tool) प्रदान करती हैं।

(vii) परावर्तन पत्रिका इसलिये भी आजकल महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं ताकि इनसे बालक को यह ज्ञान हो जाये कि वे क्या जानते हैं तथा वह अपने बोध (understanding) में वृद्धि करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं?

(viii) कम सफल अधिगमकर्ता या बालकों को यह भी मालूम पड़ जाता है कि उनके मस्तिष्क को किन-किन आदतों के विकास की आवश्यकता है।

(ix) बालक ने जो कुछ भी स्वयं का मूल्यांकन करके यह खोजा है कि उन्हें क्या कुछ आता है, उसका अपने अधिगम में सुधार लाने के लिये योजना बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

परावर्तन पत्रिका को कैसे लिखा जाता है? *(How to write Reflective Journal)*

परावर्तन-पत्रिका का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष है—'उसे लिखना'। यह कैसे लिखी जानी चाहिये? इसका ज्ञान बालक को अवश्य होना चाहिये। इसके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं—

1. पत्रिका लिखने का मुख्य लक्ष्य होता है—चिंतन को लेखन में कैसे स्थानान्तरित किया जाये? इस पक्ष को विद्यार्थियों के सम्मुख स्पष्ट करना अति आवश्यक है।
2. बहुत छोटे बच्चों को पत्रिका लिखने का कार्य जोर-जोर से बोलकर तथा चिन्तन करते हुए करना चाहिये।
3. पत्रिका में प्रविष्टियाँ (Enteries) कक्षा में कराये गये कार्यों के आधार पर हो सकती हैं।
4. पत्रिका में प्रविष्टियाँ विद्यार्थी के स्वयं के जीवन के बारे में चिन्तन या कक्षा से बाहर के वातावरण के बारे में भी हो सकती हैं।
5. परावर्तन पत्रिका में विद्यार्थियों को उनके स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।
6. परावर्तन पत्रिका में परावर्तन-पत्रिका अध्यापक के उत्तरदायित्वों को विद्यार्थियों के उत्तरदायित्वों में स्थानान्तरित करती है।
7. इस पत्रिका के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मूल्यों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।
8. विद्यार्थियों को इस योग्य बना दिया जाये कि वे यह जान सकें कि वे व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं? वे स्वयं के निष्कर्ष क्या निकालते हैं।
9. पत्रिका के प्रश्न गहरे होने चाहिये, न कि सतह स्तर के।
10. पत्रकारिता एक नियमित गतिविधि का रूप ले ले।
11. रूटीन पत्रकारिता विद्यार्थियों को अन्य लेखन क्रियाओं को लिखने के लिये अवसर प्रदान करे।
12. पत्रिका का पुनः पठन (Re-reading) और संशोधन अवश्य हो। इसके लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
13. पत्रिका के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम और अपनी प्रविधियों की आलोचना करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।
14. विद्यार्थियों को स्वयं के विचारों के प्रसार, बचाव, बहस और उन पर प्रश्न करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
15. मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जो विद्यार्थियों ने पत्रिका में लिखा है उसके बारे में उन्हें प्रतिपुष्टि (Feedback) प्रदान की जानी चाहिये।

पत्रिका का प्रबन्धन (Management of Journal)—पत्रिका लिखने के बाद उसका प्रबन्धन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है। इसके लिये निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है—

1. परावर्तन पत्रिका को किसी लिफाफे (Folder) या जिल्द वाली नोट-बुक में या स्पायरल नोट बुक (Spiral Note Book) में रख सकते हैं।
2. परावर्तन पत्रिका को उपरोक्त ढंग से रखने के परिणामस्वरूप विद्यार्थी उसे 'रिव्यू' (Review) कर सकते हैं तथा उन पर निगरानी रख सकते हैं।
3. पत्रिका ही हर प्रविष्टि (Entry) की पहचान के लिये किसी 'प्रणाली' को निर्धारित करना चाहिये।
4. विद्यार्थियो के ग्रेड-स्तर के अनुसार पत्रिका को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सुगमता से पहुँचा जा सके। विद्यार्थियों को यह मालूम हो कि उनकी पत्रिका कहाँ पर मिलेगी।
5. पत्रिका के वितरण और उन्हें एकत्रित करने के लिये किसी स्पष्ट प्रणाली को निर्धारित करें।
6. यह अधिक उपयुक्त होगा यदि विद्यार्थी पत्रिकाओं को व्यक्तिगत रूप से कहीं रखें।

◆◆◆

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख और विवरणात्मक कथाएँ [Anecdotal Records and Narratives]

12. आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का अर्थ स्पष्ट करें। यह कितने प्रकार का होता है? अच्छे आकस्मिक अभिलेख के गुण बताएँ।
(Explain the meaning of Anecdotal Record? What are its types? Describe the qualities of a good anecdotal record.)

उत्तर–आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का अर्थ (Meaning of Anecdotal Record)—विभिन्न विद्वानों ने आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं। लेकिन इसे अवलोकन विधि में अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। साधारण शब्दों में आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से अभिप्राय है—विद्यार्थियों द्वारा लिखी डायरी, अध्यापकों द्वारा तैयार किये गये घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख कार्ड।

रैथस लुईस (Rathus Louis) के अनुसार, 'किसी विद्यार्थी की जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है।' (An anecdotal record is a report of significant episode in the life of a student.)

जॉन डी. विलार्ड (John D. Willard) ने आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को इस प्रकार परिभाषित किया है—

'आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख निरीक्षण की दृष्टि में किसी विद्यार्थी के लिये महत्त्व रखती हुई घटना का सरल विवरण या कथन होता है।' (An anecdotal record is a simple statement of an incident deemed by the observer to be significant with respect to a given pupil.)

—John D. Willard

इस प्रकार, उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं—

(i) आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख किसी अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया गया किसी विद्यार्थी के व्यवहार और व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ वर्णन है।
(ii) यह अभिलेख नियमित (Regular) निरीक्षण का परिणाम होता है।
(iii) यह बिना किसी तैयारी के किया जाता है।
(iv) इसे अनौपचारिक अवलोकन (Informal Observation) भी कहा जाता है।
(v) यह दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है।
(vi) इसमें किसी घटना को मौके पर ही रिकॉर्ड किया जाता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के प्रकार
(Types of Anecdotal Records)

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के निम्न स्वरूप होते हैं–

1. **पहली प्रकार (First Type)**–इस प्रकार के अभिलेख के अन्तर्गत विद्यार्थी के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ (Objective) अध्ययन होता है तथा इसमें किसी भी तरह के विचारों का समावेश नहीं किया जाता।
2. **दूसरी प्रकार (Second Type)**–इस प्रकार के अभिलेख में विद्यार्थी के व्यवहार के वर्णन के साथ-साथ संक्षिप्त-सी टीका-टिप्पणी भी लिखी जाती है।
3. **तीसरी प्रकार (Third Type)**–तीसरी प्रकार में विद्यार्थी के व्यवहार का विवरण एवं टीका-टिप्पणी के अतिरिक्त उसमें उपचार का वर्णन भी होता है।
4. **चौथी प्रकार (Fourth Type)**–इस चौथी प्रकार में व्यवहार का वर्णन, उसके गुण व दोषों के साथ होता है और भावी जीवन में उपचार के लिए सुझावों का उल्लेख भी होता है।

अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के गुण
(Qualities of Good Anecdotal Records)

1. प्रमुख सूचनाएँ (Selective Information)–एक अच्छे अभिलेख की यह विशेषता भी होती है कि उसमें प्रमुख सूचनाएँ ही रिकॉर्ड की जानी चाहिये। उचित निदान तभी संभव है यदि केवल सम्बन्धित तथा अर्थ-पूर्ण घटनाओं का ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में उल्लेख किया गया हो।

2. पृष्ठभूमि की जानकारी (Information of the Background)–आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता होनी आवश्यक है कि वह व्यक्ति या विद्यार्थी के बारे में पूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी प्रस्तुत करे।

3. वस्तुनिष्ठता (Objectivity)–एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में वस्तुनिष्ठता का होना अति आवश्यक है अर्थात् इसे पक्षपात, द्वेष आदि से मुक्त होना चाहिये।

4. पूर्ण चित्र (Complete Picture)–एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता भी होनी चाहिये कि वह किसी व्यक्ति या घटना के बारे में पूर्ण चित्र प्रस्तुत करे। अपूर्ण या अधूरा चित्र प्रस्तुत करने से हानि हो सकती है।

5. घटनाओं का विवरण तथा क्रम (Descriptions and Sequence of Events)–इस प्रकार के अभिलेख में दर्ज सूचनाओं या घटनाओं का उचित क्रम होना चाहिये तथा उनका विवरण भी क्रम में हो। घटनाओं के विवरण में उपयुक्त शब्दों (Relevant Terms) का प्रयोग ही किया जाना चाहिये।

आकस्मिक निरीक्षण के लाभ *(Advantages of Anecdotal Records)*

इस प्रकार के आलेख में निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. ये अभिलेख उपचारक सेवाओं (Clinical Services) में लाभदायक होते हैं।
2. इन अभिलेखों में विवरण की विविधता (Variety of Descriptions) देखने को मिलती है।
3. यह अभिलेख विद्यार्थियों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है।
4. इन अभिलेखों के माध्यम से अध्यापक हर बच्चे की ओर ध्यान दे सकता है।
5. ऐसे अभिलेखों से अन्य अध्यापकों को भी विवरण लिखने की अभिप्रेरणा मिलती है।
6. विद्यार्थियों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में की गई प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है।
7. इन अभिलेखों के परिणामस्वरूप अध्यापक का ध्यान पुस्तकीय ज्ञान से हटकर बालक के विकास की ओर आकर्षित होता है।

8. इन पंक्तियों का अध्ययन करके अध्यापक और परामर्शदाता बालकों की समस्याओं से पहले से ही परिचित हो जाता है। परिणामस्वरूप वह अधिक गहराई से सोच-विचार सकता है।
9. इस अभिलेख के आधार पर किसी के भी व्यक्तित्व का सही अनुमान लगाना संभव होता है। यह अनुमान निर्देशन सेवाओं में सहायक होता है।
10. ये अभिलेख बालकों की समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। इस दृष्टि से ये अभिलेख निर्देशन कार्य में बहुत सहायक होते हैं।
11. ये अभिलेख थोड़े समय में ही बालकों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
12. आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख अध्यापक के मन में बालक के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा अध्यापक बालक सम्बन्ध को सुदृढ़ करता है।

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख की सीमाएँ
(Limitations of Anecdotal Records)

इस प्रकार के अभिलेख का प्रयोग सीमित होता है। इसकी मुख्य सीमाएँ निम्नलिखित होती हैं–

1. कठिन व्याख्या (Difficult Interpretation)–इस प्रकार के आलेखों को पढ़कर व्याख्या करना कठिन कार्य माना जाता है। त्रुटिपूर्ण व्याख्या से निर्देशन कार्य प्रभावित हो सकता है।

2. रख-रखाव में कठिनाई (Difficulty in Maintenance)–आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को लिखना कठिन कार्य होता है, क्योंकि हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है। सभी बच्चों का यदि रिकॉर्ड लिख भी लिया जाये तो उसका रख-रखाव बहुत मुश्किल होता है।

3. आत्मनिष्ठता (Subjectivity)–ये अभिलेख आत्मनिष्ठ (Subjective) होते हैं। अध्यापक जो कुछ भी चाहता है उसे लिख देता है।

4. सभी प्रकार के वर्णन (All Types of Description)–इन अभिलेखों में व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों के दर्ज होने की संभावना रहती है। लेकिन इनमें सभी प्रकार के विवरण दर्ज होने चाहिये।

5. अवांछित व्यवहार का अभिलेख (Recording of Undesirable Behaviour)–इस प्रकार के अभिलेख में अवांछित व्यवहारों के रिकॉर्ड होने की संभावना बनी रहती है। अतः इसमें प्रतिकूल व्यवहारों को ही न दर्ज किया जाये, अपितु सभी प्रकार के व्यवहारों को दर्ज करना चाहिये।

6. अध्यापक की स्वयं की प्रतिक्रियाएँ (Teacher's Own Reactions)–कई बार ऐसी संभावनाएँ भी रहती हैं कि अध्यापक स्वयं की प्रतिक्रिया को नोट करता रहता है तथा वास्तविक विवरण नहीं देता।

◆◆◆

13. विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखें।
(Write a note on Narratives.)

उत्तर–विवरणात्मक कथाओं से अभिप्राय (Meaning of Narratives)–विवरणात्मक कथाएँ मौके पर घट रहे व्यवहारों का उसी रूप में लिखित क्रम होता है। यह बच्चे की गतिविधियों का विस्तार से वृत्तांत होता है।

(A narrative is written in sequence within an extended time period, taking on the spot records of behaviour as it is occurring). इसे रनिंग रिकॉर्ड (Running Record) भी कहते हैं।

उद्देश्य (Purpose)–किसी स्थिति के बारे में इस प्रकार के लिखित रिकॉर्ड जिसे कोई दूसरा व्यक्ति बाद में पढ़ सके और उस दृश्य को देख सके तथा व्यवहार के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों पर केन्द्रित करने का प्रयास किया जाता है तथा उसका वृत्तांत लिखा जाता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

लाभ (Advantages)–

(i) इसमें कोई पूर्व योजना तथा व्यापक प्रशिक्षण नहीं चाहिये।

(ii) यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित न होकर सभी व्यवहारों पर केन्द्रित होती है।

(iii) इसे दैनिक भाषा में लिखा जाता है।

(iv) बाद के विश्लेषणों के लिये उसे कोई भी प्रयुक्त कर सकता है।

(v) इसमें न्यूनतम यंत्रों/उपकरणों की आवश्यकता रहती है।

(vi) व्यवहार का क्रम, पर्यावरणीय सूचनाओं तथा दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित (Preserve) किया जा सकता है।

(vii) इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है।

दोष (Disadvantages)–

(i) एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में यह विधि कठिन लगती है।

(ii) रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है।

(iii) निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापकों के लिये ऐसा करना कठिन हो जाता है।

◆◆◆

खेल का अर्थ, विशेषताएँ तथा प्रकार
(Meaning, characteristics and Kinds of plays)

14. 'खेल' का अर्थ समझाएं। खेल की विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालें।
(Explain the meaning of 'Play'. Throw light on its characteristics.)

अथवा

बालकों के खेल की विशेषताएँ बताइए।
(Write characteristics of Children's Play.)

उत्तर–खेल का अर्थ (Meaning of Play)–खेल बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। खेलों के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के साथ-साथ सामाजिक अन्तःक्रिया का विकास होता है। खेलों को बालकों की वृद्धि और विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

खेल की क्रिया अहम-प्रेरित (Self-Motivated) होती है तथा आनन्ददायक भी होती है, खेल की क्रिया बच्चों में उत्साह, स्फूर्ति, आत्म विश्वास, चंचलता, प्रसन्नता आदि गुणों का विकास करती है।

आधुनिक युग में खेल के महत्त्व को विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसीलिए विभिन्न शाखाओं में खेल से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया गया है। जैसे–ड्रामा, संगीत, विभिन्न खेल इत्यादि। आजकल दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी 'खेलों' के महत्त्व को दर्शाया एवं बताया जा रहा है। खेलों से जुड़े खिलौनों के प्रयोग के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक विकास को बल प्रदान किया जा रहा है। ग्रास (Gross) के विचारानुसार खेलों के द्वारा बच्चे विभिन्न कौशलों का अभ्यास करते हैं।

क्रो एवं क्रो (Crow & Crow) ने खेल को इस प्रकार परिभाषित किया है–"खेल वह क्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है।" ("Play can be defined as the activity in which a person engages when he is free to do what he wants to.")

हरलॉक (Hurlock, 1978) के अनुसार, "खेल वह कोई भी क्रिया है, जो प्राप्त होने वाले आनन्द के लिए की जाती है, परंतु इसके अन्तिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है।" ("It means any activity engaged in for the enjoyment it gives, without consideration of the end result."

—Hurlock, 1978)

कुछ लोगों ने खेल को रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति माना है तथा कुछ लोग इसे आनन्दपूर्ण, स्वाभाविक तथा रचनात्मक क्रिया कहा है। वेलनटाइन (Valentine) के अनुसार खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। अतः 'खेल' (Play) एक स्वाभाविक (Spontaneous) और आत्म-प्रेरित (Self-Motivated) शारीरिक या मानसिक क्रिया है, जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। इसके परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता।

फ्रोबेल (Frobel) के अनुसार, "बच्चे के विकास का सर्वोत्तम रूप खेल ही है। सक्रियात्मक होता है तथा अंतःकरण का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता तथा संतोष प्रदान करता है, आन्तरिक और बाहरी आराम होता है।"

खेल की विशेषताएं
(Characteristics of Play)

खेल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं–

1. खेल स्वतंत्र होते हैं। वास्तव में यह स्वतंत्रता है।
2. खेल 'साधारण' (Ordinary) या वास्तविक जीवन नहीं होते।
3. खेल 'साधारण जीवन' (Ordinary life) से भिन्न होते हैं।
4. खेल 'व्यवस्था' (Order) पैदा करते हैं, खेल के लिए 'व्यवस्था' (Order) चाहिए।
5. खेल का सम्बन्ध किसी भौतिक रुचि से नहीं होता तथा इनमें से कोई 'लाभ' भी उठाया नहीं जा सकता।
6. खेल एक स्वाभाविक (Spontaneous) प्रवृत्ति है।
7. यह एक आत्म-प्रेरित शारीरिक मानसिक क्रिया है।
8. खेल शारीरिक या मानसिक क्रिया है।
9. यह स्वयं में पूर्ण होती है।
10. खेल बच्चों में स्फूर्ति और चंचलता पैदा करते हैं।
11. बच्चे खेल के अन्तिम परिणाम पर कोई विचार नहीं करते।
12. खेल का कोई गुप्त लक्ष्य नहीं होता। केवल प्रत्यक्ष लक्ष्य होते हैं।
13. खेल का मुख्य लक्ष्य आनन्द और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है।
14. खेल को जन्मजात प्रवृत्ति माना है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि खेल सीखने और वातावरण पर आधारित है।
15. प्रत्येक खेल में रचनात्मकता (Creativeness) का पाया जाना आवश्यक नहीं।
16. खेल से बालक में संतुष्टि का संचार होता है।
17. खेल बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
18. खेल स्वेच्छा पर आधारित होता है।
19. खेल आराम के रूप में भी कार्य करता है।

खेलों के प्रकार (Types or Forms of Place)–खेलों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित तीन आधारों पर कर सकते हैं–

1. खेल-साथियों की संख्या के आधार पर (On the Basis of Number of Playmates)
2. शारीरिक-मानसिक सक्रियता के आधार पर (On the Basis of Physical & Mental In-volvement)
3. खेल के स्थान के आधार पर (On the Basis of Play of the Play)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

1. खेल-साथियों की संख्या के आधार पर (On the Basis of Number of Playmates)– हर खेल मे खेलने वालों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। इस आधार पर खेल के कुछ प्रकार निम्नलिखित होतेहैं–

(i) **समान्तर खेल (Parallel Play)**–ये वे खेल होते हैं, जिनमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं तथा अलग-अलग खेलते हैं। खेल में उन्हें एक-दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। प्रारम्भ में बच्चों में सामाजिकता की मात्रा बहुत ही कम होती है। यह अवस्था लगभग चौदह माह तक की होती है। इस अवस्था के बच्चे अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर अकेले देखे जा सकते हैं। सात-आठ माह के बच्चों को यदि कुछ खिलौने दे दिये जाएं तो वह उन्हीं में लीन होकर रह जाते हैं। वह अपने आयु के अन्य बच्चों की परवाह भी नहीं करता है।

(ii) **सहचारी खेल (Associative Play)**–इस अवस्था में दो बच्चे एक-दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। इस अवस्था तक उनकी शारीरिक-मानसिक योग्यताओं का विकास तथा सामाजिक विकास इतना हो चुका होता है कि वे एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने लग जाते हैं। इस प्रकार का खेल बच्चे जिज्ञासावश तथा अकेलेपन के कारण खेलते हैं। इस खेल को वे तब खेलना शुरू करते हैं जब वे चलना और घिसटना सीख जाते हैं। वे खिलौनों के लिए छीना-झपटी भी करने लगते हैं।

(iii) **सामूहिक खेल (Group Play)**–वे ऐसे खेल होते हैं, जिनमें तीन या अधिक बच्चे भाग लेते हैं। बालकों के खेलों में सहयोग और सामूहिकता दिखाई पड़ती है। लगभग तीन-चार वर्ष की अवस्था से बालक ऐसे खेल खेलना शुरू कर देता है, परंतु अधिकतर बच्चे सात-आठ वर्ष की आयु से ये खेल खेलना शुरू करते हैं। इन खेलों में आस-पड़ोस के बच्चे शामिल होते हैं। उदाहरण–फुटबाल, क्रिकेट, हॉकी, आंख-मिचौली इत्यादि।

2. शारीरिक-मानसिक सक्रियता के आधार पर (On the Basis of Physical & Mental Involvement)–इन खेलों में वे खेल शामिल होते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं। इस आधार पर निम्न खेल होते हैं–

(i) **शारीरिक खेल (Physical Play)**–शारीरिक खेल वे खेल होते हैं, जिनमें बालकों का शरीर मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जैसे छोटे बच्चों का लेट कर हाथ-पैर मारना। पांच माह का बालक ऐसी क्रियाएं करता है। खेल के मैदान में बच्चों की मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा शारीरिक क्रियाएं अधिक सक्रिय होती हैं। इन क्रियाओं से बालकों का शारीरिक विकास और कौशलों का विकास अधिक होता है।

(ii) **मानसिक खेल (Mental Play)**–ये वे खेल होते हैं, जिनमें शारीरिक क्रियाएं कम तथा मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं। जैसे–शतरंज, कहानी सुनाना, पहेलियां बुझाना, ताश आदि।

3. खेल के स्थान के आधार पर (On the Basis of Place of the Play) : इस वर्ग के अन्तर्गत दो प्रकार के खेल आते हैं–

(i) **घर के अन्दर खेले जाने वाले खेल (Indoor Games)** : जैसे–ताश, कैरम, लूडो, चायनीज चेकर आदि।

(ii) **घर के बाहर खेले जाने वाले खेल (Outdoor Games)** : जैसे–क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिन्टन आदि।

खेल के प्रकार–
- → 1. खेल साथियों की संख्या के आधार पर
- → 2. शारीरिक-मानसिक सक्रियता के आधार पर
- → 3. खेल के स्थान के आधार पर

चित्र : 'खेल' के प्रकार या स्वरूप

◆◆◆

खेल तथा समूह गतिकी, खेलों के नियम तथा बच्चे मतभेदों तथा संघर्ष का समाधान करना कैसे सीखते हैं?
(Games and Group Dynamics, Rules of Games and How Children Learns to Negotiate Differences and Resolve Conflict)

15. खेल तथा समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का क्या संबंध है? खेलों के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मतभेदों तथा संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं?
(What is relationship between games and Group dynamics? What do you know about rules of games? How do children learn to negotiate differences and resolve conflict?)

उत्तर–खेलों तथा समूह गतिकी का महत्त्वपूर्ण संबंध होता है। बहुत से खेल सामूहिक रूप से खेले जाते हैं। जैसे खो-खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बॉस्केटबॉल, हैंडबॉल आदि। इन खेलों में खिलाड़ी को सामूहिक रूप से योगदान देना होता है। इन खेलों में खिलाड़ी समूह के रूप में एक टीम में खेलते हैं और समूह का एक नेता होता है, जिसको टीम का कैप्टन कहा जाता है। समूह गतिकी का खेलों में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का अर्थ
(Meaning of Group Dynamics)

समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता (Group Dynamics) एक महत्त्वपूर्ण संप्रत्यय है। सबसे पहले इस संप्रत्यय का प्रतिपादन कर्ट-लेविन (Kurt Lewin) ने सन् 1945 में किया था। यह वास्तव में समूहों के अध्ययन से संबंधित नया दृष्टिकोण है। कर्ट-लेविन के अनुसार समूह गतिकी से अभिप्राय समूह से संबंधित तथा विशेषतौर पर छोटे समूहों के उन प्रभावों तथा बलों (Forces) से होता है, जिनसे समूह के सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। इसी कारण से समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे समूह-गतिकी (Group dynamics) का नाम दिया तथा इसके अंतर्गत समूह के भीतर घटित होने वाली भिन्न-भिन्न की प्रक्रियाओं जैसे–समूह-व्यवहार, समूह-निर्माण, नेतृत्व, शक्ति-परिवर्तन आदि से संबंधित अध्ययनों को शामिल किया। समूह-गतिकी को परिभाषित करने के विभिन्न प्रयास किये गये हैं। **फिशर** (1983) के अनुसार, "समूह गतिकी या गत्यात्कता अध्ययन से संबंधित एक ऐसा क्षेत्र है, जो उन बलों या दबावों का उल्लेख करता है। जिनसे छोटे समूह में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है।"

कार्टराइट तथा **जैंडर** के अनुसार, "समूह गतिकी जांच पड़ताल का ऐसा क्षेत्र है, जो समूहों की प्रकृति से संबंधित विकसित ज्ञान, उनके विकास संबंधी नियमों तथा व्यक्तियों, दूसरे समूहों तथा अन्य बड़ी संस्थाओं के साथ उनके अंतःसंबंधों से संबंधित है।"

गुड के अनुसार, "समूह गत्यात्मकता का प्रयोग उन अंतःक्रियात्मक मनोवैज्ञानिक संबंधों के लिए किया जाता है, जिसमें समूह के सदस्य समान उभयनिष्ठ अनुभूतियों को विकसित करते हैं, क्योंकि समान साझे, अनुभवों तथा भावनाओं पर आधारित होते हैं।"

क्रैच एवं **क्रचफील्ड** के मतानुसार, "समूह गत्यात्मकता उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो समूहों में होते हैं।"

अतः उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि समूह गतिकी या गत्यात्मकता ज्ञान से संबंधित वह शाखा है, जो समूहों का अध्ययन करती है तथा वह समूहों की प्रकृति एवं स्वरूप (nature)

CIMETRIX

तथा क्रियाशीलता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। समूहों का निर्माण कैसे होता है? समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से तथा कैसे प्रभावित करते हैं? इस प्रकार से समूह गतिकी या गत्यात्मता हमें समूह में विद्यमान मानवीय व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है।

समूह गतिकी या गत्यात्मकता की शैक्षिक उपयोगिता
(Educational Implication of Dyanmics)

समूह-गतिकी या समूह-गत्यात्मकता हमें किसी भी समूह की प्रकृति एवं स्वरूप (Nature) तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। समूह में रहकर ही बच्चों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा हर समूह में संसक्तिशील (Cohesive) तथा विघटनकारी (Disruptive) दोनों तरह के बल कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के बलों से समूह में सदस्यों का व्यवहार प्रभावित होता है तथा समूह में परिवर्तन आता है।

जब समूह के सदस्यों का व्यक्ति वैयक्तिक लक्ष्य (Individual Goal) तथा समूह के लक्ष्य (Group Goal) में मतभेद (Differences) या संघर्ष (Conflict) होता है तथा समूह में विघटनकारी बल सक्रिय माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समूह का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ते हैं। खेलों में भी विघटनकारी बल कार्य करते हैं। इन विघटनकारी बलों से टीम के सदस्यों का व्यवहार भी प्रभावित होता है। खेलों में जब टीम के सदस्यों का वैयक्तिक लक्ष्य या टीम के लक्ष्यों में मतभेद या संघर्ष होता है तो टीम में विघटनकारी बल सक्रिय होते हैं। खेलों में मतभेद तथा संघर्ष का समाधान अत्यंत आवश्यक है।

खेलों के नियमों का खेलों की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक खेल के लिए नियम बनाए जाते हैं। सामूहिक खेलों में खेलों के नियमों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

समूह गतिकी की सहायता के बच्चे मतभेदों को समाप्त करना तथा संघर्ष का समाधान करना सीखते हैं। समूह में रहकर बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके साथ-साथ समूह में रहकर ही बच्चे सुझाव, अनुकरण तथा सहानुभूति आदि के प्रति संवेदना व्यक्त करना सीखते हैं। बच्चों की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं तथा आंतरिक शक्तियों का विकास भी समूह में रहकर ही होता है। सामूहिक जीवन में रहकर ही बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा सौंदर्यात्मक विकास होता है। सामूहिक जीवन के माध्यम से ही बच्चों में पारस्परिक स्नेह, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास तथा वफादारी आदि से संबंधित गुणों का विकास होता है।

आपसी मतभेद को समाप्त करने तथा संघर्ष का समाधान करने में सात्मीकरण की अहम भूमिका होती है। सात्मीकरण की प्रक्रिया से बच्चों के समूहों में आपसी मतभेद समाप्त होते हैं तथा उनके दृष्टिकोणों में समानता विकसित होती है। इस प्रकार के द्वारा दो समूहों तथा संस्कृतियां इस प्रकार मिल जाते हैं कि इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। इसलिए सात्मीकरण को दृष्टिकोणों तथा मूल्यों का संपूर्ण मिश्रण तथा सामाजिक संपर्कों का परिणाम माना जाता है अर्थात् यह एक समझौता कराने वाली प्रक्रिया न होकर पूर्ण रूप से मिलाने वाली प्रक्रिया है। खेल में भी सात्मीकरण का अत्यंत महत्त्व है। जब दो व्यक्ति, समूह या संस्कृतियां एक-दूसरे के व्यवहार और आदर्शों को स्वीकार कर लेते हैं तथा एक-दूसरे से इस प्रकार घुलमिल जाते हैं कि उनमें कोई अंतर करना कठिन हो जाता है तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। यह दो भिन्न-भिन्न समूहों या सांस्कृतियों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का संपूर्ण सम्मिश्रण है। अतः बच्चे मतभेदों तथा संघर्षों का समाधान सात्मीकरण के माध्यम से सीखते हैं।

◆◆◆

L A X M I ®

EXAM NOTES

बाल्यावस्था तथा विकास

[CHILDHOOD AND GROWING UP]

[Paper–1]

UNIT-III

3. ***Theoretical Perspectives to enhance Learning among Children and Adolescents***
   - *Learning: Meaning, implicit knowledge and beliefs.*
   - *Perspective on Human Learning: connectionists or Behaviorist (Thorndike, Classical and Operant Conditioning)*
   - *Cognitivist (Insightful learning, Tolman's Sign learning theory)*
   - *Constructivism*
   - *Bruner's discovery learning:*
   - *Concepts and principles of each perspective and their applicability in different learning situations.*
   - *Relevance and applicability of various theories of learning for different kinds of learning situations.*
   - *Role of learner in various learning situations as seen in different theoretical perspectives.*
   - *Role of teacher in teaching learning situations.*

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani ™

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

4

बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
(Theoretical Perspectives to Enhance Learning Among Children and Adolescents)

अधिगम
(Learning)

1. सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने या अधिगम की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? वर्णन कीजिये।

(What do you mean by learning? What are the various characteristics of learning? Explain.)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

उत्तर–सीखने या अधिगम का अर्थ (Meaning of Learning)–हमारे दैनिक जीवन में सीखने का बहुत महत्त्व है। जन्म के समय व्यक्ति असहाय होता है। धीरे-धीरे वह वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरण के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। इस क्रिया में वह अपने तथा परिवार व समाज के अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता हैं। भाषा बोलना, पढ़ना, लिखना तथा बहुत-सी अन्य आदतें भी हम सीखते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार समाज के अनुरूप हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के बहुत से शीलगुणों का निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति या जीव में कुछ जन्मजात संस्करण होते हैं, जो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। बाह्य वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया को ग्रहण करना ही मनोविज्ञान में सीखना कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भूख की स्थिति में बन्दर की छीनने की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक होगी, परन्तु एक बालक के माँगने की प्रतिक्रिया सीखने का परिणाम होगा। सीखना एक प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में अभ्यास का बहुत महत्त्व है। अभ्यास के अभाव में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सीखने से सम्बन्धित नहीं होते। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं।

वुडवर्थ (**Woodworth**) के अनुसार–'अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है।' *(The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of Learning.)*

क्रो एवं क्रो (Crow and Crow) ने भी अधिगम को आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया है। *(Learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude.)*

जे. पी. गिलफोर्ड (J.P. Gillford) ने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम माना है। *(Learning is any change in behaviour resulting from behaviour.)*

क्रॉनबैक (Cronbach) ने कहा है कि अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। *(Learning is shown by a change in behaviour as a result of experience.)*

पैवलव (Pavlov) ने अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को ही अधिगम माना है। *(Learning is habit formation resulting from conditioning.)*

गेट्स (Gates) के अनुसार–"सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है।" *(Learning is modification of behaviour through experience.)*

किंग्सले तथा गैरी (Kingsley and Garry) के अनुसार–"शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार की अभ्यास या ट्रेनिंग द्वारा उत्पत्ति होती है या उसमें परिवर्तन होता है।" *(Learning is a process by which behaviour is originated or change through practice or training.)*

कॉलविन (Colvin) के अनुसार–"पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।" *(Learning is the modification of our readymade behaviour due to experience.)*

2. अधिगम या सीखने की विशेषताएँ (Characteristics of Learning)—अधिगम पर सीखने की प्रक्रिया की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित हैं–

(1) अधिगम निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है (Learning is a Continuous Process)–अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाती है। जन्म होने के पश्चात् बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से अर्थात् औपचारिक- अनौपचारिक रूप से तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता ही रहता है। अधिगम को उत्पादन *(Product)* न मानकर उसे प्रक्रिया माना जाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, आदतों, अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों का विकास होता रहता है। अधिगम का परिणाम ज्ञान के संचय के रूप में होता है तथा यह संचय जीवन भर होता है।

(2) अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है (Learning is Change in Behaviour)–सीखने की प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्राप्त किया जाता है। सीखना किसी भी प्रकार का क्यों न हो–परिणाम वही होगा अर्थात् व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये परिवर्तन वांछित दिशा तथा वांछित रूप में हों अर्थात् ये परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हों।

(3) अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है (Learning is a Universal Process)–अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि सीखना किसी एक देश, जाति या धर्म का ही अधिकार नहीं है। यह तो सभी के लिए है, हर स्थान के लिए है, हर जाति तथा हर धर्म के लिए है। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है। अवसरों की आवश्यकता रहती है। सीखने में जो अन्तर दिखाई देता है वह अवसरों में भिन्नता के कारण ही होता है।

(4) अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है (Learning is Adjustment)–अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान होता है। जन्म के समय बच्चा शत्-प्रतिशत दूसरों पर आश्रित होता है। लेकिन समय के साथ-साथ उसे अपनी आन्तरिक अनुक्रियाओं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। वह सर्वप्रथम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, लेकिन इस समायोजन का आधार उसका अधिगम ही होता है।

(5) अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य-केन्द्रित है (Learning is Purposive and Goal-Oriented)–अधिगम हमेशा लक्ष्य-केन्द्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है तो अधिगम प्रक्रियां का प्रभाव किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे-वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं।

(6) अधिगम विकास की प्रक्रिया है (Learning is Process of Development)–अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है–वांछित या अवांछित *(Desirable or undesirable)* लेकिन हमारा सम्बन्ध तो व्यक्ति के वांछित दिशा में विकास से होता है। कोई बालक यदि चोरी करना या जेब काटना सीखता है तो भी अधिगम है लेकिन यह अवांछित है। समाज ऐसा विकास कभी नहीं चाहेगा। अतः अधिगम को हमेशा विकास के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है।

(7) अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है (Learning is New Organisation of Experience)–अधिगम या सीखने का आधार है–नवीन अनुभव ग्रहण करने। उन्हें नये अनुभवों के परिणामस्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर नये-नये अनुभव प्राप्त होते हैं तथा एक नई व्यवस्था जन्म लेती है।

(8) अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है (Learning is the Product of Activity and Environment)–अधिगम प्रक्रिया के लिए वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करण मूलरूप से अनिवार्य है। बिना इस अन्तःक्रिया के अधिगम प्रक्रिया का कोई परिणाम संभव नहीं हो सकता। वातावरण के साथ बच्चों की अन्तःक्रिया जितनी अधिक होगी, उतना ही उन बच्चों का अधिगम अधिक होगा। अतः बिना किसी क्रिया एवं अन्तःक्रिया के अधिगम का कोई परिणाम नहीं हो सकता। यही अन्तःक्रिया बच्चों को अनुभव प्रदान करती है तथा उन्हीं अनुभवों के परिणामस्वरूप बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(9) अधिगम शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक (Learning Helps in Achieving Teaching-Learning Objectives)–शिक्षा अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण-अधिगम के भिन्न-भिन्न उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां, कुशलताएँ तथा दृष्टिकोणों का विकास किया जा सकता है। इन्हें अर्जित करने के पश्चात् ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित होता हैं अर्थात् शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिगम प्रक्रिया ही मुख्य साधन है।

(10) अधिगम का स्थानान्तरण होता है (Learning is Transferable)–किसी एक परिस्थिति में अर्जित किया गया अधिगम दूसरी अन्य परिस्थिति में स्थानान्तरित होने में सूक्ष्म होता है। एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी अन्य परिस्थिति में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसी को अधिगम का स्थानान्तरण *(Transfer of Learning)* कहते हैं। कई बार यह पूर्व अर्जित ज्ञान नव-ज्ञान को अर्जित करने में बाधा भी पैदा कर सकता है।

(11) अधिगम का सम्बन्ध व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से है (Learning is Related to Individual and Social Needs)–व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तथा समाज का अभिन्न अंग है। वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हर व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं जोकि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या धार्मिक हो सकती हैं। लेकिन सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताएँ कभी भी पूर्ण नहीं होतीं। ऐसी स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं

को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसी नियंत्रण करने की प्रक्रिया को 'परिस्थितियों के अनुकूल ढालना' कहते हैं। अतः अधिगम प्रक्रिया व्यक्ति और आवश्यकताओं में संतुलन पैदा करती है। सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति की अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहती।

(12) अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है (Learning is Helpful in All-Round Development of Personality)–हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास चाहता है। संतुलित और सर्वांगीण विकास में अधिक प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

(13) अधिगम अनुसंधान करता है (Learning is Research)–अनुसंधान करना भी एक प्रकार का अधिगम होता है। अनुसंधान के दौरान व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है तथा कई क्रियाएँ करने के पश्चात् किसी एक परिणाम पर भी पहुँचता है। इस दृष्टि से अनुसंधान करना भी अधिगम है।

(14) अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव है (Learning is Determined by Conscious as Well as Unconscious Experience)–अधिगम चेतन और अचेतन अनुभवों द्वारा निर्धारित होता है। यह सीखने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या अनजाने में अर्जित किया जाता है।

(15) अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित है (All Modes of Behaviour are Affected by Learning)–अधिगम व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इनमें कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, भय, शिष्टाचार इत्यादि शामिल हैं।

(16) अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है (Learning is the Fundamental Process of Life)–अधिगम को जीवन की मूलभूत प्रक्रिया माना गया है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है और न ही किसी प्रकार की प्रगति संभव है। यह सभ्यता की प्रगति के लिए आधार का कार्य करता है।

(17) अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति सम्पूर्ण प्रतिक्रिया है (Learning is Total Reaction of the Individual to Total Situation)–अधिगम सम्पूर्ण परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की पूर्ण प्रतिक्रिया है अर्थात् वह किस परिस्थिति के बारे में किस प्रकार प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है–यही उसका अधिगम कहलायेगा।

(18) अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक है (Learning is Creative and Active)–अधिगम की प्रक्रिया सदा सक्रिय होती है अर्थात् सीखने वाला स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। अतः अधिगम सक्रिय होता है। इसी प्रकार अधिगम को सृजनात्मक *(Creative)* माना जाता है।

(19) अधिगम विवेकपूर्ण है (Learning is Intellectual)–अधिगम को एक मेकैनिकल प्रक्रिया *(Mechanical process)* नहीं कहा जा सकता। यह तो एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना किसी चिंतन के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और न ही किसी कार्य में सफलता मिलती है। अतः इस कार्य को बड़ी शीघ्रता से सीखा जा सकता है, जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाए।

(20) अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया में सम्बन्ध है (Learning is Relationship between Stimulus and Response)–अधिगम का प्रायः उद्दीपन और अनुक्रिया से सम्बन्ध होता है। किसी कार्य को सीखे हुए व्यक्ति उन्हें कहते हैं जब वे उद्दीपन अर्थात् उस कार्य के अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। अधिगम द्वारा व्यक्ति पर्यावरण सम्बन्धी तथा जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े हुए उद्दीपनों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रियाएँ करना सीखता है।

◆◆◆

मानवीय अधिगम पर परिप्रेक्ष्य : संयोजनवादी या व्यवहारवादी
[Perspective on human Learning : Connectivists or Behaviourist]

1. थार्नडाइक का प्रयास एवं मूल सिद्धांत
(Thorndike's Trial and Error Theory)

2. थार्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Thornedike's Trial and Error Theory? Describe the educationla implications of this theory.)

उत्तर–

प्रयास एवं भूल का सिद्धान्त
(Trial and Error Theory)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन थार्नडाईक (Thorndike) ने 1898 में किया था। उसके अनुसार, मानवों और जानवारों की सीखने की प्रक्रिया बहुत सीमा तक प्रयासों एवं मूलों (Trail and Error) पर निर्भर करती है। अपने इस सिद्धान्त के पक्ष में उसने जावनरों पर कुछ प्रयोग किये जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। इस उद्दीपन-अनुक्रिया का सिद्धान्त (Theory of Stimulus–Response) तथा संयोजनवाद (Connectionism) का सिद्धान्त भी कहा जाता है।

थार्नडाईक के अनुसार, **"सीखना सम्बन्ध स्थापित करना है तथा सम्बन्ध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। उसके अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूलें वैसे वैसे कम होती जाती हैं। अतः मनुष्य अपनी भूलों से ही सीखता रहता है। अतः हम अपनी गल्तियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं।"**

इस प्रकार प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रहना शामिल है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती।

प्रयास और भूल के सिद्धान्त की विशेषताएँ
(Characteristics of Trial and Error Theory)

(i) अधिगम ही संयोजन है (Learning is Connection)–उद्दीपन सिद्धान्त के अनुसार अधिगम की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ सम्बन्ध स्थापित होता है। इस सत्य का परीक्षण थार्नडाईक ने चूहों, मछली तथा बिल्लियों पर प्रयोग करके किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का आधार स्नायुमंडल है। स्नायुमंडल (Nervous System) में एक स्नायु का दूसरी स्नायु (Nerve) से सम्बन्ध हो जाता है।

(ii) संयोजन सिद्धान्त (Connectionism)–थार्नडाईक के परिणाम यह बताते हैं कि संयोजन सिद्धान्त मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो है ही, साथ ही वह अधिगम का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी है।

(iii) सम्पूर्ण इकाई नहीं (Not a complete unit)–संयोजनवाद मानव को सम्पूर्ण इकाई नहीं मानता। वह तो व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह मत संयोगों (Bonds) को महत्त्व देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित कर लेता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है।

CIMETRIX

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोग
(Experiments done by various Psychologists)

1. थार्नडाईक द्वारा भूखी बिल्ली पर प्रयोग (Experiment on a hungry cat by Thorndike)—थार्नडाईक ने भूखी बिल्ली को एक बाक्स में बंद कर दिया। इस संदूक में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसके अन्दर एक चिटकनी लगी थी जो बाक्स के दरवाज़े या ढक्कन को बंद करती थी। इस चिटकनी पर पैर पड़ते ही यह खुल जाता था। बाक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया गया। सन्दूक या बाक्स में बंद बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी। मछली का बाहर पड़ा टुकड़ा देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी तथा वह यह 'प्रयास' (Trials) करने लगी कि वह किसी तरह उसके बाक्स से बाहर निकल आये और उस टुकड़े को प्राप्त कर ले। बाक्स के बाहर निकलने के लिये उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी। इधर-उधर पजें मारने लगी। इस उछल-कूद की प्रक्रिया में संयोग से उसका एक पैर चिटकनी पर पड़ गया। चिटकनी खुलने से वह बाक्स खुल गया तथा बिल्ली को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह आ गई तथा बाहर पड़े मछली के टुकड़े को प्राप्त करके उसने अपनी भूख मिटाई।

थार्नडाईक ने यह प्रयोग बिजली पर कई बार दोहराया गया। शुरू शुरू में प्राथमिक प्रयासों (Trials) की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे-धीरे यह कम होती चली गई। बार बार इस प्रयोग को दोहराने पर एक स्थिति ऐसी भी आ गई जब बिल्ली ने कोई भूल किये बिना पहली बार में ही चिटकनी को पाँव दबा कर खोल लिया तथा बाहर जाकर मछली के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर लिया।

इस प्रयोग को थार्नडाईक ने लगातार 10 दिन तक किया। उसने बिल्ली को कुल 5 प्रयास दिये। अन्त में बिल्ली एक ही प्रयास द्वार बिना त्रुटि किये बाक्स खोलना सीख गई। इस प्रयोग में कुछ आवश्यक तत्त्वों ने कार्य किया जो कि निम्नलिखित हैं—

प्रयास और भूल द्वारा सीखने के आवश्यक तत्त्व
(Essential Elements or features of Trial and Error Learning)

1. अभिप्रेरणा (Motivation)—सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। इसके अभाव में इस सिद्धान्त के अनुसार सीखना कठिन है। प्रारम्भ में सीखने वाला व्यक्ति समायोजन करने में असमर्थ होता है। किसी प्रकार के तनाव के अभाव में व्यक्ति तत्काल स्वयं को समायोजित करने में सफल होता है तथा उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाक्स में भूखी बिल्ली के लिये बाहर आना तथा मछली खाने का उद्दीपन उसे कुछ प्रयास करने के लिये अभिप्रेरित करता है। यदि किसी संतुष्ट बिल्ली को बाक्स में बंद किया जाये तो कोई उद्दीपन उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता।

2. बाधा (Barrier or Obstacle)—किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किसी बाधा का होना आवश्यक है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पायेगा। यदि कोई बाधा नहीं होती तो कोई भी कुछ भी सीख नहीं पायेगा। इसी बाधा को ही दूर करने के प्रयास किये जाते हैं।

3. निरर्थक अनुक्रियाएँ (Random Movements)—इस प्रयोग के दौरान व्यक्ति कुछ निरर्थक अनुक्रियाएँ करता है। परन्तु ये निरर्थक अनुक्रियाएँ हमारे लिये सहायक सिद्ध होती हैं क्योंकि इन्हीं में से हमें उन अनुक्रियाओं का पता चलता है जो हमारी समस्या के समाधान के लिये अनुकूल नहीं होती। अतः इन निरर्थक क्रियाओं को दोहराया नहीं जाता। प्रो. डेशियल (Prof Dashiell) के अनुसार, 'निरर्थक अनुक्रियाएं हमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं।' (Random responses help us is an indirect manner.)

4. व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना (Elimination of wrong responses)—इस विधि में व्यर्थ, गल्त और असफल अनुक्रियाओं को एक एक कर के दूर किया जाता है। इससे सही अनुक्रिया सीखी जा सकती है।

5. आकस्मिक सफलता (Chance Success)—निरर्थक अनुक्रियाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक रूप से सफल-अनुक्रिया अर्जित की जा सकती हैं।

6. चयन (Selection)—निरर्थक अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर लिया जाता है अर्थात् वह व्यवहार जिसके द्वारा बाक्स की चिटकनी तथा दरवाज़ा खुल जाते हैं।

7. स्थिरता (Fixation)—अन्त में बिल्ली सभी त्रुटियों और गल्त प्रयासों को छोड़ कर यही प्रयत्न करना सीख गई तथा वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार हम निरन्तर प्रयास करते हुए अपनी भूलों या त्रुटियों को कम करते चले जाते हैं और इसी तरह से गल्त अनुक्रियाओं (Incorrect Responses) के स्थान पर सही अनुक्रियाओं (Correct Responses) को व्यक्त करना सीख जाते हैं।

उपरोक्त विवरण के आधार पर प्रयास और मूल विधि का विश्लेषण किया निम्न प्रकार से किया जा सकता हैं—

1. सीखने वाले व्यक्ति का अपना उद्देश्य या लक्ष्य होता है। उपरोक्त प्रयोग में उद्देश्य है बाक्स से बाहर निकलना तथा भोजन ग्रहण करना।
2. निश्चित उद्देश्य के पश्चात्, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है।
3. इन अनुक्रियाओं में से कुछ अनुक्रियाएं उद्देश्य अर्जित करने में सहायता देती हैं।
4. वह प्रतिक्रिया जो उद्देश्य अर्जित करने में सहायक हो, आदत का हिस्सा बन जाती है। जब वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है तो वह वही अनुक्रिया का प्रयोग करता है और वे भी अधिक कुशलता से।
5. वे प्रतिक्रियाएँ जो उद्देश्य अर्जित करने में सहायक नहीं होती, आलोप हो जाती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयास और भूल विधि एक प्रकार का क्रम होता है तथा इसके द्वारा अपेक्षित परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है।

2. मैकडल द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग (Rat experiment by McDougall)—इस प्रयोग में भी चूहे को एक ऐसे छोटे बक्से में बन्द कर दिया गया जिसका रास्ता छुपा हुआ था। चूहे ने 165 बार गल्तियां करने के पश्चात् अन्त में सही रास्ता ढूंढ ही लिया।

3. मार्गन द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग (Dog experiment by Morgan)—एक कुत्ते को एक ऐसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसका दरवाज़ा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। कुत्ते ने कई प्रयास किये और अन्त में दरवाज़ा खोलने में सफल हो गया।

सीखने के नियम
(Laws of Learning)

उपरोक्त अधिगम सिद्धान्तों में थार्नडाईक द्वारा किये गये प्रयोग काफी प्रसिद्ध हुए। उसने प्रयास और भूल के सिद्धान्त को आधार बना कर सीखने सम्बन्धी कई नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. प्रमुख नियम (Main Laws)   2. गौण नियम (Secondary Laws)

1. प्रमुख नियम *(Main Laws)*

(a) तत्परता का नियम (Laws of Readiness)—इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिये तत्पर होता है तब वह बड़ी तीव्रता तथा शीघ्रता से सीखता है और परिणामस्वरूप उसे संतुष्टि अर्जित होती है। इस नियम को प्रेरणा का नियम (Law of Motivation) भी कहा जाता है।

CIMETRIX

वुडवर्थ (Woodworth) ने इसे मानसिक तैयारी का नियम (Law of Mental Set) कहा है। इसके अनुसार ही, यदि हम सीखने के लिये तैयार नहीं होते तो हम शीघ्रता और तीव्रता से नहीं सीख सकते। अतः किसी भी कार्य को सीखने के लिये मानसिक तौर पर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए।

शैक्षिक उपयोगिता (Educational Implications)—इस नियम का शैक्षिक महत्त्व इस प्रकार है—

1. ध्यान रुचि पैदा करना (Arousing attention and Interest)—तत्परता के नियम का पालन करने से विद्यार्थियों में ध्यान तथा रुचि को उत्पन्न करना सुगम हो जाता है।

2. जिज्ञासा पैदा करना (Arousing curiosity)—सीखने के दौरान विद्यार्थी में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। इस नियम का पालन करके हम कक्षा में विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं।

3. विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना (Motivating the students)—अभिप्रेरणा को सीखने या अधिगम हृदय माना जाता है। यदि विद्यार्थी को उपयुक्त अभिप्रेरणा मिले तो वह कुछ सीखने के लिये मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तथा अपनी सारी शक्तियाँ सीखने की प्रक्रिया में झौंक देता है। अतः इस नियम का अनुकरण करते हुए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

4. नवीन ज्ञान के लिये तैयारी (Readiness for new knowledge)—कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे को नया ज्ञान देने से पूर्व उन्हें मानसिक रूप से तैयार करे। इस तैयारी में बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं (Individual Differences) की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है।

5. जबरदस्ती कार्य नहीं (No compulsion)—अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को नवीन ज्ञान सीखने या नई क्रिया करने के लिये उस समय तक बाध्य न करे जब तक कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो जाते। तब तक कोई कार्य नहीं सिखाया जाना चाहिए।

6. निहित योग्यताओं का पता लगाना (To explore hidden abilities)—अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता आदि का परीक्षण कर ले। ऐसा करने से बालकों में निहित योग्यताओं और क्षमताओं का पता चल जायेगा।

(b) प्रभाव का नियम (Law of Effect)—इस नियम को 'प्रसन्नता एवं दुख का नियम' (Law of Pleasure and Pain) या 'संतुष्टि एवं कष्ट का नियम' (Law of Satisfaction and Annoyance) भी कहा गया है। हर कार्य का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जैसे, कई कार्यों का अन्त प्रसन्नतापूर्वक होता है तथा कईयों का दुखदायक संतुष्टि अथवा प्रसन्नता से जुड़े कार्यों को बार बार दोहराने से अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वे कार्य जिनका सम्बन्ध कष्ट, दुख, दंड इत्यादि से होता है, नहीं दोहराये जाते तथा उनका प्रभाव या शक्ति भी दुर्बल पड़ जाती है।

थार्नडाईक के अनुसार, जब किसी परिस्थिति या अनुक्रिया के बीच एक सुधार योग्य सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा उसके साथ संतोषजनक स्थिति या अवस्था का सम्पर्क हो जाता है, तो ऐसे सम्बन्ध की शक्ति बढ़ती है, परन्तु जब उसके साथ कष्ट जुड़ा होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है।

शैक्षिक उपयोगिता
(Educational Implications)

प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्त्व निम्न प्रकार से है—

1. उचित मनोभावों का विकास (Development of desirable sentiments)—इस नियम के अनुकरण से विद्यार्थियों में उचित मनोभावों को विकसित किया जा सकता है। सकारात्मक (Positive) मनोभावों को परिस्थितियों की संतोषजनक अवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है।

2. रुचि का सम्बन्ध (Relationship of Interest)—रुचि का इस नियम के साथ सीधा एंव स्पष्ट सम्बन्ध है। रुचि से संतोष मिलता है तथा इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है।

3. स्मरण शक्ति का सम्बन्ध (Relationship of Memory)—प्रभाव के नियम के साथ स्मरण शक्ति का भी सीधा सम्बन्ध पाया गया है। रोचक चीज़ों की अपेक्षा शीघ्र याद हो जाती है तथा अधिक समय तक याद रहती हैं।

4. अच्छी आदतों का निर्माण (Formation of good habits)—इस नियम का पालन करने से बच्चों में अच्छी आदतें और उत्तम दृष्टिकोणों का विकास होता है तथा दंड या असंतुष्टि के परिणामस्वरूप बुरी आदतों को भी दूर किया जा सकता है।

5. क्रोध तथा ईर्ष्या के संवेग (Emotion of anger and jealousy)—इस नियम की मदद से क्रोध तथा ईर्ष्या के संवेगों को दूर या कम किया जा सकता है क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या को असंतुष्टि या कष्ट की अवस्था से सम्बद्ध किया जा सकता है।

6. पुरस्कार और दंड के सिद्धान्त की निर्भरता (Dependence of reward and punishment)—पुरस्कार और दंड का सिद्धान्त इस नियम पर निर्भर करता है। अच्छे व्यवहार का सम्बन्ध पुरस्कार और बुरे व्यवहार का सम्बन्ध दंड के साथ जोड़ा जा सकता है।

7. कदाचारी व्यवहार का सुधार (Rectifying delinquent behaviour)—कदाचारी व्यवहार को दंडित करके उसमें सुधार किया जा सकता है।0

प्रभाव के नियम के दोष (Limitations of Law of Effect)—इस नियम के कुछ दोष भी हैं जैसे—

1. कई परिस्थितियों में देखा गया है कि पुरस्कार की अपेक्षा दंड का प्रभाव अधिक होता है।
2. ऐसा भी देखा गया है कि रोचक अनुभवों की अपेक्षा अरोचक अनुभवों को अधिक लम्बे समय तक याद रखा जाता है या याद रहते हैं।
3. कई बार एक परिस्थिति में कुछ कार्य संतोष प्रदान करते हैं लेकिन किसी अन्य परिस्थिति में वही कार्य उसे कष्ट दे सकता है।
4. कई बार संतोष एवं कष्ट देने वाले कार्यों की पहिचान कठिन हो जाती है।

(c) अभ्यास का नियम (Law of Exercise)—इस नियम का दूसरा नाम है— उपयोग तथा अनुपयोग का नियम (Law of use and disuse)। यह कहावत प्रसिद्ध है कि- 'करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान' (Practice makes a man perfect.)। अतः जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसके चिन्ह मस्तिष्क में दृढ़ हो जाते हैं। इस नियम के अन्तर्गत दो उप-नियम आते हैं—

1. उपयोग का नियम (Law of Use)—यह नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है। जब परिस्थिति तथा अनुक्रिया के बीच संशोधन योग्य सम्बन्ध बन जाए तो अन्य बातें समान होने पर उस सम्बन्ध की शक्ति बढ़ जाती है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं या उसे बार बार उपयोग करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं तथा इस प्रकार उस कार्य में कुशल हो जाते हैं।

2. अनुपयोग का नियम (Law of Disuse)—अनुपयोग के नियम के अन्तर्गत अन्य बातें समान रहने पर भी यदि क्रिया अनुपयोगी होती है तो संयोगों के निर्धारण में यह क्षीण हो जाती है।

साधारण शब्दों में अभ्यास का नियम हमें यह बताता है कि यदि सीखने की किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावपूर्ण और स्थाई बन जाती है। इसके विपरीत, यदि सीखे हुए कार्य को दोहराने का अवसर नहीं मिलता तो विस्मृति (Forgetting) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

शैक्षिक उपयोगिता (Educational Implications)—अभ्यास के नियम की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित हैं—

1. मौखिक अभ्यास (Verbal Practice)—अध्यापकों को चाहिए कि वह जो कुछ भी पढ़ाएँ उसका मौखिक अभ्यास अवश्य करवाएं। मौखिक अभ्यास से पढ़ी गई सामग्री की पुनरावृत्ति होती है तथा अधिगम प्रभावशाली होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. दोहराना (Repetition)—पढ़ाये गये पाठों को समय समय पर दोहराते रहना चाहिए। इससे बालकों का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेत रहता है। पाठ्य-सामग्री को दोहराने का भी अवसर मिलता रहता है।

3. वाद-विवाद (Discussion)—अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों में विषय के अनुकूल वाद-विवाद कराए। वाद-विवाद से अभ्यास तो होता ही है, तर्क, समर्थन आदि से विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करने से वह और भी प्रभावशाली ढंग से सीख लेता है।

4. आदतों का निर्माण (Formation of habits)—अच्छे कार्यों को यदि दोहराया जाये तो वे आदतों का रूप धारण कर लेते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि बच्चे अच्छे कार्यों का अभ्यास करते रहें।

5. बुरी आदतों का समापन (Elimination of bad habits)—यदि बच्चों को अच्छे कार्यों का अभ्यास कराया जाये तो बुरी आदतें स्वयं ही साथ छोड़ जाती है। इसी प्रकार यदि बच्चों को उनकी आदतों का सचेत अभ्यास कराया जाये, तो भी वे अपनी उस आदत को छोड़ने का प्रयास करेगा। वह अपनी ग़ल्ती के लिये सचेत हो जाता है।

6. लिखाई में सुधार (Improvement in handwriting)—इस नियम का पालन करने के परिणामस्वरूप कक्षा में बच्चों की लिखाई में सुधार किया जा सकता है। छोटे बच्चों को हर रोज़ लिखने के लिये कहा जाता है। इससे उनकी लिखाई में सुधार होता है।

7. शुद्ध उच्चारण (Correct Pronunciation)—अभ्यास द्वारा ही उच्चारण में शुद्धता लाई जा सकती है तथा बच्चे गल्त उच्चारण को त्यागने लगते हैं।

8. विस्मृति कम करना (Reducing Forgetting)—अभ्यास से कार्य स्थाई होते हैं तथा विस्मृति कम होने लगती है।

9. कौशलों एवं कलाओं का विकास (Development of skills and arts)—अभ्यास द्वारा संगीत, चित्रकारी, टाईप करना, शार्टहैंड और खेल आदि कलाओं का तथा कौशलों का विकास किया जा सकता है।

2. गौण नियम
(Secondary Laws of Learning)

1. बहुविध अनुक्रिया का नियम (Law of Multiple Response)—इस नियम के अनुसार, अधिगम के उद्दीपन (Stimulus of Learning) के फलस्वरूप अनेक अनुक्रियाएं होती हैं। जब भी अनुक्रिया का फल (Reward) मिलता है, ऐसी अनेक अनुक्रियाएँ प्रकट होती हैं। जब भी सीखने वाले के समक्ष समस्या आती है, वह एक के बाद दूसरा प्रयास उसे हल करने के लिये करता है, जब वांछित व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, संफलता मिल जाती है और अधिगम संभव हो जाता है। इस नियम का मूल अभ्यास का नियम है। एक व्यक्ति के एक परिस्थिति के बारे भिन्न भिन्न उत्तर होते हैं, जैसे थार्नडाईक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिये बहुत से बहुमुखी प्रयत्न किये। किसी विषय को प्रारम्भ करने से पूर्व छात्रों से समस्या से सम्बन्धित प्रश्न किये जाते हैं। छात्र उनके उत्तर देते हैं। ये उत्तर अनेक होते हैं। इन उत्तरों में व्यर्थ के उत्तर कम होते हैं। छात्र अध्यापक की सहायता से सही उत्तर देने लगते हैं।

2. रूझान या मनोवृत्ति का नियम (Law of Set or Attitude)—इस नियम का सम्बन्ध अधिगम की मानसिक स्थिति से है। यदि छात्र मानसिक रूप से किसी क्रिया को सीखने के लिये तैयार नहीं है तो वे नये कार्य को नहीं सीख सकेंगे। अधिगम के दौरान व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके रुझान (Attitude) द्वारा निर्धारित होती है। रूझान या मनोवृत्ति केवल यही निर्धारित नहीं करते कि व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा, यह भी पता चलता है कि कौन सी बातों से उसे आनन्द प्राप्त होगा और किन से असंतोष होगा। इसी आधार पर थार्नडाईक ने आकांक्षाओं के स्तर (Level of Aspiration) की धारणा पर कार्य किया।

3. आंशिक क्रिया का नियम (Law of Partial Activity)—इस नियम के अनुसार व्यक्ति इस योग्या होता है कि आवश्यक तत्त्व को अनावश्यक तत्त्व से अलग कर सके। सीखने वाला अधिगम या समस्या के विभिन्न तत्त्वों में से वास्तविक तत्त्वों का चयन करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिये आवश्यक पदों (Items) का चयन करता है तथा अनुक्रिया करता है।

4. सादृश्ता द्वारा अनुक्रिया (Response by Analogy)—नियम का आधार पूर्वानुभव (Past Experience) तथा पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge) होता है। पढ़ाते समय विषय की समानता तथा असमानता का जीवन से सम्बन्ध बताना आवश्यक है। पढ़ाये गये विषयों का सम्बन्ध दैनिक जीवन की क्रियाओं से जोड़ने पर पाठ का सात्मीकरण (Assimilation) हो जाता है तथा बालक उसे अच्छी प्रकार सीख लेते हैं।

5. साहचर्य परिवर्तन का नियम (Law of Associative Shifting)—इस निमय के अन्तर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसा तभी होगा जब अध्यापक छात्रों के सामने वैसी ही परिस्थिति प्रस्तुत करेगा। थार्नडाईक ने बिल्ली को मछली के टुकड़े के साथ साहचर्य कर खड़ा होना सिखाया। दैनिक जीवन में हम एक चुटकी बजाकर पालमू कुत्ते को खड़ा होना सिखा देते हैं।

6. नवीनता का नियम (Law of Recency)—इस नियम के अनुसार नवीन चीज़ शीघ्र याद होती है। जैसे, विद्यार्थियों को परीक्षा से कुछ देर पहले अपनी पुस्तकों की दोहराई करनी चाहिए।

7. प्राथमिकता का नियम (Law of Primary)—यह कथन प्रसिद्ध है कि– पहला प्रभाव अन्तिम प्रभाव होता है (First impression is the last impression)। अतः आरम्भिक अवस्था में अर्जित प्रभाव ही स्थाई होता है। इसलिये बच्चों और अध्यापकों को आरम्भ से ही गम्भीर होना चाहिए।

8. स्वामित्व का नियम (Law of Belongingness)—यह नियम हमें बताता है कि यदि उत्तर स्थिति से सम्बन्ध रखता हो तो सम्बन्ध को बहुत जल्दी याद किया जा सकता है।

9. उत्तेजक की तीव्रता का नियम (Law of Intensity of Stimuli)—इस नियम के अनुसार यदि उत्तेजक या उद्दीपन तीव्र है तो उसकी अनुक्रिया भी तीव्र होगी तथा यदि उद्दीपन दुर्वल है तो उसकी अनुक्रिया भी दुर्बल ही होगी। स्कूलों में परीक्षाएँ विद्यार्थियों के लिये शक्तिशाली उद्दीपन का कार्य करती हैं।

प्रयास और भूल के सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता
(Educational Implications of Trial & Error Theory)

1. प्रेरणा का महत्त्व (Importance of Motivation)—थार्नडाईक के इस सिद्धान्त में थार्नडाईक ने अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया है। उसके अनुसार कक्षा में शिक्षण से पहले तथा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिये अध्यापक प्राकृतिक और कृत्रिम अभिप्रेरणा **(Natural and Artificial Motivation)** की सहायता ले सकता है। जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लक्ष्य का पूर्व निर्धारण इत्यादि।

2. सरल से कठिन (From Simple to Difficult)—यह सिद्धान्त कार्य के सरल से कठिन की ओर चलने पर बल दिया जाता है। इसलिये अध्यापक को चाहिए कि वह साधारण से जटिल, ज्ञात से अज्ञात तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ओर चले।

3. कौशलों का विकास (Development of Skills)—इस सिद्धान्त के द्वारा विद्यार्थियों में कौशलों का विकास किया जा सकता है। जैसे टाईप करना, गाना, संगीत सीखना, नाचना इत्यादि।

4. काम करके सीखना (Learning by Doing)—यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थियों का स्वयं हाथ से काम करके सीखने के अवसर देने चाहिए। इससे विद्यार्थियों के सप्रत्यय **(Concepts)** अधिक स्पष्ट होते हैं।

5. वैज्ञानिक आधार (Scientific Inventions)—विश्व में कई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य प्रयास और भूल के सिद्धान्त पर ही आधारित है तथा कई प्रयासों का परिणाम हैं।

6. सूझ बूझ द्वारा सीखने में प्रयोग (Useful in Learning by insight)—सूझ बूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास और भूल विधि का समावेश रहता है। इसके बिना सूझ बूझ विधि का प्रयोग नहीं हो सकता।

7. अभ्यास द्वारा सीखना (Learning by Experience)—यह बात सुपरिचित है कि अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बना देता है (Practice makes a man perfect)। अर्थात् अधिगम में अभ्यास का विशेष स्थान है। अभ्यास के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थी को अधिक से अधिक सिक्षा सकता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

8. लक्ष्य केन्द्रित (Goal-centred)—हर अधिगम प्रक्रिया लक्ष्य-केन्द्रित होती है। जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह अवश्य सीखता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को लक्ष्य से सम्बद्ध करें। इससे विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों में वृद्धि होगी।

9. अच्छी आदतों का विकास (Development of Good Habits)—इस सिद्धान्त की सहायता से बच्चों में अच्छी अच्छी आदतों का विकास होता है, जैसे बड़ों का आदर करना, सदा सत्य बोलना, परिश्रम करना, धैर्य रखना आदि।

10. स्व-अधिगम (Self Learning)—इस सिद्धान्त के अन्तर्गत विद्यार्थी स्वयं सीखने का प्रयास करने लग जाते हैं। वे प्रयास करते हैं तथा त्रुटियाँ भी करते हैं लेकिन धीरे धीरे ये त्रुटियाँ कम होती चली जाती हैं। छोटे बच्चों का अधिगम इसी प्रकार होता है अर्थात् वे भाषा गणित आदि इसी विधि से सीखते हैं।

11. मंद बुद्धि बालकों के लिये लाभकारी (Useful for Mentally Retarded Chlidren)–प्रयास और भूल का सिद्धान्त मंद-बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिये एक उत्तम विधि है। मंद बुद्धि में बालक विभिन्न प्रयास करते हैं तथा कई त्रुटियाँ होती हैं। इन त्रुटियों पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण किया जाता है।

12. सीखने की अनियमित गति (Irregular Learning pace)—सीखने की गति सदा एक समान नहीं रहती। उनके सीखने की गति कभी कम होती है तथा कभी अधिक। अतः यदि विद्यार्थियों धीमी या गति से सीखता है तो उसे डाँटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सीखने की धीमी गति पर नज़र डाल कर तथा उसके कारणों का पता लगा कर कोई उपाय ढूँढना चाहिए।

13. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास (Development of Positive Attitude)—विद्यार्थी में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक होता है। इसके लिये थार्नडाइक का सिद्धान्त बहुत सहायक होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चों में हीन भावना का विकास नहीं होता।

14. क्रमिक प्रक्रिया (Gradual Process)—यह सिद्धान्त इस बात में विश्वास करता है कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। विद्यार्थी धीरे धीरे सीखते हैं। धीरे धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों पर शीघ्रता से सीखने के लिये दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे उनकी अधिगम प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है।

प्रयास और भूल सिद्धान्त की सीमाएँ
(Limitations of Trial and Error Theory)

(i) इस सिद्धान्त में बुद्धि के प्रयोग को कोई महत्त्व नहीं दिया गय। यह विधि यांत्रिक (Mechanical) है। इस विधि में कई निरर्थक क्रियाएँ होती हैं।

(ii) इस विधि में समय और शक्ति अधिक नष्ट होती है। इसमें व्यर्थ के प्रयासों में समय अधिक नष्ट होता है।

(iii) इस विधि में अधिगम का स्थानान्तरण (Transfer of Learning) बहुत कम होता है।

(iv) इसमें अन्तः दृष्टि (Insight) का अभाव रहता है जो कि इस विधि के लिये आवश्यक है।

(v) पिछड़े हुए बच्चे तथा मंद बुद्धि बालक ही इस विधि से अधिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिये यह विधि अधिक उपयोगी नहीं होती। क्योंकि धीमी गति से सीखना प्रतिभाशाली बच्चे पसंद नहीं करते।

(vi) इस सिद्धान्त से हर प्रकार का अधिगम संभव नहीं है। कई बार बहुत प्रयास करने के पश्चात् भी सही अनुक्रिया नहीं हो पाती।

◆◆◆

पैवलव का प्राचीन अनुबन्ध सिद्धान्त
(Pavlovi's Classical Conditioning Theory)

3. पैवलव के प्राचीन अनुबन्धन सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रयोगों, तत्त्वों तथा इस सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता या महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
(Throw light on the experiments, elements and educational importance of Pavlov's classical conditioning theory.)

उत्तर–पैवलव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धान्त (Pavlov's Classical Conditioning Theory)—अनुबंधन के सिद्धान्त का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री आई. पी. पैवलव *(I.P. Pavlov)* ने किया था। उनके अनुसार अधिगम की क्रिया अनुक्रिया *(Response)* से प्रभावित होती है। पैवलव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए। इस क्षेत्र में किए गए कार्य पर उन्हें 1904 में नोबल पुरस्कार भी मिला।

पैवलव के इस सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक उद्दीपन *(Natural Stimulus)* के साथ-साथ एक कृत्रिम उद्दीपन *(Artificial Stimulus)* को जोड़ देने से कुछ समय बाद कृत्रिम उद्दीपन से वही अनुक्रिया या प्रतिक्रिया *(Response or Reaction)* को पैदा किया जा सकता है, जो प्राकृतिक उद्दीपन से पैदा होती है।

प्राकृतिक उद्दीपन + कृत्रिम उद्दीपन—अनुक्रिया

कृत्रिम उद्दीपन + व्यक्ति—अनुक्रिया

पैवलव का प्रयोग (Pavlov's Experiment)–पैवलव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते के गले में काटकर एक छोटा-सा छेद कर दिया। उस छेद में एक नंली लगा दी जो लार को एक बर्तन में एकत्रित करने में सहायक थी। उसने कुत्ते को 24 घन्टे तक भूखा रखा। कुत्ते को खड़ा करने के लिए एक विशेष प्रकार का यन्त्र बनाया गया।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

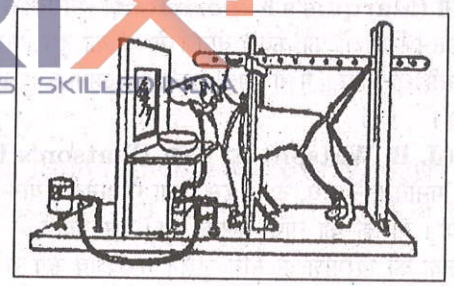

चित्र : पैवलव का प्रयोग

भूखे कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुँह में लार उत्पन्न हुई। भोजन (स्वाभाविक उद्दीपक) को देखकर कुत्ते के मुँह में लार (स्वाभाविक प्रतिक्रिया) का उत्पन्न होना सामान्य बात है। स्वाभाविक उद्दीपक *(Natural Stimulus)* भोजन में तथा स्वाभाविक प्रतिक्रिया *(Natural Response)* लार में प्राकृतिक सम्बन्ध है।

कुत्ते के सामने घंटी *(Artificial or Conditioned Stimulus)* बजायी जाती और घन्टी बजाने के 7 और 8 सैकेण्ड के बाद कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता। भोजन को देखकर कुत्ते के मुँह में लार उत्पन्न होती। बार-बार घन्टी के बजने तथा साथ में भोजन के उपस्थित होने पर कुत्ते ने यह सीख लिया कि घन्टी भोजन का सूचक है। अब भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था। कुत्ता भोजन प्रस्तुत करने पर पर्याप्त मात्रा में लार स्रवित करता था, किन्तु घन्टी के बजने पर लार स्रवित नहीं करता था। यह प्रक्रिया कुछ प्रयासों तक जारी रही। अब कुत्ते के सामने घन्टी तो बजायी जाती थी, लेकिन भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था। भोजन की अनुपस्थिति में घन्टी के बजने पर ही कुत्ते के मुँह से लार स्रवित होने लगी।

प्राचीन अनुबन्धन सिद्धान्त को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किया गया है–

(1) भोजन — लार

(2) घन्टी + भोजन — लार

(3) *After Training or Repetitions*

घन्टी — लार

इस प्रयोग के आधार पर पैवलव ने स्पष्ट किया कि भोजन को देखकर लार-स्राव होना साधारण बात है। उन्होंने कहा कि घन्टी में लार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। परन्तु सीखने अथवा साहचर्य स्थापित होने के बाद यह क्षमता उत्पन्न हो जाती है।

संक्षेप में, पैवलव ने अपने इस प्रयोग के आधार पर अनुबन्ध के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिनका संक्षिप्त वर्णन **निम्नलिखित** प्रकार से है–

(1) प्रत्येक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर होती है। इस प्रयोग में भोजन का देना एक ऐसा उद्दीपक था, जिसके प्रति कुत्ते के मुँह में लार टपकना स्वाभाविक था।

(2) प्राकृतिक उद्दीपन (भोजन) के साथ कृत्रिम उद्दीपन (घंटी) दोनों को सम्बन्धित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। इसे पैवलव ने प्राकृतिक उद्दीपन (भोजन) को कृत्रिम उद्दीपन (घंटी) के साथ सम्बन्धित किया जिससे कुत्ता यह समझने लगा कि घण्टी बजने के साथ उसे भोजन भी मिलेगा।

(3) कृत्रिम उद्दीपन (घंटी) के द्वारा भी पहले जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया (लार टपकाना) अनुक्रिया को सम्पन्न कराना संभव हो सकता है।

(4) जिस घण्टी से लार उत्पन्न होती है, उससे मिलती-जुलती आवाज से भी लार टपक सकती है।

अनुबन्धन सिद्धान्त से सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयोग–

(1) मारक्विस का प्रयोग (Marquis's Experiment)–मारक्विस ने 10 नवजात शिशुओं पर प्रयोग किया। इस प्रयोग में उसने शिशुओं को केवल बोतल से माँ का दूध पिलाया। दूध पिलाने से पूर्व 4 सैकिन्ड तक घण्टी बजायी जाती थी। हफ्ते में ये शिशु घण्टी की आवाज सुनते ही मुँह खोलकर दूध पीने की प्रतिक्रिया करना सीख गए।

(2) जे. बी. वाटसन (J. B. Watson) का प्रयोग (Watson's Experiment)–जे. बी. **वाटसन** जोकि एक अमेरिकन, मनोवैज्ञानिक थे, ने भी इस दिशा में अनेक प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने 11 साल के बालक को लिया। बालक का नाम अलबर्ट था। इस प्रयोग में अलबर्ट को खेलने के लिए एक खरगोश दिया गया। बालक को खरगोश के साथ खेलने में विशेष रूप से उसके बालों पर हाथ फेरने में बहुत मजा आता था। अब ऐसा प्रबंध किया गया कि जैसे ही अलबर्ट खरगोश के नरम-नरम बालों को छूता था, एक डरावनी आवाज पैदा की जाती थी। इस आवाज को सुनकर वह घबराकर अपना हाथ वापस कर लेता था। जब वह दोबारा हाथ बढ़ाता था तो वह डरावनी आवाज फिर की जाती थी। जब इस क्रिया को बार-बार दोहराया गया तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब अलबर्ट बिना डरावनी आवाज के भी हाथ हटा लेता था। यानी डरावनी आवाज के पैदा न होने पर भी वह अपना हाथ हटा लेता था। इस प्रकार डरने की अनुक्रिया जो डरावनी आवाज से होनी थी वह अब (कृत्रिम उद्दीपक) खरगोश के साथ अनुबंधित *(Conditioned)* हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप बालक ने न केवल खरगोश से डरना सीख लिया, परंतु वह ऐसी सभी वस्तुओं, जैसे–सफेद रूई, रेशेवाली ऊन व फर आदि से बनी वस्तुओं से भी जो खरगोश के बालों जैसी हो, डरने लगा था।

क्लेसमेयर ने अनेक अन्य प्रयोगों का उल्लेख किया है–

एक व्यक्ति पहले घण्टी सुनता है। इस उद्दीपन से व्यक्ति के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है। घण्टी बजने पर तत्काल प्रकाश की किरण पात्र की आँख पर फेंकी जाती है। प्रकाश के प्रति अनुक्रिया के रूप में उसकी आँख के तारे सिकुड़ते हैं। अनेक बार ऐसा करने के उपरान्त केवल घण्टी बजाई जाती है, किन्तु फिर भी तारें सिकुड़ते हैं।

घर तथा विद्यालय में मिलने वाले सभी दण्ड अथवा पुरस्कार अनुकूलन उत्पन्न करते हैं। मान लो भूगोल का अध्यापक एक विद्यार्थी से असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। जब भूगोल का अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो विद्यार्थी व्याकुलता अनुभव करता है, किन्तु फिर जब भूगोल पढ़ाने के लिए अन्य अध्यापक प्रवेश करता है तो भी विद्यार्थी व्याकुलता का अनुभव करता है। अध्यापक के प्रति घृणा अब विषय के प्रति अन्तरित हो जाती है।

कोई भी बालक अथवा वयस्क किसी न किसी प्रकार के अनुकूलन से नहीं बच सकता। एक व्यक्ति की एक रहट के निकट सड़क के किनारे दुर्घटना हो गई। बाद में वह रहट से ही घृणा करने लगा।

इसके अलावा घर तथा विद्यालयों में भी अनेक अनुबन्धन के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अध्यापक विद्यार्थी के हस्तलेख की प्रशंसा करते हुए 'शाबाश' कहता है तथा कॉपी पर 'सुन्दर' लिख देता है तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के लिए 'शाबाश' प्राकृतिक उद्दीपन है। अगली बार बच्चा केवल कॉपी पर 'सुन्दर' लिखा हुआ देखता है, शाबाश नहीं सुनता किन्तु वह फिर भी प्रसन्न हो जाता है। अतः कृत्रिम उद्दीपन 'सुन्दर' प्राकृतिक उद्दीपन का स्थान ले लेता है।

प्राचीन अनुबन्धन के कुछ आवश्यक तत्त्व (Some Essential Elements of Classical Conditioning)–पैवलव द्वारा किए गए प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए :–

1. तीव्रता (Intensity)–उद्दीपन की तीव्रता और अनुक्रिया में घनिष्ट सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया है। अर्थात् उद्दीपन जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबन्धन की क्रिया उतनी ही सरलता से सम्पन्न होगी। भूखे कुत्ते के लिए भोजन की तीव्रता अधिक प्रबल थी।

2. उद्दीपनों का एक साथ होना (Simultaneous Stimuli)–अनुबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उद्दीपन लगभग साथ-साथ प्रस्तुत किए जाएं। जब एक अनुक्रिया समाप्त होती है तभी दूसरा उद्दीपन प्रस्तुत कर देना चाहिए। घंटी बजते ही तुरन्त भोजन प्रस्तुत कर देना चाहिए।

3. विलोप (Extinction)–पैवलव ने यह स्पष्ट किया कि यदि अनुबन्धन स्थापित होने के बाद अर्थात् घंटी बजने के बाद कुत्ते के समक्ष भोजन प्रस्तुत न किया जाए तो लार निकालने वाली अनुक्रिया लुप्त या समाप्त होने लगेगी।

4. तत्काल पुनर्स्थापना (Spontaneous Recovery)–उसका अर्थ है कि किसी अनुबन्धित अनुक्रिया का विलोप हो जाने पर यदि घंटी को प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबन्धित अनुक्रिया का कुछ समझ बाद स्वतः पुनर्स्थापन *(Recovery)* हो जाता है।

5. अवरोध (Inhibition)–कई बार अनुक्रिया में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। यदि अनुबन्धन करते समय कोई नया उद्दीपन उपस्थित नहीं किया जाता तो वह अनुबन्धन अनुक्रिया में बाधा या अवरोध पैदा करती है। बाहरी रुकावट या अवरोध को नियंत्रित करने के लिए पैवलव ने अपना प्रयोग ध्वनि-रहित कक्ष में सम्पन्न किया।

6. सामान्यीकरण (Generalization)–समान उद्दीपनों के लिए समान अनुक्रियाओं को सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई है। पैवलव ने देखा कि अनुबन्धित उद्दीपक के समान उद्दीपन भी अनुबन्धित अनुक्रिया को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, खरगोश से डरने वाला बच्चा रूई के गोले से भी डरने लगा।

7. विभेदीकरण (Discrimination)–पैवलव ने देखा कि कुत्तों में अनुबन्धित उद्दीपन के सामान्यीकरण के साथ-साथ विभेदन की क्षमता भी पायी जाती है। मानव दो उद्दीपनों में विभेदीकरण करना सीख जाता है। लेकिन यह विभेदीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है अर्थात् कितना और किस प्रकार सीखा गया है?

8. आयु (Age)—वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को आसानी से कृत्रिम उद्दीपन के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

9. मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि (Mental Health and Intelligence)—अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तथा उच्च बुद्धि स्तर अनुबन्धित अनुक्रिया में सहायक होते हैं।

10. प्रेरणा (Motivation)—अनुबन्धित अनुक्रिया अभिप्रेरणा से बहुत प्रभावित होता है। हर चीज़ सीखने के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो पैवलव के प्रयोग में कुत्ता भोजन के प्रति घंटी की आवाज़ की परवाह न करता तथा भोजन की ओर अभिप्रेरित न होता।

11. पुनरावृत्ति (Repetition)—अनुबन्धित अनुक्रिया को स्थापित करने के लिए पुनरावृत्ति अत्यन्त आवश्यक है। कुत्ते को भोजन देने से पहले बार-बार घंटी बजाई गई ताकि वह घंटी और भोजन के सम्बन्ध को समझ सके। यदि घंटी केवल एक बार ही बजाई जाती तो कुत्ता भोजन और घंटी में सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न हो पाता।

अनुबंधित अनुक्रिया की विशेषताएँ (Properties of Conditioned Response)—

(i) अनुबन्धित अनुक्रिया विशिष्ट *(Specific)* होती है। अर्थात् वह केवल सम्बन्ध उद्दीपन से ही पैदा होती है। अन्य उद्दीपन का उस पर प्रभाव नहीं होता।

(ii) अनुबन्धित अनुक्रिया अस्थाई और अस्थिर होती है। कुछ समय पश्चात् उसका प्रभाव कम होने लगता है।

(iii) उपयोग के अभाव *(Disuse)* में अनुबन्धित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है।

(iv) वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अनुबन्धित अनुक्रिया आसानी से स्थापित की जा सकती है।

पैवलव के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता (Educational Implications of Pavlov's Classical Conditioning Theory)—

1. भ्रमों को दूर करना (Elimination of Superstitions)—अनुबंधन की सहायता से भ्रमों या अन्ध-विश्वासों को दूर किया जा सकता है। जैसे, यदि एक बच्चे के मन में यह अन्ध-विश्वास बैठ जाए कि जब वह बिल्ली को रास्ता काटते देखता है तो उसे दंड मिलता है। इस प्रकार के अन्ध- विश्वास को अनुबंधन द्वारा दूर किया जा सकता है। अतः जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो बच्चे को कभी दंड न दिया जाए।

2. सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में सहायक (Helpful in Developing Culture and Civilization)—यह सिद्धान्त संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति के लिए लाभदायक माना जाता है। बच्चा छोटी-सी आयु में बहुत कुछ सीख सकता है।

3. समायोजन में सहायक (Useful in Adjustment)—इस सिद्धान्त की सहायता से वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता मिलती है।

4. अच्छी आदतों का विकास (Development of Good Habits)—यह सिद्धान्त साहचर्य *(Association)* पर बल देता है। इस सिद्धान्त की सहायता से अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, जैसे—अनुशासनप्रियता, सफाई, बड़ों का आदर करना इत्यादि।

5. बुरी आदतों को समाप्त करना (Elimination of Bad Habits)—इस सिद्धान्त की सहायता से हम बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नाखून काटना। ऐसी क्रियाओं को हम दण्ड से जोड़कर इन्हें दूर कर सकते हैं।

6. भाषा सीखने में सहायक (Helpful in Learning Language)—भाषा को सिखाने के लिए अध्यापक अनुबन्धन की सहायता ले सकता है। इसमें **साहचर्य** विधि का प्रयोग करके भाषा का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है।

7. दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग (Use of Audio-Visual Aids)—कक्षा में अनुबन्धन द्वारा दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग बहुत प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जैसे—यदि कक्षा में छोटे बच्चों को 'हाथी' शब्द सिखाना है तो 'हाथी' शब्द लिखकर साथ में उसको हाथी का चित्र दिखाया जाना चाहिये।

बच्चे भी 'हाथी' शब्द को और उसके चित्र को देखकर बोलते हैं। फिर हाथी का चित्र हटा लिया जाता है। बालक केवल लिखे हुए 'हाथी' शब्द को ही दोहराएंगे। दूसरे शब्दों में, बच्चों ने अनुबन्धन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 'हाथी' कहना सीख लिया।

8. दंड एवं पुरस्कार का सिद्धान्त (Theory of Reward and Punishment)—दंड या पुरस्कार का सिद्धान्त भी अनुबन्धन पर ही आधारित होता है। बालकों को मालूम होता है कि बुरे कामों से उन्हें दंड मिलेगा और अच्छे कार्य से वे पुरस्कृत होंगे। यह बात उन्हें कक्षा में अभिप्रेरित करने में सहायक होती है।

9. भय, प्रेम और घृणा का विकास (Development of Fear, Love and Jealousy)—अनुबन्धन द्वारा कक्षा में भय, प्रेम और घृणा का विकास बहुत हो सकता है। जैसे—कक्षा में यदि कोई अध्यापक किसी बालक को अधिक पीटता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वह बालक उस अध्यापक का नाम सुनते ही भय या घृणा का प्रदर्शन करेगा।

दूसरी ओर अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ किया गया सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और उनके पढ़ाने के रोचक एवं प्रभावपूर्ण तरीके का अनुकूलन के फलस्वरूप बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वे विषय में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं तथा अध्यापक को भी स्नेह की दृष्टि से देखने लगते हैं।

10. प्रभावशाली अधिगम के लिए (For Effective Learning)—प्रभावशाली अधिगम के लिए किसी क्रिया या कार्य को बार-बार दोहराया जाना चाहिए। ऐसा इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्भव है। कई विषयों में दोहराना आवश्यक समझा जाता है, जैसे—गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि।

11. अनुशासन में सहायक (Helpful in Discipline)—सामूहिक स्तर पर स्कूल में अनुशासन बनाये रखने के लिए अनुबंधन के सिद्धान्त की सहायता ली जाती है।

12. अभिवृत्तियों का विकास (Development of Attitudes)—अधिगम के प्रति विद्यार्थियों के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास अति आवश्यक होता है जो कि अनुबंधन के सिद्धान्त द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के दृष्टिकोण विकसित होने पर विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने में सूक्ष्म हो जाते हैं।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

13. अभिप्रेरणा (Motivation)—विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अभिप्रेरित करना अति आवश्यक है जो इस सिद्धान्त द्वारा किया जा सकता है। अभिप्रेरित विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ भी अधिक होती हैं।

14. संवेगात्मक एकता में सहायक (Helpful in Emotional Integration)—इस सिद्धान्त की सहायता से मानसिक असामान्यता *(Mental Abnormality)* और संवेगात्मक अस्थिरता *(Emotional Instability)* का उपचार किया जा सकता है। इससे संवेगात्मक एकता *(Emotional Integration)* का भी विकास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन सिद्धान्त की कुछ अन्य शैक्षिक उपयोगिताएँ निम्न **प्रकार से हैं—**

(1) इस सिद्धान्त द्वारा बच्चों को भाषा शिक्षण तथा अभिव्यक्ति का ढंग सिखाने में बहुत सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए 'कुर्सी' शब्द का उच्चारण करते हुए अध्यापक कुर्सी की ओर संकेत कर उसका चित्र दिखाता है। इस 'शब्द' को वह श्यामपट्ट *(Black-Board)* पर लिखकर भी दिखाता है। शुरू में बालक द्वारा 'कुर्सी' शब्द कहना अथवा लिखना कुर्सी को प्रत्यक्ष रूप में देखने या उसके चित्र के देखने से सम्बन्धित होता है। लेकिन बाद में अगर उसके सामने चित्र या कुर्सी प्रत्यक्ष रूप से न भी हो तो भी वह केवल 'कुर्सी' शब्द को कहीं लिखा हुआ देखकर ही उसे मेज-कुर्सी कहकर उसका उच्चारण कर लेता है। इसी प्रकार वह गणित, विज्ञान व अन्य विषयों से सम्बन्धित अक्षरों, संकेतों एवं सूत्रों की पहचान तथा उनको पढ़ना-लिखना सीख सकता है।

(2) यह सिद्धान्त भावात्मक व्यवहार *(Affective Behaviour)* सम्बन्धी सभी गुणों व विशेषताओं को समझने में छात्रों व अध्यापकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसकी सहायता से रुचियों, वांछनीय आदतों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, चरित्र व नैतिकता आदि के विकास के बारे में सुविधापूर्वक ढंग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(3) इस सिद्धान्त के द्वारा संवेगात्मक व्यवहार जैसे–रुचि और अरुचि, घृणा और प्रेम, मित्रता और शत्रुता, आशा और निराशा आदि के विकसित होने को स्पष्टता से समझाया जा सकता है।

(4) इस सिद्धान्त की सहायता से हम व्यवहार सम्बन्धी अवांछनीय आदतों, अंधविश्वासों, मानसिक तनावों आदि को छुड़ा सकते हैं।

(5) यह सिद्धान्त समस्यात्मक बालकों, मानसिक व शारीरिक रूप से पिछड़े बालकों के समायोजन में भी सहायक सिद्ध होता है।

(6) इस सिद्धान्त की सहायता से कक्षाओं, विद्यालयों व अन्य जगहों पर अनुशासनपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है।

अनुबंधन के सिद्धान्त के दोष (Defects of Conditioning Theory)—

(i) उच्च विचारों और तर्क की प्रक्रिया को समझाने में यह सिद्धान्त असफल रहा है।

(ii) यह सिद्धान्त स्वः-क्रियाएँ *(Voluntary activities)* को समझाने में असफल रहा है।

(iii) यह चिन्तन प्रक्रिया की व्याख्या करने में असफल है।

(iv) यह सिद्धान्त तत्परता, पुनरावृत्ति, प्रभाव, अभिप्रेरणा, वातावरणीय कारक तथा भौतिक परिस्थितियों की भूमिका की व्याख्या नहीं करता।

(v) इस प्रकार का अधिगम अस्थाई होता है।

(vi) इसका प्रयोग बच्चों और पशुओं पर अधिक होता है।

◆◆◆

III. सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त (Operant Conditioning Theory)

4. स्किनर का सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त किसे कहते हैं? इस सिद्धान्त का वर्णन करते हुये इसकी शैक्षिक उपयोगिता अथवा महत्त्व का वर्णन कीजिये।

अथवा

स्किनर के क्रिया प्रसुत अनुकूलन सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Explain Skinner's Operant Conditioning.) **(M.D.U. 2018)**

उत्तर–बी. एफ. स्किनर का अनुबन्धन सिद्धान्त (B. F. Skinner's Operant Conditioning Theory)–बी. एफ. स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने थॉर्नडाइक, पैवलव तथा वाटसन आदि के सिद्धान्तों की आलोचना की और इसके विरोध में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि अनुक्रिया या किसी व्यवहार के घटित होने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं है। अपने मत को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने अनुक्रिया तथा व्यवहार के दोनों रूपों की व्याख्या की। एक को उन्होंने अनुक्रिया व्यवहार *(Respondent Behaviour)* कहा और दूसरे को सक्रिय व्यवहार *(Operant Behaviour)* का नाम दिया।

अनुक्रिया व्यवहार का अर्थ (Meaning of Respondent Behaviour)—अनुक्रिया व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्किनर ने कहा कि अनुक्रिया व्यवहार के अन्तर्गत वे सभी व्यवहार व अनुक्रियाएँ आती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती हैं। सांकेतिक भाषा में उसे उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार *(Stimulus Response Behaviour)* कहा गया है। उदाहरण के लिए, पिन चुभने पर पैर का उठना, मिठाई देख मुँह में पानी आना आदि व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

सक्रिय व्यवहार का अर्थ (Meaning of Operant Behaviour)—वे सभी व्यवहार अथवा अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के परिणामस्वरूप नहीं होतीं, उन्हें सक्रिय व्यवहार के अन्तर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए हम कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी कक्षा में बैठे-बैठे अपने पाँव हिलाते रहते हैं। उनसे इसका कारण पूछा जाए तो उनका उत्तर होता है बस यूँ ही। इसी तरह अध्यापक भी चाक को कभी एक हाथ में तथा कभी उसे दूसरे हाथ में लेता हुआ चहलकदमी करता है। उनसे भी पूछा जाए तो उनका भी जवाब होता है यूँ ही। अतः वे सभी व्यवहार या अनुक्रियाएँ जिनके लिए कारण के रूप में 'यूँ ही' उत्तर दिया जाता है उनको सक्रिय व्यवहार कहा जाता है। ऊपर लिखित व्यवहारों के प्रति कोई ज्ञात उद्दीपन नहीं होता है। अनुक्रिया या व्यवहार शुरू-शुरू में यूँ ही घटित हो जाता है और जब इस अनुक्रिया या व्यवहार को पुनर्बलन या बल मिल जाता है तो उसके द्वारा घटने की संभावना बढ़ जाती है और अगर पुनर्बलन नहीं मिलता तो उसके द्वारा घटने की संभावना में उसी मात्रा में कमी आ जाती है। इस प्रकार व्यवहार या अनुक्रियाएँ पहले होती हैं तथा उनको बल देने या कमजोर करने के लिए उद्दीपक बाद में उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार के व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार *(Response Stimulus Type Behaviour)* कहते हैं।

सक्रिय अनुबन्धन का अर्थ (Meaning of an Operant Conditioning)—सक्रिय अनुबन्धन सीखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सीखने वाले के सक्रिय व्यवहार का अनुबन्धन *(Conditioning)* किया जाता है। स्किनर ने पैवलव और वाटसन की तरह अनुक्रिया व्यवहार *(Response Behaviour)* के अनुबन्धन पर बल न देकर सक्रिय व्यवहार के अनुबन्धन पर जोर दिया। अपने सक्रिय अनुबन्धन में स्किनर ने 'हम कैसे सीखते हैं'?

सक्रिय अनुबन्धन को नैमित्तिक अनुबन्धन *(Instrumental Conditioning)* भी कहते हैं। इस अनुबन्धन की मूल धारणा है कि सीखने वाले की क्रिया *(Behaviour)* का पुनर्बलन *(Reinforcement)* हो जाता है। यह स्थिति वातावरण में कार्यशील होने पर उत्पन्न होती है।

बी. एफ. स्किनर *(B. F. Skinner)* ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और यह अनुभव किया कि अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है। अभिप्रेरणा का आधार उद्दीपन है। उद्दीपन भावी क्रिया को नियंत्रित करता है।

स्किनर के अनुसार, प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार पाये जाते हैं–अनुक्रिया *(Response)* तथा सक्रियता *(Operant)*। अनुक्रिया का सम्बन्ध उद्दीपन से होता है और सक्रियता किसी ज्ञान उद्दीपन से नहीं जुड़ी होती। यह स्वतंत्र होती है। सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसकी शक्ति को परावर्ती *(Reflex)* नियमों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। अनुक्रिया की दर *(Rate)* ही सक्रिय शक्ति का माप है।

सक्रिय अनुबन्धन की परिभाषा (Definition of Operant Conditioning)—सक्रिय या नैमित्तिक अनुबन्धन की कुछ मुख्य परिभाषाएँ **निम्न प्रकार से हैं–**

एम. एल. बिगे (M.L.Bigge) के अनुसार–"सक्रिय अनुबन्धन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत् या संभावित होती है, उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है।" *("Operant Conditioning is the learning process whereby a response is made more probable or more frequent an operant is strength end."—M. L. Bigge)*

सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने अनेक प्रयोग किए, जिनमें से मुख्य प्रयोगों का वर्णन **निम्न प्रकार से है–**

स्किनर द्वारा किया गया प्रयोग नं. 1 (Experiment No.1 Conducted by Skinner)—स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक पेटी तैयार करके उसका प्रयोग किया, जिसे 'स्किनर पेटी' *(Skinner Box)* की संज्ञा दी गई। इस पेटी में स्किनर ने एक भूखे चूहे को रखा। यह प्रयोग 1830 में सफेद चूहे पर किया गया। स्किनर की पेटी में एक 'लीवर' *(Lever)* लगा था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था जिससे 'खट' की आवाज होती थी।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

भूखे चूहे को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। पेटी में लगे लीवर का सम्बन्ध पेटी की दीवार के ऊपरी भाग पर रखे हुए एक बर्तन से था। इस बर्तन में भोजन के टुकड़े पड़े थे। लीवर के नीचे एक प्लेट लगी हुई थी। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ता तो उस लीवर के दब जाने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा बर्तन के नीचे रखी प्लेट में गिर जाता था।

भूखे चूहे को स्किनर पेटी में कोई भी अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। प्रारम्भ में चूहा इधर-उधर घूमने लगा। दाएँ-बाएँ उछलने लगा। कभी वह लीवर को सूंघता तो कभी पेटी की दीवारों को। इस प्रकार उछल-कूद *(Random Movements)* करते-करते संयोगवश *(By Chance)* वह लीवर को दबा देता। लीवर दबने से बर्तन में रखा भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता। चूहे को भोजन मिला और उसने उसे ग्रहण किया। भोजन खाने के पश्चात् फिर उसने उछल-कूद की तथा फिर संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा तथा लीवर के दबने से फिर बर्तन में से भोजन का टुकड़ा नीचे रखी प्लेट पर आ गिरा। चूहे ने फिर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार चूहे की उछल-कूद *(Random Movements)* लीवर के आस-पास तक सीमित हो गई। अब वह सीधा लीवर को दबाने लगा ताकि उसे खाने को कुछ भोजन के टुकड़े मिल जाएं। अन्त में ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे चूहे को जब भी पेटी में रखा जाता, वह तुरन्त लीवर को दबाता और भोजन के टुकड़े को प्राप्त करने में सफल हो जाता।

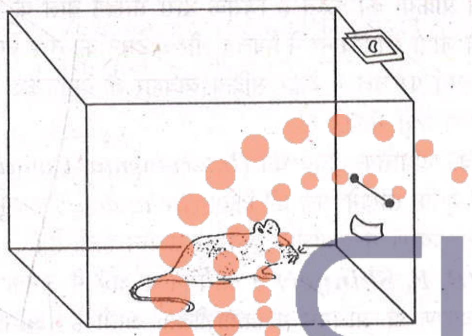

चित्र : स्किनर डिब्बा

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

स्किनर के इस प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनुबन्धन में पुनर्बलन या प्रबलन *(Reinforcement)* की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के घटित होने पर निर्भर करती है। ऐसे प्रयोगों में एक प्राणी को प्रबलन तभी प्राप्त होता है जब प्राणी प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित अनुक्रिया करे।

इस प्रयोग में चूहा भूखा होने के कारण प्रणोदित *(Drived)* होता था और सक्रिय रहता था। स्किनर ने लीवर की क्रिया के चयन के निम्नलिखित कारण बताये–

(i) चूहे के लिए लीवर दबाना सरल क्रिया है।

(ii) चूहा घंटे में अनेक बार लीवर दबाने की क्रिया करता है, अतः उसके इस व्यवहार का निरीक्षण सरलता से किया जा सकता है।

(iii) लीवर दबाने की क्रिया में अन्य व्यवहार शामिल नहीं।

(iv) लीवर दबाने की क्रिया का आभास हो जाता है।

इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है।

प्रयोग नं. 2. स्किनर का कबूतर पर किया गया प्रयोग (Skinner's Experiment on Pigeon)—स्किनर द्वारा बनाया गया बॉक्स अंधकारयुक्त एवं शब्दविहीन है। इस बॉक्स में भूखे चूहे को ग्रिलयुक्त संकरे रास्ते से गुजरकर लक्ष्य तक पहुँचना था। प्रयोग आरम्भ करने से चूहे को निश्चित दिनों तक भूखा रखा गया, तथा उसे भोजन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहने का प्रबंध कर लिया गया था। बॉक्स में एक लीवर था। चूहा उपयुक्त मार्ग पर अग्रसर होता, लीवर पर चूहे का पैर पड़ता तथा खट की आवाज भी होती। लीवर पर पैर पड़ते ही प्रकाशयुक्त बल्ब जलता और उसे प्याले में कुछ खाना प्राप्त हो जाता। अतः लीवर को दबाने में होने वाली आवाज और प्राप्त भोजन पुनर्बलन *(Reinforcement)* का कार्य करता

था। इस प्रकार चूहे द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवहार अथवा अनुक्रिया का लीवर दबाने से उत्पन्न आवाज और प्याले में उपस्थित थोड़े से खाने द्वारा पुनर्बलन होने का प्रयास इस प्रयोग में किया गया। चूहे द्वारा सक्रिय रहकर जैसे-जैसे पुनर्बलन मिलता चला गया, वैसे-वैसे ही सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती चली गई।

अतः सक्रिय-अनुबन्धन के अनुसार सीखने का कार्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उसके सक्रिय व्यवहार से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सक्रिय अनुबन्धन में पहले सीखने वाले को कोई न कोई अनुक्रिया करनी पड़ती है। कबूतर वाले प्रयोग में जैसे कबूतर द्वारा थोड़ा-सा दाहिनी ओर घूमना। इस व्यवहार के फलस्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। (जैसे—कबूतर वाले प्रयोग में कबूतर को दाहिने ओर घूमने पर अनाज का दाना मिला था) यही पुनर्बलन सीखने वाले को अपनी पहली अनुक्रिया या व्यवहार को दोबारा (पुनरावृत्ति) करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार के रूप में उसे फिर पुनर्बलन (जैसे—कबूतर को अनाज के दाने) मिलता है। परिणामस्वरूप वह पहले से ज्यादा उत्साह के साथ अपने द्वारा पहले किए गए व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है या व्यवहार को बार-बार करता है। इस प्रकार के अनुबन्धन में सीखने वाले को धीरे-धीरे वांछित व्यवहार करना सिखाया जा सकता है।

सक्रिय या नैमित्तिक अनुबन्धन का आधार (Basis of Instrumental Conditioning)—सक्रिय अनुबन्धन का आधार पुनर्बलन *(Reinforcement)* है। सक्रिय अनुबन्धन या नैमित्तिक अनुबन्धन में कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करता है, पुनर्बलन कहलाता है। *(A reinforcer in operant conditioning is only stimulus or event which, when produced by a response, makes that response more likely to occur in the future.)*

जो पुनर्बलन बार-बार दिया जाता है वह भावी व्यवहार का निर्णायक हो जाता है। सक्रिय अनुबन्धन के लिए विस्तृत उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। किसी अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन को माध्यम बनाया जाता है। अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति मुस्कान, आत्म-महत्त्व *(Self-Importance)*, आत्म-क्षमता *(Self-Worth)*, कठिन कार्यों को करना तथा अन्य अनेक आनन्ददायक अवस्थाएँ पुनर्बलन के रूप में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सक्रिय अनुबन्धन या नैमित्तिक अनुबन्धन में व्यवहार एक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

स्किनर द्वारा बताये इस अनुबन्धन में दो प्रकार के पुनर्बलन पाये जाते हैं—सकारात्मक *(Positive)* और नकारात्मक *(Negative)*। सकारात्मक पुनर्बलन में व्यक्ति क्रिया में योग देता है जबकि नकारात्मक पुनर्बलन इसके विपरीत है।

क्रिया-प्रसूत व्यवहार एवं पुनर्बलन (Operant Behaviour and Reinforcement)–सीखने के कार्य में पुनर्बलन द्वारा भरपूर सहायता मिली है। व्यवहार अथवा अनुक्रिया के घटने के पश्चात् उसे पुनर्बलन प्रदान करने से तात्पर्य कुछ इस प्रकार के आयोजन से है जिनके द्वारा उस प्रकार की अनुक्रिया अथवा व्यवहार के पुनः घटित होने की संभावना को बढ़ा दिया जाए। अनुक्रिया अथवा व्यवहार को हम दो प्रकार से पुनर्बलित कर सकते हैं–

(1) धनात्मक पुनर्बलन (Positive Reinforcement)–कुछ देकर जिसे पाना उसे अच्छा लगे इस प्रकार के पुनर्बलन को धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जैसे–भोजन, पानी, लैंगिक संपर्क, धन-दौलत, मान-सम्मान, प्रशंसा एवं सामाजिक स्वीकृति आदि की प्राप्ति।

(2) ऋणात्मक पुनर्बलन (Negative Reinforcement)–जिसके पास से कुछ हटाकर या जिसका हटना अच्छा लगे उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। बिजली के आघात, डरावनी आवाज, अपमान एवं डाँट-फटकार आदि से बचना दूसरे उदाहरण हैं।

क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन द्वारा प्रणाली को वांछित व्यवहार सीखने की दिशा में पुनर्बलन अपनी भूमिका अच्छी तरह तभी निभा सकता है जबकि उसे यथोचित रूप में दिया जा सके। उस दिशा में मुख्य रूप से निम्न चार प्रकार का पुनर्बलन आयोजन *(Reinforcement Schedule)* प्रयोग में आता है–

(1) अविछित पुनर्बलन आयोजन (Continuous Reinforcement Schedule)–यह शत-प्रतिशत पुनर्बलन आयोजन है जिससे सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया या व्यवहार को पुनर्बलित (पुरस्कृत) किया जाता है।

(2) निश्चित अन्तराल पुनर्बलन आयोजन (Fixed Interval Reinforcement Schedule)–इस आयोजन में सीखने वाले को एक निश्चित समय के पश्चात् पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे किसी प्रयोग में चूहे को 3 मिनट के बाद भोजन का कुछ अंश प्रदान करना, किसी नौकर को एक सप्ताह के बाद वेतन देना आदि।

(3) निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन (Fixed Ratio Reinforcement Schedule)–इस आयोजन में यह निश्चित करके पुनर्बलन प्रदान किया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाए। उदाहरण के लिए कबूतर को 50 बार सही चोंच मारने पर एक दाना देना, क्रियाओं के तीन ठीक उत्तर देने पर पुरस्कार देना इत्यादि।

(4) परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन (Variable Reinforcement Schedule)–कई बार पुनर्बलन प्रदान करने में निश्चित अन्तराल और अनुक्रियाओं के निश्चित अनुपात को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उसे किसी भी समय कितनी अनुक्रियाओं के पश्चात् प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार के पुनर्बलन आयोजन को परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन कहा जाता है।

पुनर्बलन आयोजन के उपरोक्त प्रकारों की उपयुक्तता में से अविछिन्न पुनर्बलन या निरन्तर पुनर्बलन *(Continuous Reinforcement)* द्वारा जितनी शीघ्रता से किसी वांछित व्यवहार को सीखने में सहायता मिल सकती है उतनी ही शीघ्रता से पुनर्बलित करने पर व्यवहार के विलुप्तिकरण *(Extinction)* की संभावना बढ़ जाती है। सीखे हुए वांछित व्यवहार को कम-से-कम भूलने अथवा उसके विलुप्तिकरण की संभावना को कम करने की दिशा में परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन सबसे अधिक उपयुक्त रहता है। इस तरह से पुनर्बलन के आयोजन में शुरुआत शत-प्रतिशत पुनर्बलन द्वारा दी जानी चाहिए। इसके पश्चात् निश्चित अन्तराल अथवा निश्चित अनुपात पुनर्बलन को प्रयोग किया जाना चाहिए तथा अन्त में सीखे हुए वांछित व्यवहार को स्थायी रूप प्रदान करने की दिशा में परिवर्तनशील पुनर्बलन का उपयोग किया जाना चाहिये।

स्किनर के क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धान्त की शैक्षणिक उपयोगिता (Educational Implications of Theory of Skinner's Operant Conditioning)—क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धान्त का रचनात्मक उपयोग की दृष्टि से शैक्षणिक उपयोगिता में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शैक्षणिक उपयोग के लिए निम्न बातें अच्छी तरह कही जा सकती हैं–

(1) क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धान्त अच्छे परिणामों की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया और परिस्थितियों को इस प्रकार नियंत्रित और आयोजन करें कि सीखने वाला उचित पुनर्बलन द्वारा निरन्तर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होता रहे तथा उसे सीखने में कम-से-कम असफलता और निराशा का सामना करना पड़े।

(2) क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त का उपयोग व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार में संशोधन के कार्य में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। जिस बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है उसके बारे में यह पता लगाया जाना चाहिए कि उसके लिए क्या कुछ एक अच्छे पुनर्बलन का कार्य कर सकता है। जैसे ही अपेक्षित व्यवहार की ओर बच्चे के कदम पड़ें, तुरन्त ही उपयुक्त पुनर्बलन द्वारा इस व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे द्वारा अपेक्षित व्यवहार की पुनरावृत्ति अवश्य होगी तथा इसे पुनर्बलंन दिया जाएगा। परिणामस्वरूप बच्चा अपेक्षित व्यवहार की ओर तेजी से अग्रसर होगा और पुनर्बलन के संतुलित उपयोग द्वारा अच्छी तरह से अपेक्षित व्यवहार को सीखने में समर्थ हो जाएगा।

(3) क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त के अनुसार अनुक्रिया की उपयुक्तता एवं कार्य की सफलता अभिप्रेरणा *(Motivation)* का सबसे अच्छा स्रोत है। चूहे और कबूतर को भोजन की प्राप्ति एक अच्छा अभिप्रेरक है और विद्यार्थी को अपने सही उत्तर की जानकारी सीखने के कार्य में एक सशक्त पुनर्बलन का

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

कार्य करती है। प्रशंसा के दो शब्द, अध्यापक के प्रोत्साहित करने वाले हाव-भाव सफलता की अनुभूति, अधिक अंक और पुरस्कार, इच्छित कार्य करने की स्वतंत्रता आदि सभी ऐसे पुनर्बलन हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी पूरी तरह अनुप्रेरित होकर अधिक उत्साह से सीखने की ओर अग्रसर हो सकता है। इस तरह क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में अभिप्रेरणा के लिए वांछित अनुक्रिया और उपयुक्त पुनर्बलन को स्थान देकर अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आंतरिक अभिप्रेरणा की अपेक्षा बाह्य अभिप्रेरकों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(4) व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त का अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार–**"हम अपने-आप में वही होते हैं जिसके लिए हमें प्रोत्साहित या पुरस्कृत किया जाता है। जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि समय-समय पर प्राप्त उन पुनर्बलनों का परिणाम है जिससे हम और हमारा व्यवहार एक निश्चित सांचे में ढल जाता है। उदाहरण के लिए, एक अंग्रेज बच्चा छोटी आयु में ही अंग्रेजी अच्छी तरह बोलना इसलिए सीख जाता है, क्योंकि जब पहली बार उसने अंग्रेजी भाषा जैसी ध्वनियाँ निकाली होंगी तो उसके प्रयत्नों को पूरा प्रोत्साहन मिला होगा। अगर यही बच्चा किसी जापानी या रूसी परिवार में पैदा होता तो फिर अंग्रेजी का स्थान जापानी या रूसी भाषा ने ले लिया होता क्योंकि इस अवस्था में उसे वैसा प्रयास करने पर अपने परिवेश द्वारा पुनर्बलन या प्रोत्साहन मिलता है।"**

(5) क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त के अनुसार अधिगम में अधिक से अधिक सफलता तभी मिल सकती है जब–

(i) सीखने की सामग्री को इस तरह आयोजित किया जाए कि सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता और कम-से-कम असफलता का सामना करना पड़े।

(ii) सही अनुक्रिया अथवा उत्तरों के लिए उसे तेजी से पुनर्बलन प्राप्त होता रहे।

(iii) सीखने वाले को स्वयं उसकी अपनी गति से सीखने का पूरा अवसर मिले।

(6) क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धान्त के अनुसार **ताड़ना या दंड** *(Punishment)* न तो वांछित व्यवहार को सीखने में मदद कर सकता है और न बुरी आदतों अथवा व्यवहार को त्यागने में।

दंड के द्वारा कुछ समय के लिए बच्चा गलत व्यवहार करना छोड़ सकता है परन्तु जैसे ही दंड का भय अथवा उसका प्रभाव समाप्त होता है, बुरे व्यवहार की पुनरावृत्ति होने लगती है। इसलिए क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन दंड के स्थान पर वांछित व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान कर सुदृढ़ करने और अवांछनीय व्यवहार की उपेक्षा कर उसे विलुप्त करने का विकल्प देता है।

उपरोक्त सभी बातों को क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त ने ही जन्म दिया है। परिणामस्वरूप आज शैक्षणिक जगत् में **अभिक्रमिक अनुदेशन (Programmed Learning)**, शिक्षण मशीनों और कम्प्यूटर निदेशित अपनी जड़ें गहरी करती जा रही हैं।

उपरोक्त शैक्षणिक उपयोगिता के अतिरिक्त स्किनर के क्रिया-प्रसूत सिद्धान्त की महत्ता या उपयोगिता **निम्नलिखित कारणों** से भी है–

(1) **विद्यार्थियों को प्रेरित करना (To Motivate the Students)**–इस सिद्धान्त की सहायता से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

(2) **दोहराना (Repetitions)**–विद्यार्थियों को पाठ्य-वस्तु की बार-बार दोहराई करानी चाहिए।

(3) **शब्द भण्डार (Vocabulary)**–धनात्मक पुनर्बलन की सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों के शब्द भण्डार में वृद्धि करने में सफल होता है।

(4) **अभिक्रमित अधिगम (Programmed Learning)**–यह विधि विज्ञान तथा गणित के अध्ययन में बहुत अधिक लाभदायक है।

(5) **पद विभाजन (Small Steps)**–इस विधि द्वारा पाठ्य-वस्तु को सरलता से छोटे-छोटे पदों में विभाजित किया जा सकता है।

(6) **सन्तोष प्राप्त होना (Satisfaction)**–कार्य करने से विद्यार्थियों को सन्तुष्टि की अनुभूति होती है, जिससे वे सीखने के लिए सक्रिय होते हैं।

(7) **व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना (Shaping the Behaviour)**–इस सिद्धान्त की सहायता से विद्यार्थियों के व्यवहार को स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

(8) **भय को दूर करना (Elimination of Fear)**–कुछ मनोवैज्ञानिक इस सिद्धान्त का उपयोग विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति व्याप्त भय को दूर करने में करते हैं।

(9) **पुनर्बलन (Reinforcement)**–धनात्मक पुनर्बलन की सहायता से विद्यार्थियों के व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित करके उनकी उपलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है।

(10) **सरल से कठिन (Easy to Difficult)**–यह सिद्धान्त सरल से कठिन पर बल देता है।

क्रिया-प्रसूत या सक्रिय-अनुबन्धन का महत्त्व निम्नलिखित है–

(a) सक्रिय-अनुबन्धन के सिद्धान्त द्वारा अध्यापक बालकों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान कर सकता है। इस कार्य के लिए अध्यापक को उद्दीपन नियन्त्रित करना पड़ता है।

(b) सक्रिय अनुबन्धन में पुनर्बलन *(Reinforcement)* का बहुत महत्त्व है। अध्यापक धनात्मक पुनर्बलन *(Positive Reinforcement)* के द्वारा बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित कर सकता है। पुनर्बलन के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे–दण्ड एवं पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि। अध्यापक को धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक करना चाहिए।

(c) अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दे। ऐसा करने से विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक प्रगति कर सकते हैं।

(d) स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि प्राणी में सन्तुष्टि प्रदान करने वाली क्रिया से सक्रियता आती है। अध्यापक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा करने से विद्यार्थियों को सन्तुष्टि मिलेगी और अधिगम भी शीघ्र होगा।

(e) इस सिद्धान्त की सहायता से अध्यापक बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि कर सकता है।

(f) स्किनर के सिद्धान्त की सहायता से जटिल और मानसिक रोगियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

◆◆◆

5. पैवलव के शास्त्रीय अनुबन्धन तथा स्किनर के क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में कौन-कौन से मुख्य अन्तर पाये जाते हैं? वर्णन कीजिये।

अथवा

पैवलव द्वारा प्रतिपादित अनुक्रिया अनुबन्धित सिद्धान्त व स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

अथवा

क्लासिकल अनुकूलन एवं सक्रिय अनुकूलन के बीच अन्तर को विस्तार से बताइए।

(Differentiate between classical conditioning and operant conditioning in detail.) (C.B.L.U. 2018)

उत्तर–स्किनर के प्रसूत अनुबंधन एवं पैवलव के शास्त्रीय-अनुबंधन में अन्तर (Difference between Skinner's Operant Conditioning and Pavlov's Classical Conditioning) –बटसन एवं पैवलव जैसे व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय-अनुबंधन को स्किनर ने अनुक्रिया अनुबंधन

की संज्ञा दी है। इस प्रकार के अनुबंधन, अनुक्रिया व्यवहार *(Respondent Behaviour)* सम्बन्धी अधिगम में वांछित अनुक्रिया अथवा व्यवहार उत्पन्न करने में उद्दीपन *(Stimulus)* की केन्द्रीय भूमिका रहती है। इसलिए इसे उद्दीपनजन्य अनुबंधन *(Type S-Conditioning)* कहा जा सकता है।

क्रिया-प्रसूत अनुबंधन, क्रिया-प्रसूत व्यवहार सम्बन्धी सीखने में सहायक होता है। इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया या प्रत्युत्तर *(Response)* की केन्द्रीय भूमिका रहती है। इसलिए इसे अनुक्रिया-जन्य अनुबंधन *(Type R-Conditioning)* कहकर भी पुकारा जाता है।

उद्दीपनजन्य शास्त्रीय अनुबन्धन में प्राकृतिक उद्दीपक अथवा कृत्रिम उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया *(Conditional Response)* उत्पन्न करने में सहायक होता है और एक तरह अधिगम किसी न किसी रूप में उद्दीपन से जुड़ा होता है। अतः इस प्रकार के अनुबंधन में सिद्धान्त वाले के सामने समस्या यह रहती है कि वह अधिक उपयुक्त उद्दीपकों का चुनाव कैसे करें ताकि वांछित अनुक्रिया होती रहे।

अनुक्रियाजन्य क्रिया-प्रसूत अनुबंधन में सिखाने वाले के सामने समस्या यह रहती है कि सीखने वाले द्वारा की जा सकने वाली सभी संभावित अनुक्रियाओं अथवा व्यवहारों में से वांछित अनुक्रिया अथवा व्यवहार को कैसे उत्पन्न किया जाए। इस प्रकार उत्पन्न सही व्यवहार अथवा अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा सबल बनाकर स्थायित्व कैसे प्रदान किया जाए?

अनुक्रिया अनपपंधन और क्रिया-प्रसूत अनुबंधन के अन्तर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है–

क्रम संख्या	अनुक्रिया अनुबंधन (Respondent Conditioning)	क्रिया-प्रसूत अनुबंधन (Operant Conditioning)
1.	इस प्रकार के अधिगम में वांछित अनुक्रिया अथवा व्यवहार उत्पन्न करने में उद्दीपक *(Stimulus)* की केन्द्रीय भूमिका रहती है। इसलिए इसे उद्दीपन जन्य अनुबंधन *(Type S-Conditioning)* भी कहते हैं।	इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया *(Response)* की केन्द्रीय भूमिका रहती है। इसलिए इसे अनुक्रिया जन्य *(Type R-Conditioning)* भी कहा जाता है।
2.	अनुक्रिया अनुबंधन, अनुक्रिया व्यवहार सम्बन्धी अधिगम में सहायक सिद्ध होता है।	क्रिया-प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत व्यवहार सम्बन्धी अधिगम में सहायक सिद्ध होता है।
3.	इसमें अनुबंधन प्रक्रिया की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करने द्वारा होती है।	इस अनुबंधन में शुरुआत सीखने वाले की उन अनुक्रियाओं को लेकर होती है जिन्हें सिखाने वाले द्वारा अथवा विशेष रूप से सीखने वाले द्वारा कराने का प्रयत्न किया जाता है।
4.	इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुबंधित अनुक्रिया की सामर्थ्य *(Magnitude of Conditioned Response)* पर निर्भर करती है। प्रयोगों में इसकी माप संभव है जैसे पैवलव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा गिराई जाने वाली लार की मात्रा के द्वारा अनुबंधन शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है।	इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति को अनुक्रिया दर *(Response Rate)* द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयोगों में इसकी माप संभव है। उदाहरण के लिए स्किनर के चूहे वाले प्रयोगों में लीवर को एक ऐसी **विलर्डिंग** प्रणाली से जोड़ा जा सकता है जिससे चूहे द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया की दर का रेखीय चित्र *(Graph)* प्राप्त हो सके।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

क्रम संख्या	अनुक्रिया अनुबंधन (Respondent Conditioning)	क्रिया-प्रसूत अनुबंधन (Operant Conditioning)
5.	इस अनुबंधन में सीखने वाला जरा भी स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह का उद्दीपन उसके सामने होता है वैसा ही व्यवहार करने के लिए विवश होता है।	इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले की अनुक्रिया करने की काफी कुछ स्वतंत्रता होती है।
6.	इस अनुबंधन में अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपन *(Known Stimulus)* का होना नितांत आवश्यक है।	क्रिया-प्रसूत अनुबंधन प्रताड़ना अथवा दंड को वांछनीय व्यवहार सिखाने अथवा अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए उपयोग में लाने का सख्त विरोधी है। विकल्प के रूप में यह चाहता है कि वांछनीय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा सुदृढ़ किया जाए तथा अवांछनीय व्यवहार की ओर न कोई ध्यान दिया जाए और न किसी तरह से उसे पुनर्बलितं या प्रोत्साहित किया जाए। यह थॉर्नडाइक के माध्यमजन्य अनुबंधन के निकट है क्योंकि इसमें अनुक्रिया अथवा व्यवहार स्वयं ही व्यवहार को अनुबंधित करने के लिए माध्यम या यंत्र *(Instrument)* का कार्य करता है।
7.	इस प्रकार के अनुबंधन में प्रताड़ना अथवा दंड *(Punishment)* को बुरी आदतें छुड़ाने एवं अवांछनीय व्यवहार को भूल जाने *(Deconditioning)* के रूप में उपयोग में लाया जाता है।	क्रिया-प्रसूत अनुबंधन प्रताड़ना अथवा दंड को वांछनीय व्यवहार सिखाने अथवा अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए उपयोग में लाने का सख्त विरोधी है। विकल्प के रूप में यह चाहता है कि वांछनीय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा सुदृढ़ किया जाए तथा अवांछनीय व्यवहार की ओर न कोई ध्यान दिया जाए और न किसी तरह से उसे पुनर्बलित या प्रोत्साहित किया जाए।
8.	अनुक्रिया अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन दोनों एक ही हैं।	यह थॉर्नडाइक के माध्यमजन्य अनुबंधन के निकट है क्योंकि इसमें अनुक्रिया अथवा व्यवहार स्वयं ही व्यवहार को अनुबंधित करने के लिए माध्यम या यंत्र *(Instrument)* का कार्य करता है।
9.	इस प्रकार के अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग सीखने वाले द्वारा की गई अनुक्रिया अथवा व्यवहार के पहले किया जाता है।	इस प्रकार के अनुबंधन में शुरुआत व्यवहार अथवा अनुक्रिया द्वारा होती है और उसके बाद उसे बल प्रदान करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है।
10.	इस प्रकार के अनुबंधन का सम्बन्ध सीखने वाले के स्वचालित तन्त्रिका तन्त्र से है।	इस प्रकार के अनुबंधन का सम्बन्ध सीखने वाले के केन्द्रीय तन्त्रिका यन्त्र से है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

संज्ञानात्मकवादी (Cognitivist)

1. सीखने का अन्तर्दृष्टि या सूझ-बूझ सिद्धान्त (Insight Theory of Learning)

6. अन्तर्दृष्टि शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अन्तर्दृष्टि शिक्षण या सूझ-बूझ द्वारा सीखने के विभिन्न भागों तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिये।

उत्तर–गेस्टाल्ट *(Gestalt)* शब्द का अर्थ है–समग्र रूप। इसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु का आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इस सिद्धान्त का जन्मदाता जर्मनी का मनोवैज्ञानिक वरदीमर *(Wertheimer)* कहा जाता है। उसके इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में कॉफका *(Kurt Koffka)* तथा कोहलर *(Kohler)* ने बहुत अधिक योगदान दिया। वरदीमर का मानना यह है कि 'सम्पूर्ण' बड़ा है और 'कुछ' उसका अंश है *(The whole is greater than the sum of its parts)*। इसे हिन्दी में पूर्णाकारवाद भी कहा जाता है।

इसके मूल में अन्तर्दृष्टि या सूझ-बूझ *(Insight)* विद्यमान रहती है। अन्तर्दृष्टि का अर्थ है–समस्या के समाधान को गहराई में देखना। वुडवर्थ *(Woodworth)* के अनुसार, 'अन्तर्दृष्टि का अर्थ है–अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन भागों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं।' प्रो. कोहलर *(Prof. Kohler)* के अनुसार अन्तर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि *(Foresight)* निहित होती है। इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति का व्यवहार पूर्णता से निर्देशित होता है। व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, न कि भागों में।

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी समस्या के समाधान के लिए अन्तर्दृष्टि या सूझ का होना अत्यन्त आवश्यक है। अन्तर्दृष्टि शिक्षण का तात्पर्य सीखने की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत सीखने के लिए बार-बार प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि प्रयोज्य नई परिस्थितियों में उत्पन्न समस्या को चिन्तन द्वारा हल करता है। चिन्तन से उत्पन्न अन्तर्दृष्टि या सूझ के कारण वह प्रथम प्रयास में ही समस्या को हल कर लेता है। अन्तर्दृष्टि या सूझ प्राणी में अचानक उत्पन्न होती है।

अन्तर्दृष्टि या सूझ सिद्धान्त के सम्बन्ध में **कोहलर** का कहना है कि "व्यक्ति पहले स्थिति को समझता है और फिर अपनी सूझ-बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। इस विधि के अनुसार क्रियाएँ करते हुए प्रयास व्यर्थ नहीं जाते और न ही क्रिया को बार-बार दोहराना पड़ता है। जब भी व्यक्ति किसी नई स्थिति के सारे तत्त्वों के बारे में विचार करता है और जब उसे सम्पूर्ण तौर पर समझ लेता है तब वह कोई प्रक्रिया करता है।"

कोहलर ने थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि व्यक्ति प्रयास और भूल से न सीखकर अन्तर्दृष्टि या सूझ-बूझ से सीखता है। कोहलर ने पाया कि व्यक्ति अचानक समस्या का सही समाधान ढूँढ़ लेता है। इस सिद्धान्त में प्रत्यक्षीकरण *(Perception)* पर अधिक बल दिया है तथा उसे महत्त्वपूर्ण माना है। कोहलर और कॉफका इस परिणाम पर पहुँचे कि व्यक्ति किसी समस्यात्मक परिस्थिति का सूझ-बूझ या अन्तर्दृष्टि से समाधान निकालता है।

अन्तर्दृष्टि शिक्षण से सम्बन्धित प्रयोग (Experiments)—कोहलर *(Kohler)* ने 1913 से 1917 तक बर्लिन विश्वविद्यालय में एक चिम्पैन्ज़ी *(Chimpanzee)* पर प्रयोग किए, जिसका नाम था–सुल्तान। इन **प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से हैं**–

प्रयोग नं. 1–कोहलर ने अन्तर्दृष्टि शिक्षण से सम्बन्धित एक प्रयोग में वनमानुष को एक समस्या समाधान के लिए चुना। उन्होंने वनमानुष को भूखा रखकर एक बड़े पिंजरे में बन्द कर दिया। इस पिंजरे की छत से केले इतनी ऊँचाई पर लटका दिये कि वनमानुष जमीन पर खड़े होकर उन्हें नहीं पकड़ सकता था। उसी पिंजरे में एक ओर लकड़ी के दो बक्से रखे हुए थे। केले को प्राप्त करने के लिए वनमानुष जमीन से खड़े होकर उनको पकड़ने की कोशिश में असफल हो गया। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसे अचानक सूझ आई, वह उठा और उसने लकड़ी के एक बॉक्स को उठाकर बीच जमीन पर रखा, किन्तु इस बॉक्स की ऊंचाई भी केलों को प्राप्त करने के लिए कम थी। अतः वह दूसरा बॉक्स लाया और उसे भी पहले बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार केले प्राप्त करने की समस्या का हल प्रयोज्य ने अन्तर्दृष्टि या सूझ के माध्यम से प्राप्त किया।

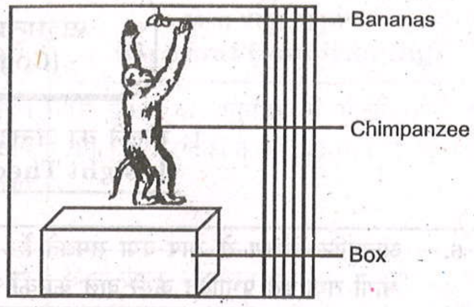

प्रयोग न. 1

प्रयोग नं. 2–एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने प्रयोग नं. 1 की तरह वनमानुष को पिंजरे में बन्द किया। वह भूखा था। पिंजरे के बाहर केले इतनी दूरी पर रखे गए कि वनमानुष का हाथ उन तक न पहुँच सका। वनमानुष उनको प्राप्त करना चाहता था। उसी पिंजरे में दो छड़ियाँ रखी हुई थीं, जिनमें एक छड़ी मोटी और दूसरी अपेक्षाकृत कम मोटी थी। इन दोनों छड़ियों को आपस में फँसाकर लम्बी छड़ी के रूप में बदला जा सकता था। वनमानुष ने कुछ देर बाद एक छड़ी उठाई और केलों को प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। क्योंकि छड़ी की लम्बाई कम थी, इसलिए वह केले प्राप्त न कर सका। कुछ देर बाद छड़ियों को आपस में जोड़ लिया। छड़ी लम्बी हो जाने पर उसने उसकी सहायता से पिंजरे से दूर रखे केले प्राप्त कर लिए। कोहलर ने इस प्रयोग में भी छड़ियों का उपयोग करने की प्रक्रिया का जन्म अन्तर्दृष्टि या सूझ को माना।

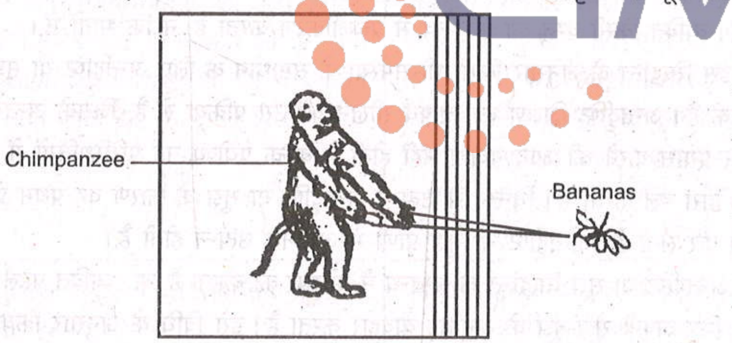

प्रयोग न. 2

प्रयोग नं. 3–तीसरे प्रयोग में कोहलर ने परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब उसने केलों को छत से लटका दिया तथा छड़ियों के स्थान पर बक्से *(Boxes)* का प्रयोग किया। उसने भूखे सुलतान को पिंजरे में बन्द कर दिया। सुलतान को छत पर लटके हुए केले दिखाई दिए। केलों को देखकर सुलतान उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। किन्तु सुलतान को सफलता नहीं मिली और वह निराश होकर बैठ गया। पिंजरे के कोने में लकड़ी का एक बक्सा रखा था। अचानक उसकी नजर इस बक्से पर पड़ी और उसे एक युक्ति सूझी। उसने बक्से को नीचे रखा। इस पर खड़े होकर उसने केलों को प्राप्त कर लिया तथा अपनी पेट की आग को शान्त किया।

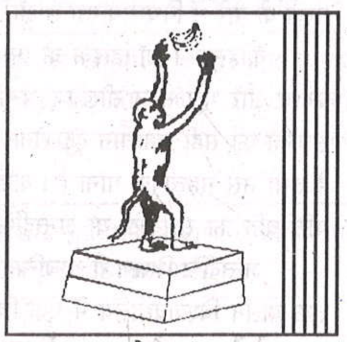
प्रयोग न. 3

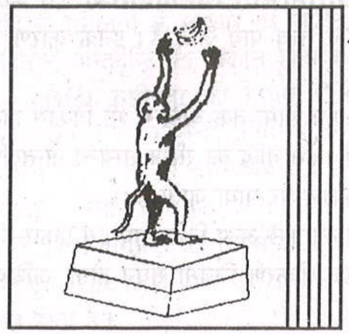
प्रयोग न. 4

प्रयोग नं. 4–अन्तिम प्रयोग में कोहलर ने परिस्थितियों में फिर परिवर्तन कर दिया। उसने केलों को छत से लटकाया तो जरूर मगर केलों की ऊंचाई बढ़ा दी। अब उसने एक बक्से के स्थान पर पिंजरे में दो बक्से *(Two Boxes)* रख दिए। उसने भूखे सुलतान को पिंजरे में बन्द कर दिया। अब सुलतान को पता लग गया कि हाथ से केलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने बक्से को नीचे रखा और उस पर खड़े होकर केलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। किन्तु केले प्राप्त करने में असफल होने के कारण वह निराश होकर बैठ गया। उसे पिंजरे में रखा दूसरा बक्सा दिखाई दिया। अचानक उसे युक्ति सूझी। उसने दोनों बक्सों को ऊपर-नीचे रखा। इन पर खड़े होकर केलों को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी भूख शान्त की।

प्रयोग नं. 5–कोहलर ने 15 मास की लड़की पर भी प्रयोग किया। इस लड़की ने कुछ देर पहले ही चलना सीखा था। इस लड़की से करीब दो मीटर दूर एक खिलौना रख दिया। दूसरी ओर एक बाधा उत्पन्न कर दी। खिलौने को देखकर उस लड़की ने उसे लेने के लिए तथा बाधा पार करने के लिए प्रयास किया। इसमें उसने अपनी सूझबूझ या अन्तर्दृष्ठि से कार्य किया और बाधा के एक ओर से घूमकर उस खिलौने तक पहुँची। इस प्रयोग द्वारा भी सूझबूझ के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।

उपर्युक्त प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्दृष्टि सीखने में सहायक होती है। अन्तर्दृष्टि का अर्थ–तत्कालीन परिस्थिति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं, विचारों और पक्षों के बीच आपसी सम्बन्धों की जानकारी चिंतन द्वारा प्राप्त करना होता है। जैसे–उपरोक्त प्रयोग में वनमानुष केले प्राप्त करने के लिए बक्सों की संख्या, केलों की जमीन से ऊंचाई, बक्सों की ऊंचाई, उन्हें रखने का स्थान आदि के बारे में चिन्तन से ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करता है। अचानक उत्पन्न अन्तर्दृष्टि से मानसिक-स्तर पर किसी समस्या का समाधान दिखाई देने पर उस विचार को कार्य रूप दिया जाता है। अन्तर्दृष्टि जागृत होने में पूर्व-शिक्षणों/अनुभवों का भी योगदान होता है। प्रयोज्य अपने अनुभवों से सीखे गए विभिन्न कार्यों की स्मृति के आधार पर नवीन परिस्थिति में उन अनुभवों के प्रयास एवं भूल की स्थापना व असमानता को देखता है। इनके आधार पर वह जहाँ-कहीं पहले किसी अनुभव का प्रस्तुत परिस्थिति में उपयोग कर सकता है उसके बारे में सोचकर नयी समस्या का समाधान खोजता है। चिन्तन के स्तर पर समाधान की प्राप्ति अन्तर्दृष्टि कहलाती है।

अन्तर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने की विशेषताएँ (Characteristics of Insight Learning)–अन्तर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(1) एकल प्रयास के द्वारा सीखना (Learning by Single Effort)–अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने में प्रयोज्य में चिन्तन के द्वारा विभिन्न प्रयासों को क्रमशः सोचने के बाद अचानक अन्तर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होती है, क्योंकि वह समस्या का समाधान अधिकतर एक ही प्रयास में कर लेता है।

(2) अन्तर्दृष्टि में चिन्तन का महत्त्व या उपयोगिता (Utility of Thinking in Insight)–अन्तर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने में प्रयोज्य सभी संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए अपने पूर्व अनुभवों का लाभ उठाकर चिन्तन के आधार पर समाधान खोजता है।

(3) समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना (To Percieve Problems as a Whole)–इस विधि के अनुसार सीखने के अन्तर्गत समस्या का समाधान समस्या के विभिन्न पक्षों को अलग-अलग देखकर संभव नहीं होता, बल्कि उस परिस्थिति के समस्त पक्षों को एक साथ प्रत्यक्षीकृत करके ही समाधान के लिए अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हो सकती है।

(4) अन्तर्दृष्टि या सूझ उच्च श्रेणी के जीवों में संभव (Insight is Possible in only Higher Order Organisms)–इस प्रकार के सीखने की संभावना निम्न श्रेणी के जीवों में नहीं होती। केवल उच्च श्रेणी के जीव जैसे–मानव, वनमानुष, बन्दर आदि में ही यह संभव है, क्योंकि चिन्तन जैसी उच्च मानसिक क्रियाएँ विकसित मस्तिष्क के कारण उनमें अधिक विकसित होती हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(5) विभिन्न तत्त्वों का सम्मिश्रण (Combination of Different Elements)–इस प्रकार के शिक्षण में लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन व पुनः संगठन जैसे पाँच तत्त्व पाये जाते हैं। इनके कारण ही अन्तर्दृष्टि उत्पन्न होती है।

(6) आयु का प्रभाव (Effect of Age)–आयु बढ़ने की कुछ सीमा तक बुद्धि में भी विकास होता है। इसके अलावा आयु की वृद्धि के कारण अनुभवों में वृद्धि होती है। इस वृद्धि का सीधा सम्बन्ध अन्तर्दृष्टि की उत्पत्ति से होता है। अतः आयु का प्रभाव भी इस प्रकार के शिक्षण पर पाया जाता है।

उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त अन्तर्दृष्टि के द्वारा सीखने की कुछ अन्य **विशेषताएँ** इस प्रकार हैं–

(i) सूझ द्वारा सीखना प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। प्रत्यक्षीकरण जितना सघन होगा, अधिगम उतना ही अधिक होगा।

(ii) प्राणी में बुद्धि की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्राणी में सूझ भी उतनी अधिक होगी। सूझ व बुद्धि में सीधा धनात्मक सह-सम्बन्ध होता है।

(iii) सूझ व्यक्ति की आयु से भी सम्बन्धित है। अन्य बातें समान रहें तो पाया गया है कि व्यक्ति की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, एक सीमा तक त्यों-त्यों उसकी अन्तर्दृष्टि विकसित होती जाती है।

(iv) अन्तर्दृष्टि पर व्यक्ति के पूर्व-अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। पूर्व अनुभवों का विशाल भंडार अन्तर्दृष्टि में विकास करता है।

(v) लक्ष्यों की स्पष्टता अन्तर्दृष्टि में सहायक होती है। लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होंगे अन्तर्दृष्टि उतनी ही अधिगम में अधिक सहायक होगी।

(vi) अन्तर्दृष्टि से पूर्व व्यक्ति सामान्यतः प्रयत्न व भूल से समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है।

(vii) अन्तर्दृष्टि सदैव समस्या के संपूर्ण अंगों या समग्राकृति को समझने पर ही आती है। सूझ का सम्बन्ध अवबोध या समझ *(Understanding)* से भी है।

(viii) अन्तर्दृष्टि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है।

(ix) अन्तर्दृष्टि से जो कुछ सीखा जाता है उसका स्थानान्तरण भी होता है।

(x) अन्तर्दृष्टि के उपरान्त वस्तुएँ या समस्याएँ नये रूप में दिखाई पड़ती हैं।

(xi) अन्तर्दृष्टि या सूझ व्यक्तियों के व्यवहारों में तुरन्त परिवर्तन लाती है।

अन्तर्दृष्टि के भाग (Parts of Insight)—वुडवर्थ ने अन्तर्दृष्टि के निम्न दो भाग बताये हैं–

(1) अग्रदृष्टि (Fore-sight)–जब किसी परिस्थिति में समस्या समाधान को सुलझाने से पहले अनुकरण किए जाने वाले मार्ग के बारे में पहले से चिन्तन करके उस मार्ग के बारे में सोचता है और उसी को कार्य के रूप से बदलता है तो इस प्रकार के चिन्तन को अग्रदृष्टि कहते हैं।

(2) पश्चदृष्टि (Hind-Sight)–इसके अन्तर्गत जीव की दृष्टि अपने अनुभवों के द्वारा सीखे गए कार्यों की ओर होती है अर्थात् इसमें चिन्तन की दिशा पहले किए गए कार्यों की ओर होती है और कार्यों से प्राप्त अनुभव का उपयोग करके वह समस्या के समाधान को खोजता है तो इस प्रकार का चिन्तन पश्चदृष्टि से सम्बन्धित होता है।

सीखने या अधिगम के नियम (Law s of Learning)—अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम में नीचे लिखे नियमों का प्रयोग होता है–

(i) संरचना का नियम (Law of Structure)–गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु या समस्या की सम्पूर्ण संरचना को देखकर ही उसका हल निकाल सकता है और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया उस समय पूर्ण मानी जाती है जब उस प्रक्रिया का एक निश्चित स्वरूप अधिगमकर्ता के सम्मुख निखर कर सामने आता है।

(ii) समरूपता का नियम (Law of Similarity)–गेस्टाल्टवादियों के अनुसार रंग, रूप, आकार, आदि में समानता के आधार पर व्यक्ति अनेक तत्त्वों के आधार पर एक समूह बना लेता है और इससे व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि का विकास होता है।

(iii) समीपता का नियम (Law of Proximity)–इसे निकटता का नियम *(Law of Nearness)* भी कहते हैं। विभिन्न तत्त्वों में जितनी अधिक निकटता होगी, वे उतनी ही सरलता से समग्र आकृति बना लेते हैं। तत्त्वों के मध्य निकटता जितनी कम होगी, उनको एक समूह में या समग्र रूप में दृष्टिपात करना उतना ही कठिन होगा।

(iv) समाप्ति का नियम (Law of Closure)–इस नियम के अनुसार एक आकृति या समस्या के संवृत्त *(Closed)* अंश एक इकाई के रूप में दिखाई देते हैं और इनको एक इकाई के रूप में समझना सरल होता है।

(v) निरन्तरता का नियम (Law of Continuity)–किसी आकृति या परिस्थिति के किसी एक अंश में निरन्तर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की ओर व्यक्ति का ध्यान जल्दी चला जाता है और उसके प्रति सुगमता के साथ अन्तर्दृष्टि विकसित हो जाती है।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्रयोगों के आधार पर गेस्टाल्ट अधिगम की आगे विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं–

अन्तर्दृष्टि या सूझबूझ या गेस्टाल्ट द्वारा सीखने के मूल तत्त्व (Essentials of Learning by Insight or Gestalt Method)—कोहलर ने सूझ-बूझ के इस सिद्धान्त में निम्नलिखित आवश्यक तत्त्वों की चर्चा की है–

1. सम्पूर्ण इकाई का बोध (Comprehension as a Whole)–इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सीखने के लिए स्थिति को सम्पूर्ण इकाई के रूप में समझना आवश्यक होता है।

2. स्पष्ट लक्ष्य (Clear Goal)–इस सिद्धान्त के अनुसार सीखने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और यह स्पष्ट प्रारम्भ से ही हो।

3. सामान्यीकरण की शक्ति (Power of Generalization)–सीखने वाले व्यक्ति में सामान्यीकरण की शक्ति का होना अति आवश्यक होता है।

4. समाधान का अचानक सूझना (Sudden Solution)–अन्तर्दृष्टि के अन्तर्गत 'अचानक' कार्य होता है। अतः समस्या का समाधान भी अचानक ही सूझता है। इस विधि के दौरान लम्बे समय तक चिन्तन की आवश्यकता नहीं रहती है।

5. वस्तुओं का नया रूप (New Form of Objects)–अन्तर्दृष्टि के परिणामस्वरूप समस्या या स्थिति से जुड़ी वस्तुएँ नये रूप में दिखाई देने लगती हैं।

6. स्थानान्तरण (Transfer)–अन्तर्दृष्टि के माध्यम से सीखने पर ज्ञान का स्थानान्तरण भी संभव है। एक स्थिति में सीखी हुई बात को दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है।

7. व्यवहार में परिवर्तन (Change in behaviour)–अन्तः दृष्टि द्वारा सीखी हुई बात से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होता है।

इसके अतिरिक्त **यर्क्स (Yerks)** ने अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण कर इसमें **निम्नलिखित तत्त्व पाए हैं**–

(i) समस्यात्मक परिस्थिति का अन्वेषण करना।

(ii) बिना झिझक तथा बिना विश्राम किए हुए, एकाग्रचित होकर समस्या पर ध्यान देना।

(iii) उपयुक्त प्रतिक्रिया करने का प्रयास करना।

(iv) एक प्रतिक्रिया अनुपयुक्त सिद्ध होने पर दूसरी प्रतिक्रिया करना।

(v) लक्ष्य की ओर निरन्तर ध्यान देना तथा उचित प्रतिक्रिया की प्रेरणा प्राप्त करना।

(vi) आकस्मिक रूप से सही प्रतिक्रिया को व्यक्त करना।

(vii) समस्या अथवा परिस्थिति के आवश्यक पक्षों पर ध्यान देने तथा अनावश्यक पक्षों को छोड़ देने की योग्यता आना।

इन सभी तत्त्वों की उपस्थिति में अन्तर्दृष्टि द्वारा अधिगम संभव हो सकता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अन्तर्दृष्टि निर्माण के नियम *(Laws of Insight Formation)*

1. क्षमता (Capacity)–अन्तर्दृष्टि शारीरिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। ये क्षमताएँ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती हैं। व्यक्ति के विकास के साथ-साथ उसकी क्षमताएँ भी विकसित होती रहती हैं। अतः वह जितना अधिक विकसित होगा, उसकी अन्तर्दृष्टि की क्षमता भी उतनी ही विकसित होगी।

2. पूर्व-अनुभव (Previous Experiences)–सम्बन्धित पूर्व-अनुभव भी अन्तर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। इन पूर्व-अनुभवों पर अन्तर्दृष्टि निर्भर करती है। अतः अन्तर्दृष्टि से पहले कुछ पूर्व-अनुभव, परिपक्वता, प्रयासों और भूलों का होना अति आवश्यक होता है।

3. प्रयोगात्मक प्रबन्ध (Experimental Arrangement)–अन्तर्दृष्टि का विकास प्रयोगात्मक प्रबन्ध से भी जुड़ा हुआ है।

4. भटकन और खोज (Fumbling and Search)–कई बार भटकन और खोज के प्रयासों के परिणामस्वरूप अन्तर्दृष्टि का जन्म होता है।

5. तत्पर आवृत्ति (Readily Repetition)–अन्तर्दृष्टि के माध्यम से जो भी समस्या का समाधान ढूँढ़ा जाता है वह कभी भूलता नहीं। उसे बार-बार दोहराया जा सकता है।

6. नई स्थिति में उपयोग (Useful in New Situation)–कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अन्तर्दृष्टि द्वारा अर्जित अधिगम का किसी और नई स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है।

7. सम्पूर्ण अनुभव (Whole Experience)–ऐसा देखा गया है कि सूझ-बूझ द्वारा अर्जित अनुभव स्वयं में पूर्ण होता है। उसमें अधूरापन नहीं रहता। यह सम्पूर्ण अपने अंशों के बराबर नहीं हो सकता।

अन्तर्दृष्टि के सिद्धान्त की सीमाएँ या दोष *(Limitations of Insight Theory)*

(1) बच्चे और पशु इस सिद्धान्त की सहायता से नहीं सीख सकते। वे केवल प्रयास और भूल विधि द्वारा ही सीख सकते हैं।

(2) इस विधि में प्रयास और भूल का भी प्रयोग होता है। लेकिन कठिन समस्याओं में सफलता प्राप्त करने से पहले कई प्रयास करने पड़ते हैं और उनमें कई त्रुटियाँ भी रह जाती हैं। कई बार प्रौढ़ व्यक्ति भी एक ही बार में समस्या को हल नहीं कर पाते।

(3) प्रत्येक विषय केवल अन्तर्दृष्टि से नहीं सीखा जा सकता है। सीखने में प्रयास का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(4) बालकों का अधिगम अनुभव पर बहुत अधिक सीमा तक निर्भर करता है।

(5) मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। यह बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है।

(6) इस सिद्धान्त में अभ्यास *(Practice)* के महत्त्व को गौण कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। मनुष्य तथा पशु के कुछ शिक्षण ऐसे भी हैं जहाँ अभ्यास की बड़ी जरूरत पड़ती है। टाइप करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, भूल-भूलैया समस्या को हल करना सीखना आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे शिक्षणों की व्याख्या इस सिद्धान्त के आधार पर करना संभव नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)–इस प्रकार हमने देखा है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त सामने रखे हैं। सब अपने सिद्धान्त को ही सही बताते हैं और अन्य सिद्धान्तों की आलोचना करते हैं। किन्तु सत्य तो यह है कि सभी सिद्धान्त अपने में अपूर्ण हैं। वे सीखने की प्रक्रिया के केवल एक ही पक्ष की व्याख्या करते हैं। किन्तु वे सब मिलकर सीखने की प्रक्रिया पर समुचित प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार वे एक-दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं और इसलिए सबको मान्यता प्रदान करना आवश्यक है। नित्यप्रति के जीवन में जब जैसी समस्या आ जाए उसी के अनुसार हमें सीखने की विधि का चयन करके उसको हल कर डालना चाहिए।

◆◆◆

7. अन्तर्दृष्टि, सूझ-बूझ या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिये।

अथवा

अधिगम या सीखने के अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता या महत्त्व है? विवेचना कीजिये।

अथवा

अधिगम या सीखने से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? उल्लेख कीजिये।

उत्तर–सीखने के अन्तर्दृष्टि या सूझ-बूझ सिद्धान्त की शैक्षिक उपयोगिता या महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से है–

(i) अन्तर्दृष्टि का विकास (Development of Insight)–इस सिद्धान्त की सहायता से व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि का विकास करना संभव होता है। इस सिद्धान्त की सहायता से विज्ञान, रेखा गणित एवं बीज गणित की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। साहित्य के क्षेत्रों में इस सिद्धान्त का कोई अधिक उपयोग नहीं। इस सिद्धान्त द्वारा अधिगम में कम समय लगता है। यह विधि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें अध्यापकों को भी कम परिश्रम करना पड़ता है। इस सिद्धान्त की सहायता से अर्जित अधिगम को हम अन्य परिस्थितियों में भी प्रयुक्त कर सकते हैं तथा ऐसा ज्ञान स्थाई प्रकृति का होता है।

(ii) एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Curriculum)–इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम एकीकृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों तथा भागों में आपसी तालमेल होना चाहिए।

(iii) कल्पना, तर्क एवं चिन्तन के विकास में सहायक (Helpful in Developing the Power of Imagination, Reasoning and Thinking)–अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त व्यक्ति में कल्पनाशक्ति, तर्कशक्ति एवं चिन्तनशक्ति के विकास और उसे बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होता है। यह सिद्धान्त रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iv) एकल क्रिया पर निष्कर्ष नहीं (No Conclusion on the Basis of Single Act)–कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों की एक ही क्रिया या व्यवहार से किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। क्योंकि यह सिद्धान्त बच्चे को समग्र रूप या पूर्ण रूप से देखने पर बल देता है, न कि उसके आंशिक व्यवहार पर।

(v) सीखने में गतिशीलता (Dynamism in Learning)–अन्तर्दृष्टि या सूझ के द्वारा अधिगमकर्ता की तत्परता तथा प्राप्त शिक्षण के प्रभाववश सीखने की क्रिया में निरन्तर विकास होता चलता है। ज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक तत्परता ही सीखने में गतिशीलता का आधार बनती है। गतिशीलता का उद्देश्य छात्रों के विकास में सहायता देना होता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों में सीखने की क्रिया को अनवरत रूप देने की भावना जागृत करे। इसके लिए समस्या को इस भांति सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक में सीखने की अपेक्षित तत्परता आ जाय तथा वह समस्या को समझ भी सके।

(vi) सूझ द्वारा सीखने हेतु सफलता के लिए अध्यापक की सहायता (Teacher's Help for Success)–सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया में भी अध्यापक का सहयोग तथा मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण होता है। समस्या के सम्भव हलों के विषय में सोचने की प्रेरणा देना तथा उनकी परीक्षा करके सही हल अथवा प्रतिक्रिया चुनने का संकेत देना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाधान खोजने की प्रक्रिया के बीच बालकों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा समस्या में उनकी रुचि बनाए रखना चाहिए।

सूझ द्वारा सीखने के लिए समस्या को इस भांति प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक में कौतूहल का भाव जागृत हो जाए तथा उसकी संतुष्टि के लिए वह समस्या पर ध्यान केन्द्रित कर सके। जिज्ञासा सूझ का मूल तत्त्व है जिसके समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी समस्या का हल नहीं खोज सकता। अस्तु अध्यापक का कर्तव्य है कि वह सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की जिज्ञासा एवं रुचि जागृत करे।

(vii) विषयों और अनुभवों से सम्बद्ध (Related to Topics to the Experience)–कक्षा में पढ़ाये गए प्रकरणों को बच्चों के अनुभवों से सम्बद्ध किया जा सकता है तथा लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है।

(viii) पूर्ण अंशों का योग नहीं (Whole is Not a Sum of the Parts)–इस सिद्धान्त का विश्वास है कि सम्पूर्ण विभिन्न अंशों के योग के बराबर नहीं होता। अतः कक्षा में पाठ को शुद्ध करते समय चीज़ों को कक्षा में सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ix) पूर्व-अनुभवों पर आश्रित (Depend Upon Past Experiences)–अन्तर्दृष्टि पूर्व-अनुभवों और योग्यता पर निर्भर करती है। अध्यापक बच्चों की अन्तर्दृष्टि का उत्तम उपयोग उचित पाठ योजना, महत्त्वपूर्ण अनुभव प्रदान करने तथा सैद्धान्तिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान *(Theory and Practice)* में एकीकरण करके कर सकता है।

(x) अभिप्रेरणा (Motivation)–कक्षा में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्दृष्टि का विकास करने के लिए अध्यापक बच्चों को अभिप्रेरित कर सकता है।

(xi) कठिन विषयों के लिए उपयोगी (Useful in Difficult Subjects)–इस सिद्धान्त की अधिकतम उपयोगिता कठिन विषयों में दिखाई देती है–जैसे गणित, विज्ञान इत्यादि।

(xii) आकांक्षा स्तर (Aspiration Level)–अध्यापक नये ज्ञान को प्रदान करते समय देख ले कि विद्यार्थियों का मानसिक तथा शारीरिक स्तर इस योग्य है भी कि वे नया ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। यदि उनकी आकांक्षा का स्तर सामान्य है तो वे सामान्य ज्ञान को ही भली-भाँति ग्रहण कर सकतेहैं।

(xiii) पूर्ण समस्या (Whole Problem)–अध्यापक को चाहिए वह विद्यार्थियों को समस्या का पूरा ज्ञान कराए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण है तो अन्तर्दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होती जब तक उसका ज्ञान पूर्ण रूप से न हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि सार्थक पाठ पढ़ाये जाएं।

(xiv) वातावरण (Environment)–अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के सामने इस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करे कि बच्चे स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित हों। अधिगम की क्रिया का विकास स्वयं होना चाहिए।

(xv) बालक सम्पूर्ण रूप में (Child as a Whole)–बालक के व्यवहार के सभी पक्षों को देखकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। एक कार्य के आधार पर बालक के व्यवहार के बारे में कोई परिणाम नहीं निकालना चाहिए। अतः बालक का सम्पूर्ण रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए।

(xvi) लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Goals)–अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण-अधिगम लक्ष्यों को अवश्य निधारित कर ले। क्योंकि निर्धारित लक्ष्यों के कारण छात्र में सीखने के लिए तनाव पैदा होगा जिससे वे सीखने के लिए अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरणा के अन्तर्गत अधिगम प्रभावशाली होगा।

(xvii) बुद्धि का उपयोग (Use of Intelligence)–इस सिद्धान्त के अन्तर्गत बुद्धि के उपयोग पर बल दिया जाता है। यांत्रिक रूप से किए गए प्रयासों पर कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, बल्कि बुद्धि के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाता है। अतः पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित होना चाहिए कि बुद्धि के विकास एवं उपयोग की नींव पड़े।

(xviii) वैज्ञानिक खोजों के लिए लाभकारी (Useful for Scientific Inventions)–वैज्ञानिक खोजों के लिए भी अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त ही सहायता करता है। इसके अभाव में खोज कार्य नहीं हो सकते।

(xix) अधिगम स्थानान्तरण पर बल (Emphasis on Transfer of Learning)–गेस्टाल्ट का यह सिद्धान्त अधिगम के स्थानान्तरण पर भी बल देता है। इस विधि द्वारा सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का स्थानान्तरण होना चाहिए।

उपरोक्त शैक्षिक उपयोगिताओं के अतिरिक्त अन्तर्दृष्टि या सूझ सिद्धान्त का शिक्षा के क्षेत्र में **निम्नलिखित प्रयोग या उपयोगिता है–**

(i) अध्यापक छात्र में सीखने की अन्तर्दृष्टि को पैदा करे तभी वह नया ज्ञान सीखेगा।

(ii) अध्यापक को छात्रों के सम्मुख पूर्ण समस्या रखनी चाहिए ताकि उनमें सूझ उत्पन्न हो सके।

(iii) शिक्षक को पढ़ाई हुई विषय-वस्तु का सामान्यीकरण *(Generalization of Content)* करना चाहिए ताकि छात्रों की इससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाए। सामान्यीकरण सूझ सिद्धान्त का मूल तत्त्व है।

(iv) अध्यापक के पूर्व-अनुभव पर बल देना चाहिए ताकि इससे अन्तर्दृष्टि के विकास में मदद मिले। शिक्षक को नवीन ज्ञान देते समय इसका सम्बन्ध पूर्व-ज्ञान से अवश्य करना चाहिए।

(v) शिक्षक नवीन ज्ञान देते समय यह भी देख ले कि छात्र इस ज्ञान को ग्रहण करने योग्यहैं। यदि उनकी आकांक्षा का स्तर ऊंचा नहीं है तो उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते।

(vi) अध्यापक को छात्रों के सामने सीखने के लक्ष्य रखने चाहिए ताकि वे उनके अनुसार ध्यान लगाएं एवं परिश्रम करें।

(vii) शिक्षक को छात्रों के ज्ञानार्जन के लिए खोज की प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए ताकि बुद्धि का विकास हो सके।

(viii) शिक्षक छात्रों के सामने ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि वे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हों।

अतः सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में सूझ द्वारा सीखने का बड़ा महत्त्व है। इस सिद्धान्त या विधि का अनुसरण हम नित्य करते हैं। बालकों के सामने गणित, ज्यामिति आदि की समस्याएँ रख दी जाती हैं और थोड़ी देर समझने के बाद वे सूझ द्वारा उनका हल निकाल लेते हैं। अभी तक जितने भी आविष्कार या खोजें हुई हैं सब में अन्तर्दृष्टि प्रधान रही है। हम नित्य नई-नई परिस्थितियों में पड़ते हैं–घर में, खेल के मैदान में, दफ्तर में, कक्षा में, किन्तु हमारी सूझ ही हमारी सहायता करती है। वास्तव में सभी उच्च श्रेणी के सीखने के कार्य अन्तर्दृष्टि या सूझ द्वारा होतेहैं।

अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने या सूझ सिद्धान्त का मूल्यांकन (Evaluation of Gestalt Theory)–अन्तर्दृष्टि के सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक प्रकार का अधिगम सम्भव नहीं है। बालक का पढ़ना, लिखना, बोलना अकस्मात् अथवा यकायक नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के द्वारा सीखने की एक बड़ी चिन्तन प्रक्रिया है। अतः इसके द्वारा सीखना छोटे बालकों तथा पशुओं द्वारा संभव नहीं होता। प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि सूझ में प्रयत्न तथा भूल अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त पशु-क्षेत्र में अन्तर्दृष्टि के तथ्य को स्वीकार करने तथा सम्बन्धित स्पष्टीकरण देने में गेस्टॉल्टवादियों के प्रयोग अत्यन्त सराहनीय हैं। मानव-क्षेत्र में तो अधिकतर कार्य अन्तर्दृष्टि के आधार पर किए जाते हैं। जटिल परिस्थितियों के समाधान का सम्पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण जब मनुष्य को होता है तो उसे अन्तर्दृष्टि का ही परिचायक मानते हैं। इस प्रकार सीखने की क्रिया में वह अपनी बुद्धि, पूर्व-ज्ञान, रुचि, मनोवृत्ति आदि मानसिक-प्रवृत्तियों का उपयोग करता है। विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग आदि ऐसे विषय हैं जिनको अभ्यास के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, बल्कि इनको सीखने के लिए सूझ की अति आवश्यकता है। इस प्रकार सीखने के क्षेत्र में इस सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

कोहलर के सिद्धान्त का खण्डन भी हुआ है। रिगंटन आदि मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि उन्हें बन्दर के बच्चों पर प्रयोग करने पर अन्तर्दृष्टि का कोई भी परिचय नहीं मिला। उन्होंने दूसरी बात यह भी कही है कि अचानक समस्या का समाधान संयोग की बात है, अन्तर्दृष्टि या सूझ की बात नहीं है। इस प्रकार अन्तर्दृष्टि या सूझ सिद्धान्त को पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः कोहलर द्वारा किए गए प्रयोगों को सरल बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त बिल्कुल नवीन तथा अपरिचित विज्ञान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिद्धान्त दर्शन तथा मनोविज्ञान का मिश्रित रूप है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

टॉलमैन का चिह्न अधिगम सिद्धान्त
(Tolman's Sign Learning Theory)

8. **टॉलमैन के चिह्न अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धान्त के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए।**
(What do you mean by Tolman's sign Learning Theory? Describe the educational implications of this theory.)

अथवा

टॉलमैन के अधिगम से सम्बन्धित व्यवहारवादी ज्ञानात्मक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
(Describe the Tolman's Behaviourist Cognitive theory of learning.)

अथवा

चिह्न अधिगम से सम्बन्धित प्रयोग की व्याख्या कीजिए।
(Describe experiments concerning through sign-learning theory.) **(C.R.S.U. 2018)**

उत्तर–टॉलमैन (Tolman) का सिद्धान्त सीखने के ज्ञानात्मक सिद्धान्तों (Cognitive theories) में से अत्यन्त विकसित सिद्धान्त है।

उन्होंने 1932 ई. में अपनी पुस्तक 'परपसिव बिहेवियर इन इनिमल एण्ड मैन' 'Purposive Behaviour Animal and Man' में अपने सिद्धान्त की व्याख्या की है। वह उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद में विश्वास रखते थे। उनकी नजर में सीखा हुआ व्यवहार सदैव किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित तथा उन्मुख होता है। उनका यह दृढ़ मत था कि वस्तुनिष्ठ रूप से सिखा हुआ व्यवहार योग्य उद्देश्यों द्वारा ही व्यवहार नियमित होता है। इस कारण इनको प्रयोजनशील व्यवहारवादी कहा जाता है। यह सिद्धान्त अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे–उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धान्त 'Theory of Purposive Behaviour' चिह्न-स्वरूप सिद्धान्त 'Sign-Gestalt Theory' चिह्न-महत्त्व सिद्धान्त 'Expectancy Theory' ज्ञानात्मक-सिद्धान्त 'Cognitive Theory' इत्यादि।

'टॉलमैन' ने अपनी प्रणाली में सम्मिश्रण को स्वीकार किया है। उन्होंने अन्य सम्प्रदायों (Schools) से कई सिद्धान्त लिए हैं। जैसे–वाटसन का व्यवहारबाद (Watson's Behaviourism) मैकड्गल का 'हामिक' मनोविज्ञान (MC-Dougall's Hormic Psychology) वुड्वर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान (Woodworth's dynamic psychology)।

टॉलमैन के सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं (Main Characteristics of Tolman's Theory of sign learning)–इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. विशुद्ध व्यवहारवाद (Genuine Behaviourism)–टॉलमैन की प्रणाली विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। यह विधि के रूप में आत्मविश्लेषण (Introspection) का खण्डन करती है। चेतना, युक्तिमान विचार जैसी क्रियाओं की चर्चा करते हुए उनका अभिप्राय केवल इस बात से था कि निरीक्षित व्यवहार की व्याख्या की जाए।

2. आणविक व्यवहार (Molecular Behaviour)–टॉलमैन ने आणविक (Molecular) व्यवहार पर बल नहीं दिया, बल्कि सामूहिक व्यवहार पर बल दिया है। सामूहिक व्यवहार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–

(I) लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में यह हमेशा वातावरण सम्बन्धी समर्थनों का प्रयोग करता है।

(II) यह लक्ष्य निर्देशित होता है। यह हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है।

(III) यह चुनाव करता है अर्थात् लम्बे और कठिन साधनों की अपेक्षा यह छोटे और आसान साधनों को चुनता है। इसे लघु प्रयत्न का सिद्धान्त (Principle of least effort) कहा जाता है।

(IV) यह शिक्षणीय (Docile) है अर्थात् सामूहिक व्यवहार में शिक्षणीयता होती है। शिक्षणीयता उद्देश्य का ही चिह्न है।

टॉलमैन के सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य
(Main Objective of Tolman's Theory)

टॉलमैन विश्वास रखता है कि लक्ष्य हो जाने वाले मार्ग को ही सीखा जाता है, अनुक्रियाओं (Responses) को नहीं सीखा जाता। हम अर्थ सीखते हैं गतिया नहीं, हम उन चिह्नों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। इन चिह्नों तथा लक्ष्यों के आपस के सम्बन्ध को सीखते हैं। दूसरे शब्दों में हम सीखते हैं कि कौन-सी चीज़ किस ओर जाती है। अतः सीखने में चिह्नों को पहचानना और लक्ष्य से सम्बन्धित उनके अर्थों को समझना शामिल है। घटनाओं और अनुक्रम चिह्न-व्यवहार के तत्व को स्पष्ट करता है अर्थात् विशिष्ट लक्ष्यों पर पहुँचने की ओर संकेत करता है। इस अनुक्रम का परिणाम है–साधन और साध्य के संबंध को सीखना।

टॉलमैन के प्रयोग (Tolman's Experiments)–आने सिद्धान्त को अच्छा प्रकार से स्पष्ट करने के लिए टॉलमैन के कुद प्रयोग इस प्रकार हैं–

1. स्थान-शिक्षण पर प्रयोग (Experiments on place learing)–स्थान शिक्षण पर प्रयोग इस बात को स्पष्ट करने के लिए किए गए की शिक्षार्थी आरम्भ से ही लक्ष्य की ओर निश्चित घटना-क्रम से नहीं चलता बल्कि उसमें परिवर्तन स्थितियों के अनुसार विभिन्न व्यवहार करने की योग्यता होती है–जैसे कि वह जानता है कि लक्ष्य कहा है। टॉलमैन और 'Ritchie' ने इस पर एक प्रयोग किया उन्होंने चूहों के दो वर्ग लिए। एक वर्ग को एक ऊँची भूल-भुलैया (Maze) में दौड़ने का इस प्रकार प्रशिक्षण दिया कि किसी भी ओर से प्रवेश होकर यदि हव बाईं ओर मुड़ेंगे तो उन्हें भोजन मिलेगा। इसे अनुक्रियात्मक शिक्षण (Response learning) कहते हैं। दूसरे वर्ग को एक विशिष्ट स्थान पर हुए भोजन को प्राप्त करना सिखाया गया। इसे स्थान-शिक्षण कहते हैं।

2. पुरस्कार प्रत्याशा पर प्रयोग (Experiments on Reward Expectancy)–पुरस्कार प्रत्याशा का सरल अर्थ यह है कि विद्यार्थी को पुरस्कार का पहले से ज्ञान होता है, परन्तु यदि पुरस्कार समाप्त कर दिए जाए या परिवर्तित कर दिए जाए तो व्यवहार में बाधा पड़ जाती है।

टॉलमैन और Tinklepaugh ने दो बर्तन लिए। उन्होंने बन्दर की उपस्थिति में एक बर्तन में केले डाल दिए। बन्दर ने केले वाले बर्तन को पहचानकर उसमें से केला निकाल लिया। फिर केले की जगह पर कुछ पत्ते रख दिए, जिन्हें बन्दर पसन्द नहीं करता। यह देखा गया कि बन्दर ने पत्ते को स्वीकार नहीं किया, बल्कि केले की तलाश करने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि पशुओं को किसी विशिष्ट लक्ष्य या पुरस्कार की प्रत्याशा होती है।

3. अव्यक्त-शिक्षण पर प्रयोग (Experiments on latent learning)–यह छुपा हुआ शिक्षण होता है जो दिखाई तो नहीं देता, परन्तु अनेक स्थितियों में स्पष्ट किया जा सकता है। Tolman और Honzile ने चूहों पर अव्यक्त-शिक्षण सम्बन्धी प्रयोगों का अध्ययन किया। उनके एक विशिष्ट प्रयोग में चूहा एक भूल-भुलैया में कई दिनों तक भोजन के बिना भागता रहा। फिर पुरस्कार रख दिया गया और परिणाम को देखा गया। परिणाम से स्पष्ट हुआ कि भोजन-पुरस्कार के न होने पर भी गलतियों की संख्या कम हो रही थी। परन्तु नियमित रूप से भोजन-पुरस्कार रखने से गलतियां अति शीघ्र कम होने लगीं। चूहों के वर्ग के लिए 11वें प्रयास में भोजन-पुरस्कार रखा गया था। वैसे ही अच्छा काम किया जैसे दूसरे वर्ग के लिए नियमित रूप से भोजन-पुरस्कार की व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि पहले 10 प्रयासों में भी पहले वर्ग के चूहों ने कुछ सीख लिया था।

यही अव्यक्त-शिक्षण प्रयोग कहलाता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

टॉलमैन के सीखने के नियम
(Tolman's Laws of Learning)

सन् 1932 ई. में टॉलमैन ने निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन किया—

1. क्षमता का नियम (Capacity laws)—सीखना व्यक्ति की विभिन्न-क्षमताओं पर निर्भर करता है। क्षमता-नियमों में टॉलमैन ने छः उपनियम शामिल किए हैं—

(I) औपचारिक साधन-साध्य-क्षमताएं (Formal mean end-capacities)
(II) प्रभेदात्मक एवं प्रबन्धात्मक क्षमताएं (Discriminating and manipulating capacities)
(III) धारता क्षमता (Retentivity)
(IV) विकल्पनात्मक मार्गों के लिए आवश्यक साधन-साध्य क्षमताएं (Mean and capacities needed for alternative routes etc.)
(V) कविचारात्मक क्षमता (Ideational capacities)
(VI) निर्माण-क्षमता (Creativity)

उत्तेजना-सम्बन्धी नियम (Stimulus laws)—टॉलमैन ने पाँच उत्तेजना सम्बन्धी नियम बताए हैं—

(I) एक रूप होने की योग्यता (Fusibility)।
(II) गेस्टाल्ट के अन्य नियम (Other Gestalt like laws)।
(III) विकल्पों का स्थानीय एवं भौतिक प्रकृतियों में परस्पर सम्बन्ध (Interrelation among spatial, temporal and characters of the alternatives)।
(IV) अनिवार्य चिह्नों का इकट्ठा होना और साधन-साध्य के प्रति उनका सम्बन्ध (Togetherness of essential sign and their mean end relationship)।
(V) क्षेत्र के नए अवरोधों और विस्तारों के अनुसकूल सामग्री की चारित्रिक विशेषताएं।

3. प्रस्तुतिकरण विधि के नियम (Laws concerning manner of presentation)—इस विधि के भी इन्होंने पाँच नियम बताए हैं—

(I) आवृत्ति-नवीनता (Frequency, recency)।
(II) अनुप्रेरणा (Motivation)।
(III) प्रभाव नहीं बल्कि बल (Not effect but emphasis)।
(IV) विकल्पों के प्रस्तुतीकरण का क्रम और अनुक्रम (Temporal orders and sequences in the presentation of alternatives)।
(V) पहले से दिए गए विकल्पों और वास्तविक समाधान के प्रस्तुतीकरण में भौतिक सम्बन्ध (Temporal relations between the presentations of the already given alternative and the true solution)।

टॉलमैन प्रणाली का नवीन रूप (New Version of Tolman's System)—सन् 1949 ई. में टॉलमैन ने अपनी प्रणाली का नवीन रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने निम्नलिखित छः प्रकार के सीखने का उल्लेख किया।

(I) क्षेत्र-प्रत्याशाएं (Field Expectancies)—इससे तात्पर्य उन चिह्न स्वरूप प्रत्याशाओं से है जिनसे व्यक्ति छोटे रास्तों का प्रयोग करता है। टॉलमैन का विचार है कि 'कैथैक्स' और समतुल्य-विश्वासों की अपेक्षा क्षेत्र प्रत्याशाएं जल्दी भुला दी जाती हैं।

(II) गत्यात्मक-प्रतिमान (Motor Patterns)—इसका सम्बन्ध प्रस्तुत स्थिति में किसी प्रकार के गत्यात्मक-प्रतिमान की प्राप्ति के साथ है। टॉलमैन का विश्वास है कि इस प्रकार की प्राप्ति सरल-प्रतिबन्धता (Simple conditioning) पर आधारित है।

(III) कैथेक्स (Cathexes)—चालक (Drive) और लक्ष्य के बीच में विकसित होने वाले धात्मक या ऋणात्मक सम्बन्धों को कैथैक्स कहते हैं। यदि एक प्यासा बच्चा 'प्यास' रूप चालक और पानी के बीच में कोई सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तो वह धनात्मक-कैथैक्स होगा। यदि एक जला हुआ बच्चा स्रोत से डरता है और उसमें दूर रहता है तो वह ऋणात्मक-कैथैक्स होगा।

(IV) समतुल्य विश्वास (Equivalent beliefs)—लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों में उपस्थिति सम्बन्धों के ज्ञान को समतुल्य-विश्वास कहते हैं। इससे व्यक्ति पहले उपलक्ष्य की ओर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह वास्तविक लक्ष्य की ओर करेगा। अतः वह उन उपलक्ष्यों की ओर अग्रसर होगा जिनके प्रति उनमें धनात्मक समतुल्य विश्वास उत्पन्न हुआ होगा और उन उप-लक्ष्यों से दूर रहेगा जिनके प्रति उसमें ऋणात्मक समतुल्य विश्वास उत्पन्न हुआ होगा। टॉलमैन ने इस बात पर बल दिया है कि समतुल्य-विश्वास, सीखने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

(V) क्षेत्र-ज्ञान विधियां (Field-Cognitation modes)—क्षेत्र ज्ञान-विधियां सीखने में लगाई जाने वाली जटिल मानसिक विधियां हैं। ये आंशिक रूप से आन्तरिक योग्यताओं पर निर्भर करती हैं। ये प्रत्यक्षात्मक (Perceptual), स्मृत्यात्मक (Memorial) तथा निष्कर्षात्मक (Inferential) प्रक्रियाओं पर आधारित क्षेत्र प्रत्याशाएं प्राप्त करने की योग्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

6. चालक-प्रभेदात्मकता (Motor discrimination)—चालक-प्रभेदात्मकता एक ऐसा शिक्षण है जिसमें प्राणी विभिन्न चालकों में भेद करना सीखता है। उदाहरण के लिए—भूल-भूलैया में पशु भूखा होने पर दाईं दिशा को जाएगा और प्यासा होने पर बाईं दिशा में जाएगा।

शैक्षिक महत्त्व (Educational Implications)—

(I) लक्ष्यों को परिभाषित करना (Defining the Goals)—अध्यापकों और माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अनुकूल उचित लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।

(II) पुरस्कार और दण्ड का प्रयोग (Use of Reward and Punishment)—लक्ष्यों की स्थापना में पुरस्कार एवं दण्ड की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

(III) ठीक विधियों पर बल (Emphasis on Right Methods)—लक्ष्य की अपेक्षा रास्ता महत्त्वपूर्ण होता है। अतः ठीक विधियां अपनाई जानी चाहिए। सार्थक-शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्धगतियों को उत्साहित नहीं करना चाहिए। पूर्ण और उसके अंशों में स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

(IV) व्यक्तिगत-शिक्षा (Individual Education)—शिक्षा विद्यार्थियों की आयु, पूर्वानुभूति तथा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए।

◆◆◆

ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम
(Bruner's Discovery Learning)

9. ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम की प्रासंगिकता प्रयोग तथा इसमें अधिगमकर्ता तथा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Bruner's discovery learning theory? Describe its relevance, applicability and the role of learner and teacher in this theory.)

अथवा

CIMETRIX

ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम की प्रासंगिकता प्रयोग तथा उनमें अधिगमकर्ता तथा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(C.B.L.U. 2018)

उत्तर–ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम एक खोज आधारित निर्मितिवादी अधिगम सिद्धान्त है जब बच्चा अपने पुराने अनुभव तथा वर्तमान ज्ञान के आधार पर तथ्यों की खोज करता है। अन्वेषणात्मक अधिगम तथ्यों तथा उनके सम्बन्धों की खोज करने का सर्वोत्तम तरीका है। ब्रूनर का यह सिद्धान्त करके सीखने पर जोर देता है। अन्वेषणात्मक अधिगम समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है। जहाँ पर विद्यार्थी अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है।

ब्रूनर (Bruner) ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किये और उसे एक नया रूप प्रदान किया। ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया। बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिन्तन कैसे करते हैं।

मानसिक अभिव्यक्ति (Mental Expression)–ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्नलिखित तीन तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं–

1. दृश्य प्रतिमा विधि (Iconic Mode)–यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएँ (Visual Images) बना कर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण (Perception) के माध्यम से सीखता है।

2. सांकेतिक विधि (Symbolic Mode)–यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों (Symbols) का उनके मूल विकल्पों से सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है।

3. सक्रियता विधि (Enactive Mode)–यह वह तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जैसे भूख की अनुभूति को रो-रो कर अभिव्यक्त करना, हाथ-पैर हिलाना तथा वस्तु को पकड़ना। इन क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी वातावरण से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करता है।

उपरोक्त ब्रूकर की विधियों में गेस्टाल्टवाद (Gestaltism), संज्ञानवाद (Cognitionism) और व्यवहारवाद (Behaviourism) की झलक दिखाई पड़ती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्राकृति अथवा गेस्टाल्ट वाद का अनुसरण करती है। सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञान वाद के सिद्धान्त के अनुरूप क्रिया करती है तथा सक्रियता विधि उद्दीपन-अनुक्रिया (S-R) सम्बन्ध को दर्शाती है।

ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 मास तक सक्रियता विधि (Enactive Mode) की प्रधानता रहती है, 18 से 24 मास की आयु तक दृश्य-प्रतिमा विधि तथा 7 वर्ष की आयु तक सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) को ऐसी प्रक्रिया माना है जो एक क्रम में चलती है।

ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया उसके परिणाम निम्न रहे–

1. विषय की संरचना (Structure of Discipline)–ब्रूनर (Bruner) का विचार है कि हर विषय (Discipline) की अपनी ही एक संरचना होती है, उसके अनुसार आधारभूत संप्रत्यय नियम तथा प्रविधियां (Procedures) होती हैं। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले सम्प्रत्ययों, नियमों तथा प्रविधियों की स्पष्टता का होना अनिवार्य है।

2. सम्बद्धता का महत्त्व (Importance of Relevance)–ब्रूनर के अनुसार ही विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही सम्बन्ध होना चाहिए अर्थात् दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इस दृष्टि से ब्रूनर ने दो प्रकार की सम्बद्धता (Relevance) बताई है–पहली व्यक्तिगत सम्बद्धता (Personal Relevance), दूसरी सामाजिक सम्बद्धता (Social Relevance)। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बद्धता के अनुसार ही होने चाहिएं।

3. तत्परता (Readiness)–ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक होता है। प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार बच्चों को तैयार करने या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनमें क्षमता का विकास करने को अधिक उत्तम नहीं समझा जाता।

4. अन्तर्दर्शी चिन्तन एवं विश्लेषणात्मक चिन्तन (Intuitive Thinking and Analytical Thinking)–ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अन्तर्दर्शी चिन्तन (Intuitive Thinking) की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिन्तन पर अधिक बल देते हैं जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अन्तर्दर्शी चिन्तन का अधिक महत्त्व होता है। अन्तर्दर्शी चिन्तन (Intuitive Thinking) वह होता है, जब व्यक्ति अपने मन-मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। अतः ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है।

5. अन्वेषणात्मक अधिगम (Discovery Learning)–ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के सम्प्रत्ययों (Concepts) का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों से आगमन चिन्तन (Intuitive Thinking) द्वारा हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म-अन्वेषित (Self Discovered) होता है, वही ज्ञान बच्चों में स्थायी रूप से रहता है तथा सार्थक होता है।

6. स्वयं कार्य करने का महत्त्व (Importance of Self Activity)–ब्रूनर के इस सिद्धान्त के अनुसार अधिगम-परिस्थिति में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान अधिक स्थाई होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

ब्रूनर का सिद्धान्त

1. → विषय की संरचना
2. → सम्बद्धता का महत्त्व
3. → तत्परता
4. → अन्तर्दर्शी एवं विश्लेषणात्मक चिन्तन
5. → अन्वेषणात्मक अधिगम
6. → स्वयं कार्य करने का महत्त्व

ब्रूनर के अन्वेषणात्मक सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Bruner's Theory of discovery learning)–

(i) यह सिद्धान्त अधिगम के बाद पुनर्बलन (Reinforcement) पद बल देता है, जैसे पुरस्कार, दण्ड आदि।

(ii) ब्रूनर के सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे में वैयकितक और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है।

(iii) इस सिद्धान्त के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है, जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है।

(iv) ब्रूनर का यह सिद्धान्त बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा नये विषय की विषय-वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है।

(v) इसी सिद्धान्त के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाये जाने वाली विषय-वस्तु इस प्रकार के क्रम से प्रस्तुत की जाती है, जिससे विद्यार्थी तार्किक (logical) ढंग से कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है।

ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम के दोष (Drawbacks of Burner's Theory of Discovery Learning)–

(i) ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम (Discovery Learning) पर अधिक बल दिया है लेकिन हर विषय एवं उसकी पाठ्यवस्तु को खोजपूर्ण विधि के माध्यम से सीखना संभव नहीं। उस स्थिति में यह समय की बर्बादी होगी।

(ii) ब्रूनर ने अन्तर्दर्शी चिन्तन (Intutive Thinking) पर भी बल दिया है लेकिन केवल निर्भर रहने से विद्यार्थियों में सम्प्रत्ययों (Concepts) के ज्ञान के बारे में विविधता आ सकती है। इससे सामान्य बच्चे में द्वन्द (conflect) की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहता है।

(iii) विषय की संरचना (Structure of Discipline) को समझ पाना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इसे समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता (ability) और अभिप्रेरणा (Motivation) की आवश्यकता होती है।

ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम के सिद्धान्त का शिक्षा में उपयोग (Educational Implications of Bruner's discovery learning theory)–

(i) ब्रूनर द्वारा अन्वेषण विधि (discovery Method) पर बल दिया गया है। इस विधि के उपयोग से बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता में विकास संभव हो सकता है।

(ii) ब्रूनर ने ही सम्प्रत्यय (concept) को समझने पर अधिक बल दिया है। अतः अध्यापक को विषय सम्बन्धी सम्प्रत्ययों को उचित प्रकार से समझाना चाहिए।

(iii) ब्रूनर के इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिए।

(iv) ब्रूनर ने बच्चों के मानसिक विकास की अवस्थाओं की चर्चा की है। इन अवस्थाओं के अनुसार ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(v) ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों से सम्बद्ध करके नये सम्प्रत्यय के निर्माण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। इस उपागम से विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी एवं समृद्ध बनाया जा सकता है।

(vi) ब्रूनर के सिद्धान्त में विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन (Planing), क्रियान्वयन (Execution) एवं मूल्यांकन (Evaluation) प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

◆◆◆

शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका
(Role of Teacher in Teaching Learning Situations)

10. शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। (M.D.U. 2018)
(Describe the role of teacher in teaching learning situations.)

अथवा

अध्यापकों का स्कूल में क्या उत्तरदायित्व है? इनके गुणों की भी विवेचना कीजिए।
(What are the responsibilties of teachers in the school. Also discuss their merits.)

उत्तर–अध्यापक शिक्षा पद्धति का केन्द्र-बिन्दु होता है। मुख्याध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर कहीं हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्याध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों न हो। यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता।

मानवीय साधनों में मुख्याध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियाँ हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियाँ ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने-अपने कार्य संभाले। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि मुख्याध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति होती है जो विद्यार्थियों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। अध्यापक वास्तव में देश का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो इतिहास रचियता भी होता है। इस विषय में **एच. जी. वैलज (H.G. Wells)** का कथन है, **"इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है।"** (*"The sole maker of the history in the teacher, Manu observes a teacher as the image of Brahma."*)

शिक्षा विद्यालय को गति देती है। यह बात सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, पाठ्य-पुस्तकें आदि सभी वस्तुएँ शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं परन्तु यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का स्तर तथा चरित्र उच्च नहीं होगा तो वह विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। निःसन्देह वह अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वह दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में देखता है तो पूरे संसार को भाई चारे का पाठ पढ़ाता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है।

व्यावसायिक गुण (Professional Qualities)–अध्यापन कार्य एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है तो उसमें कुछ विशेष गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है। केवल वही व्यक्ति कुशल तथा सफल अध्यापक बन सकता है जिसे अध्यापन की माँगों तथा आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में, **"समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह एक केन्द्र बिन्दु हैं जहाँ से बौद्धिक परम्पराएँ तथा तकनीकी कुशलताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होती हैं। वह सभ्यता के दीप को प्रज्वलित रखने में योगदान प्रदान करता है। वह केवल व्यक्ति का ही मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापकों को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना चाहिए।"**

("The place of a teacher in society is of great importance. He serves as the central figure of the transmission in intellectual traditions and technical skill from generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning. He not only guides an individual but also makes the destiny of the nation. Therefore, teacher have to realise their special obligations to the society.")

अध्यापक में किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित गुण होने चाहिएं–

(i) प्रशिक्षण (Training)–शिक्षण एक विज्ञान भी है और एक कला भी। इस कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अध्यापन कार्य में सफलता के लिए अध्यापक का बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वह भिन्न-भिन्न शिक्षण साधनों से अपने अध्यापक कार्य को प्रभावशाली बना सकता है। विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना होता है तथा साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों तथा न्यूनताओं का रिकॉर्ड रखना होता है तथा उस रिकॉर्ड का मूल्यांकन भी करना होता है। ये सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यापक का प्रशिक्षित होना अत्यन्त जरूरी है।

(ii) विषय वस्तु का ज्ञान (Vital knowledge of the subject)–किसी भी अध्यापक को सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान न हो। इसलिए शिक्षण कार्य की सफलता हेतु अध्यापक को अपने विषय का ज्ञाता होना जरूरी है।

(iii) मौलिकता (Originality)–अध्यापक में मौलिकता का होना अत्यन्त जरूरी है, क्योंकि किसी भी विषय की गतिशीलता तथा शिक्षण को निरन्तर रखने वाली प्रक्रिया अध्यापक से मौलिकता की माँग करती है।

(iv) प्रबन्ध तथा मार्गदर्शन की योग्यता (Management and guidance ability)–केवल विषय का ज्ञान होना किसी व्यक्ति को पूर्ण सफलता नहीं दिला सकता है। यह तो सफलता का एक अति महत्त्वपूर्ण घटक है। पाठन कार्य के साथ-साथ उसमें कार्य कुशलता तथा मार्गदर्शन जैसे गुणों का होना अति आवश्यक है। उसका काम केवल पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि, उसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करना होता है। इसीलिए अध्यापक को समाज का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। उसे मार्गदर्शक, दार्शनिक, अभिभावक तथा मित्र (Guide, philosopher, guardian and friend) आदि सम्बोधनों से पुकारा जाता है।

वह अपने सभी अलंकारों को वास्तविक रूप केवल तब ही दे सकता है जब उसमें आवश्यक गुणों का भण्डार हो। उदाहरण के लिए मार्गदर्शक की भूमिका वह तभी कुशलतापूर्वक निभा सकता है जब उसमें मार्गदर्शन की योग्यता हो। इसके लिए उसे एक ओर तो विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं को समझना चाहिए और दूसरी और मार्गदर्शन की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। उसमें निरीक्षण की योग्यता होनी चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों जैसे, बुद्धि परीक्षण, रुचि, अभिकाभिय परीक्षण तथा परीक्षण आदि का ज्ञान होना चाहिए। उन सबके साथ-साथ अध्यापक को शिक्षण के लिए कई प्रकार की क्रियाओं का चयन तथा आयोजन करना होता है और इस कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक में प्रबन्ध से सम्बन्धित योग्यता कितनी है।

(v) साधनसम्पन्नता (Resourcefulness)–यह जरूरी नहीं है कि अध्यापक को वो सभी चीजें जो अध्यापन कार्य में अनिवार्य रूप से काम आती हैं, सुव्यवस्थित ढंग से मिल जाएं। इन स्थितियों से निपटने के लिए अध्यापक की साधनसम्पन्नता काम आती है।

(vi) सतत् अध्ययनशीलता (Continuous interest in reading)–शिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो मानव के साथ ही शुरू हो जाती है तथा उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात् किसी भी मानव की शिक्षा प्रक्रिया जीवन भर निरन्तर चलती रहती है। अध्यापक को नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने आपको पढ़ाई से जोड़े रखना होगा, क्योंकि वह शिक्षण व्यवस्था से न्याय तभी कर सकता है जब वह निरन्तर अपनी योग्यता को सुधारने में तल्लीनता से लगा रहे। प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि वह गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा कहे गए वचनों को सदैव याद रखे। उन्होंने कहा था, **"अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं निरन्तर सीखता न रहे। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे।"**

("A teacher can never truly teach unless he is still learning. A lamp can never light another lamp unless in continues to burn its own flame.")

(vii) अपने कार्य में विश्वास (Faith in ones own work)–अध्यापक को अपने कार्य के प्रति अगास (दृढ़) विश्वास तथा आस्था रखनी चाहिए। यदि उसकी अपने कार्य में आस्था नहीं है तो वह अपना कार्य सफलतापूर्वक कराने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता।

अध्यापक के मुख्य कार्य
(Main Obligations and Function of Teachers)

1. शिक्षण (Teaching)–प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापक को पाठ्यक्रम को विशेष योजना के अनुसार बनाना तथा शिक्षाक्रम को साप्ताहिक एवं मासिक इकाइयों में बाँट देना चाहिए। अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है शिक्षा देना इसलिए उसे अपना सम्पूर्ण ध्यान शिक्षण कार्य पर केन्द्रित रखना चाहिए।

अध्यापक सदैव विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। वह कक्षा में तथा कक्षा से बाहर भी विद्यार्थियों को सिखाता रहता है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसे अपने विषय का सम्पूर्ण ज्ञान हो। नया सीखने की इच्छा शक्ति हो।

2. गठन (Organising)–अध्यापक का कार्य कक्षा में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। वह विद्यालय की रीढ़ होता है। वह विद्यालय गठन और उसका सुचारु रूप से कार्य संचालन करने में मुख्याध्यापक को सकारात्मक सहयोग देता है। वह निम्नलिखित वस्तुओं का संगठन करता है–

(i) पाठ्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों का संगठन।
(ii) विद्यालय प्रांगण की साज-सज्जा, सामान की सुरक्षा आदि का प्रबन्ध।
(iii) पाठ्य-सहगामी क्रियाओं तथा गतिविधियों का संगठन।
(iv) स्वास्थ्य-विधि के साधनों की व्यवस्था।
(v) छात्रों के पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य का संगठन।
(vi) शैक्षिक कार्य का संगठन।
(vii) समय-सारणी की रचना आदि।

3. निरीक्षण (Supervision)–यदि अध्यापक निरीक्षण को आवश्यकता अनुसार सहयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से वह इस कार्य को सीख लेता है। इसी प्रकार निरीक्षक का भी कर्तव्य है कि वह अध्यापक की समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग दे। उस द्वारा दी गई सहायता, परामर्श तथा प्रेरणा के रूप में हो सकती है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण कार्य को अपनी सहायता के रूप में लेना चाहिए न की आलोचना के रूप में। निरीक्षण कार्य को सुधारने की जिम्मेदारी भी अध्यापक पर ही होती है।

4. परीक्षण एवं मूल्यांकन (Examination and Evaluation)–शिक्षा से सम्बन्धित कोई भी कार्य जब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसका मूल्यांकन न किया जाए। अतः अध्यापक को पढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों की परीक्षा लेना तथा उनका मूल्यांकन करना एक अति अनिवार्य कर्तव्य है। अध्यापक को यह जानना जरूरी होता है कि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यार्थियों ने किस स्तर तक ग्रहण किया है। इस कार्य के लिए वह मौखिक तथा लिखित परिक्षाएँ ले सकता है। परीक्षा, अध्यापकों के साथ-साथ विद्यार्थी को भी उसका सही स्वरूप दिखाती है चाहे वह दोष पूर्ण हो या फिर उच्च स्तरीय।

इसके साथ-साथ अभिभावकों को भी तभी संतुष्टि होती है जब उनके बच्चे परीक्षा में अव्वल नम्बर लेकर पास होते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के सम्बन्ध में अध्यापक को आन्तरिक परीक्षक के रूप में परीक्षकों को मूल्यांकन की अनुक्रमांक सूची भेजनी होती है। मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति को जानना उसके लिए अति आवश्यक है। विषयगत बातों और अंकन विधि का ज्ञान इसके लिए अपेक्षित है।

5. रिकॉर्ड रखना (Recording)–छात्रों के पूरे साल का लेखा-जोखा रखना अध्यापक का कर्तव्य है। इसके अन्तर्गत उसे विद्यार्थी की जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, उपस्थिति, फीस, मासिक परीक्षाओं तथा सालाना (वार्षिक/अर्धवार्षिक) परीक्षाओं के अंकों का रिकॉर्ड भी रखना होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

6. मार्गदर्शन (Guidance)–अध्यापक को विद्यालय के मार्गदर्शन कार्यों में पूरा सहयोग देना चाहिए। इस संदर्भ में अध्यापक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं–

(i) व्यवसाय की ओर प्रवृत्त करने वाले उचित व्यवसाय के चुनाव का निर्देशन।
(ii) अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति से संबंधित सभी सूचनाएँ देना।
(iii) अपंग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना।
(iv) अध्ययन कार्य में निर्देशन करना।
(v) परीक्षाओं की व्यवस्था करना।
(vi) विद्यार्थी के पूरे साल का रिकॉर्ड रखना।
(vii) मन्द बुद्धि और कम ज्ञान वाले विद्यार्थियों को निर्देशन देना तथा उनकी समस्याओं को दूर करना।
(viii) विद्यार्थियों में मार्गदर्शन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
(ix) परामर्शदाताओं को विद्यार्थियों से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देना।
(x) विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना।
(xi) विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
(xii) कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था करना आदि।

◆◆◆

LAXMI®

EXAM NOTES

बाल्यावस्था तथा विकास

[CHILDHOOD AND GROWING UP]

[Paper–1]

UNIT–IV

4. ***Deprivation and Deprived Children: Measures for their Adjustment and Education***

- *Childhood in the context of poverty and globalization*
- *Current issues related to adolescents stress and role of the teacher (Increasing loneliness, changing family structures and rising permissiveness)*
- *Issues in marginalization of difference and diversity*
- *Children living in urban slum, socially deprived girls: measures to bring improvement in their status*
- *Child rearing practices of children separated from parents practices of children's separated children in crèches; children in orphanages*
- *Schooling: peer influences, school culture, relationships with teachers, teacher expectations and school achievement; being out of school, overage learner*
- *Understanding needs and behavioral problems of children and adolescents: Relationships with peers: friendships and gender; competition and cooperation, competition and conflict; aggression and bullying from early childhood to adolescence substance abuse, drug addiction,*
- *Impact of globalization, urbanization and economic changes on construction and experience of children in childhood and adolescent age.*

–: प्रकाशक :–
LAXMI BOOK DEPOT, Hansi Gate, Bhiwani TM
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

CIMETRIX SKILLED INDIA

4

अपवंचन तथा वंचित बालक : उनके समायोजन तथा शिक्षा के लिए उपाय

[Deprivation and Deprived Children: Measures for their Adjustment and Education]

निर्धनता तथा वैश्वीकरण के सन्दर्भ में बाल्यावस्था
(Childhood in the Content of Poverty and Globalisation)

1. बाल्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है? निर्धनता तथा वैश्वीकरण के सन्दर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए।

अथवा

"बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है" इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–शैशवावस्था के पश्चात् बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बाल्यकाल (Childhood stage) कहते हैं परन्तु आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति विद्वान, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो यह बता सके कि आज या इस सप्ताह या फिर इस महीने में यह बच्चा शैशवकाल से बाल्यकाल में प्रवेश करेगा। फिर भी सुविधा के लिए मनोवैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों ने 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के मध्य की आयु को बाल्यकाल माना है। परन्तु प्रश्न वही है कि क्या 5वें वर्ष में प्रवेश करते ही बच्चा एकदम से शैशव से निकलकर बाल्यकाल में प्रवेश कर जाता है या फिर 18 वर्ष के पूर्ण होने पर अगले ही दिन वह किशोर हो जाएगा। यह बहुत मुश्किल है। इसलिए बाल्यकाल को प्रकट करने वाले विशेषताओं जैसे शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए हम यह निश्चित करते हैं कि शैशव अब बाल्यकाल में बदल चुका है। यह अवस्था बड़ी ही नाजुक होती है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था (Pseudo Maturity) की अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने वातावरण को समझते हुए उससे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। वह अब मानसिक रूप से भी थोड़ा स्थिर यानी गंभीर होने लगता है। वह अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए सामाजिक ताने-बाने को समझने का भरसक प्रयास करता है। इस अवस्था को गैंग ऐज (Gang-age) के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अवस्था में समूह गतिविधियों का विकास बहुत ही तेजी से होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIA

निर्धनता के सन्दर्भ में बाल्यावस्था
(Childhood in the context of Poverty)

निर्धनता भारत की एक मुख्य समस्या बनी हुई है। निर्धनता के कारण माता-पिता अपने बच्चों को मूलभूत सुविधाएँ भी पूरी करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में अपने बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है। निर्धनता का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर निर्धनता के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है–

(1) निर्धनता के शारीरिक प्रभाव (Physical Effects of Poverty)–निर्धनता शारीरिक कमियों को जन्म देती है। बच्चों को शारीरिक माँग के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता। उनके भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है जिसके कारण उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण बच्चों में अनेक बीमारियों का जन्म होता है। गरीबी के कारण बच्चों को गन्दे मकानों में रहना पड़ता है जिससे बीमारी फैलने का भय बना रहता है। इस प्रकार निर्धनता का बच्चों के स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

(2) निर्धनता का बच्चों के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव (Effects of Poverty on emotional and soual development)–निर्धनता का बच्चों के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर भी काफी प्रभाव पड़ता हे। गरीब बच्चों के संवेगों के अधिक अस्थिरता होती है। संवेगात्मक तथा सामाजिक व्यवहार साथ-साथ चलते हैं। जो बच्चे सामाजिक रूप से अस्थिर होते हैं, वे समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को प्रभावित करती है। अधिकांश बाल-अपराधी, भगोड़े, आवारा व मानसिक रूप से असन्तुलित बच्चे गरीब परिवारों से ही होते हैं।

(3) निर्धनता का सज्ञानात्मक योग्यता पर प्रभाव (Effects of poverty on cognitive ability)–निर्धनता का बच्चों के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। निर्धन बच्चों का सज्ञानात्मक विकास पिछड़ जाता है। उनको सीखने के अवसर काफी कम मिलते हैं जिससे उनकी सज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास धीमी गति से होता है। निर्धनता स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है जिसका प्रभाव सज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ता है।

(4) निर्धनता तथा बाल अपराध (Poverty and Juvenil deliguency)–गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध तथा बाल अपराध के कई अध्ययन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया वे गरीब परिवार के थे। बच्चों में अनेक प्रकार की इच्छाएँ होती है। बच्चे अनेक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें आकर्षित करती हैं। जब वे सामान्य रूप से उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते तो वे उन्हें असामान्य ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिससे वे बाल अपराधी बन जाते हैं। निर्धनता के कारण बच्चे छोटी-छोटी नौकरियाँ तथा जोखिम के कार्य करने लगते हैं। बुरी संगत के कारण भी बच्चे बाल-अपराधी बन जाते हैं।

(5) गरीबी तथा बाल श्रम (Poverty and Childlabour)–निर्धनता के कारण बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। इस कारण बच्चों के माता-पिता बच्चों को काम पर लगा देते हैं। जब बच्चे बचपन में ही कार्य करने लग जाते हैं तो इसका उनके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(6) निर्धनता तथा भिक्षावृत्ति (Poverty and Begging)–निर्धनता भिक्षावृत्ति के लिए भी उत्तरदायी है। निर्धन व्यक्ति अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में माता-पिता को बच्चों से भीख मँगवाने में भी कोई शर्म नहीं आती।

(7) नशाखोरी (Drug use)–गरीबी के कारण बच्चे चिन्ता तथा निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। वे तनाव को कम करने के लिए नशाखोरी के शिकार हो जाते हैं। बुरी संगति भी नशाखोरी के लिए उत्तरदायी हैं।

(8) निर्धनता तथा अपवंचन (Poverty and Deprivation)–निर्धनता के कारण बच्चों को सुविधाओं तथा अवसरों से वंचित होना पड़ता है। निर्धनता के कारण उन्हें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता जिससे उनके विकास में बाधा आ जाती है।

वैश्वीकरण के सन्दर्भ में बाल्यावस्था
(Childhood in context of Globalization)

वैश्वीकरण का बच्चों पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का बच्चों पर निम्नलिखित प्रभाव है–

1. प्रतिस्पर्धा (Competion)–वैश्वीकरण के कारण बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना काफी वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रतिस्पर्धा अत्यधिक देखने को मिलती है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में सामूहिक महत्व की भावना कम कम हुई है तथा उनमें व्यक्तिवादिता को बढ़ावा मिला है।

2. नवीन दृष्टिकोण का विकास (Development of New attitude)–वैश्वीकरण के कारण बच्चों में पूरातन मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों के प्रति विश्वास कम हुआ है तथा उनकी जगह नए दृष्टिकोण ने ले ली है। यह नवीन दृष्टिकोण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार हैं। जाति-पाति में भेदभाव न करना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जबकि यौन अनैतिकता एक नकारात्मक दृष्टिकोण है।

3. सूचना तकनीकी का प्रभाव (Effect of Information Teachnology)–वैश्वीकरण के काण सूचना तकनीकी को काफी बढ़ावा मिला है। बालक अपना अधिकतर समय ई-मेल, मोबाइल, इन्टरनेट आदि पर बिताते हैं। इससे बच्चों में नवीनतम ज्ञान का विकास होता है परन्तु इससे उनके मानसिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है।

4. सांस्कृतिक मूल्यों का हनन (Deterioration of Cultural Values)–वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हुआ है। वैश्वीकरण के पाश्चात्य देशों के साथ नजदीकी बढ़ने के कारण उनकी संस्कृति की छाप भारत की जीवन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। संस्कृति के नाम पर फूहड़पन, नग्नता, रिश्तों में अविश्वास, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना देश में आम बात हो गई है।

इस प्रकार वैश्वीकरण जहाँ कुछ फायदे देती है, वहीं भारत के लिए अहितकारी ज्यादा है। यह वैश्वीकरण की संस्कृति भारतीय जनमानस का धीरे-धीरे नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक पतन की ओर ले जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब भारतीय संस्कृति के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिह्न लग जाएगा। इसलिए भारत सरकार को बालकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जो उनमें अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ाए।

5. बच्चों के रहन-सहन तथा खान-पान पर प्रभाव (Effects on Living Habits and Food of Children)–वैश्वीकरण का प्रभाव बच्चों के खान-पान तथा रहन-सहन पर भी पड़ा है। बच्चों को होटलों तथा कैन्टीन में खाना ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को फास्ट-फूड ज्यादा रुचिकर लगता है। वैश्वीकरण के कारण बच्चों में वस्त्रों पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। लड़के तथा लड़कियों के पहनावे में भी बदलाव आया है। वस्त्रों के पहनावे के कारण अश्लीलता को भी बढ़ावा मिला है।

◆◆◆

4.2 किशोरावस्था के दौरान तनाव से सम्बन्धित वर्तमान मुद्दे तथा अध्यापक की भूमिका
(Current issues related to adolescents stress and role of the teacher)

2. तनाव क्या है? किशोरावस्था के दौरान तनाव से सम्बन्धित मुद्दों का वर्णन कीजिए। किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है?
(What is Stress? Describe the current issues related to adolescents stress. What is the role of teacher in the education of adolescents.)

उत्तर–किशोरावस्था जीवन का सबसे अधिक कठिन काल है। इस अवस्था में किशोरों को प्रतिबल, खिंचाव; तनाव, तूफान, संघर्ष, दबाव और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। तीव्र शारीरिक परिवर्तनों

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

के कारण उनके मानसिक जीवन में भयंकर उथल-पुथल होती है। यौन विकास के साथ-साथ प्रबल काम प्रेरणाएँ उनके व्यवहार को विलक्षण बना देती हैं। काम प्रेरणाओं के संचार के साथ मानसिक तनाव, चिन्ताएँ व संघर्ष भी बढ़ता है। उन्हें तनाव व दबाव सहने पड़ते हैं। किशोरों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक पहलू में होने वाले परिवर्तनों का भी सामना करना पड़ता है। घर, परिवार व समाज में किशोरों को समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें न तो बच्चा समझा जाता है और न ही प्रौढ़ समझा जाता है। उन्हें उचित सम्मान, स्थान व स्थिति पाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। वे अनिश्चितताओं व चिन्ताओं से युक्त रहते हैं। यही कारण है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे अधिक कठिन काल कहा जाता है।

कुछ समाजशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया कि किशोरावस्था प्रतिबल, खिंचाव, तनाव, तूफान, संघर्ष, दबावों और निराशाओं का समय नहीं है। यह प्रतिबल, खिंचाव, तनाव, तूफान, संघर्ष, दबाव आदि तो समाज द्वारा लगाए गए बन्धनों के परिणाम हैं। जिस समाज में किशोरों पर बहुत कम या कोई बन्धन नहीं होता और जहाँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाती है, वहाँ किशोरों को कोई निराशा नहीं होती। मीड **(Margret Mead, 1939)** ने पिछड़े समाजों पर अध्ययन किये और देखा कि समाओं *(Samoa)* समाज में किशोरों में प्रतिबल और खिंचाव नहीं होते, अपितु उन्हें आत्म-विश्वास होता है। वे प्रसन्न व समायोजित होते हैं। इसके विपरीत, अन्य समाजों के किशोर अस्थिर व उत्तेजित होते हैं तथा अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिबल, खिंचाव, तानव, संघर्ष और दबाव आदि तो समाज द्वारा लगाए गए बन्धन, रीति-रिवाज व नियमों के परिणाम हैं।

स्टेनले हाल के विचार (Views of Stanley Hall)—"किशोरावस्था प्रतिबल, खिंचाव, तूफान और संघर्ष का समय है।"

"Adolescence is the period of stress, strain, storm and strife." **—G. Stanley Hall, 1916**

इस प्रकार किशोरावस्था प्रतिबल, खिंचाव, तनाव और व संघर्ष का समय है।

किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक समय है। इस अवस्था में किशोर लड़के और लड़कियाँ एक तूफानी दौर से गुजरते हैं। यह स्वाभाविक है कि किशोरों को मानसिक तनाव और दबाव सहने पड़ते हैं। जो इन्हें सहन नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व दुर्बल तथा विखण्डित हो जाता है। **लारसन व कारपस का कथन है कि "किशोरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह इन समस्याओं के बारे में बहुत गम्भीर होता है। वह छोटी-छोटी बातों पर निराश हो जाता है। इस निराशा के कारण उसका सन्तुलन बिगड़ जाता है। अपनी इस निराशा को वह समाजविरोधी क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। वह अपने आदर्शों व संवेगों में संघर्ष अनुभव करता है। इसलिए कभी-कभी वह बड़ी दुविधा में पड़ जाता है।"**

किशोरों के तनाव के मुख्य कारक

1. पारिवारिक संरचना में परिवर्तन (Changing family structures)—पारिवारिक संरचना में परिवर्तन किशोरों के लिए तनाव का मुख्य कारक है। जब पारिवारिक संरचना में नकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो किशारों में तनाव उत्पन्न हो जाता है।

मनुष्य का जीवन सुखों और दुखों का मिश्रण है। इस जीवन में कभी सुख तो कभी दुःख दोनों ही आते रहते हैं। इन दोनों तरह की घटनाओं की मुख्य जरूरत यह होती है कि मनुष्य उनके साथ किस प्रकार पुनर्समायोजन (Re-adjustment) करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि जब किशोर इन घटनाओं के साथ ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाता तो वे तनाव (Stress) पैदा करती हैं। तनाव किशोर में दैहिक एवं सांवेगिक विकृतियाँ (Emotional-disorders) उत्पन्न करता है। किसी खास मित्र की मृत्यु, घर के किसी सदस्य की बीमारी, विवाह तलाक, पति या पत्नी की मृत्यु, ससुराल वालों से झगड़ा, घर बदलना तथा किसी छोटे-छोटे कानून का उल्लंघन के कारण तनाव पैदा होता है। जैसे पति या पत्नी की मृत्यु जीवन की सबसे अधिक तनाव देने वाली घटना है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

तनाव का संबंध, मनुष्य जीवन की घटनाएं अवश्य हैं, परन्तु एक मनुष्य किसी घटना से ज्यादा तनाव ग्रस्त नहीं होता। वहीं दूसरा मनुष्य उसी प्रकार की घटना से ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार तनाव मनुष्य की व्यक्तिगत आदतों पर भी निर्भर करता है। अतः पारिवारि संरचना में परिवर्तन किशोरों में तनाव का मुख्य कारक हैं।

2. प्रेरकों का संघर्ष—जब अभिप्रेरकों के मध्य आपसी संघर्ष होता है, उस समय किशोर में तनाव उत्पन्न होता है। अगर अभिप्रेरक की पुष्टि नहीं होती तो किशोर में कुण्ठा उत्पन्न होती है जो तनाव का एक मुख्य कारण है। जैसे एक विद्यार्थी जो अपने साथियों से उत्तम अंक प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु खेल के मैदान में अपने साथियों से अच्छा प्रदर्शन करता है, उस समय वह सोच कर तनाव में रहेगा कि उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए। बालक को कई बार सहयोग की आवश्यकता होती है, जब उसे सहयोग नहीं मिलता, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी किशोर अपने आप को सामाजिक रूप से (क्षेत्र) में समायोजित नहीं कर पाता, इससे भी तनाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विरोधी अभिप्रेरकों के बीच समझोते का प्रयास अपने आप में तनाव (stress) उत्पन्न करता है।

3. कुण्ठा तथा अकेलापन (Coneliness)—व्यक्ति कोशिश करता है और वह किसी लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाता तो उसमें कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की कुण्ठा दूसरों द्वारा बाधा खड़ी करने के कारण भी हो जाती है। कभी-कभी मनुष्य जीवन में अकेलापन महसूस करता है या परिवार में किसी की मृत्यु या भयानक बीमारी के कारण व्यक्ति को अपने दिन प्रति दिन के जीवन में कुण्ठा का अहसास होता है। इन दोनों तरह के कारणों से उत्पन्न कुण्ठाओं में तनाव (Stress) का जन्म होता है।

4. दिन-प्रतिदिन की उलझन—मनुष्य के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना तो निश्चित रूप से तनाव के स्रोत हैं, परन्तु कभी-कभी छोटी-मोटी उलझनों से भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। इनको आगे चलकर छः भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **घरेलू उलझन**—इसमें घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर का सामान खरीदना आदि बातें आती हैं।
2. **आन्तरिक भाव से सम्बन्ध**—इसमें किसी से झगड़ा होने का डर, घर में अकेला रहने का डर आदि।
3. **समय की कमी की उलझन**—इसमें घर की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ कम समय में पूरा करना आदि।
4. **आर्थिक उत्तरदायित्व**—इसमें धन कमाना, घरेलू खर्चों को पूरा करना आदि शामिल किया गया है।
5. **कार्य उलझन**—इसमें व्यक्ति जो कार्य कर रहा, वह उससे संतुष्ट नहीं है।
6. **पर्यावरण उलझन**—इसमें शोरगुल, आस-पड़ोस में होने वाली फालतू, तेज आवाज आदि।
7. **पर्यावरण स्रोत**—मनुष्य में तनाव उत्पन्न होने का कारण पर्यावरण (Environment) भी होता है। कुछ पर्यावरण कारक ऐसे हैं जो स्वाभाविक होते हैं और व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे—आगजनी, तीव्र आंधी-तूफान, भूकम्प इत्यादि। इस प्रकार की घटना मनुष्य जीवन को काफी प्रभावित करती है तथा 'तनाव' उत्पन्न होता है।

तनाव कम करने के उपाय (Strategies for coping-stress)—तनाव का कारण चाहे जो भी हो, वह मनुष्य के दैहिक, मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद खराब प्रभाव डालता है। इस प्रकार इसको कम करने के उपायों पर मनोवैज्ञानिकों ने गम्भीरता से सोचा है। तनाव को कम करने के लिए मनुष्य को समायोजी व्यवहार करना पड़ता है। समायोजी व्यवहार को मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है।

समायोजी व्यवहार से तात्पर्य उस व्यवहार से होता है जिसमें किशोर को तीन प्रकार की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—1. भौतिक वातावरण से मिलने वाली प्रत्यक्ष चुनौतियाँ। 2. अन्तर वैयक्तिक चुनौतियाँ। 3. अपनी दैहिक सीमाओं से मिलने वाली चुनौतियाँ। लेजारस तथा लाउनियर ने भी समायोजी व्यवहार को इस तरह परिभाषित किया है—"पर्यावरणीय एवं आंतरिक मांगों तथा उनके बीच के संघर्षों को नियंत्रण करने, उन्हें वश में करने, सहने या कम करने के क्रिया उन्मुखी एवं मानसिक दोनों तरह

के प्रयासों को समायोजी व्यवहार कहा जाता है।" वुड एवं वुड (wood and wood) 1999 के अनुसार समायोजी व्यवहार से तात्पर्य विचारण एवं क्रिया के माध्यम से किया गया व्यक्ति के उस प्रयास से होता है जिसके द्वारा भार डालने या अपने ऊपर हावी होने वालों से निपटना हैं। इस प्रकार हम समायोजी व्यवहार (coping behaviour) की कई विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं।

1. समायोजी व्यवहार में तनाव युक्त परिस्थितियों के प्रति कई तरह की क्रियाएँ एवं प्रतिक्रियाएँ की जाती हैं।
2. समायोजी व्यवहार प्रयास युक्त (Effectful) होता है। अर्थात् हम कह सकते हैं कि समायोजी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार होता है।

1. समस्या-केन्द्रित समायोजी उपाय—इस तरह के उपायों में किशोर समस्या तथा तनावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन करता है तथा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि वह इससे दूर रह सके। इस प्रकार किशोर समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरे तरीके (Alternative-solution) ढूँढ़ता है ताकि तनाव को कम कर सके। इस प्रकार किशोर समस्या के स्वरूप को परिवर्तित करके तनाव को कम करने की अपनी पूरी कोशिश करता है और मुख्यतः दो तरह के उपाय अपनाता है ताकि यह उपाय तनाव को कम करने में लाभकारी सिद्ध हो सके।

1. नियंत्रण उपाय   2. पूर्व कथन उपाय

नियंत्रण उपाय—जब किशोर किसी तनावपूर्ण घटना पर अपना नियन्त्रण कायम रखने में सफल होता है तो इससे तनाव की गंभीरता स्वयं ही कम हो जाती है और तनाव उत्पन्न होने की समस्या ही खत्म हो जाती है।

पूर्व कथन उपाय—इस स्थिति में तनाव उत्पन्न होने से पहले ही किशोर को सारी जानकारी होती है कि समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है, सोचने के लिए उसके पास काफी समय होता है और तनाव पैदा ही न हो, किशोर ऐसे उपाय पहले से ही कर लेता है। कई बार किशोर सोच समझ कर आन्तरिक उपाय करता है तथा तनाव को हर हालत में टालने की पूरी कोशिश करता है।

3. संवेग केन्द्रित समायोगी उपाय—इस विधि के अनुसार किशोर समस्या से उत्पन्न सांवेगिक अनुक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसमें किशोर समस्या को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करता, परन्तु समस्या से उत्पन्न चिन्ता को कम या खत्म करने के उपाय करता है। जब किशोर यह समझता है कि तनाव उत्पन्न करने वाली समस्या इतनी गम्भीर है कि उसे बदला नहीं जा सकता तथा व्यक्ति में तनाव अधिक उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार किशोर तनाव कम करने के लिए दो तरह के उपाय अपनाता है—1. व्यावहारात्मक उपाय, 2. संज्ञानात्मक उपाय।

व्यावहारात्मक उपायों के तहत किशोर कुछ खास तरह से व्यवहार करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करता है। संज्ञानात्मक उपायों द्वारा किशोर तनावपूर्ण परिस्थितियों के अर्थ में परिवर्तन का पुनः मूल्यांकन करता है। पुनः मूल्यांकन करते समय किशोर समस्या की वास्तविक गम्भीरता का पता लगा लेता है और तनाव को कम करने के सभी उपाय करता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर अपनी सार्थक सूझ-बूझ से कार्य करता रहे और आने वाली समस्या का सार्थक सोच के साथ अवलोकन करता रहे तो तनाव को काफी हद तक या पूर्णतया कम किया जा सकता है। किशोर जीवन सामान्य तनाव को तो सहन करने के क्षमता रखता है। हर किशोर के जीवन में तनाव है। परन्तु ऐसे तनाव कभी भी उत्पन्न नहीं होने देने चाहिए जिनका इलाज सिवाय गम्भीर बीमारी या मृत्यु हो। आज के युग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी सब प्रकार की इच्छाएं, उसकी आवश्यकता के अनुसार पूरी की जा सके। हर व्यक्ति समस्याओं का समाधान खोजने में पूर्ण रूप से समर्थ है। अगर वह स्वयं चाहता है कि तनाव रहित जीवन व्यतीत करता है तो पूर्ण रूप से तो नहीं, परन्तु काफी हद तक ऐसा कर सकता है।

किशोरों की शिक्षा में अध्यापक भूमिका (Role of Teacher in the Education of Adolescents)—किशोरों की शिक्षा में अध्यापक निम्नलिखित योगदान कर सकता है—

(1) सर्वप्रथम स्कूल तथा कक्षा में अध्यापक को किशोरों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को समझना चाहिए।

(2) स्कूल में तथा कक्षा में किशोरों को कोई दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए।
(3) किशोरों को पढ़ाने के लिये विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
(4) किशोरों के सामाजिक समायोजन के लिये उन्हें सामाजिक शिक्षा पर बल देना चाहिए।
(5) किशोरों में अपराध-प्रवृत्ति न पनपे, इसके लिये उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए।
(6) अध्यापक किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करें।
(7) स्कूलों में किशोरों के मार्गदर्शन हेतु केन्द्र खोले जायें।
(8) किशोरों के संवेगों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है अतः इसके लिये अध्यापक आवश्यक व्यवस्था करें।
(9) अध्यापक को ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिनमें किशोरों को अपने विचार व्यक्त करने और उन पर चर्चा करने की पूरी छूट हो।
(10) किशोरों के दृष्टिकोण को बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुनना और समझना अध्यापक का कार्य है।
(11) सभी विषयों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि किशोरों को उसमें आनन्द आए, उन्हें कार्य करने में रुचि हो, उनमें प्रेम, साहस और अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता पैदा हो।
(12) अध्यापकों को प्रत्येक विषय पढ़ाते समय उस विषय के व्यावसायिक महत्त्व पर भी प्रकाश डालना चाहिए।
(13) विद्यालय में खेलकूद, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सर्जनात्मक विकास से बहुत लाभ होता है।
(14) विद्यालयों में मार्गदर्शन की सेवाओं का विस्तार होना चाहिए ताकि किशोरों को व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल सके।
(15) अध्यापक को ऐसे कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए जिससे किशोरों में देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप जीवन-दर्शन का विकास हो।
(16) किशोरों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिये अध्यापक अपना आदर्श प्रस्तुत कर सकता है।
(17) किशोरों का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए तथा पुस्तकालय सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
(18) किशोरों को व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान किया जाए ताकि भविष्य के बारे में उनकी चिन्ताएँ कम हों।
(19) अध्यापक किशोरों को आत्म-अभिव्यक्ति के लिये एक मंच प्रस्तुत करे ताकि उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
(20) किशोरों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण हो।
(21) किशोरों को उनके वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर ही कार्य सौंपे जाने चाहिए ताकि वे कार्य करते समय आनन्द महसूस करें।
(22) अध्यापक और माता-पिता को किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक श्लोक के अनुसार सोलह वर्ष की आयु में पुत्र को मित्र समझना चाहिए।

लालये त्पञ्च वर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रव दाचरेत्। —*मनुस्मृति।*

(23) किशोरों को सामाजिक दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
(24) किशोरों में नैतिक भाव विकसित करने के लिए देशभक्ति, ईमानदारी, नेकी, राष्ट्रीयता आदि आदर्श धारण करने में अध्यापक को सहायता करनी चाहिए।
(25) किशोरों को अनुशासन शिक्षा देकर उनमें अनुशासित जीवन जीने की भावना का विकास करना चाहिए।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि अध्यापक को किशोरों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को समझकर विद्यालय में उनकी शिक्षा का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे वे अपने जीवन को सुखी बना सकें।

◆◆◆

विभिन्नता तथा विभिन्नता के सीमान्तकों के मुद्दे
(Issues in Marginalisation of difference and diversity)

3. विभिन्नता तथा विविधता के सीमान्तकों के मुद्दों का वर्णन कीजिए।
(Describe the issues in marginalisation of differences and diversities.)

उत्तर–भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों व सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। प्राचीनकाल से ही कुछ लोगों को तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा और कुछ को निम्न दृष्टि से। जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्तर के आधार पर कुछ लोग यहाँ सदियों से सामाजिक शोषण का शिकार रहे और उनकी स्थिति दयनीय होती गई। अंग्रेजों ने भी अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुसार आपसी भेदभावों को बढ़ावा दिया। किसी भी राष्ट्र के विकास की दृष्टि से यह स्थिति अत्यंत घातक है। इसलिये स्वतंत्रता के बाद असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प किया गया, क्योंकि इन तीनों का आधार समानता है जैसा कि निम्न कथनों से स्पष्ट है–डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार–"प्रजातंत्र का यह मानना है कि सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके।" गाँधीजी के अनुसार–"समाजवादी समाज एक वर्गहीन और जातिहीन समाज है। समाजवाद के अंतर्गत सभी सदस्य समान हैं। कोई नीचा नहीं और कोई ऊंचा नहीं।"

धर्मनिरपेक्ष समाज के विषय में स्मिथ महोदय का विचार है कि–"यह प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक की दृष्टि से देखता है, न कि उसके धर्म के आधार पर।"

स्पष्ट है कि प्रजातंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक समाज से असमानता को दूर करने में हम सफल नहीं होते। सामाजिक समानता लाने के लिए आजादी के बाद से अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन समाज में अभी भी असमानता की स्थिति बनी हुई है। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर आज भी भेदभाव देखने को मिल रहे हैं। इसके क्या कारण हैं तथा इसे कैसे दूर किया जाए, यह सब जानने से पूर्व असमानता को समझना आवश्यक है।

विभिन्नता तथा विविधता के कारण
(Causes of Differences and Diversity)

ये कारण इस प्रकार हैं–

1. प्राचीन वर्ण व्यवस्था–प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्गों में बांटा गया था। इनमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था तथा शूद्रों को निम्न। उनका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया था। इस व्यवस्था का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिए जाने के बावजूद आज भी अनेक लोग अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। अन्य तथाकथित उच्च जातियों के लोग इन जातियों में विवाह सम्बन्ध बनाने से कतराते हैं।

2. लड़की के सम्बन्ध में हमारे पुराने विचार–प्राचीन काल से ही यहाँ लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पुत्र की कामना करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि पुत्र के बिना व्यक्ति की गति नहीं होती। इसलिए आज भी लड़कियों के जन्म पर अनेक परिवारों में शोक छा जाता है और लड़कों के जन्म पर खुशी। लड़की को एक बोझ समझा जाता है और अनेक परिवारों में उनके खान-पान तथा शिक्षा आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को लड़कों जैसी आजादी भी नहीं दी जाती। गाँव या शहर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने से अनेक लड़कियाँ उससे वंचित रह जाती हैं। बचपन में वह अपने पिता के संरक्षण में रहती है, यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करता है ऐसी हमारी मान्यता है। इस प्रकार लड़कियाँ सम्बन्धी हमारे विचार असमानता का कारण हैं।

3. प्रान्तीयता–भारत में विभिन्न प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग संस्कृति है। प्रत्येक प्रांत के वासी अपनी शिक्षा, जीवन-शैली तथा भाषा को दूसरे प्रांतों से अच्छा मानते हैं। वे दूसरे प्रांतों की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की आलोचना करने में भी नहीं हिचकिचाते। इससे असमानता की स्थिति पैदा होती है।

4. धार्मिक विविधता–भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अलग-अलग संप्रदाय हैं। असमानता की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब प्रत्येक धर्म को मानने वाले या किसी धर्म के किसी संप्रदाय के लोग अपने धर्म या संप्रदाय को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बताते हैं तथा दूसरे को निम्न दृष्टि से देखते हैं।

5. राजनैतिक दल : देश में असमानता की स्थिति के लिए राजनैतिक दल भी उत्तरदायी हैं। वे जाति, धर्म तथा भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं तथा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों में आपसी मतभेदों को बढ़ावा देते हैं। ये दल भोले-भाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बो देते हैं।

6. अंग्रेजी शासन का प्रभाव–अंग्रेजों ने भारत में फूट के जो बीज बोए उनका प्रभाव आज समाज में आपसी भेदभाव व असमानता के रूप में दखने को मिल रहा है। भले ही आज हम स्वतंत्र हैं, संविधान द्वारा यहाँ प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी व्यवस्था की स्थपना का संकल्प किया गया है, पर हम अभी भी जाति व धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं।

7. मानवीय मूल्यों में गिरावट–प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें विश्व परिवार का संदेश देती है व सबके मंगल की कामना करती है पर आज यहाँ मानवीय मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। छोटे-छोटे स्वार्थों के कारण हम आपस में झगड़ने लगे हैं। इससे मतभेद उभरते हैं व असमानता पैदा होती है।

8. धनी व निर्धन वर्ग में बढ़ता अंतर–आज भारत में धनी एवं निर्धन के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। एक ओर ऐसा वर्ग है जिसे जीवन की न्यूनतम सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। यद्यपि नवीन आर्थिक सुधारों का उद्देश्य इनके बीच के अंतर को कम करना था, पर उनका कोई अनुकूल प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। विषमता बढ़ रही है। आर्थिक केंद्रीकरण, निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, मूल्यवृद्धि तथा उत्पादन के साधनों के अनुचित वितरण आदि कारणों से भी अर्थिक क्षेत्र में असमानता बढ़ रही है। धनी वर्ग निर्धनों का शोषण कर रहा है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है।

विभिन्नता तथा विविधता के दुष्प्रभाव
(Consequences of Differences and diversity)

भारत में विद्यमान विभिन्नता और विविधता की स्थिति के निम्नलिखित दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं :

1. प्रजातंत्र की सफलता में बाधा–हमारा लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र लाना है। प्रजातंत्र समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के मूल्यों पर आधारित है। इनके अभाव में यह सफल हो ही नहीं सकता। भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की स्थिति प्रजातांत्रिक, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में बाधा पैदा कर रही है।

2. समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में बाधा–हम भारत में गाँधी व नेहरू के सपनों का समाजवाद लाना चाहते हैं। इस समाजवाद का अर्थ है : समानता पर आधारित समाज व्यवस्था जिसमें कोई भेदभाव न हो तथा कोई किसी का शोषण न करे, लेकिन सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती असमानताओं के कारण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. राष्ट्रीय एकता में बाधक–भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोगों में राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब-जब हम भारतीय आपस में लड़े उसका लाभ विदेशियों ने उठाया और इसी कारण अंग्रेजों ने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। राष्ट्रीय एकता के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जातिगत या अन्य सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एक हो जाएं, लेकिन आज

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

हम धर्म, जाति व भाषा के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। एक-दूसरे का रक्त बहा रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से घातक है।

4. राष्ट्रीय विकास में बाधक–राष्ट्रीय विकास का अर्थ है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। इसमें राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास निहित है, पर असमानता के कारण कुछ वर्ग विशेष के लोगों का ही विकास हो पाता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास भी राष्ट्रीय विकास का एक पहलू है, लेकिन जब समाज में धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करता है, उन्हें अपने से नीचा समझता है तो आर्थिक विकास में रुकावट पैदा होती है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है।

5. शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक–असमानता के कारण अनेक माता-पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते। वे घर पर रहकर अपन माता-पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे बहन-भाइयों की देखभाल करती हैं या फिर मां-बाप के काम में हाथ बंटाती हैं। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा आ रही है।

विभिन्नता और विविधता दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास
(Efforts Being Made to Eradicate Differences and diversity)

स्वतंत्रता के बाद से विभिन्नता और विविधता को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं–

(i) संविधान सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार देता है। संविधान की धारा 14, 15 व 16 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। इस अधिकार द्वारा उन निर्योग्यताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिनके कारण भारत के सामान्य लोग सदियों से अपार कष्ट सहन करते आ रहे हैं। संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों अन्य पिछड़े लोगों के लिए विशेष सुविधाएँ दे सकता है।

(ii) शिक्षा का मौलिक अधिकार भी असमानता दूर करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। संविधान द्वारा सभी वर्गों, धर्मों व जाति के लोगों को अपनी शिक्षा संस्थाएँ खोलने का अधिकार दिया गया है। सभी संस्थाओं में सबके लिए प्रवेश खुला है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा स्त्रियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर पर लाया जा सके।

(iii) संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं।

(iv) नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करके भारतीय संविधान द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। इससे आर्थिक असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी।

(v) अनुच्छेद 17 के द्वारा यहाँ अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है।

2. विभिन्न अधिनियमों द्वारा असमानता दूर करने के प्रयास–आजादी के बाद **निम्नलिखित अधिनियमों** द्वारा असमानता को दूर करने के प्रयास किए गए :

(i) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955–इसके अनुसार इस कानून को न मानने या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता के आधार पर कोई दुकानदार किसी को कोई चीज बेचने से इंकार नहीं कर सकता।

(ii) नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976–इसके द्वारा अस्पृश्यता के अपराध के लिए और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

(iii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–इसके द्वारा स्त्रियों को परिवार की सम्पत्ति में समान अधिकार दिया गया है, जिससे उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सके।

3. नई शिक्षा नीति द्वारा असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयास–सभी संवैधानिक व्यवस्थाएँ व कानून व्यर्थ हैं यदि लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं तथा वे अपनी सोच को नहीं बदलते। उनमें जागरूकता लाए बिना समाज से असमानता को दूर किया ही नहीं जा सकता। इस संदर्भ में लोगों को सचेत करने का एक ही साधन है और वह है शिक्षा। इसी तथ्य को अनुभव करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों तक शिक्षा सुविधाओं को पहुँचाने के लिए नई शिक्षा नीति में **निम्नलिखित प्रावधान** किए गए हैं–

(i) महिलाओं की साक्षरता के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे तथा उन रुकावटों का दूर किया जाएगा जिनके कारण वे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

(ii) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था तथा जिला केंद्रों पर छात्रावास की सुविधाएँ बढ़ाना।

(iii) आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी।

(iv) अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। नई शिक्षा नीति में इन्हें भी कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं जिससे उनके साथ इंसाफ हो सके।

इसी प्रकार विकलांगों व प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों व दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। इस समय 1500 से भी अधिक छात्रावास चलाए जा रहे हैं। +2 तक तथा कहीं-कहीं बी. ए. तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यू.जी.सी. द्वारा विशेष कोचिंग दी जा रही है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है उसके उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम भी इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की सोच को बदला जा सके तथा वे सबके साथ समानता का व्यवहार कर सकें। अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार द्वारा बच्चों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करे। उसका बच्चों के साथ किया गया असमान व्यवहार बच्चों के दृष्टिकोण को भी वैसा ही बना देगा। अतः उसे चाहिए कि वह सबको एकसमान समझे। ऐसी पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों को आयोजित करे जिनसे असमानता को दूर करने में मदद मिल सके।

4. अन्य प्रयास (Other Efforts)–असमानता दूर करने के प्रयास आजादी के पहले से ही किए जा रहे हैं। इस दिशा में राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उनके प्रयत्नों से सती-प्रथा का उन्मूलन हो गया है तथा उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गाँधीजी ने अछूत समझे जाने वाले अस्पृश्य लोगों को हरिजन नाम देकर उन्हें समाज में समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया।

समानता की बात आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। मार्च 1995 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'सामाजिक विकास' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 130 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के अवर सचिव ने बताया कि 'महिलाओं की असमानता पर बात किए बिना सामाजिक समस्याओं पर बात हो ही नहीं सकती।'

मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1990 का दशक महिलाओं के लिए आतंक, भेदभाव तथा मानवाधिकारों के हनन का वर्ष रहा है। समानता की दृष्टि से यह स्थिति बहुत घातक है। अतः इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

असमानता को दूर करने की बात अधूरी रहेगी यदि भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर विचार न किया जाए। वे आज भी शोषण का शिकार हैं तथा पर्दे में रहने के लिए बाध्य हैं। वे अनेक शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं। अतः समानता की दृष्टि से उनकी स्थिति में सुधार आवश्यक है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समानता के लिए किए जा रहे सरकारी व गैर सरकारी प्रयास तब तक व्यर्थ सिद्ध होंगे जब तक असमानता व शोषण के शिकार सामाजिक वर्ग अपने हितों की

रक्षा के लिए स्वयं आगे नहीं आते। उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान तथा सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष व्यवस्थाएँ व सुविधाएँ दी जा रही हैं। यदि उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पा रहा तो इसका क्या कारण है? इन सबके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 'सबके लिए शिक्षा' (Education for all) की व्यवस्था करें। जैसे-जैसे शिक्षा सुविधाएँ समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों तक पहुँचेंगी, वैसे-वैसे हम सामाजिक असमानता को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ पाने में सफल होंगे।

◆◆◆

शहरी गन्दी बस्ती में रहने वाले बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियाँ
(Children living in Urban slum, socially deprived girls)

शहरी गन्दी बस्ती में रहने वाले बच्चे
(Children living in urban slum)

4. शहरीकरण से आप क्या समझते है? बच्चों के शहरी गन्दी बस्तियों में रहने के क्या दुष्परिणाम हैं? इन बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर–**शहरीकरण का अर्थ (Meaning of Urbanization)**–शहरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक उभरती हुई समस्या प्रवास की समस्या है। प्रवास से अभिप्राय है लोगों का देश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश में बसना। अतएव प्रवास दो प्रकार का हो सकता है–आन्तरिक प्रवास तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास।

आन्तरिक प्रवास से अभिप्राय है देश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना। भारत जैसे अल्पविकसित देश में आन्तरिक प्रवास की समस्या मुख्य रूप से गावों से शहरों में जाकर बसने की समस्या या ग्रामीण-शहरी प्रवास की समस्या है। इसे शहरीकरण (Urbanisation) की समस्या भी कहते हैं। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् शहरीकरण की प्रवृत्ति या ग्रामीण-शहरी प्रवास में वृद्धि हुई है।

नगरीकरण एक चुनौती किस प्रकार से है? (How is the urbanisation a challenge?)

भारत में नगरीकरण अर्थात् गांवों से शहरों में प्रवास निम्नलिखित कारणों से एक चुनौती है:

(a) आवास समस्या (Housing Problem)—नगरीकरण के फलस्वरूप शहरों में आवास सुविधाओं की समस्या उत्पन्न हो रही है। शहरों में प्रायः लाग फुटपाथों पर सोते हुए पाए जा सकते हैं।

(b) दूषित पर्यावरण (Environmental Pollution)—नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यातायात सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप भारत के शहरों में वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है।

(c) कानून और व्यवस्था की समस्या (Problem of Law and Order)—शहरी क्षेत्रों में बहुभाषी तथा विविध संस्कृतियों के लोगों के प्रवास के फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या जटिल तथा दीर्घकालीन हो गई है। इस कारण से जीवन की गुणवत्ता में घटने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

ग्रामीण-शहरी प्रवास की समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि भारत में साधनों का अनुकूल उपयोग तथा रोजगार की दृष्टि से उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित समाधान हैं–(i) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में ये उद्योग बड़ी आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं। (ii) गांवों में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा इन सुविधाओं के अभाव के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास न करें। (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार के लिए प्रवास करने की जरूरत नहीं रह जाए।

नगरीकरण और प्रति व्यक्ति आय सकारात्मक रूप में सम्बन्धित हैं, किन्तु नगरीकरण और बेरोजगारी में सम्बन्ध लगभग न के बराबर हैं और नगरीकरण और निर्धनता-रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में कोई सम्बन्ध विद्यमान नहीं। इस स्थिति के लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं : प्रथम, हमारे आयोजन प्रोग्रामों में नगर क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों के सुधार के प्रति अवहेलना के कारण गरीबी की स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। उदाहरणार्थ, कोलकाता के गन्दी बस्ती सर्वेक्षण से पता चलता है कि इसकी जनसंख्या का 33 प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रहता है। दूसरे, जहाँ पर संगठित क्षेत्र अपनी आय को सामूहिक सौदाशक्ति द्वारा उन्नत कर लेते हैं, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पूंजीपतियों, जमींदारों, ठेकेदारों और उत्पादन के साधनों के अन्य मालिकों द्वारा बुरी तरह शोषण किया जाता है। तीसरे, नगरीय क्षेत्रों में पूंजी-प्रधान तकनीकों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि तो प्राप्त हो जाती है, परन्तु इससे सापेक्ष रूप में रोजगार में वृद्धि नहीं होती। परिणामतः देश की श्रम प्रचूषन-क्षमता (Absorptive Capacity) कम रहती है और इससे इस बात की कुछ हद तक व्याख्या होती है कि नगरीकरण का बेरोजगारी पर निश्चित रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। अन्तिम परन्तु महत्त्वपूर्ण कारणतत्त्व यह है कि विकास के लाभ समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रूप में वितरित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप आय एवं सम्पत्ति के संकेन्द्रण से प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ जाती है परन्तु इससे न तो गरीब वर्गों की आर्थिक दशा उन्नत होती है और न ही उच्च मजदूरी स्तर पर रोजगार का विस्तार होता है। दूसरे शब्दों में, देश में, घेरों में परिबद्ध विकास (Enclave type of development) होता है जिसका विस्तार प्रभाव बहुत ही कम रहता है। शहरी क्षेत्र में गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चे बुरी तरह से प्रभावित है। उन्हें न तो संतुलित भोजन मिलता है और न ही उचित शिक्षा कुपोषण के शिकार बच्चे अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। निर्धनता के कारण वे शिक्षा से भी वंचित रहते हैं। परिणामस्वरूप ये बच्चे अनेक प्रकार की बुराइयों तथा व्यसनों में फँसते चले जाते हैं।

गहरी बस्ती में बच्चों के रहने से अनेक दुष्परिणाम होते हैं। गन्दी बस्ती में रहने वाले निर्धनता के कारण अनेक बुराइयों में फँसते चले जाते हैं।

1. **बाल अपराध**–समाज में बढ़ते अपराधों का कारण निर्धनता है। गरीब बच्चे धनी बच्चों को जब सब प्रकार की सुविधाओं का भोग करते देखते हैं, तो उनका बालमन उनके प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष आदि की भावनाओं से भर जाता है। उनके माता-पिता उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाते, जिससे ये बच्चे विद्यालय से भागने लगते हैं और धीरे-धीरे अपराध करने लगते हैं।
2. **नैतिक पतन**–समाज में आज मानवीय मूल्यों में आ रही गिरावट से सभी चिंतित हैं। व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है। निर्धनता भी इसका एक मुख्य कारण है। संस्कृत में एक कहावत है कि 'भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता?' अनेक अध्ययनों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि अपराध व निर्धनता में संबंध है। अपनी भूख मिटाने व जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग चोरी, डकैती, रिश्वत, मिलावट, गबन तथा हिंसा जैसे अपराधों का सहारा लेते हैं, जिससे उनका नैतिक पतन होता है।
3. **आत्महत्या**–आज लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जब व्यक्ति अमीरों को बिना श्रम के सारी सुविधाएँ भोगते हुए देखता है तो उसे अपनी गरीबी दुखदायी लगने लगती है। वह तनावग्रस्त होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। इससे समाज उस व्यक्ति की योग्यताओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है।
4. **बुरे व्यसनों में वृद्धि**–गरीबी के कारण व्यक्ति चिंतित एवं मानसिक दृष्टि से परेशान रहता है। वह निराशा, कुंठा व तनाव से ग्रस्त हो जाता है और इससे मुक्ति पाने के लिए मद्यपान, नशा, जुआ तथा वेश्यागमन करने लगता है। इस प्रकार निर्धनता बढ़ते दुर्व्यसनों के लिए उत्तरदायी है।
5. **भिक्षावृत्ति**–भारत में कई स्थानों पर लोगों में भिक्षावृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके अनेक कारणों में एक कारण निर्धनता भी है। जब गरीब व्यक्ति अन्य प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो भिक्षावृत्ति को अपना लेते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

6. **आर्थिक विकास में बाधा**–आर्थिक विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समाज से निर्धनता दूर करना और सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन भारत में गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आ रही है।

7. **समाजवादी समाज की स्थापना में बाधा**–भारतीय संविधान द्वारा यहाँ समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का अर्थ है समानता पर आधारित समाज, लेकिन बढ़ती गरीबी के कारण यहाँ गरीबों व अमीरों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है जिससे समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है।

8. **निरक्षरता दूर करने में बाधक**–हम भारत से निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन निर्धनता के कारण माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अपेक्षा उन्हें किसी काम में लगाना बेहतर समझते हैं। आर्थिक समस्याओं से जूझते निरक्षर प्रौढ़ों के पास भी न तो पढ़ने का समय है और न उत्साह। इससे निरक्षरता उन्मूलन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

9. **शारीरिक प्रभाव**–निर्धनता के कारण व्यक्ति अपने व परिवार के लिए पौष्टिक भोजन तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवा पाते, जिससे उनके बच्चे तथा वे स्वयं कुपोषण एवं अनेक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं।

10. **मानसिक प्रभाव**–पौष्टिक भोजन का अभाव व शारीरिक बीमारियाँ मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। निर्धनता के कारण माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। इससे भी उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। रॉबर्टस महोदय ने अपने गरीब बच्चों का बौद्धिक परीक्षण किया गया और पाया कि इन बच्चों में कम बौद्धिक क्षमता थी।

11. **पारिवारिक विघटन**–आज हमारे परिवारों में प्यार के स्थान पर आपसी मनमुटाव, संघर्ष तथा तनाव व्याप्त है। इससे वे विघटन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता लगता है कि इसका कारण आर्थिक समस्याएँ हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

गन्दी बस्ती में रहने वाले बच्चों पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम–

1. **अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (Non Formal Education Programme)** सन् 1976 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंशकालिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति और स्वार्थहीन शिक्षकों के द्वारा शिक्षण का कार्य करने के कारण यह योजना काफी सफल हुई है। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 6000 प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं जो कि लगभग 12 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं।

2. **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (National Adult Literacy Programme) :** इस कार्यक्रम को 1978 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य देश के निरक्षर व्यक्तियों को मुख्य रूप से 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु-समूह के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना और साक्षरता हेतु प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त यूनेस्को (*UNESCO*) ने वर्ष 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में साक्षरता के महत्त्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष को 22 जनवरी, 1990 को दिल्ली में आरंभ किया गया था। जिसके अंतर्गत दिल्ली के छात्रों और गैर-छात्र स्वयंसेवकों से लोगों में साक्षरता का संदेश फैलाने और वास्तविक रूप से साक्षरता के महान् उद्देश्य में अपनी सामूहिक शक्ति लगाने के लिए कहा गया था।

3. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission) :** निरक्षरता को समाप्त करने के लिए हमारे देश में मई 1988 में 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु-समूह के 8 करोड़ वयस्क अशिक्षितों को 1995 तक शिक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सन् 1997 में इस लक्ष्य में 9 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शामिल करके 10 करोड़ कर दिया गया था। अतः इस साक्षरता मिशन के द्वारा भी निरक्षरता को दूर करने का भरसक प्रयास किया।

4. **सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन (Organisation of World Conference on Education for All) :** सन् 1990 में थाईलैंड में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था। जिसका मुख्य उद्देश्य सन् 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक आधार उपलब्ध कराना तथा सन् 2000 तक वयस्क निरक्षरता की दर में कम से कम आधे स्तर पर कमी करना, और विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता पर जोर देना था। इसके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संगठनों (*NGOs*) ने भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्य को गंभीरता से लिया है। जिसके कारण हमारे देश में साक्षरता की दर में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

5. **डाकर-फोरम का संगठन (Organisation of Dakar foram) :** सन् 2000 अप्रैल में डाकर में एक फोरम को संगठित किया गया जिसमें 193 देशों ने हिस्सा लिया। इस फोरम के कार्यक्रमों को इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। इस फोरम के मुख्य लक्ष्य शिक्षा को मूल-मानवीय अधिकार मानना, शिक्षा के प्रति विस्तारित-दृष्टि (*Expanded vision*) के प्रति वचनबद्धता को दोहराना तथा सन् 2015 तक प्रत्येक बालक, युवक तथा वयस्क को शिक्षा प्रदान करना था। अतः निरक्षरता के उन्मूलन में इस फोरम की भी सराहनीय भूमिका रही।

6. **शिक्षा का अधिनियम 2009 (Education Act 2009) :** निरक्षरता को समाप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य का प्रावधान किया है।

निरक्षरता को दूर करने के उपायों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए किए जा रहे कुछ अन्य उपाय निम्नलिखित प्रकार से हैं–

1. सरकार के द्वारा सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा नगरपालिकाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है।
2. मुक्त विश्वविद्यालय तथा मुक्त विद्यालय आदि भी विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यमों से निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
3. निरक्षरता के उन्मूलन हेतु सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु अनिवार्य शिक्षा से संबंधित एक कानून पास किया है।
4. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार निर्धन छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकें और स्टेशनरी मुफ्त प्रदान कर रही है।
5. सरकार के द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों, पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने हेतु अनेक स्कूल खोले जा रहे हैं।

◆◆◆

पालन-पोषण विधियाँ
(Child Rearing Practices)

5. **बालक की पालन-पोषण विधियों से क्या अभिप्राय है? पालन-पोषण विधियों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।**
(What do you mean by child-rearing practices? Describe the factors affecting child rearing practices.)

उत्तर–पालन-पोषण का अर्थ (Meaning of Child Rearing Practices)–पालन-पोषण का मूल अर्थ होता है–बच्चे की देखभाल करना। अतः बालक के माता-पिता द्वारा या उनके किसी विकल्प

द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण देना या उनकी देखभाल करना। 'पालन-पोषण' शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। दो शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है—परवरिश (Parenting) और पालन-पोषण (Child Rearing Practices) विधियां। मूल रूप से इन दोनों शब्दों का उद्देश्य एक ही होता है अर्थात् बालक की देखभाल करना तथा उन्हें हर कार्य में सहायता करना। लेकिन इन दोनों शब्दों में थोड़ा-सा अंतर है। पालन-पोषण (Rearing) में बच्चों के प्रशिक्षण (Training) पर अधिक बल दिया जाता है तथा उनकी माता-पिता के साथ अन्तर्क्रिया होती है जबकि परवरिश (Parenting) में माता-पिता के उदाहरणीय व्यवहार में गुणों और उत्तरदायित्वों पर बल दिया जाता है।

पालन-पोषण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक *(Factors Affecting Child Rearing Practices)*

माता-पिता द्वारा पालन-पोषण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में अक्सर भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन इन सभी विधियों का उद्देश्य बालक की देखभाल करना ही होता है। पालन-पोषण की इन विभिन्नताओं के पीछे वैयक्तिक भिन्नताएं भी एक कारण हो सकता है। अतः माता-पिता द्वारा पालन-पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना अति आवश्यक है। पालन-पोषण की विधियों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हो सकते हैं—

1. आय (Income)—माता-पिता किस आय-वर्ग (Income Group) से संबंध रखते हैं—यह बात उनके द्वारा अपनाई जा रही पालन-पोषण विधियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। कई माता-पिता बच्चों को छोटी आयु में ही काम पर लगा देते हैं। ऐसे वे अपनी आय या घर के खर्चों को या घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने पर बाध्य होते हैं। लेकिन दूसरी ओर धनी माता-पिता अपने बच्चों की हर आवश्यकता को बड़ी आसानी से पूरा कर देते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व सही दिशा में विकसित होता रहता है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के बाद नौकरियां भी सुरक्षित होती हैं। इससे घर की आर्थिक दशा नियंत्रण में रहती है।

2. धर्म (Religion)—धर्म की भूमिका से इंकार करना बहुत भारी गलती होती है। पालन-पोषण में धर्म का प्रभाव भी बच्चों की विचारधारा को दिशा प्रदान करता है। ईसाई धर्म को मानने वाले माता-पिता नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आध्यात्मिक माता-पिता बच्चों को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं।

3. संस्कृति (Culture)—हर संस्कृति में पालन-पोषण की अपनी ही शैली होती है। इसकी भूमिका का महत्त्व बहुत माना जाता है। उदाहरणार्थ, एक भारतीय बेटी अमेरिकी बेटी से भिन्न होगी। वह जब दूसरे देश में जाएगी तो उसका व्यक्तित्व कुछ हटकर दिखाई देगा। यह निश्चित है कि विश्व के सभी बच्चे संस्कृति के प्रभाव के कारण ही भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं।

4. माता-पिता के माता-पिता (Parent's of Parent)—बच्चों के पालन-पोषण की विधियां हमारे उन माता-पिता द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों द्वारा भी प्रभावित होती हैं जिनका अनुसरण हमारे माता-पिता ने किया होगा। अक्सर माताएं अपनी माताओं द्वारा प्रयुक्त विधियों को अपनाती हैं। पिता अपने पिता द्वारा प्रयुक्त तौर-तरीकों का अनुसरण करते हैं। परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई मां 'सख्त' व्यवहार वाली होती है तो उसके बच्चे भी अपनी 'मां' के व्यवहार का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं।

5. सामाजिक वर्ग (Social Class)—सामाजिक वर्ग बच्चों के पालन-पोषण को प्रभावित करते रहते हैं। समाज के तीन वर्गों की पहचान की गई है—निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग (Lower Class, Middle Class and Upper Class)। लेकिन समाज का हर वर्ग अपने बच्चों का पालन-पोषण उचित प्रकार से करने का प्रयास करता है तथा उनकी आवश्यकताओं को अपने स्रोतों के अनुसार पूरा करता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं जबकि कुछ आंशिक रूप से ही सफल होते हैं। कुछ माता-पिता अपने बच्चों का पालन-पोषण इस प्रकार करते हैं कि वे समाज में उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं। हर माता-पिता अपने बच्चों को उत्तम शिष्टाचार (Etiquettes) सिखाने का प्रयास करते हैं। वे उन्हें हर कौशल (Skill) का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं।

कर्मचारी वर्ग (Working Class) के माता-पिता अपने बच्चों का इस प्रकार से पालन-पोषण करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं ने दुनिया देखी होती है। इस वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकते और न ही उनकी हर आवश्यकता पूरी करवा सकते हैं। अतः पालन-पोषण की विधियां सामाजिक वर्ग के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकतीं।

◆◆◆

माता-पिता से पृथक्करण, क्रैच और अनाथाश्रमों में बालक [Separation from Parent, Children in Creches and Orphanages]

(A) माता-पिता से पृथक्करण (Separation from Parent)

6. माता-पिता से पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यवहारों का वर्णन करें।

उत्तर—माता-पिता से पृथक्करण से अभिप्राय (Meaning of Separation from Parents)—'लगाव' और 'पृथक्करण' (Attachment and Separation) ये दो तत्त्व ऐसे हैं जो बच्चे के व्यवहारों को हर विकास अवस्था पर एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। बालक के व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष इन तत्त्वों से अछूता नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ—अनुकूलन (Adoption), स्थानापन्न (Placement), मूल्यांकन (Assessment) आदि। हर स्नेहमयी अभिभावक अपने बच्चे के लिए चिन्तित होता है। विशेषकर तब जब उसका 'स्कूल' जाना शुरू होता है। स्कूल जाना माता-पिता को पीड़ा का अनुभव कराता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं उसके बच्चे के साथ क्या घटित हो जाए। इसके अतिरिक्त घर पर बच्चों का और अभिभावकों का 'लगाव' (Attachment) दिन-प्रतिदिन बढ़ता या विकसित होता चला जाता है। जब 'लगाव' होता है तो पृथक्करण (Separation) भी होगा। अतः बच्चों का उन देखभाल करने वालों से दूर होना जिनसे वे बहुत अधिक जुड़े होते हैं या जिनके साथ उनका बहुत लगाव होता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है।

सकारात्मक रूप से, पृथक्करण के बहुत से लाभ भी होते हैं। जैसे—

(i) बालक की तत्काल सुरक्षा होती है।
(ii) माता-पिता के व्यवहारों की सीमा निर्धारित होती है।
(iii) बालक को विश्वस्त किया जा सकता है कि समाज उसकी सुरक्षा करेगा।
(iv) माता-पिता अस्थाई रूप से बच्चों की देख-रेख के भार से मुक्त महसूस करते हैं।
(v) बच्चों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए सोचने या विचार करने का अवसर मिल जाता है।

नकारात्मक प्रभाव के रूप में अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चों को उनके परिवारों से दूर करने से उनके विकास की गति में हस्तक्षेप या रुकावट पैदा होती है। यदि पृथक्करण बार-बार होता है तो बालक के साथ घनिष्ठ संबंधों में रुकावट पैदा होगी। पृथक्करण से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव ये हो सकते हैं—

(i) सामाजिक-नैतिक अपरिपक्वता।

CIMETRIX SKILLED INDIA

(ii) अपर्याप्त सामाजिक कुशलता।

(iii) संज्ञानात्मक और भाषायी विकास में विलम्ब।

(iv) मनोवृत्ति विकार (Mood Disorders) उत्पन्न होना।

(v) निम्न आत्म-सम्मान।

पृथक्करण के परिणामस्वरूप व्यवहार
(Behaviours as a Result of Separation)

पृथक्करण प्रक्रिया बच्चों के व्यवहारों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती रहती है। इस प्रक्रिया से बच्चों में निम्न व्यवहार देखने को मिलते हैं–

1. दुख का प्रदर्शन (Display of Grief)–पृथक्करण के परिणामस्वरूप बच्चे दुख (Grief) का प्रदर्शन करते हैं। यह दुख पांच चरणों में प्रदर्शित होता है–सदमा (Shock), गुस्सा (Anger), सौदेबाजी (Bargaining), अवसाद (Depression) और दृढ़ता (Resoluition)। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि ये व्यवहार किसी भी क्रम में हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि यही क्रम हो। जैसे–गुस्से के बाद बालक अवसाद (Depression) का प्रदर्शन कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों की इस स्थिति को प्रदर्शित व्यवहारों की व्याख्या कई बार गलत भी कर जाते हैं।

2. छोटे और बड़े बच्चों द्वारा अभिव्यक्ति (Expression by Small and Older Children)–प्रारंभिक आयु में बच्चा इस पृथक्करण को या परिवार के टूटने को समझ नहीं पाता। यह स्थिति पहले पांच वर्ष तक होती हैं। बल्कि बड़े बच्चे भी भ्रम (Confusion) की स्थिति में रहते हैं। लेकिन बड़े बच्चे छोटे बच्चों की अपेक्षा पृथक्करण को समझने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य होते हैं।

3. भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं (Different Reactions)–पृथक्करण या तलाक जैसी स्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करके अभिव्यक्ति करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं उनकी आयु तथा स्वभाव पर निर्भर करती हैं तथा यह पृथक्करण या माता-पिता के बीच द्वंद्व या सहयोग के स्तर पर भी निर्भर करता है।

4. अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाएं (Other Family Members' Reactions)–माता-पिता की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिक्रिया भी बच्चों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। माता-पिता में निरंतर झगड़ों से बच्चे पृथक्करण से गंभीर रूप से आहत होते हैं। ये सभी स्थितियां बच्चों के लिए बहुत तनावपूर्ण होती हैं। माता-पिता के साथ बच्चों के स्नेहमयी संबंधों के परिणामस्वरूप बच्चे अच्छी प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं।

◆◆◆

(B) क्रेच और अनाथाश्रम में बालक
(Children in Creches and Orphanages)

7. 'क्रेच' से क्या अभिप्राय है? अपने बच्चे के लिए क्रेच के चयन के लिए आप किन-किन बातों पर ध्यान रखेंगे? क्रेच के लाभ और हानियां बताएं।
(What do you mean by Creche? What precautions will you observe while selecting a Creche for your Child? Also describe its advantages and disadvantages.)

उत्तर–क्रेच से अभिप्राय (Meaning of Creche)–'क्रेश' (Creche) शब्द एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है–'डे-केयर' (Day Care)। अर्थात् दिनभर देखभाल करना। कामकाजी माताओं (Working Mothers) को काम पर जाने से पहले अपने छोटे बच्चे को ऐसी संस्था में छोड़कर जाना पड़ता है जहां पर उसकी उचित प्रकार से देखभाल हो सके। ऐसी संस्था को ही 'क्रेच' (Creche) का नाम दिया जाता है।

मैकमिलन डिक्शनरी (Macmillon Dictionary) के अनुसार–एक ऐसा स्थान जहां पर शिशुओं और छोटे बच्चों की तब देखभाल की जाती है जब उनके माता-पिता व्यस्त होते हैं, क्रेच कहलाता है।

(A Place where babies and small children are looked after while their parent are busy is termed as chreche.)

क्रेच (Creche) में बच्चों को बिस्तर, मुक्त चिकित्सा सहायता तथा खिलौने आदि प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक क्रेच में सर्दियों में रूम-हीटर तथा गर्मियों में रूम कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। गैस स्टोव और फ्रिज आदि भी दिए जाते हैं। हर क्रेच के साथ इंगलिश माध्यम की एक नर्सरी भी सम्बद्ध होती है। इस नर्सरी में 3-5 वर्ष के बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। क्रेच में 3 मास से लेकर 10 वर्ष तक के लड़के तथा 3 माह से 12 वर्ष तक की लड़कियों को दाखिल किया जाता है। कई क्रेचों में 8 वर्ष तक के बच्चों को भी दाखिल किया जाता है। क्रेच में बच्चों के साथ माता-पिता को ठहरने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई क्रेच दिन में 2 घंटे से अधिक खुलता है तो उसे पंजीकृत (Registered) कराना पड़ेगा।

क्रेच के चयन के लिए आवश्यक बातें या सावधानियां
(Precautions for Choosing Creche for Your Child)

अपने बच्चों के लिए क्रेच का चयन करते समय निम्न बातों की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है–

1. क्रेच में देखभाल करने वालों के शिष्टाचार, उनकी शैक्षिक योग्यताएं और पठन योग्यताओं की जांच करें।
2. क्रेच में एक समय में अधिकतम कितने बच्चे रहते हैं–यह भी जानें।
3. क्रेच में देखभाल करने वालों की संख्या कितनी है?
4. यह जानना आपका अधिकार है कि आपके बच्चे को क्या भोजन (Food) दिया जा रहा है और आप क्या दिलाना चाहते हैं?
5. क्रेच शुरू करने वालों की क्रेच शुरू करने के बारे में प्रेरणा क्या थी?
6. व्यक्तिगत स्वच्छता, भवन और आस-पास का वातावरण कैसा है?
7. क्रेच परिसर के अंदर मेडिकल सुविधा होनी चाहिए तथा देखभाल करने वालों को बेसिक होम नर्सिंग और प्राथमिक सहायता का ज्ञान अति आवश्यक है।
8. सभी बड़े क्रेचों के निकट अस्पतालों और डॉक्टर की सुविधा आवश्यक है।
9. जिस क्रेच का आप चयन कर रहे हैं वह घर से कितना दूर है? क्या वहां के लिए कोई साधन है?
10. क्या क्रेच सभी सुरक्षा उपायों का अनुसरण होता है? जैसे–बच्चे को गिरने से बचाना, भवन से बाहर जाने से रोकना, सीढ़ियों पर जाने से रोकना।
11. कहीं बच्चों की पहुंच किचन (Kitchen) तक तो नहीं? वहां सुरक्षा की पूरी सावधानियों पर अमल हो रहा है या नहीं? जैसे–गैस, मिट्टी के तेल आदि से सुरक्षा।
12. बाथरूम और टॉयलेट आदि में सावधानियों का प्रयोग हो रहा है या नहीं?
13. बच्चा क्रेच में कहां पर विश्राम करेगा?
14. क्या क्रेच स्टॉफ प्रशिक्षित हैं?
15. क्या तुम्हारे बच्चे सुरक्षित और प्रसन्न हैं?
16. क्या बच्चे इकट्ठे खेलते और बातें करते हैं?
17. क्या क्रेच स्टॉफ मैत्रीपूर्वक व्यवहार करता है?
18. क्या स्टॉफ बच्चों की सुनवाई करता है?
19. क्या बच्चों के प्रयोग हेतु पर्याप्त खिलौने हैं?
20. क्या बच्चों के अधिगम और मनोरंजन के लिए बहुत-सी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं?

क्रेच के लाभ (Advantages of Creches)–

1. क्रेच में आयु–अनुसार खिलौने व अन्य सामान उपलब्ध हो जाता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. क्रैच में बच्चा विश्राम कर सकता है तथा वहां पर उद्दीपन प्रदान करने वाला वातावरण मिल जाता है।
3. क्रैच पर नजर रखना माता-पिता के लिए आसान होता है।
4. बच्चे को क्रैच में डालने के बाद माता-पिता की चिंता समाप्त हो जाती है।
5. बच्चा क्रैच में अपनी आयु वाले बच्चों के साथ अंतर्क्रिया करता है तथा आत्म-विश्वासी बनता है।

क्रैच की हानियाँ (Disadvantages of Creches)–

1. अधिकतर क्रैच रजिस्टर्ड नहीं होते और न ही वे निर्धारित मापदंडों का अनुसरण करते हैं।
2. क्रैच विशेष समय के बाद बंद हो जाते हैं। अतः शिफ्टों में कार्य करने वालों के लिए उपयोगी नहीं।
3. बीमार बच्चों से सम्पर्क हो सकता है जिस कारण आपका बच्चा भी बीमार हो सकता है।
4. जिस प्रकार की देखभाल आपके बच्चे को चाहिए कई बार कोई क्रैच वैसी सुविधा प्रदान कराने में असफल रहता है।
5. कई बार आपके बच्चे के बीमार होने पर आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है या सामानांतर व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी।

◆◆◆

8. 'अनाथाश्रमों या अनाथालयों में बालकों'' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
(Write a note on 'Children in Orphanages.')

उत्तर–दो शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है–अनाथ और अनाथालय या अनाथाश्रम। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना अति आवश्यक है।

'अनाथ' (Orphan) शब्द से अभिप्राय है–वह बालक जिसने अपने माता-पिता दोनों को ही खो दिया हो, उसे 'अनाथ' कहा जाता है। अनाथ वह बालक होता है जो स्थायी रूप से अपने माता-पिता द्वारा छोड़ (Abandoned) दिया जाए।

अनाथों की पहचान के लिए विभिन्न समूह विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं। सामान्य प्रयोग में, एक अनाथ के जीवित माता-पिता नहीं होते जो उसकी देखभाल कर सकें। जिसके माता और पिता दोनों ही (Mother and Father) मर गए हों, वे 'डबल आरफन' (Double Orphan) कहलाते हैं।

विकसित देशों में 'अनाथ' कोई-कोई ही होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे बाल्यकाल में दोनों माता-पिता की अपेक्षा रखते हैं। अनाथों की संख्या उन युद्ध क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर युद्ध अधिक हुए हों, जैसे–अफगानिस्तान। काल्पनिक कथाओं में भी 'अनाथों' की चर्चा अधिक होती है, इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों में भी इनकी चर्चा हुई है।

जिन संस्थाओं में अनाथों की देखभाल होती है या जो संस्थाएं इनकी देखभाल को समर्पित होती हैं उसे अनाथालय या अनाथाश्रम (Orphanages) कहा जाता है। इनमें अनाथ बच्चे रहते हैं अर्थात् वे बच्चे जिनके माता-पिता मर जाते हैं या उनकी देखभाल के लिए अनिच्छा का प्रदर्शन करते हैं।

अनाथाश्रमों को पहले 'आरफेनोट्रोफिया' (Orphanotrophia) कहा जाता था। प्लेटो (Plato) के अनुसार अनाथों को पब्लिक गार्जियन (Public Gaurdian) की देखभाल के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, जिनके मन में अनाथों के लिए प्रेम होना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए। अनाथालयों में बच्चों के भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आवश्यक व्यक्तिगत प्रेम का अभाव रहता है।

◆◆◆

स्कूलिंग : साथी प्रभाव, स्कूल संस्कृति, अध्यापकों से संबंध, अध्यापक अपेक्षाएं आदि
[Schooling : Peer Influences, School Culture, Relationship with Teachers, Teacher Expectations]

साथी प्रभाव एवं स्कूल संस्कृति
(Peer Influences and School Culture)

9. स्कूलों में बच्चों पर उनके साथियों का क्या प्रभाव पड़ता है? स्कूल संस्कृति से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें।
(How the child is influenced by his peers? What do you mean by school culture? Describe it.)

उत्तर–**साथी प्रभाव (Peer Influences)**–स्कूल में बच्चों को उनके साथी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव विकास की हर अवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकृति के होते हैं। इन प्रभावों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये प्रभाव निम्न प्रकार के होते हैं–

(i) माता-पिता की परवरिश शैलियां (Parenting Styles) साथियों के प्रभाव को भी प्रभावित करती हैं। जीवन की किसी अन्य अवस्था की अपेक्षा किशोरावस्था को साथी (Peers) अधिक प्रभावित करते हैं। किशोरों और साथियों में संबंधों की गुणवत्ता (Quality of Relationships) तथा साथियों के प्रकार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ii) किशोरों के लिए साथी (Peers) किशोरावस्था में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

(iii) किशोरों के जीवन में माता-पिता भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

(iv) वे किशोर जिनके माता-पिता और मित्र शैक्षिक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं उनका निष्पादन (Performance) उन किशोरों से उपयुक्त होता है, जिनको किसी का समर्थन नहीं मिलता या किसी एक का ही मिलता हो।

(v) माता-पिता और मित्र किशोरों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं।

(vi) किशोर उन मित्रों से कम प्रभावित होते हैं। जो अपने माता-पिता के बहुत निकटता से जुड़े होते हैं।

(vii) मैत्रीपूर्ण कार्यों में लगे किशोर सकारात्मकता का अधिक प्रदर्शन करते हैं।

(viii) कक्षा से बाहर किशोरों के मित्रों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं और पारिवारिक संबंधों के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक होता है।

(ix) अपर्याप्त परिवारों में उत्पन्न खाई कई बार इस मित्रता के कारण पूरी होती है।

(x) मित्रों के माध्यम से तनाव से मुक्ति मिलती है और आत्म-सम्मान पैदा होता है। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत शक्तियां विकसित होती हैं।

स्कूल-संस्कृति
(School-Culture)

अर्थ (Meaning)–स्कूल संस्कृति में अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली मूल धारणाएं और विश्वास शामिल होता है, जिन्हें स्कूल के सभी सदस्य आपस में बांटते (Share) हैं। ये अवधारणाएं और विश्वास (Assumptions and Beliefs) मानव-प्रकृति, मानव क्रिया और मानव संबंधों (Human Nature, Human activity and Human relationship) के बारे में होते हैं।

CIMETRIX
SKILL

स्कूल संस्कृति में वह सब कुछ होता है जो एक संगठन के पास होता है। (School culture is what the organisation has.)

इसे हम एक तरीका भी कह सकते हैं जिनके द्वारा हम अपने वातावरण में सब कुछ करते हैं। (It is the way we do things around here.)

स्कूल-संस्कृति शब्द को स्कूल वातावरण के पर्यायवाची (Synonymous) के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी स्कूल की सफलता के पीछे स्कूल-संस्कृति में विद्यमान स्वस्थ पैडागाजी (Pedagogy) होती है, जिसकी अध्यापक सहायता लेता रहता है।

सतही रूप से संस्कृति का संबंध इन चीजों से होता है—भौतिक संरचनाएं, पिछली घटनाओं को मानना।

यदि हम अधिक गहराई में जाएं तो संस्कृति का संबंध समारोहों, रीति-रिवाजों, व्यवहार के स्वीकृत मानक अर्थात् नियम और प्रक्रियाओं आदि से भी होता है।

इससे भी अधिक गहरे स्तर पर स्कूल संस्कृति का संबंध मूल धारणाओं और व्यक्तियों और संगठन के केन्द्रीय मूल्यों से होता है। यह तीसरा स्तर स्कूलों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है।

स्कूल में अधिकांश बच्चों के साथ समायोजन की समस्या रहती है। प्राइमरी में दाखिला करवाने के बाद बच्चे को स्कूल के वातावरण, अध्यापकों और सहपाठियों के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। पूर्व प्राइमरी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर चुके बच्चों को नए वातावरण में समायोजन करने में उतनी कठिनाई नहीं होती, जितनी कि पहली बार प्रवेश पाने वाले बच्चों को होती है। अच्छा पारिवारिक वातावरण और प्रशिक्षण प्राप्त बालकों का समायोजन शीघ्र और उत्तम होता है।

कक्षा का वातावरण तीन प्रकार का हो सकता है—

1. प्रजातंत्रात्मक वातावरण (Democratic Environment)—इस प्रकार के वातावरण में अध्यापक और विद्यार्थी यह निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें कक्षा में क्या कुछ करना है? इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं—कक्षा में अन्य विद्यार्थियों में आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों का होना, आपस में सहयोग की भावना आदि।

2. निरंकुशवादी वातावरण (Authoritarian Environment)—इस प्रकार के वातावरण के अन्तर्गत कक्षा में अध्यापक ही सब कुछ होता है। कक्षा की सभी क्रियाओं के बारे में अध्यापक ही सभी निर्णय लेता है। ऐसे विद्यार्थी निष्क्रय, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होता है। इसमें सहयोग की अपेक्षा आपसी विरोध अधिक होता है।

3. स्वतंत्रात्मक वातावरण (Independent Environment)—इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को पूरी छूट दे देता है। विद्यार्थी के सुझावों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसी कक्षाएं देखने को बहुत कम मिलती हैं।

◆◆◆

अध्यापकों के साथ संबंध
(Relationship with Teachers)

10. अध्यापकों के साथ बच्चे के संबंध की व्याख्या करें। अध्यापक के साथ अच्छे संबंध क्यों आवश्यक हैं? (Explain the relationship of the child with the teachers. Why good relationship is required with the teachers?)

उत्तर—अध्यापक-बालक संबंध (Teacher-Child Relationship)—कक्षा एवं स्कूल में अध्यापक और बालक के बीच संबंधों की व्याख्या करना अति आवश्यक है। विशेषकर आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत। क्योंकि स्कूल और कक्षा में बालक और अध्यापक के बीच संबंध कई बातों पर निर्भर करते हैं तथा कई कारकों से प्रभावित होते हैं।

एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक उसकी 'माता' का एक 'सबस्टिच्यूट' (Substitute) होता है। कुछ बड़े बालकों के लिए शिक्षक वह वयस्क व्यक्ति है जो 'आदरणीय' और सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। उसके व्यवहार के अनुकरण पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापकों में प्रभावशाली विशेषताओं का होना अति महत्त्वपूर्ण होता है।

अध्यापक की अभिवृत्तियों (Attitudes) के प्रति बालक बहुत ही संवेदनशील होते हैं। स्कूल में बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार संबंध हो—यह बात बालक के अधिगम और उपलब्धि को किसी न किसी प्रकार से अवश्य प्रभावित करती रहती है।

स्कूलों में अध्यापकों का सामान्य स्तर मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्तर ही होता है। इसी प्रकार अधिकांश बच्चे भी मध्यम सामाजिक-आर्थिक वर्ग से ही संबंध रखते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार के वर्ग से जुड़े छात्र और अध्यापक एक-दूसरे को समझने में कठिनाई महसूस नहीं करते।

लेकिन जब विद्यार्थी निम्न वर्ग से जुड़े होते हैं तो बालकों और अध्यापकों के मूल्यों में खाई उत्पन्न होने लगती है। ऐसे बालक अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करते और साथ ही आक्रामक स्वभाव भी रखते हैं। कक्षाओं से अनुपस्थिति या उनकी उदासीनता उनके व्यवहार का अंग बन जाते हैं। इसके अतिप्ति वे 'धीमी गति' वाले विद्यार्थी बन जाते हैं अर्थात् वे धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे में अध्यापकों को भी विद्यार्थियों से निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे वातावरण में अध्यापक और विद्यार्थी एक-दूसरे को स्वीकार नहीं करते।

यदि हम प्रभुत्वामात्मक अनुशासन (Authoritarian) वाले स्कूल में विद्यार्थियों की विशेषताओं पर नजर डालें तो उनमें हमें अलग विशेषताओं दिखाई पड़ेगी—

(i) अकेले में रहना (ii) अलग-थलग रहना
(iii) अत्यधिक संवेदनशीलता (iv) अन्तर्मुखी व्यक्तित्व
(v) शर्मीलापन इत्यादि।

प्रजातांत्रिक अनुशासन (Democratic) के अन्तर्गत बालक में प्रसन्नता, सहयोग की भावना, विश्वास तथा आत्म-विश्वास आदि विशेषताएं देखने को मिलती हैं।

इसी प्रकार संवेगात्मक वातावरण (Emotional Environment) भी कक्षा में वातावरण को नियंत्रित करता है तथा उसे पढ़ाई या सीखने योग्य बनाता है। ऐसी कक्षाओं में प्रसन्नता, सहयोग की भावना के साथ-साथ बच्चा कक्षा के नियमों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है तथा उन पर अमल करता है। इसके अतिरिक्त वह पढ़ने के लिए अधिक अभिप्रेरित भी होता है। इसके विपरीत, अस्वस्थ संवेगात्मक वातावरण विद्यार्थियों में तनाव की उत्पत्ति करता है तथा उन्हें झगड़ालू एवं चिढ़चिढ़ा भी बना देता है। ऐसे बालक पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं होते।

अध्यापक बालक के बीच अच्छे संबंधों की आवश्यकता
(Need of Good Relationship Between Teacher and Child)

(i) अध्यापकों की सिफारिश के परिणामस्वरूप बच्चे के बड़ा होने पर उसे स्कूल या कॉलेज में नौकरी मिल सकती है।

(ii) विज्ञान अध्यापक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाकर बच्चों की सहायता कर सकता है।

(iii) समुदाय में रहते हुए अध्यापक समुदाय में हो रही गतिविधियों या प्रतियोगिताओं के बारे में विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से सूचित कर सकता है।

(iv) भविष्य में अध्यापक बच्चों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

(v) विभिन्न अनुदानों (Grants), छात्रवृत्तियों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करके उनकी सहायता कर सकता है।

(vi) विशेष सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों के लिए विद्यार्थियों के नामों की सिफारिश कर सकता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

विद्यार्थियों के लिए सावधानियां
(Precautions for Students)

अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए विद्यार्थियों को निम्न बातों से बचना चाहिए–

1. विश्वसनीयता न खोना–बच्चे को अध्यापक के प्रति अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए। जब कोई विद्यार्थी विशेष पक्षपात के लिए प्रेरित होता है तो अध्यापक इस बात को समझ जाता है। अतः विद्यार्थी को अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए।

2. अध्यापक को विशेष बनने का प्रयास नहीं (Don't Try to be Teacher's Pet)–बालक को चाहिए कि वह अध्यापक का 'विशेष' (Pet) बनने का प्रयास न करे, वरन् उसके अन्य साथी उससे नाराज होंगे।

3. कीमती उपहार न दें (No Costly Gifts)–अध्यापक को खुश करने के लिए या उनकी सेवाओं को पहचान देने के लिए कोई स्मृति-चिह्न तो दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई कीमती उपहार देने से बचना चाहिए।

संबंध कैसे विकसित किए जाएं? (How to Develop Student-Teacher Relationship?)–जो अध्यापक हमें बिल्कुल नहीं जानते या जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनसे विद्यार्थी कैसे संबंध स्थापित करें? इसके लिए कुछ आवश्यक बातें निम्न सुझाई गई हैं–

(i) विद्यार्थी अध्यापक के विषय में रुचि का प्रदर्शन करे। अध्यापक को यह दिखाएं कि आप उसके विषय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
(ii) आप अध्यापक के सम्मुख एक समर्पित विद्यार्थी (Dedicated) वाला व्यवहार करें।
(iii) आप अध्यापकों से प्रश्न पूछें तथा उन्हें सम्मान दें।
(iv) कक्षा में समय पर उपस्थित हों तथा गृह-कार्य पूरा करके दिखाएं।
(v) अध्यापक के खाली पीरियड में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी आप कर सकते हैं।

◆◆◆

अध्यापक अपेक्षाएं तथा स्कूल उपलब्धि
(Teacher's Expectations and School Achievement)

11. अध्यापक-अपेक्षाओं से आप क्या समझते हैं? अध्यापक अपेक्षाओं और स्कूल उपलब्धियों में क्या संबंध है?
(What do you mean by teacher's expectations? How teacher's expectations are related to school achievements?)

उत्तर–सभी स्कूल विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षाएं अवश्य रखते हैं। कुछ स्कूलों में तो अध्यापक और स्कूल सभी विद्यार्थियों से समान रूप से उच्च अपेक्षाएं बनाए रखते हैं या विद्यार्थियों के कुछ हिस्से से तो महान अपेक्षाएं रखी जाती हैं और विद्यार्थियों के कुछ खण्डों से निम्नतम अपेक्षाएं रखते हैं। इसी प्रकार शहर के बाहरी और भीतरी भागों के स्कूलों से भी भिन्न-भिन्न अपेक्षाएं रखते हैं।

ऐसे प्रमाण सामने आए हैं कि विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाओं के कारण उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। अतः विद्यार्थियों की उच्च आकांक्षाओं के माध्यम से उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए–

1. विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों के विश्वासों को विशेष व्यवहार में बदलना (Translating Teacher's Beliefs into Differential Behaviours Towards Students)–एक अध्यापक के मन में अपने विद्यार्थियों के बारे में जो भी धारणाएं व विश्वास उत्पन्न होते हैं, अध्यापक

विद्यार्थियों के प्रति अपना व्यवहार उन पर आधारित करके चेतन या अचेतन रूप में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ–जब अध्यापक कभी भी अपने विद्यार्थी के साथ अशाब्दिक व्यवहार कर रहा होता है जैसे किसी की तरफ झुकना, मुस्कराना, विद्यार्थियों के साथ आंखों से सम्पर्क करना आदि। ऐसी स्थिति में अध्यापक यह सोचने लगता है कि वह उच्च योग्यता वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। निम्न योग्यता वाले छात्रों को भी सीखने के कुछ अवसर दिए जाते हैं। उन्हें सीखने के लिए कुछ नई सामग्री प्रदान की जाती है, कुछ आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनकी सफलता की कम प्रशंसा की जाती है तथा सम्बोधित भी कम ही किया जाता हैं।

2. विद्यार्थियों से अपेक्षाओं के बारे में विद्यार्थियों के विचार (Views of Students Regarding Expectations from them)–आमतौर पर अध्यापक जिन विद्यार्थियों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, वे विद्यार्थी उन अध्यापकों का बहुत सम्मान करते हैं। यदि विद्यार्थियों से अधिक अपेक्षाएं रखी जाएंगी तो वे विद्यार्थी अधिक परिश्रम करेंगे। यह बात विद्यार्थियों ने एक सर्वेक्षण के दौरान कही। अधिकतर विद्यार्थियों की यह इच्छा होती है कि अध्यापक उनकी क्रियाओं पर या समस्त कार्य-प्रणाली पर निकट से आकर नजर रखें। स्कूल के बाद भी उनकी कक्षाएं लगाई जाएं–ऐसी मांग उन्होंने की। कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाए।

3. उच्च अपेक्षाएं बनाए रखने हेतु अध्यापक के प्रयास (Teachers Efforts to Maintain High Expectation from Students)–अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अध्यापकों की विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं (Expectations) होती हैं वे स्वपूर्ण (Self-Fulfilling) होती रहती हैं। इसके लिए अध्यापकों के अपने दृष्टिकोण (Attitudes), विश्वासों (Beliefs), अपेक्षाएं इत्यादि विद्यार्थियों के सम्मुख समय-समय पर प्रकट करते रहें ताकि विद्यार्थी अपने अध्यापकों को भली-भांति समझ सकें। विद्यार्थियों से अध्यापक जो अपेक्षाएं रखते हैं वे उनकी अधिगम गति (Learning Rate) के साथ बराबरी नहीं कर सकती। विद्यार्थियों को उनसे अपेक्षाओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए तीन कारकों को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है–समय, सामूहीकरण (Grouping) तथा विधि (Methodology)। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखने में अध्यापकों का सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण भी उन्हें संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखने का अर्थ है–विद्यार्थियों को उच्च इच्छाएं रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. विद्यार्थियों से अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कारक (Other Factors which Influence Expectations from Students)–शैक्षिक सफलता के लिए छुपी हुई योग्यता या जन्मजात योग्यता को उत्तरदायी माना जाता है। इसमें अनुदेशन की गुणवत्ता (Quality of Instruction), प्रयास (Trials or Efforts) तथा अनुदेशन की मात्रा या माता-पिता की सहभागिता (Parental Involvements) इत्यादि सब कुछ गौण (Secondary) हैं या उन्हें अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता।

यदि स्कूल में विद्यार्थी की उपलब्धि खराब है तब इसके लिए उसकी निम्न योग्यता उत्तरदायी है। विद्यार्थी में यह विश्वास बन जाता है कि वे चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनकी उपलब्धि में वृद्धि या सुधार नहीं होगा।

कुछ ऐसी भी संस्कृतियां हैं जहां पर कड़ी मेहनत और प्रयासों को विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की कुंजी (Key) माना जाता है।

5. विद्यार्थियों के निष्पादन पर अध्यापक-अपेक्षाओं का प्रभाव (Effect of Teachers Expectations on Students Performance)–क्या अध्यापक के द्वारा रखी जाने वाली अपेक्षाएं विद्यार्थियों के निष्पादन (Performance) को प्रभावित करती हैं? हां, ऐसा होता है। अध्यापक जो भी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से करते हैं उनका प्रभाव विद्यार्थियों की उपलब्धियों तथा निष्पादन पर अत्यधिक पड़ता है। लेकिन जब विद्यार्थियों में अभिप्रेरण और योग्यताओं का अभाव दिखता है तब उनसे हमें अधिक प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

CIMETRIX

अतः संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखना अध्यापक का उत्तरदायित्व भी बन जाता है। यदि ये अपेक्षाएं विद्यार्थी को बता दी जाएं तो वे विद्यार्थी उन्हें पूरा करने या उन्हें बनाए रखने के लिए और अधिक परिश्रम करेंगे।

◆◆◆

बच्चों तथा किशोरों की आवश्यकताओं तथा व्यावहारिक समस्याओं की समझ
(Understanding needs and Behavioural problems of children and adolescents)

साथियों से संबंध
[Relationship with Peers]

(A) मित्रता और यौन
(Friendship and Gender)

12. साथियों के साथ संबंध से क्या अभिप्राय है? इन संबंधों पर मित्रता और यौन या लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है?
(What do you mean by relationship with peers? How friendship and gender affect such relationship?)

उत्तर–जब बालक एक ही आयु के हों और उनका परिपक्वता का स्तर भी एक समान हो तो वे बालक 'साथी' (Peers) कहलाते हैं। इन साथी बालकों के साथ संबंधों का बहुत अधिक महत्त्व होता है। इन संबंधों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। विशेषकर अध्यापक के लिए क्योंकि ये संबंध दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं–अर्थात् इनके अच्छे और बुरे प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं। ये पक्ष हैं–साथियों में मित्रता और यौन (Friendship and Gender), प्रतिस्पर्धा और सहयोग (Competition and cooperation), प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व (Competition and Conflict), आक्रामकता और क्रूरता (Aggression and Bullying from early Childhood to Adolescence) आदि। बालक के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए इन पक्षों पर विचार करना अति आवश्यक होता है। अतः इनका एक-एक करके अध्ययन किया जाएगा।

मित्रता और यौन का प्रभाव *(Friendship and Gender Effects)*

बाल्यकाल से लेकर परिपक्वता की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के मित्रों की संख्या तथा मित्रों की दृढ़ता में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। प्रारंभिक दिनों में तो बच्चा केवल खेलता है और इसी खेलने की प्रक्रिया में वह अपने भाई-बहनों को भी अपना मित्र बनाकर संतुष्ट हो जाता है। परंतु 5-6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वह बच्चे पड़ोसी बच्चों के साथ अन्तर्क्रिया करता है और उन्हें अपना मित्र समझने लगता है। इस दृष्टि से 7-8 वर्ष की आयु में उसके मित्रों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। मित्रों की इस संख्या में पड़ोस के बच्चे तथा स्कूल में और कक्षा में साथ पढ़ने वाले बच्चे शामिल होते हैं। इस आयु वर्ग की मित्रता अधिक घनिष्ठ नहीं होती।

उत्तर-बाल्यकाल (Late Childhood) के दौरान बच्चों की इस मित्र मंडली का स्वरूप कुछ बदल जाता है। यह उचित प्रकार से संगठित होना शुरू हो जाती है। बच्चे इसी मित्र-मंडली में अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं।

इस अवस्था के दौरान मित्र मंडली के सदस्य एक यौन (Gender) के होते हैं अर्थात् लड़के लड़कों से मित्रता करते हैं और लड़कियां लड़कियों से ही मित्रता करती हैं।

किशोरावस्था में यह घनिष्ठता अपनी चरमसीमा तक पहुंच जाती है। संबंधों की इस घनिष्ठता में धर्म, जाति, रंग-रूप, सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इस स्तर पर भी इनकी मित्रता कई स्तरों की हो सकती है।

मित्रों के गुट को 'क्लिक' (Clique) कहा जाता है। इन गुटों को बनाने में 3-4 लोग ही शामिल होते हैं अर्थात् 3-4 व्यक्तियों का एक 'क्लिक' बनता है।

समान रुचि रखने वाले मित्र एक 'गिरोह' बनाते हैं, जिसे 'गैंग' (Gang) का नाम दिया जाता है।

किशोर बालक (Adolescents) विपरीत यौन (Opposite Gender or Sex) के सदस्यों के साथ मैत्री करने की इच्छा रखते हैं।

मित्रता कई तत्त्वों पर निर्भर करती है, जैसे–

(i) स्वभाव (Temperament) (ii) सहानुभूति की क्षमता
(iii) अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी होना। (iv) रुचियों की समानता।
(v) सामाजिक-आर्थिक स्तरों की समानता। (vi) समायोजन की क्षमता।
(vii) यौन की समानता। (viii) बुद्धि की समानता इत्यादि।

बाल्यकाल से जैसे-जैसे बच्चा किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, वह परिवार से बाहर के लोगों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बालक पर उसके साथियों (Peers) का प्रभाव अधिक पड़ता है।

◆◆◆

(B) प्रतिस्पर्धा और सहयोग
(Competition and Co-operation)

13. प्रतिस्पर्धा से क्या अभिप्राय है? व्याख्या करें।
(Explain the meaning of competition.)

उत्तर–प्रतिस्पर्धा का अर्थ (Meaning of Competition)–प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बालक के समस्त सामाजिक विकास को गति (Speed) मिलती है। इस प्रक्रिया का आधार आत्म-अभिव्यक्ति (Self Assertion) होती है। हर व्यक्ति स्वयं को अपने ही तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है। उसकी अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपना चिंतन होता है, जिसे वह दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त करने की इच्छा करता है। इसी अभिव्यक्ति की तुलनात्मक जांच को 'प्रतिस्पर्धा' शब्द द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में निम्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं–

(i) बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास जन्म से तीन वर्ष के बाद होता है और यह प्रतिस्पर्धा की भावना बालक के आत्म-सम्मान या आत्म-पहचान (Self Assertion or Self Identification) के विकसित होने के बाद उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है।
(ii) प्रतिस्पर्धा (Competition) की भावना से ही बच्चों में विभिन्न प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे–खेलने, दौड़ने, लिखने, कपड़ा पहनने आदि की प्रेरणाएं। यदि बच्चें में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न ही न हो तो वह भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से वंचित रह जाएगा।
(iii) इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं से बच्चों में ईर्ष्या भी उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं जिसके परिणामस्वरूप उसमें आक्रामक प्रवृत्तियां सिर उठाने लगती हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

(iv) प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक प्रभाव यह देखने को मिलता है कि आत्म-सम्मान की प्राप्ति के साथ-साथ बालक के सामाजिक विकास को भी गति मिलती है अर्थात् सामाजिक रूप से बालक बड़ी तेजी से विकसित होने लगता है।

(v) प्रतिस्पर्धाओं का नकारात्मक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बार-बार की असफलता के कारण बालक असामाजिक विकास का शिकार हो सकता है अर्थात् बालकों में असामान्य व्यवहारों के विकसित होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं।

(vi) बालक जो जो कार्य करते हैं उनके पीछे बालक में आत्म-सम्मान की भावनाएं छुपी होती हैं अर्थात् बालक उस कार्य को करने के लिए आत्म-सम्मान की इच्छा रखते हैं। इसी आत्म-सम्मान को बनाए रखने के लिए वह प्रतिस्पर्धाओं का सहारा लेते हैं।

(vii) घर पर बालक अपनी हर चीज की तुलना अपने अन्य भाई-बहनों की चीजों से करता रहता है, जैसे–वह अपने खिलौनों व अन्य चीजों की तुलना अपने दूसरे भाई-बहन के खिलौने से करते हैं। कि किस के खिलौने उत्तम हैं। कई बार वह यह महसूस करता है कि उसकी सभी चीजें उसके भाई-बहनों की चीजों से ज्यादा सुंदर नहीं है। यह बात उसके मन में ईर्ष्या पैदा करती है।

प्रतिस्पर्धा की भावना से ओत-प्रोत होना कोई बुरी बात नहीं है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। यदि सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा को देखें तो बालक सफलता के लिए प्रयास करता है। यह सफलता दूसरों को असफल करके ही प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धाकर्ता अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करके अपने वांछित उद्देश्य प्राप्त करता है। अतः प्रतिस्पर्धाएं स्वस्थ, सार्थक और सकारात्मक होनी चाहिए।

◆◆◆

14. 'सहयोग' से आप क्या समझते हैं ? सहयोग के प्रकार और कारणों पर प्रकाश डालें।
(What do you understand by cooperation? Throw light on the types and causes of Co-operation.)

उत्तर– सहयोग से अभिप्राय (Meaning of Co-operation)–समाजपक्षी व्यवहार (Prosocial Behaviour) का एक दुर्बल स्वरूप होता है, जिसे सहयोग (Co-operation) कहते हैं। इस दुर्बल स्वरूप या सहयोग में स्व-लाभ (Self gain) के तत्त्व मौजूद होते हैं। समाज में अनेक सम्बन्धों के निर्धारण के लिए कोई न कोई आधार चाहिए। सहयोग उस आधार की भूमिका निभाता है। सहयोग के प्रक्रम (Process) में जो सहभागी होते हैं, वे सभी लाभ उठाते हैं तथा वांछनीय (Desirable) लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करते हैं।

ग्रीन (A.W. Green) ने सहयोग को इस प्रकार से परिभाषित किया है– 'सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से चाही गई या किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने का सांझा और निरन्तर प्रयास है।'

(Co-operation is the continous and common endeavour of two or more persons to perform a task or to reach a goal that is commonly cherished.
—A.W. Green)

आकोलकर (Akolkar, 1960) के अनुसार, **"सहयोगी व्यवहार का सार यह है कि सम्बन्धित व्यक्तियों या समूहों का एक सामान्य लक्ष्य होता है तथा वे अपने व्यवहार को एक-दूसरे के साथ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।**

उपर्युक्त परिभाषाओं से 'सहयोग' की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित तथ्य उतर कर सामने आते हैं–

(i) सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है।

(ii) सहयोग में दो या अधिक व्यक्ति या समूह संगठित होते हैं।

(iii) फिर वे संगठित होकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्य करते हैं या प्रयत्न करते हैं।

(iv) ऐसा देखा गया है कि सहयोग करने वाले व्यक्ति या समूह अधिकतर लक्ष्य की प्राप्ति तक ही प्रयास करते हैं।

(v) व्यक्तियों और समूहों के मध्य सहयोग के दौरान सम्बन्ध अच्छे या मधुर होते हैं।

(vi) ये सम्बन्ध स्थायी भी हो सकते हैं।

(vii) यही सहयोग सामाजिक जीवन को जन्म देता है।

(viii) यही सहयोग के परिणामस्वरूप व्यक्तियों और समूहों को संतोष या संतुष्टि की प्राप्ति होती है।

(ix) सहयोग के परिणामस्वरूप ही जटिल से जटिल कार्य सरल हो जाते हैं।

सहयोग के कारण या कारक
(Causes or factors of Co-operation)

सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अनेक कारण या कारक होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है–

(i) आवश्यकताओं की पूर्ति (Fullfilment of Needs)–कोई भी व्यक्ति या समूह स्वयं में पूर्ण नहीं होता। हर किसी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु कोई न कोई साधन चाहिए। समय समय पर उन्हें किसी न किसी का सहयोग या सहायता की आवश्यकता रहती है।

(2) पारस्परिकता (Reciprocity)–पारस्परिकता की भावना भी सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता या सहयोग करता है तो वह भी सहायता करने वाले व्यक्ति का बदले में सहयोग करेगा। पारस्परिकता 'लेना' और 'देना' (Give and take) की नीति का ही दूसरा नाम है।

(3) स्वार्थ की पूर्ति (Fullfilment of Selfishness)–स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को सहयोग करते हैं। समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य बन कर रह गया है। समाज के सदस्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी होते जा रहे हैं। कई बार स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को गलत तरीकों का अनुकरण भी करना पड़ता है। उदाहरणार्थ- व्यक्ति गलत तरीकों से धन कमा कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में रुचि रखता है।

(4) समूह का आकार (Size of the group)–समूह का आकार सहयोग को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे समूह बड़ा होता जायेगा सहयोग का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जायेगा। समूह के अधिकार और सहयोग में ऋणात्मक सम्बन्ध (Negative Correlation) पाया गया है।

(5) व्यक्तिगत उन्मुखता (Personal Orientation)–शोधकार्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही सहयोग उन्मुखी (Co-opration oriente) होते हैं। वे अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सहयोग करना पसंद करते हैं।

(6) लिंग (Gender)–नाईट और डयूबरो (Knight and Dubro 1984) ने अपने शोध द्वारा यह स्पष्ट किया है कि पुरुषों की अपेक्षा औरतों में सहयोग की भावना अधिक होती है और वे अधिक सहयोग करती हैं।

(7) पूर्व अनुभव (Past Experiences)–भूतकाल में सहयोग के अच्छे परिणाम प्राप्त करने पर वर्तमान में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग वाला व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि भूतकाल में अनुभव कड़वे रहे हों तो वह वर्तमान में सहयोग लेने या देने से कतरायेगा।

(8) असामान्यता (Abnormality)–कई बार असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने पर भी सहयोग करने वाला व्यक्ति अपना हाथ खींच लेता है। कई बार तो वे सहयोग करना ही छोड़ देते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(9) उन्नति और सफलता (Progress and Success)–हर व्यक्ति या समूह अपने अपने क्षेत्र में उन्नति और सफलता की इच्छा रखते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए वे दूसरों का सहयोग प्राप्त करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई बार वे इस उद्देश्य को अर्जित नहीं कर पाते।

(10) सामाजिक दबाव (Social Pressure)–कई बार कई परिस्थितियों में सामाजिक दबाव के कारण सहयोग करना पड़ता है जबकि व्यक्ति में सहयोग करने की कोई तनिक भी इच्छा नही होती।

(11) संस्कृति (Culture) :- कई शोध कार्यों ने संस्कृति और सहयोग के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट किया है। कुछ संस्कृतियों में प्रतिस्पर्धा (Competition) को प्रोत्साहित भी किया जाता है जबकि कुछ संस्कृतियों में ऐसा नहीं किया जाता।

(12) संचार या सम्प्रेषण (Communication)–संचार और सहयोग में भी घनिष्ठ सम्बन्ध पाया गया है। उपयुक्त सहयोग के लिए संचार का होना अति आवश्यक है। संचार जितना अधिक होगा सहयोग को भी उतना ही अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार संचार या सम्प्रेषण जितना कम होता जायेगा, सहयोगात्मक व्यवहार में उतनी ही कमी आती चली जायेगी। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि संचार रहित समूहों में संचार सहित समूहों की अपेक्षा कम सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है तथा संचार सहित समूहों में संचार रति समूहों की अपेक्षा सहयोगात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है।

(13) धमकियाँ (Threats)–कई बार धमकियों की भूमिका भी सहयोग प्रक्रम में महत्त्वपूर्ण होती है। धमकियों के बल पर व्यक्ति सहयोग के प्रति ईमानदार नहीं होते। अर्थात् धमकी देकर सहयोग प्राप्ति की आशा करना गलत होना। हां, यदि दोनों पक्ष धमकियों के परिणामस्वरूप एक-दूसरे को सहयोग देने लगते हैं तो धीरे-धीरे यह सहयोग वास्तविकता सहयोग की शक्ल से सकता है और नहीं भी। सामान्यतः यह वास्तविक सहयोग की स्वरूप नहीं ले पाता।

(14) परिचितता (Familiarity)–परिचितता का अंश भी सहयोग को प्रभावित करता है। आमतौर पर हर व्यक्ति अजनबी व्यक्ति की अपेक्षा परिचित व्यक्ति को सहयोग करना अधिक पसंद करता है तथा उसे अधिक सहयोग करता है। परिचितता जितनी अधिक होगी, सहयोग की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। परिचितता और पसंद दोनों ही सहयोगी व्यवहार की सम्भावनाओं को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जितना अधिक परिचित होता है तथा जितना अधिक पसंद करता है, सहयोग सम्बन्धी व्यवहार उतना ही अधिक जटिल होने की सम्भावना हो जाती है।

(15) पुरस्कार (Reward)–जिस प्रकार अभिप्रेरणा (Motivation) में पुरस्कार की सकारात्मक भूमिका होती है, उसी प्रकार सहयोग प्रक्रम में भी पुरस्कार का प्रभाव देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को सहयोग करता है तो सहयोग करने वाले को भी किसी न किसी रूप में पुरस्कार की प्राप्ति होती है। सहयोग के बाद मिले पुरस्कार का अधिक प्रभाव होता है। सहयोग के लिए पुरस्कार का प्रभाव पुरस्कार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। साधारण पुरस्कार शायद इतना प्रभावी नहीं हो, जितना कि विशिष्ट पुरस्कार तथा अधिक कीमती पुरस्कार।

(16) सामाजिक शक्ति (Social Power) :- सामाजिक रूप से शक्तिशाली माने जाने वाले व्यक्तियों के सम्मुख सामाजिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का व्यवहार अधिक सहयोगात्मक होता है। कई बार सामाजिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में, दुर्बल सामाजिक शक्ति वाला व्यक्ति इसलिए भी सहयोग का प्रदर्शन करता है कि कहीं शक्तिशाली व्यक्ति उससे नाराज न हो जाये या उस पर क्रोधित न हो। कई परिस्थितियों में सामाजिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति की विशेष दुर्बलता का पता सामाजिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को पता चल जाता है, उस दुर्बलता का प्रयोग करते हुए ऐसे सामाजिक रूप से दुर्बल व्यक्ति असहयोगात्मक व्यवहार करने लगते हैं। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं।

(17) अन्य व्यक्तियों का व्यवहार (Other's Behaviour)–यह बात निश्चित है कि "जैसे हम करेंगे वैसा ही फल पायेंगे।" अर्थात् जैसा व्यवहार हम दूसरे व्यक्ति से करेंगे, वैसा व्यवहार ही दूसरे व्यक्ति हम से करेंगे। जैसे, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ सहयोग करता है, तो समय या स्थिति या अवसर आने पर हम भी उस व्यक्ति को सहयोग करने पर नैतिक रूप से बाध्य हो जायेंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ चालाकी करता है तो वह भी किसी न किसी से भी सहयोग की आशा नहीं कर सकता।

◆◆◆

(C) प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व
(Competition and Conflict)

15. 'द्वंद्व' से क्या अभिप्राय है? प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व में क्या संबंध है? द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन करें। (What do you mean by Conflict? How it is related to competition? Describe the basic causes of conflict.)

उत्तर–द्वंद्व से अभिप्राय (Meaning of Conflict)–द्वंद्व (Conflict) और तनाव (Tension) दोनों शब्द का अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। इन दोनों शब्दों को एक-दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। तनाव (Tension) पहले पैदा होता है और इसके परिणामस्वरूप द्वंद्व (Conflict) पैदा होता है। तनाव एक चिंता की अवस्था होती है, लेकिन 'द्वंद्व' एक प्रकार की आक्रामकता (Aggression) की स्थिति होती है। यह स्थिति शाब्दिक या शारीरिक दोनों स्वरूपों में संभव है।

जब व्यक्तियों के दो समूह खुलेआम एक-दूसरे को गाली देते हुए या शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं तथा उसे 'द्वंद्व' (Conflict) का नाम दिया जाता है।

बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड (Boring, Langfield and Weld, 1959) के अनुसार 'द्वंद्व' वह अवस्था होती है जिसमें दो या विरोधी प्रेरणाएं (Forces) उत्पन्न होती हैं तथा जिन्हें एक साथ संतुष्ट करना या पूरा करना संभव नहीं।

CIMETRIX SKILLED INDIA

द्वंद्व से कुंठा पैदा होती है। द्वंद्व के दौरान व्यक्ति कभी तो एक प्रेरणा से जुड़े प्रत्युत्तर को चुनता है तो कभी दूसरी प्रेरणा से संबंधित प्रत्युत्तर को चुनता है। कई बार वह किसी भी प्रत्युत्तर को नहीं चुनता। द्वंद्व चेतन या अचेतन दोनों ही स्तर पर संभव हैं। परंतु अधिकतर द्वंद्व चेतन स्तर पर ही होते हैं।

द्वंद्व और प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में संबंध
(Relation Between Competitions and Conflict)

जब विभिन्न समूह किसी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे के सामने आते हैं तब उनकी रुचियों में द्वंद्व पैदा हो जाता है। इस प्रकार के द्वंद्व के परिणामस्वरूप अन्तःसमूह तनाव (Inter-group Tension) पैदा होता है और फिर हिंसा जन्म लेती है।

विभिन्न समूहों में व्यक्तियों का प्रवेश विभिन्न कारणों से होता है। इन समूहों में सभी मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन ऐसी इकट्ठा की स्थिति में द्वंद्व की संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। ऐसा द्वंद्व किसी एक व्यक्ति और एक समूह में हो सकता है या फिर दो या अधिक समूहों में हो सकता है।

आमतौर पर द्वंद्व (Conflict) नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं लेकिन इस बात से यह भी अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि 'द्वंद्व' हमेशा बुरे ही होते हैं। हल्का-सा द्वंद्व तो समूह की उपलब्धि या निष्पादन में वृद्धि करता है। द्वंद्व से नए विचारों को उद्दीपन (Stimulation) मिलता है। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की जा सकती है तथा टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।

जब किसी समूह की आवश्यकताएं और व्यक्ति की आवश्यकताओं में मतभेद की स्थिति होती है तब ये द्वंद्व पैदा होते हैं।

हर समाज में दो समूह अवश्य होते हैं जिनका आधार भाषा, व्यवसाय या धर्म होता है। इन समूहों में द्वंद्व अकसर शक्तिशाली होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के द्वंद्वों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ऐसे द्वंद्व युद्ध का रूप भी ले लेते हैं।

द्वंद्वों के कारण *(Causes of Conflict)*

ये द्वंद्व क्यों होते हैं, इसके मूल कारण निम्नलिखित हैं–

1. परिवार (Family)–द्वंद्व का एक स्रोत (Source) परिवार को माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों में भिन्नता अवश्य होती है। इन भिन्नताओं के कारण भी द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर बच्चों का किशोरावस्था तक का सफर आराम से कटता है लेकिन किसी व्यवसाय में जाने पर उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. मूल प्रवृत्तियां (Basic Instincts)–व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं–जीवन मूल प्रवृत्ति (Errors) और मृत्यु मूल प्रवृत्ति (Thanates)। ये दोनों मूल प्रवृत्तियां एक-दूसरे की विरोधी हैं। इनमें असंतुलन पैदा होने पर द्वंद्व (Conflicts) पैदा होने शुरू हो जाते हैं और समायोजन संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं।

3. व्यक्तिगत असफलताएं (Personal Failures)–व्यक्तिगत असफलताओं के परिणामस्वरूप हीन भावनाएं पैदा होती हैं और इन हीन भावनाओं के परिणामस्वरूप द्वंद्वों (Conflicts) की उत्पत्ति होती है।

4. संस्कृति (Culture)–संस्कृति का फैलाव (Expansion) भी होता है जो कि द्वंद्व का कारण बनता है जब एक संस्कृति के लोग अपनी उस संस्कृति के अनुसार चलते हैं तथा अन्य व्यक्ति दूसरी संस्कृति को पसंद करते हैं तो दूसरी संस्कृति का पहली संस्कृति में यह प्रचलन भी व्यक्तियों में द्वंद्व का कारण बन सकता है।

5. आर्थिक कठिनाइयां (Economic Problems)–वैवाहिक जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं जिनके कारण द्वंद्व विकसित होने लगते हैं जिन्हें दूर करना अति आवश्यक है। वरना जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

◆◆◆

(D) आक्रामकता और दबंगता
(Aggression and Bullying)

16. समाज में बढ़ते हुए आक्रामक व्यवहार के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? प्रमुख कारणों का वर्णन करें। आक्रामक व्यवहार के नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे?
(What can be the causes of Aggressive Behaviour in the society? Describe the main causes. What you can do to control the aggressive behaviour?)

अथवा

आक्रामकता के प्रमुख निर्धारकों तथा इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन करें।
(Describe the main determinants and methods of prevention and control of aggressiven behaviour.)

अथवा

आक्रामकता को दण्ड एवं पुरस्कार न देना किस तरह नियंत्रित एवं रोक सकता है?
(How can punishment and non-rewarding control and prevent aggression?)

अथवा

आक्रामकता के मुख्य कारण बताइए। उनके आक्रामक व्यवहार के आप कैसे नियन्त्रण में रख सकते हैं?
(Describe main causes of aggression. What can you do control the agressive behaviour.) **(C.R.S.U. 2018)**

उत्तर–आक्रामकता के निर्धारक (Determinants of Aggression)–आक्रामकता को प्रभावित करने वाले कारकों या निर्धारकों को हम निम्न वर्गों में बांट कर उनका वर्णन कर सकते हैं-

(A) परिस्थिति जन्य कारक (Situational Factors)–किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आक्रामकता को उकसाते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं-

(1) कुंठा (Frustration)–कुंठा (Frustration) क्या है? जब हम किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों में हस्तक्षेप किया जाता है तो व्यक्ति कुंठा का अनुभव करता है। डोलार्ड (Dollard, 1939) के अनुसार- कुंठा किसी न किसी रूप में आक्रामकता को पैदा करती है। आक्रामकता हमेशा कुंठा से उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि कुंठित (Frustrated) व्यक्ति सदा आक्रामकता का ही प्रदर्शन करता है। कुंठित होने पर कोई भी व्यक्ति कई प्रकार की अनुक्रियाएँ कर सकता है। जैसे–उदासी की अभिव्यक्ति।

आक्रामकता हमेशा कुंठा से ही उत्पन्न नहीं होती। कुछ ऐसे अन्य कारक भी हैं जो व्यक्ति को आक्रामक बनाते हैं। उदाहरणार्थ अपने कैप्टन का आदेश पाकर सैनिक आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन कर सकता है। आक्रामकता की मात्रा कुंठा की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक कुंठा होगी, आक्रामकता भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार लक्ष्य की निकटता और कुंठा का आपस में गहरा सम्बन्ध है। लक्ष्य जितना निकट होगा, रुकावट पड़ने पर कुंठा उतनी अधिक होगी तथा परिणामस्वरूप आक्रामकता भी उतनी ही अधिक होगी।

2. प्रतिरूपण (Modelling)–प्रतिरूपणता भी आक्रामकता को उकसाती है। कई बार कोई व्यक्ति स्वयं को एक आक्रामक माडल के रूप में प्रस्तुत करता है। ये आक्रामक प्रतिरूप निम्नलिखित सूचनाएँ देते हैं–(i) ये उन विशिष्ट आक्रामक क्रियाओं को दर्शाते हैं जो दी हुई परिस्थिति में सम्भव होती हैं। (ii) ये आक्रामकता के उचित होने के बारे में सूचनाएँ प्रदान करते हैं। (iii) प्रतिरूप प्रेक्षकों को आक्रामकता प्रदर्शित करने पर प्राप्त परिणामों (Consequences) की झलकें प्रदान करते हैं। पुरस्कार प्रदान करने वाले आक्रामक व्यवहारों का प्रेक्षक (Observer) अनुकरण करते हैं। इस प्रकार आक्रामक माडल आक्रामकता में वृद्धि करते है। लड़के आदमी को तथा लड़कियों औरतों को माडल के रूप में चुनते हैं।

3. आक्रमण (Attack)–कई बार प्रत्यक्ष रूप से उकसाने (Direct Provocation) पर आक्रामकता उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आक्रामकता ही आक्रामकता को उत्पन्न करती है। अनेक परिस्थितियों में शारीरिक या शाब्दिक आक्रमण आक्रामक व्यवहार को उकसाते हैं। आक्रामकता से क्रोध और क्रोध से आक्रामक अनुक्रिया पैदा होती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि वाचिक छेड़-छाड़ की अपेक्षा शारीरिक छेड़-छाड़ या उद्दीपन आक्रामक व्यवहार को अधिक उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आक्रामकता का व्यवहार करेगा तो दूसरा व्यक्ति जवाब में आक्रामक व्यवहार अवश्य करेगा।

4. हथियार (Weapons)–एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जब किसी कुंठित व्यक्ति को कोई हथियार दिखाई पड़ जाये तो उसके आक्रामक व्यवहार की सम्भावना बढ़ जाती है। टर्नर (Turner, 1977) ने भी अपने अध्ययनों में यह पाया है कि हथियारों की उपस्थिति व्यक्ति में आक्रामकता तथा दंगों की सम्भावना में वृद्धि करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुंठा तथा उकसाहट के बाद हथियारों का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को दंगों के बारे में सोचने के लिए तत्पर (Ready) कर देता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

5. तापमान व शोर (Temperature and Noise)–एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो आक्रामकता भी अपेक्षाकृत अधिक प्रदर्शित होती है। इसका कारण यह है कि तापमान में वृद्धि होने से तनाव में वृद्धि होती है तथा तनाव बढ़ने से आक्रामकता में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्ध से व्यक्ति में पलायन का व्यवहार भी उत्पन्न होता है। लेकिन पलायन की उपस्थिति में आक्रामकता नहीं होती।

इसी प्रकार शोर अधिक बढ़ने से आक्रामकता में भी वृद्धि होती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि शोर की मात्रा जितनी अधिक होगी, आक्रामकता भी उतनी ही अधिक होगी।

6. मादक पदार्थों का प्रभाव (Impact of Drugs)–ऐसा पाया गया है कि जब कुछ मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है तब उस स्थिति में व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनका सेवन करने के बाद व्यक्ति की क्रियाशीलता और शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। इन मादक पदर्थों के सेवन से व्यक्ति में आक्रामकता के बाहरी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति में सीमा से अधिक शराब पीने से आक्रामक और हिंसक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि रक्त में जब अलकोहल (Alcohol) की मात्रा 5% से अधिक हो जाती है तो वह अचेतना (Unconsciousness) का शिकार हो जाता है।

7. संचार साधन (Communication Media)–प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा में व्यक्ति जिस प्रकार आक्रामक व्यवहार देखता है, उसी का अनुसरण किया जाता है। कई बार हिंसा वाले व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है, उससे भी आक्रामकता को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार का व्यवहार नौजवानों को अधिक प्रभावित करता है। प्रौढ़ व्यक्ति कम ही प्रभावित होते हैं।

(B) व्यक्तिगत कारक (Personal Factors)–कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो आक्रामकता को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करते रहते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं-

1. संवेगात्मक स्थिति (Emotional State)–यहां पर संवेगात्मक स्थिति से अभिप्रायः है–आक्रामकताकर्ता की संवेगात्मक स्थिति (Emotional State of the Aggressor)। व्यक्ति की संवेगात्मक स्थितियाँ हैं–

(a) क्रोध उद्वेलन (Angry Arousal)–क्रोध उद्वेलन की स्थिति में निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं–

(i) **कुंठा की प्रबलता (Strength of Frustration)**–जिस लक्ष्य के निकट पहुंच जाते हैं तब हम अधिक कुंठा का अनुभव करते हैं।

(ii) **कुंठा का मनमानापन (Arbitrariness of Frustration) :-** मनमाने ढंग से प्राप्त कुंठा का प्रभाव कम होता है। अर्थात् किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कुंठा यदि तार्किक, आकस्मिक या वैध (Legitimate) है, तो वह कम शत्रुता की भावना (Hostility) का प्रदर्शन करेगा परन्तु यदि वह इसे मनमानी (Arbitrary) या अवैध (Illegitimate) मानता है तो वह अधिक शत्रुता (Hostility) का प्रदर्शन करेगा।

(iii) **आक्रामक संकेत (Aggressive Cues)**–आक्रामक क्रियाएँ वातावरण में विद्यमान उपयुक्त आक्रामक संकेतों पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार के आक्रामक संकेत व्यक्ति को आक्रामकता की याद दिला देते हैं। इसी प्रकार ये संकेत क्रोध को और अधिक भड़का देते हैं।

(b) सामान्य उद्वेलन (General Arousal)–कोई भी उद्वेलन (Arousal) आक्रामकता उत्पन्न कर सकता है परन्तु शरीर क्रियात्मक उद्वेलन (General Physiological Arousal) का आक्रामकता से क्या सम्बन्ध है, जिसका क्रोध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता जैसे- उच्च, शोर, अधिक व्यायाम आक्रामकता को कैसे प्रभावित करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने उच्च शोर, प्रतिस्पर्धा, उत्तेजनकारी औषधियाँ, उत्तेजक संगीत आदि का आक्रामकता पर प्रभाव का अध्ययन किया है।

जिलमैन (Zillman, 1979) ने व्यायाम का आक्रामकता पर प्रभाव का अध्ययन किया है। उसने पाया कि व्यायाम द्वारा व्यक्ति में आक्रामकता की अनुक्रिया को और प्रबल करती है।

(c) यौन उद्वेलन (Sexual Arousal)–अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है कि मध्यम स्तरीय यौन उद्वेलन (Medium Sexual Arousal) आक्रामकता में कमी लाता है। जबकि उच्चतर स्तरीय यौन उद्वेलन आक्रामकता में वृद्धि करता है। कामुक उद्दीपक (Erotic Stimuli) व्यक्ति में निम्न प्रभाव पैदा करते हैं- (i) उद्वेलन में वृद्धि। (ii) भावात्मक स्थितियों में परिवर्तन। (iii) मध्यम कामुक सामग्री दर्शक में कम उद्वेलन (मुख्यतः घनात्मक प्रभाव) प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

(d) उद्वेलन के अन्य प्रारूप (Other forms of Arousals)–उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों की भी चर्चा की गई है जो उद्वेलन को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे भीड़ (Crowd) ऋणात्मक भावनाओं और आक्रामकता में वृद्धि करता है। लेकिन भीड़ अपने आप में ऐसा कारक नहीं होता जो सीधे ही आक्रामकता को पैदा करता है। भीड़ में दूसरों की अधिक निकटता, असुविधा की भावना तथा कुंठा मिलकर आक्रामकता को पैदा करते हैं।

इसी प्रकार वायु-प्रदूषण तथा तापमान का अध्ययन भी अन्य कारकों में शामिल है। ये कारक सीधे ही उद्वेलन (Arousal) में वृद्धि कर सकते है। इसके अतिरिक्त ये क्रोध या कुंठा को भी उत्पन्न कर सकते हैं जो कि उद्वेलन (Arousal) के ही प्रारूप होते हैं। जरा सी असुविधाजनक परिस्थिति में होने पर थोड़ी सी गर्मी अनुभव करने पर क्रोधित तथा आक्रामक बना देती है।

मनोवैज्ञानिकों ने शोर और आक्रामकता के बीच भी उच्च सम्बन्ध पाया है। उच्च शोर से आक्रामकतापूर्ण व्यवहार अधिक होने लगता है। अनेक औषधियां भी आक्रामकता को प्रभावित कर सकती है।

कम शराब का सेवन आक्रामकता में कमी करता है तथा शराब का सेवन बढ़ने से आक्रामकता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यह भी पाया गया है कि औषधियाँ सीधे ही संवेगों को पैदा नहीं करती, बल्कि ये तो व्यक्ति में सामान्य संवेगात्मक उत्तेजन (General Emotional excitement) पैदा करती है।

2. आयु (Age)–अनेक शोधों से यह पता चलता है कि आयु के साथ-साथ आक्रामकता के स्तर में भी अन्तर आता रहता है। छोटी आयु में आक्रामकता का स्तर ऊँचा होता है परन्तु धीरे-धीरे बच्चे के आक्रामक व्यवहार में कमी आने लगती है। अधिकतर यह देखा गया है कि किशोरावस्था में लड़कों में आक्रामक व्यवहार में वृद्धि होती है। 25 वर्ष की आयु के पश्चात् यह आक्रामक व्यवहार कम होने लगता है। आयु सीमा और आक्रामकता के बीच यह सम्बन्ध सभी संस्कृतियों एवं समाजों के बीच पाया जाता है।

3. लिंग (Sex)–कुछ शोधकर्ताओं ने लिंग (Sex) और आक्रामकता में सम्बन्ध ढूंढने का प्रयास किया है। इग्ले (Eagly) और स्टेफन (Steffen, 1986) ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक आक्रामक होते हैं। परन्तु यह अन्तर अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। कुछ परिस्थितियों में यह भी पाया गया है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक आक्रामक होती है। पुनरावृत्त उकसाहट (Repeated provocations) की स्थिति में पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करती है।

पुरुष और स्त्री के आक्रामक व्यवहार के अन्तरों के लिए निम्न आधार बताये हैं- (i) जैविक आधार (Biological Basis)। (ii) सामाजीकरण। लेकिन आजकल लड़के और लड़कियों के सामाजीकरण में अन्तर कम होने के कारण उनमें आक्रामकता में अन्तर भी कम होता जा रहा है।

4. व्यक्तित्व (Personality)–कुछ व्यक्ति अधिक आक्रामक होते हैं तथा कुछ कम आक्रामक होते हैं। सामाजिक स्वीकृति आवश्यकता (Need for social Approval) और आक्रामकता के बीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता अधिक होती है उनमें आक्रामकता कम होती है। ऐसा इसलिए कि उन्हें अपने अपमान या अपनी निन्दा होने का भय होता है।

आक्रामकता के प्रभाव की दृष्टि से व्यक्तित्व को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है–(a) अति नियंत्रक व्यक्तित्व (Over Controllers)। (b) अव-नियंत्रक (Under Controllers)। अतिनियंत्रक व्यक्तित्व में व्यक्ति आक्रामकता को अनुभव तो करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से प्रदर्शित नहीं करते तथा अपने ऊपर नियंत्रण बना लेते हैं। अव नियंत्रक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति छोटी से छोटी उकसाहट (Minor Provocation) के प्रति भी आक्रामकता से अनुक्रिया करते हैं। ऐसा देखा गया है कि यदि अति नियंत्रक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बार-बार तंग किया जाये तो वह हिंसा पर भी उतर सकता है।

CIMETRIX

ग्लास (Glass, 1977) ने भी आक्रामकता की व्याख्या के लिए दो प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा की है–(a) टाईप–A. (b) टाईप–B.

(a) टाईप–A वाले वर्ग में व्यक्ति अधिक स्पर्धा, जल्दबाजी, चिड़-चिड़े तथा आक्रामक होते हैं इस वर्ग के व्यक्ति अधिक वैरभाव वाली आक्रामकता (Hostile Aggression) का प्रदर्शन करते हैं।

(b) टाईप–B वाले वर्ग में व्यक्ति कम प्रतिस्पर्धा, आराम से काम करने वाले तथा शांत होते हैं। टाईप-B की तुलना में टाईप-A अधिक आक्रात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। टाईप-B व्यक्तियों की तुलना में टाईप-A व्यक्ति सभी संस्कृतियों में अधिक आक्रात्मकता प्रदर्शित करते हैं।

5. वंशानुक्रम और आक्रामकता (Heredity and Aggression) :– वंशानुक्रम और आक्रामकता में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। अनेक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन व्यक्तियों में एक से अधिक Y–क्रोमोसोम (Choromosomes)होता है अर्थात् जिनमें XYY–क्रोमोसोम होता है, वह व्यक्ति औसत व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हैं तथा हिंसात्मक व्यवहार करने वाले होते हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि आक्रामकता का कारण बाहरी वातावरण में न होकर व्यक्ति में ही निहित है।

इस विचार के आलोचकों ने कहा है कि इस प्रकार के प्राप्त आंकड़े तथ्यात्मक नहीं होते, क्योंकि ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि उपयुक्त नहीं है।

आक्रामक व्यवहार कभी भी वांछित (Desirable) नहीं रहा, क्योंकि ऐसा व्यवहार समाज के लिए हितकर नहीं हो सकता। इस प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अतः आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण करना तथा उसकी रोकथाम करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आक्रामक व्यवहार की रोकथाम एवं उस पर नियंत्रण करने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं–

1. दण्ड (Punishment)–दण्ड विधि बहुत ही पुरानी एवं परम्परागत विधि है। आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित करके आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दण्ड की तीव्रता (Intensity) आक्रामक व्यवहार की गम्भीरता पर निर्भर करती है। आक्रामक व्यवहार जितना गंभीर हो, दण्ड भी उसी के अनुसार होना चाहिए। साधारण आक्रामक व्यवहार के लिए साधारण दण्ड दिया जा सकता है या डाँट कर छोड़ा जा सकता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है।

सीमाएँ (Limitations)–

(i) दण्ड व्यक्ति को और भी क्रोधी बना सकता है।

(ii) दण्ड देने वाले व्यक्ति स्वयं भी भविष्य में आक्रामक बन सकता है।

(iii) दण्ड का प्रभाव स्थाई नही होता।

(iv) दण्ड से व्यक्ति के व्यक्तित्व में अवांछनीय व्यवहारों या विशेषताओं को विकसित कर देता है।

दण्ड को प्रभावी बनाना (To make the Punishment effective)–

(i) दण्ड की पर्याप्त तीव्रता होनी चाहिए।

(ii) आक्रामक व्यवहार के बाद दण्ड अवश्य हो।

(iii) दण्ड तत्काल प्रदर्शित होना चाहिए।

2. रेचन क्रिया (Catharsis)–रेचन क्रिया भी एक प्रभावी विधि मानी जाती है। अरस्तू (Aristotle) ने भी इसके महत्त्व की ओर संकेत दिया है। इस विधि के अन्तर्गत आक्रामक ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। जैसे खेल-कूद, व्यायाम, फिल्मों में हिंसक दृश्यों को देखना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि आक्रामक ऊर्जा संचित होती जाती है तथा यह अवधि परक (Periodically) ढंग से प्रदर्शन मांगती है। कुंठा भी इसी प्रकार संचित होती रहती है तथा कुंठा पर आधारित यह ऊर्जा मुक्ति चाहती है।

3. सामाजिक कौशलों में प्रशिक्षण (Training in Social Skills)–जिन व्यक्तियों के पास आक्रामक व्यवहार का सामना करने का कौशल नहीं होता वे जल्द ही आक्रामक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बेरन (Baron, 1988) के अनुसार जिन व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करने का ढंग नहीं आता वे अपने शब्दों की मार से दूसरों को क्रोधित कर देते हैं तथा झगड़ों में फंस जाते हैं। इसी प्रकार जो अपनी इच्छाएँ अभिव्यक्त नहीं कर सकते या जो दूसरों के संवेग नहीं समझ पाते, वे दूसरों को अपनी

बातों से क्रोधित कर देते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिक कौशलों का अभाव रहता है वे समाज में अधिक हिंसक कार्य करते हैं। अतः ऐसे लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने से उनमें आक्रामकता में न्यूनता लाई जा सकती है।

4. पीड़ित व्यक्ति द्वारा कष्ट की अभिव्यक्ति (Pain Expressed by the Victim) :– मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का भी पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित पीड़ा आक्रामकता कर्ता की आक्रामक अनुक्रिया को प्रभावित कर सकती है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर क्रोधित होता है या नहीं। यदि आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर क्रोधित हो रहा है तो पीड़ा संकेतों को प्राप्त करके उसकी आक्रामकता एक सीमा तक बढ़ती जाती है। पीड़ा के संकेत उन व्यक्तियों में आक्रामकता की मात्रा कम करते हैं जिन व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्ति ने क्रोधित नहीं किया होता।

5. गैर आक्रामक प्रतिरूपों का प्रदर्शन (Exposure to non-aggressive Models):– यदि आक्रामकता वाली परिस्थितियों में गैर आक्रामक प्रारूपों (Non-aggressive Models) को स्थापित कर दिया जाये तो उनमें उत्तेजित व्यक्ति की आक्रामकता में कमी आ सकती है। ऐसे वातावरण में आक्रामक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं।

6. पुरस्कार आदि न देना (Non-Rewarding) :– आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के आगे आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति की न तो प्रशंसा की जाये और न ही किसी प्रकार का पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाये। इसके आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति हतोत्साहित होंगे।

7. विमानवीकरण को रोकना (To avoid Dehumanization) :– आज समाज में 'व्यक्ति' एक वस्तु बन कर रह गया है। आदमी आदमी को नहीं पहचानता। समाज में मानवीय गुणों का महत्त्व कम हो रहा है। अतः इन मूल्यों में आ रही गिरावट को रोकना चाहिए तथा विमानवीकरण पर रोक लगानी चाहिए। इन प्रयासों से भी आक्रामक व्यवहार में कमी आ सकती है।

8. प्रतिकार (Retaliation) :– प्रत्याशित प्रतिकार भी बाहरी आक्रामकता को कम कर सकता है। बेरन (Baron, 1971) के अनुसार यदि आक्रामक अनुक्रिया के लिए प्रतिकार सम्भव हो तो आक्रामक अनुक्रिया के प्रदर्शन की सम्भावना कम हो जाती है। इसी प्रकार यह भी पाया गया है कि व्यक्ति द्वारा प्रतिकार करने वाले दूसरे व्यक्ति की शक्ति का प्रत्यक्षीकरण उसकी आक्रामकता को बहुत प्रभावित करता है।

9. आक्रामक व्यवहार की परिस्थिति हटाना (To Remove the Situation responsible for Aggression) :– यदि आक्रामक व्यवहार करने वाली कोई परिस्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है तो यदि उस परिस्थिति को तुरन्त हटा दिया जाता है तो आक्रामक व्यवहार करने वाले की उत्तेजना न्यूनतम हो जायेगी तथा उस व्यक्ति का आक्रामक व्यवहार नियंत्रण में आ जायेगी। इसी प्रकार समाज और वातावरण में आक्रामक संकेतों और उद्दीपकों को कम कर दिया जाये या हटा दिया जाये ताकि आक्रामकता के लिए उत्तरदायी बाहरी उत्तेजनाएँ कहीं दिखाई ही न दें।

◆◆◆

17. 'दबंगता' या धौंस जमाना या आखेदन से क्या अभिप्राय है? विभिन्न अवस्थाओं में दबंगता या आखेदन का वर्णन करें।
(What do you mean by Bullying? Describe bullying in various stages of development.)

उत्तर–दबंगता या आखेदन का अर्थ (Meaning of Bullying)- दबंगता या धौंस जमाना या आखेदन (Bullying) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंग करने का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के मूल में 'आक्रामकता' (Aggression) की भावना शामिल होती है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बड़े या शक्तिशाली बच्चे छोटे या कमजोर बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS , SKILLED INDIA

उदाहरणार्थ–कपड़े खींचना, चलते-चलते टाँग मार देना, टोपी उतार देना इत्यादि। इस प्रकार का व्यवहार संतुलित समायोजन वाले बालकों में कम तथा असंतुलित समायोजन वाले बालकों में अधिक पाया जाता है। लड़कियों में इस प्रकार का व्यवहार बहुत कम होता है तथा लड़कों में अधिक पाया जाता है।

वैसे भी, यदि हम गहराई से सोचें तो कुछ व्यक्तियों को दूसरों को दुःख देने में बहुत मजा आता है। उन्हें हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है जब इन व्यक्तियों के ऐसे व्यवहारों से अन्य व्यक्ति दुखी होते हैं तो इन्हें बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है।

ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी आक्रामकता के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। आक्रामकता के शिकार व्यक्ति ऐसे दबंग व्यक्तियों से दब जाते हैं और उनसे घबराने लगते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति दबंगों के सामना परेशान करने की प्रार्थना करते हैं तथा गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे लोग प्रभावित लोगों पर और हावी हो जाते हैं।

पूर्व-बाल्यावस्था (Early Childhood)–यदि बच्चों को पूर्व-बाल्यावस्था में खेलने के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते तब उनमें आक्रामकता की प्रवृत्ति (Aggressive Tendency) का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है।

पूर्व बाल्यकाल में खेल की क्रियाएं अधिक होती हैं तथा इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की सामाजिकता का आभास होता है। इस अवस्था के दौरान बालक के भीतर खेल तथा मनोरंजन के तत्त्व अधिक सक्रिय होते हैं, और उनका अधिक मूल्य होता है। दूसरी ओर खेलों पर ही बालकों के सभी गुणों का विकास निर्भर करता है। जैसे–शारीरिक, नैतिक, मानसिक तथा सामाजिक गुण। बालक इन गुणों के महत्त्व को समझने में अपनी अल्प-आयु के होने के कारण समझने में असमर्थ होता है। बालक अपने सम्मान के प्रति अधिक सजग होता है। इन्हीं खेल-क्रियाओं के दौरान लड़ाई-झगड़ा तथा मार-पीट जैसी घटनाओं का होना स्वाभाविक होता है।

लेकिन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चा अन्य बालकों पर अपना प्रभुत्व (Dominance) स्थापित करना चाहता है। जो भी बच्चा दूसरे बच्चे की बात नहीं मानता या उसके निर्देशों का सामना नहीं करता, तब वह बड़े बच्चे के क्रोध और घृणा का पात्र बन जाता है। इस दृष्टि से प्रभुत्व और आक्रामकता दोनों आपस में संबंधित होते हैं। परिणामस्वरूप प्रभुत्व प्रदर्शन करने वाले बच्चों में द्वंद्व और आक्रामकता अधिक देखने को मिलती है।

जब द्वंद्व आक्रामकता तथा स्पर्धा (Conflict Aggression and Competition) की भावनाएं कार्य करती हैं, तब वहां सहयोग और सहानुभूति के भाव भी जाग्रत हो जाते हैं।

सामाजिक विकास से इस क्रम में बालकों में कुछ दुर्गुणों का पनपना भी स्वाभाविक हो जाता है, जैसे–चिढ़ाना (Teasing), धौंस दिखाना (Bullying), झूठ बोलना, चोरी करना। ऐसे आचरणों को 'समाज विरोधी आचरण' के वर्ग का हिस्सा माना जाता है।

इस अवधि में लड़के और लड़कियां दोनों ही असुखद भावनाओं की अभिव्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से करना सीख जाते हैं। ये भावनाएं आक्रामक व्यवहार के रूप में व्यक्त की जाती हैं। लड़कियों में आक्रामक व्यवहार कम होता है। आक्रामक व्यवहार पूर्व बाल्यकाल में अधिक होता है। पूर्व बाल्यकाल में अभी बच्चों का व्यवहार कुछ न कुछ मात्रा में आक्रामक (Aggressive) ही होता है।

लगभग पांच वर्ष की आयु तक यह व्यवहार चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तत्पश्चात् इसकी तीव्रता और आवृत्ति (Intensity of Frequency) में कमी आने लगती है।

बच्चों में आक्रामक व्यवहार इन कारणों से संभव होते हैं–

(i) पारिवारिक तनाव के कारण।
(ii) अधिक ध्यान आकर्षित करने की लालसा।
(iii) ईर्ष्या की भावना का विकसित होना।
(iv) माता-पिता का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का होना।
(v) बच्चों को मारना-पीटना जब वह जरा-सी भी गलती करें।
(vi) उसके लक्ष्यों में रुकावट का आना।

इस आयु वर्ग में आक्रामकता का प्रदर्शन बच्चा हाथ-पैर पटक कर करता है। पांच वर्ष की आयु के पश्चात् उसका यह व्यवहार अप्रत्यक्ष होने लगता है।

उत्तर-बाल्यावस्था *(Late Childhood)*

पूर्व-बाल्यावस्था में जिन सामाजिक गुणों का विकास होता है, उत्तर-बाल्याचस्था में भी उन्हीं गुणों का विकास होता है। अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि उत्तर-बाल्यकाल में बालक अपनी पूर्व बाल्यकाल की विशेषताओं से वंचित हो जाता है।

उत्तर-बाल्यकाल में बालक की सामाजिकता बहुत व्यापक रूप धारण कर लेती है। अब वह घर के संकुचित वातावरण से निकल कर सामूहिक जीवन का सदस्य बन जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता होती है–समूह-शक्ति (Group Loyalty)। यह अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है।

इस अवस्था में बालक 'सहयोग' (Co-operation) का अधिक सहारा लेता है। पूर्व बाल्यकाल में बच्चे अलग-अलग खेल की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु उत्तर-बाल्यावस्था में सामूहिक खेल का विकास होता है। परस्पर सहयोग की भावना बढ़ जाने से बालकों के भीतर सुरक्षा का भाव (Feeling of Security) सुदृढ़ हो जाता है। समूह में बच्चा अधिकांश समय व्यतीत करता है। इसीलिए उसमें सहानुभूति और परस्पर प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो जाने के परिणामस्वरूप वह अपनी इच्छाओं और विचारों को भाषा के द्वारा ढंग से व्यक्त कर सकने में सक्षम हो जाता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था 'गैंग आयु' (Gang Age) कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपने निजी उद्देश्यों के लिए प्रतियोगिता और स्पर्धा करता है तथा एक-दूसरे के आगे निकलने की होड़ में रहता है।

किशोरावस्था (Adolescence)–यह 13-14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर छोटे सामाजिक समूहों के सदस्य भी बनते हैं, जिन्हें 'क्लिक' (Cliques) कहा जाता है जिनमें 3-4 मित्र समान रुचियों वाले होते हैं। किशोरावस्था में बालक 'गैंग' के सदस्य भी बनते हैं। गैंग में आमतौर पर वे सदस्य होते हैं जो स्कूलों में कुसमायोजित होते हैं। ये एक ही कक्षा या स्कूल के छात्र होते हैं। गैंग में एक ही सेक्स के सदस्य होते हैं। ये गैंग समाज-विरोधी व्यवहारों को करते हैं। ये उनसे बदला भी लेते हैं। जिनकी उनके अच्छे संबंध नहीं होते या जो इनको स्वीकार नहीं करते। गैंग में बदले की भावना अधिक होती है।

आयु के बढ़ने के साथ-साथ इनके झगड़े भी कम होने लगते हैं तथा सामाजिक समायोजन भी बढ़ जाता है। इस अवस्था में अन्त तक अधिकांश किशोर गैंग से अलग हो जाते हैं और इनका 'क्लिक' भी टूटने लगता है।

◆◆◆

पदार्थ या मादक द्रव्य व्यसन (Substance Abuse and drug Addiction)

18. मादक द्रव्य व्यसन की समस्या से आप क्या समझते हैं? मादक द्रव्य व्यसन के कारण तथा दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–

मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ *(Meaning of Drug Abuse)*

मादक द्रव्य व्यसन शब्द का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता (Physical dependence) शारीरिक निर्भरता से तात्पर्य है कि मादक पदार्थों के निरन्तर प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि इन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर को दर्द, बेचैनी और रुगणता महसूस होती है। दूसरे शब्दों में, मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिये मादक पदार्थ के प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती है। यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है तो संचालन में बाधा पैदा होती है।

इस प्रकार से मादक द्रव्य का अर्थ है "शरीर का मादक पदार्थों के विषैले प्रभावों (Toxic effect) पर आश्रित इतना हो जाना कि उसके बिना वह नहीं रह पाता है।" *(Addiction to a drug means that the body becomes so dependent to the toxic effect of the drug that one cannot do without it.)*

इस प्रकार मादक द्रव्य व्यसन की चार विशेषतायें हैं :

1. इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती है जिसे वह हर सम्भव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
2. इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।
3. मादक पदार्थों के प्रभावों पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है।
4. इसका व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग मादक पदार्थों का दुष्प्रयोग (Drug abuse) कहलाता है, जिससे शारीरिक मानसिक हानि होती है। इसके अन्तर्गत धूम्रपान, गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकोइन, L.S.D. मार्फिन के इन्जेक्शन एवं शराब आदि का प्रयोग सम्मिलित है। इन्हें कई बार 'High on speed' या 'Trip' या 'Getting, Kicks' जैसे शब्दों के प्रयोग द्वारा व्यक्त किया जाता है।

मादक द्रव्य व्यसन के कारण
(Causes of Drug Addiction)

मादक द्रव्य व्यसन के कारणों में उन्हीं कारणों को सम्मिलित किया जाता है जो मद्यपान में दिखाये गये है। केवल दो कारण अलग हैं–

मादक द्रव्यों के सौदागरों की भूमिका (Role of Narcotic Maphia)–नारदिनी ने उचित ही लिखा है कि, "मादक द्रव्यों के विक्रय में लालच स्पष्ट कारक है। यही ऐसे लोगों के लिये प्रभुत्व प्रेरक शक्ति है जो इस व्यापार में आसान धन देखते हैं।" वास्तव में ये लोग मानव विनाश का खेल-खेल रहे हैं। इनको बेचने के लिये भी ये उन्हीं को माध्यम बनाते हैं जिन्हें एक बार इन पदार्थों का आदि बना लिया है।

भारत में आकस्मिक प्रसार (Sudden Expansion in India)–पहले इन नशीले पदार्थों का व्यापार पाकिस्तान से होता था, परन्तु अब ये पदार्थ भारत हो कर दूसरी जगह जा रहे हैं। सन् 1981 में इन पदार्थों के भेजने के लिये भारत को मार्ग के रूप में प्रयोग किया था। पहले तो कम मात्रा में व्यापार यहाँ से किया जाने लगा, 1984 में ही भारी मात्रा में भारत के रास्ते ये पदार्थ दूसरे स्थानों पर भेजें जाने लगे। आज भी व्यापार भारत के मार्ग से होना इस बात से ठीक नजर आता है कि भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को भारत में पकड़ा जा रहा है।

मादक द्रव्य व्यसन के दुष्प्रभाव
(Bad effect of Drug Addiction)

मद्यपान के दुष्प्रयोग को पहले दिखाया गया है। मादक द्रव्य व्यसन के प्रयोग से भी ये ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अतः यहाँ पर कुछ सामान्य प्रभावों को दिखाया गया है। **मेमोरिया** ने अनेकों प्रभावों के बारे में बताया है जिनसे आर्थिक, सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ये हैं–

1. इससे अपराध, भ्रष्टाचार तथा नियम अवहेलना बढ़ती है।
2. व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
3. मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है।
4. इनके प्रयोग से शिक्षा का नुकसान होता है।
5. श्रमिक क्षमता कम होती है, जिसके कारण उत्पादन भी प्रभावित होता है।
6. परिवार की खुशी को समाप्त करने का कारण है।
7. वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्तियों की हालत काफी खराब हो जाती है।
8. अपने आश्रितों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज को हानि पहुँचाता है।

9. व्यसनी की यौन शक्ति में भी गिरावट आती है।
10. मादक पदार्थों के प्रयोग के 6 माह के अन्दर ही व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि किसी भी कार्य को करने में सक्षम ही नहीं रहता।

इसलिये मादक द्रव्यों का सेवन अर्थव्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, समाज एवं व्यक्ति के लिये इतना घातक है कि आज यह विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया हैं।

महानगरों में स्त्रियों में नशे की बढ़ती आदत (Drug Addiction Among Women in Metropolitan Cities)—भारत के बड़े-बड़े नगरों में महिलायें मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं और मानसिक तनाव को कम करने के लिये कम उम्र में ही वे नशे की अंधी गलियों में भटक रही हैं। **महिला और नशा** विषय पर एक **संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला** लगायी गयी, इस कार्यशाला, के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसमें बताया गया कि भारत में महिला नशेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें से दो तिहाई से अधिक नशेड़ियों की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच है। नशे की आदतन महिलाओं में लगभग 67 प्रतिशत कामकाजी हैं। **इस रिपोर्ट पर कुछ भारतीय विद्वानों की प्रतिक्रिया**–

1. **डॉ. शोभालाल कपूर**–ये मुम्बई में नशे की आदी महिलाओं को क्षेक करने वाली संस्था मुक्ति सदन की निदेशक हैं। आपने कहा कि महिलाओं में इतने नशे के बढ़ने को तो खतरे की घन्टी माना जाए। ये कामकाजी महिलाओं के अकेलेपन को इसका सबसे बड़ा कारण मानती है।
2. **डॉ. प्रतिमा मूर्ति भी डॉ. कपूर के विचारों का समर्थन करती हैं**–ये नशामुक्ति संस्था निमहंस की निदेशक हैं। ये बताती हैं कि ज्यादातर कामकाजी महिलायें होस्टलों में रहती है। नशे की शिकार 31 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह नहीं किया है और 32 प्रतिशत तलाकशुदा या पति से अलग रहती हैं। काम के तनाव के अलावा ये महिलायें अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति भी चिंतित रहती हैं, ऐसी स्थिति में वे नशे को ही एक मात्र विकल्प मानती है और इस के जाल में फँस जाती हैं।
3. **डॉ. कपूर के अनुसार कामकाजी महिलाओं में से 45 प्रतिशत महिलायें देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं**–आपके अनुसार कम उम्र में घर से भागकर मुंबई आयी महिलाओं में से अधिकतर वेश्यालयों में पहुँचा दी जाती हैं। **यहाँ वे आसानी से नशे की शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली जैसे महानगरों में उच्च वर्ग की युवतियाँ या छात्रायें अपनी नशे की आदत को पूरा करने के लिये वेश्यावृत्ति करती हैं।**

संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला में बच्चों के प्रति बढ़ती हुई लापरवाही से जुड़े कुछ और तथ्य भी सामने आये हैं। लगभग 36 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहली बार 11 से 15 वर्ष की उम्र के आसपास नशा किया था। इसी तरह 32 प्रतिशत महिलाओं ने 16 से 20 वर्ष की आयु में ही नशा करना शुरू कर दिया था। ज्यादातर महिलाओं को नशे की आदत अपने निकट के सम्बन्धियों से ही लगी। लगभग 48 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मित्रों और 16 प्रतिशत ने अपने पति या साथी के साथ पहली बार नशे का सेवन किया था।

संयुक्त राष्ट्र की कार्यशाला के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला आज नशे की ओर बड़ी तेज गति से बढ़ रही है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि नशे की बढ़ती हुई आदत का मुख्य कारण यह है कि नशे के पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी नशे का व्यापार काफी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। इसी कारण से नशा करने वाली महिलाओं की 90 प्रतिशत, हेरोइन या ब्राउन शूगर का प्रयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त नसों में लिये जाने वाले ड्रग का इस्तेमाल भी आमतौर पर हो रहा है। नशा उन्मूलन में लगी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सरकार का उतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा है जितने कि हमें आवश्यकता है।

नशा निषेध या नशा बन्दी (Prohibition)—"नशा-निषेध का तात्पर्य शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों जैसे–भांग, अफीम, गांजा, चरस तथा नशीली औषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण को औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त, कानून द्वारा निषिद्ध करना है।"

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

नशीली चीजों का अत्यधिक सेवन अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणामों को जन्म देता है। इस कारण नशा-निषेध की सम्पूर्ण धारणा के अन्तर्गत स्वास्थ्य के लिये हानिकारक समस्त मादक वस्तुओं और औषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण पर प्रतिबन्ध आता है। नशा-निषेध के कानूनों को तोड़ना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है।

◆◆◆

वैश्वीकरण, नगरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव
(Impact of Globalisation, Urbanisation and Economic changes)

19. वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका क्या महत्त्व है? बच्चों तथा उनकी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव है? (What is meant by globalization? What is its importance? What is its impact of globalization education.)

अथवा

भूमंडलीकरण क्या है? बाल्यावस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। (What is Globalization? Explain its impact on childhood.)

(M.D.U. 2018)

उत्तर–आज का युग विज्ञान का युग है। दूरियाँ घट गई हैं। विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों की सोच व्यापक हुई है और वैश्वीकरण इन सबका परिणाम है। यदि सच पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज की आवश्यकता है। लेकिन इसकी आवश्यकता व महत्त्व पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है?

वैश्वीकरण का अर्थ (Meaning of globalization)–वैश्वीकरण एक सोच है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जो व्यक्ति की सोच एवं दृष्टिकोण को व्यापक बना देती है और वह किसी भी विषय अथवा समस्या को केवल स्थानीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में न देखकर पूरे विश्व के सन्दर्भ में देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि सभी राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण व्यक्ति में विश्व चेनता का विकास करने वाली प्रक्रिया है।

इस सन्दर्भ में लैचनर (Lechner) महोदय की यह परिभाषा उल्लेखनीय है–

"वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक सम्बन्धों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास।'

(Globalizaiton is the expansion of global linkages, the organisation of social life on a global scale and growth of a global consciousness.)

वैश्वीकरण की आवश्यकता व महत्त्व (Need and importance of globalization)– वैश्वीकरण की आवश्यकता व महत्त्व इस प्रकार है–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए (To develop international understanding)–अन्तर्राष्ट्रीयता के इस युग में व्यक्तियों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास आवश्यक है। उसे विश्व के नागरिक के रूप में तैयार करना है, जिससे वह उसके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सके। वैश्वीकरण ऐसा करने में मदद करता है।

(2) आर्थिक विकास (Economic development)–वैश्वीकरण मुख्य रूप से आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखता है। आज प्रत्येक राष्ट्र विकास करना चाहता है और यह आर्थिक विकास बिना सम्भव नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्वीकरण आवश्यक है।

(3) राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता (Interdependence of nations)–सूचना व तकनीकी का तेजी से विकास हो रहा है। कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर न तो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अतः राष्ट्रों की परस्पर बढ़ती निर्भरता के कारण वैश्वीकरण आवश्यक है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना (To solve international problems)– कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो विश्व मानवता के साथ सम्बन्ध रखती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, अशिक्षा तथा गरीबी आदि। इन सब के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया इसमें सहायक है।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना (To encourage international Trade)– विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात-निर्यात की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया इस दिशा में हमारी मदद करती है।

भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact of globalization on Indian Education)–यूं तो भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा प्राचीन काल से ही विश्व बन्धुत्व (World Family) का सन्देश देती रही है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

1. वैश्वीकरण एवं भारतीय शिक्षा के उद्देश्य (Globalization and aims of Indian education)–वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होकर आज हमारी शिक्षा विद्यार्थियों को विश्व के नागरिक के रूप में तैयार कर रही है। यह उनमें व्यावसायिक कौशल का विकास भी कर रही है, जिससे प्रशिक्षित मानवीय शक्ति आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना भी है, क्योंकि इससे उनकी सोच व कार्य करने के तरीकों में नवीनता आएगी।

यही नहीं; आज हमारी शिक्षा का अर्थ ही बदल गया है। शिक्षा का अर्थ जानकारी या सूचना एकत्रित करना नहीं है। यह तो एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो उन्हें यह सिखाती है कि वे कैसे सीखें। यह उनमें समझ, कौशल व रचनात्मकता का विकास करती है जिससे वैश्वीकरण के इस युग में वे अपने दायित्वों का अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सकें।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

वैश्वीकरण व पाठ्यक्रम (Globalization and curriculum)–शैक्षिक पाठ्यक्रम भी वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा रहा है। उन्हें विश्व इतिहास, भूगोल व साहित्य आदि की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न कौशलों के प्रशिक्षण द्वारा उन्हें कुशल मानव शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, 'मूल्य शिक्षा' (Value education) तथा 'नैतिक शिक्षा' (Moral educaiton) जैसे विषयों के द्वारा उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जा सके।

वैश्वीकरण व शिक्षण विधियाँ (Globalization and Teaching Methods)–भारतीय शिक्षा में वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षण विधियों पर बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में **'एजुसेट'** द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इन्टरनेट व कम्प्यूटर द्वारा घर बैठे ही बच्चे स्वयं ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास रूम (Smart class-room) का प्रत्यय विकसित हो रहा है, जिसके अन्तर्गत कक्षा-कक्ष सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाकर बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वैश्वीकरण एवं शिक्षक (Globlization and Teacher)–वैश्वीकरण ने वर्तमान अध्यापक की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्तमान तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका को गौण बना दिया है। आज बच्चे इन्टरनेट तकनीक से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। दूरस्थ शिक्षा (Distance education) में भी अनेक नवाचार (Innovations) हो रहे हैं। टेली-कान्फ्रेन्सिंग (Tele conferencing) इनमें से एक है। इसके अन्तर्गत बच्चे कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक से ही नहीं, कहीं दूर बैठे योग्य शिक्षक से ज्ञान अर्जित करते हैं।

वैश्वीकरण के कारण अध्यापक का घटता महत्त्व इसका एक दुष्प्रभाव ही है, क्योंकि कोई भी तकनीक कभी भी अध्यापक का स्थान नहीं ले सकती। अध्यापक बच्चों के लिए आदर्श होता है। वह बिना उपदेश दिए भी बच्चे में अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकता है जो कि केवल तकनीक द्वारा असम्भव है। फिर भी अनेक भारतीय शिक्षा संस्थान विदेशी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिलवाने की बात कर रहे हैं।

आधुनिक तकनीकी विकास के कारण शिक्षण विधियों में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आज अध्यापक से यह अपेक्षा की जाने लगी है कि वह नवीन तकनीक का प्रयोग करने में दक्ष हो और वह केवल ज्ञानदाता ही नहीं एक मार्गदर्शक की भूमिका का भी अच्छी प्रकार निर्वाह करे।

वैश्वीकरण एवं शिक्षा का माध्यम (Globalization and Medium of education)–वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही आज भी भारतीय अंग्रेजी माध्यम को महत्त्व देते हैं। इसीलिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

वैश्वीकरण एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण (Globalization and universalisation of education)–स्वतन्त्रता के बाद यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु अनेक कारणों से हम इसे अभी तक भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन विश्व बैंक ने 'सबके लिए शिक्षा' (Education for all) को एक आर्थिक महत्त्व का विषय मानते हुए 18 देशों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुदान देने की बात कही। भारत भी इन देशों में से एक है। इस प्रकार वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण हम 'सबके लिए शिक्षा' के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है। फिर भी विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम अपनाना चाहते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच अन्तःक्रिया कम हुई है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का मशीनीकरण हो रहा है। दूरस्थ शिक्षा (distance education) का प्रचलन बढ़ा है। इन सब कारणों से शिक्षा बच्चे में अभीष्ट मूल्यों का विकास नहीं कर पा रही है। यही नहीं आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षण के नवीन साधनों व तकनीक को अपनाना भी हमारे लिए कठिन है। साथ ही इन सबके लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण का भी अभाव है। ध्यातव्य है कि कोई भी तकनीक अध्यापकों व विद्यार्थियों का स्थान नहीं ले सकती। आवश्यकता इस बात की है कि हम वैश्वीकरण की आत्मा या मूल-भावना को समझें और नवीन व प्राचीन में समन्वय बनाए रखते हुए यह प्रयास करें कि शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच गरिमापूर्ण सम्बन्ध बने रहें, अध्यापक व विद्यार्थियों में अध्ययन की प्रवृत्ति बनी रहे और नवीन तकनीक उनके ज्ञान व कौशल को अधिक पुष्ट करने का माध्यम हो न कि यह उनका स्थान ग्रहण कर ले। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छूने में सफल होंगे; इसमें कोई सन्देह नहीं।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA